Female Sex Work & Subjectivity: A Study of Kabari Bazar, Meerut

Thesis Submitted to Jawaharlal Nehru University

for the award of the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

MANOJ KUMAR

Center for Women's Studies

School of Social Sciences

Jawaharlal Nehru University

New Delhi-110067

2018

CENTRE FOR WOMEN'S STUDIES
School of Social Sciences-II
Jawaharlal Nehru University
New Delhi-110067
Tel. : 91-11-26704166
E-mail wonmenstudiesprogramme@gmail.c

Date: 14/03/2018

DECLARATION

I, Manoj Kumar, hereby declare the thesis entitled **"Female Sex Work & Subjectivity: A Study of Kabari Bazar, Meerut"** submitted by me for the award of the degree of **Doctor of Philosophy** of Jawharlal Nehru University is my own work. The thesis has not been submitted for any other degree of this University or any other university.

Manoj Kumar
MANOJ KUMAR

CERTIFICATE

We recommend that this thesis be placed before the examiners for evaluation.

Lata Singh
DR. LATA SINGH

(Chairperson, CWS)

PROF. G. ARUNIMA

(Supervisor, CWS)

प्रो. जी. अरुणिमा / Prof. G. Arunima
महिला अध्ययन केंद्र/Centre for Women's Studies
सामाजिक विज्ञान संस्थान/School of Social Sciences
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
Jawaharlal Nehru University
नई दिल्ली/New Delhi-110067

आभार

पिछले कई दशकों में भारतीय समाज में वेश्याओं और समाज के रिश्तों पर सरसरी निगाह डाले तो वेश्याएं अनिवार्यत: असमाजिक तत्व समझी जाती रही है । लोक-मानस बनाने वाले तमाम मंचों ने भी वेश्याओं के कोई भी सवाल उठाने से परहेज़ किया । कलाकार, साहित्यकार या समाज सुधारकों ने वेश्याओं के समस्या या सवालों को उठाने की कोशिश की, जिसमें यह प्रयास था कि महिलाओं को इस नर्क से कैसे मुक्त किया जाए साथ ही इन महिलाओं को वेश्या न समझकर यौन-कर्मी समझा जाए, यानी उसे मज़दूर वर्ग के एक सदस्य के रूप में सम्मानित दर्जा दिया जाए । पक्ष-विपक्ष के तमाम बहसों के बीच में यह भी समझने जरूरी है कि वेश्या नामक निर्मिति की अंतर्वस्तु भी धीरे-धीरे बदल रही है । वह पुरानी वर्जनाओं की बुनियाद पर टिकी हुई नहीं है । भले ही वेश्या और सेक्स वर्कर बनाने के सवाल पर अभी भी विरोधाभास मौजूद है । भले ही आधुनिकता के थपेड़ों के बीच यौन-नैतिकता का पड़ाव लांघने की कोशिश भारतीय समाज कर रहा है परंतु, वैश्यओं के सवाल पर उसकी दशा-दिशा की अभी भी उलझी हुई है ।

भारतीय सामाज में वेश्याओं के यथार्थ की एक सच्चाई यह भी है कि वह कई मामलों में न केवल स्वतंत्र है बल्कि हर तरह के सामाजिक और धार्मिक बंधनों से भी मुक्त दिखती है । समाज के आर्थिक गतिशीलता को चलयमान बनाये रखने के लिए दुनिया का सबसे पुराना पेशा है-वेश्यावृत्ति जो प्रारंभ में नाच-गाना, मनोरंजन तक सीमित था, बाद के दिनों में इसका झुकाव जिस्म के बेचने के तरफ झुक गया । जिससे वैश्विक स्तर पर वेश्यावृति एक व्यवसाय के रूप में प्रचलित रहा है, विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाये रखने में इस व्यवसाय की भी अपनी प्रासंगिता है ।

भारतीय संदर्भ में इसका इतिहास पुराना और काफी हद तक रोचक और उल्लेखनीय दिखता है । नाच-गाने महफिल के विकास यात्रा में कई कलाओं के उद्गम के सफर से देह-व्यापार के साथ जुड़कर सामाजिक नैतिकता के सवालों समाज में इसके मौजूदगी पर सवाल उठाए, परंतु खुद को अलग भी नहीं किया । जाहिर है भारतीय संदर्भ में इसके सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक कारण है जो अपने मूल में इस व्यवसाय में महिलाओं की समस्याओं का मूल्यांकन छिपा लेते है । मसलन, तमाम कानून, नियम निर्मित कोशिश और सामाजिक जागरूता के बाद भी सभी व्यर्थ कैसे

सिद्ध हो गये ? तमाम नैतिकता के चारदिवारों के बीच में काल गर्ल या मसाज पार्लरों में चलने वाला देह व्यापार अपनी जगह कैसे बना सका ? जाहिर है कि समाज और सरकार ठीक उसी प्रकार कार्य कर रही है, जैसे एक बागवान पत्तों को संचित करता है, परंतु उसकी जड़ों तक पानी पहुंचाने की सफल चेष्टा नहीं करता है । आज भी समाज वेश्याओं को सोसायटी का सबसे तुच्छ हिस्सा मानता है लेकिन क्या ये बात सच नहीं कि इस भाग की रूपरेखा का निर्माण करने वाला भी स्वयं हमारा समाज ही है । जिसके समाधान के लिए महिलाओं को पूर्ण मुक्त तथा पुरुषों के साथ सच्ची समानता के लिए सामाजिक अर्थव्यवस्था की ओर साधारण उत्पादन श्रम में वेश्याओं द्वारा भाग लिए जाने की परम आवश्यकता है । तब वेश्याओं की हीनभावना के प्रति हीन भावना निकल पाएगी और वे राष्ट्र की सामान्य धारा में पुरुषों तथा विशिष्ट वर्ग के समान क्रियाशील हो सकेंगी ।

इन्हीं सवालों, यथास्थिति के कारणों, समस्या, समाधान के पड़ताल में प्रस्तावित शोध में मैंने मेरठ के कबाड़ी बाजार ला बत्ती क्षेत्र में वेश्यालयों अधारारित यौन कार्मियों पर अध्ययन करने का प्रयास किया है । इस अध्ययन में मैंने महिला यौन कर्मियों के सामाजिक जनजीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया है ।

प्रस्तावित विषय की जटिलता, महिला आंदोलनों की समझ, इस विषय के सैद्वांतकी पर मेरी समझ और रूची विकसित करने मैं अपने शोध निर्देशक आदरणीय प्रोफ़ेसर जी. अरुणिमा जी के प्रति अपना आभार और कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ, जिनके विद्वतापूर्ण, विचार-गंभीर्य, विचारशीलता, दूरदर्शी, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में, मैं यह शोध कार्य प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर मेरी अनंत जिज्ञासाओं और उलझनों का समाधान किया और समय समय पर शोध सम्वन्धी उपयोगी सुझाव दिए । आपके कुशल मार्गदर्शन और निर्देशन से ही मैं इस शोध कार्य को पूर्ण करने में सफल हो सका हूँ । आपके कठोर परिश्रम, सरलता, सच्चाई, निश्छलता, गहन अभिप्रेरणा, सुक्ष्म पर्यवेक्षण, और स्नेहपूर्ण सहयोग ने मेरे शोध कार्य में उत्साह वर्धन किया है, मैं मात्र आपके सानिध्य में रहकर ही अनुसंधान कार्य की बारीकियों को समझ सका । आपका मधुर व्यवहार सहयोग एवं अमूल्य विचार मुझे जीवन पर्यन्त सतत उन्नति पथ पर अग्रसर करते रहेयेंगे, जिनके लिए में सदा सदा आपका आभारी रहूँगा ।

तदुपरान्त मैं अपने विभाग अध्यक्ष डॉ. लता सिंह (समकालीन समय में हो रहे काम किताबों, लेखों और सेमिनारों में हो रही बहसों को समझ पाया), और पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कुमकुम रॉय, डॉ. मल्लारिका सिन्हा रॉय जिन्होंने एन्थ्रोपलोजी समझ विकसित करने में उनसे बहुत सहायता मिली, डॉ. पापोरी बोराह, डा. नवनीता मौकी मारूथल के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे, मेरे शोध कार्य के लिए समय समय पर दुर्लभ विषय सामिग्री प्रदान की, और इसी के साथ साथ क्षेत्र कार्य कैसे किया जाए, क्षेत्र अनुसंधान नैतिकता, और अनुसंधान क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों से कैसे निवटा जाए जैसी तकनीकियों से अवगत कराया । इसी के साथ में प्रोफेसर विवेक कुमार और प्रोफेसर वी. सुजाता का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिनके साथ आरंभ में मुझे कोर्स वर्क करने का मौका मिला और अपने विषय पर पकड़ मजबूत हुई । मैं श्रीमती कंचन मान और धीरेन्द्र सिंह रावत उर्फ़ धीरू भाई का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपने विभाग में हमेशा छोटे अपने भाई जैसा प्यार दिया और मुझे कभी भी अपने काम के प्रति निराश नहीं होने दिया इन्होने मेरे साहस हमेशा बनाए रखा ।

इसी के साथ में प्रोफेसर सतीश देशपांडे, डॉ. रबिन्द्र रे और डॉ. अनुजा अग्रवाल (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स), प्रोफेसर जगदीश कुमार पुण्डीर, डॉ. यदुवेंद्र प्रताप सिंह (चौधरी चरण सिंह विश्विद्यालय परिसर, मेरठ), डॉ. विनोद कुमार, डॉ. कुसुम लता (जामिया मिलिया इस्लामिया विश्विद्यालय, दिल्ली), डॉ. राकेश राणा (एम.एम.एच. कॉलेज गाजियाबाद), डॉ. सीमा मालिक (के.वी.एस. दिल्ली), को अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ, की जिन्होंने मुझे नृवंशवैज्ञानिक अनुसंधान अंग्रजी में लिखे इसको... की गंभीरताओं को समझाया और मेरे क्षेत्र अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया तथा साथ में यह भी शिक्षा दी की मुझे अपने संवेदनशील शोध क्षेत्र में किस प्रकार अपना संयम बनाकर रखना है । उन्होंने मुझे यह भी बताया की क्षेत्र अध्ययन के समय हमको कभी भी अपने उद्देश्य से नहीं भटकना हैं, चाहें शोध क्षेत्र में कितनी ही मोहकता, प्रलोभन, और कठिनाई से सामना क्यों ना हो ।

इसी के साथ मैं प्रोफेसर देबल के. सिंघारॉय, डॉ. रबिन्द्रा कुमार, डॉ. स्मिता एम. पाटिल (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्विद्यालय), डॉ. सतेन्द्र कुमार (जी. बी. पन्त इलाहबाद), का अनन्य आभार मानता हूँ, की जिनके साथ मुझे शोध कार्य करने का मौका मिला और मुझे इनके सानिध्य में रहकर यह सिखने का मौका मिला की हम प्राथमिक तथ्यों, लिखित प्राथमिक तथ्यों, द्वितीयक तथ्यों और साहित्य समीक्षा आदि का अनुसंधान

कार्य में महत्त्व का कैसा स्वरुप होना चाहिए । इसी के साथ मुझे उपरोक्त विद्वानों से यह भी समझने का मौका मिला की क्षेत्र कार्य के दौरान अपने उत्तरदाताओं के साथ किस प्रकार तालमेल किया बैठाया जाए ताकि हमको अपने सवालों के पुख्ता तथ्य प्राप्त हो सकें, इसी के साथ अपने क्षेत्र कार्य में उत्तरदाताओं की मंडली और उसका फैलाव किस प्रकार किया जाए, और क्षेत्र कार्य दौरान समय का सही उपयोग कैसे करें यह भी मुझे इनके साथ रहकर सीखने को मिला ।

मैं अपनी आदरणीय पत्नी रीमा रानी का असंख्य बार आभार प्रकट करता हूँ की जिन्होंने सफलता, असफलता, सुख, दुःख, दिन, रात, मेरी सहयोगी बनकर मेरा साथ दिया । मैं अपने प्रति इनके प्रेम और वलिदान के प्रति बहुत आभारी हूँ, जो की सदैव मेरी प्रेणना का श्रोत बनी रहीं जिनके सहयोग के बिना मैं इस कार्य में सफल नहीं हो पाता । इसी के साथ में अपनी पुत्री हर्षिता सिंह का भी आभार प्रकट करता हूँ जिसकी मुस्कुराहट और मासूम सवालों ने मुझे यह कठिन काम पूरा करने का अटूट साहस दिया । साथ ही मैं अपने धर्म पिता श्री सतीश चन्द, मम्मी श्रीमती कृष्णा देवी, भाई आदेश कुमार, भाभी नीलम वर्मा का भी असाधारण रूप से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में प्रेम, साथ और आशीर्वाद दिया तथा मुझे समय समय पर आर्थिक संकटों से उबारा । इन्होने मुझे उस समय संकट मुक्त किया जब मेरे समक्ष अधिकतर रास्ते बंद थे ।

मैं अपनी बहिन शशि कुमारी, रेखा रानी, संतोष, भाई नरेश कुमार, श्री डोरी लाल जी का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और समय के साथ आने वाली कठिनाइयों से लड़ना सिखाया और हमेशा मेरे साथ रहे । मैं अपने शोध प्रबंध के काम के पूरा होने के दौरान अपने छोटे भाई भीम विजय के लगातार समर्थन और उसके अविरत प्रयासों के लिए भी आभारी हूँ ।

मैं अपने उन सभी उत्तरदाताओं और प्रमुख उत्तरदाताओं का दिल से आभार प्रकट करते हूँ जिन्होंने मेरी शौध में अपना विश्वास बनाए रखा और अपने जीवन की कठिनाइयों, संघर्ष, सच्चाई को निष्कपट रूप से मेरे साथ साझा किया जिससे की मैं अपने शोध कार्य को पूरा करने में सफल हो सका । साथ ही में अपने क्षेत्र सहयोगी

जिन्होंने मेरे क्षेत्र अध्ययन में साथ दिया श्री प्रेम पाल तोमर, अतुल प्रधान, अखिलेश सिंह, अजय शर्मा, राजीव लोचन आदियों का भी आभार प्रकट करता हूँ ।

मैं अपने परम सहयोगिगी मित्र नौशाद एम.पी., प्रत्युष प्रशांत और रामलाल रे का अत्यधिक आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया, और साथ ही अपने सहयोगी, ममता, हमीदा, कविता, गीता, साजिया, डॉ. बबिता, डॉ. अमित कुमार, डॉ. पुटुल बोराह, सतेन्द्र अशोक, निर्दोष कुमार, देवेन्द्र भाटी, चमन कुमार वर्मा, राजेश मिश्रा, प्रदीप कुमार, जय प्रकाश प्रसादगोविन्द कुमार गौतम, शिप्रा सिंह का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिनका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहा, जिनके सहयोग के बिना यह काम करना बहुत मुश्किल था ।

इसी के साथ में डॉ. बी. आर. आंबेडकर केन्द्रीय पुस्तकालय, जवाहरलाल नेहरु विश्विद्यालय के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने समय समय पर मेरी बहुत मदद की जिससे में अध्यधिक किताबें पढ़ने में सफल हो सका, इसी के साथ तीन मूर्ति पुस्तकालय नई दिल्ली, रतन टाटा पुस्तकालय (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन पुस्तकालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पुस्तकालय, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पुस्तकालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय पुस्तकालय, आर्थिक विकास पुस्तकालय संस्थान, राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय भारत, नई दिल्ली, संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, जनगणना पुस्तकालय नई दिल्ली और सामाजिक कार्य पुस्तकालय विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, के अधिकारियों के सहयोग के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मेरे शौध कार्य हेतु अत्यंत दुर्लभ सामिग्री प्रदान की ।

अंत में, मैं अपने पिता श्री मान सिंह, माता श्रीमती माया देवी का आभार प्रकट करता हूँ, जिनका जीवन सदा इसी प्रार्थना में बीता की मैं अपने इस कठिन कार्य में सफल हो पाऊं । मैं इनके प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद, के प्रति सदा आभारी रहूँगा जिन्होंने अपने ऊपर हजार मुसीबत सहकर भी मुझे अपना शोध कार्य करने के लायक बनाया । मैं उनकी संभावनाओं पर कितना खरा उतर सका नहीं जानता हूँ ।

मनोज कुमार

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	1 - 16
अध्याय - एक **कबाड़ी बाज़ार लाल बत्ती क्षेत्र मेरठ, उत्तर प्रदेश**	17 - 53
अध्याय - दो **वेश्यालय आधारित कोठे यौन श्रम स्थल के रूप में**	54 - 94
अध्याय - तीन **वेश्यालय आधारित कोठे महिला यौन कर्मीयों के निवास स्थल के रूप में**	95 - 125
अध्याय - चार **महिला यौन कर्मी और उनका नागरिक जीवन**	126 - 185
अध्याय - पांच **महिला यौन कर्मीयों का परिपक्वन और नागरिक जीवन**	186 - 229
निष्कर्ष	230 - 241
संदर्भ सूची	242 - 301

संक्षिप्त पद्यांश

AIDS: Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome

AISITWGA: The All India Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act of 1956

CDA: Contagious Disease Act 1868

CDC: Centres for Disease Control

CEDAW: The Committee on Elimination of Discrimination Against Women

CEDAW: The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women

CPA: Consumer Protection Act 1986

CSW: Commercial Sex Workers

CSWB: Central Social Welfare Board

DMSC: Durbar Mahila Samanwaya Committee

GPA: Girl Prostitution Act of 1929

HIV: Human Immunodeficiency virus

HRG: High Risk-groups

ICA: Indian Contract Act 1872

ICCPR: The International Covenant on Civil and Political Right

IHO: The Indian Health Organization

ILO: International Labour Organization

IPC: Indian Penal Code

ITPA: Immoral Traffic (Prevention) Act 1956

MNS: Multicenter National Study

NACO: National AIDS Control Organisation

NCW: National Women Commission

NGOs: Non Government Organizations

NNC: National Networking Committee

NLSIU: National Law School of India University Bangalore

PLWA: People Livine With HIV/AIDS

PPSPTPEWC: The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children

PTSD: Post Traumatic Stress Disorder

PTWCP: Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution

SAARC: The South Asian Association for Regional Cooperation

SAARC: The South Asian Association for Regional Cooperation

SACS: State AIDS Control Societies

SAJJP: The South India AIDS Action Programme

SC: The Slavery Convention of 1926

SC: The Supplementary Convention of 1956

SITA: Suppression of Immoral Traffic (in women and girls) Act - 1956

SITA: The Suppression of Irmmoral Traffic Act of 1923

STDs: Sexually Transmitted Diseases

SWLEB: Sex Worker Legalization for Empowerment Bill 1993

UDHR: The Universal Declaration of Human Rights

UK: United Kingdom

UNAIDS: United Nations Programme on HIV and AIDS

UNCSTPEPO: United Nations Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others 1949

UNCTOC: United Nations Convention against Transnational Organized Crime

UPMGPA: Uttar Pradesh Miner Girls Protection Act VIII of 1929

UPSACS: Uttar Pradesh State AIDS Control Societies

UPSITA: The Uttar Pradesh Suppression of Immoral Traffic Act VIII of 1933

VD: Venereal Diseases

WHO: World Health Organization

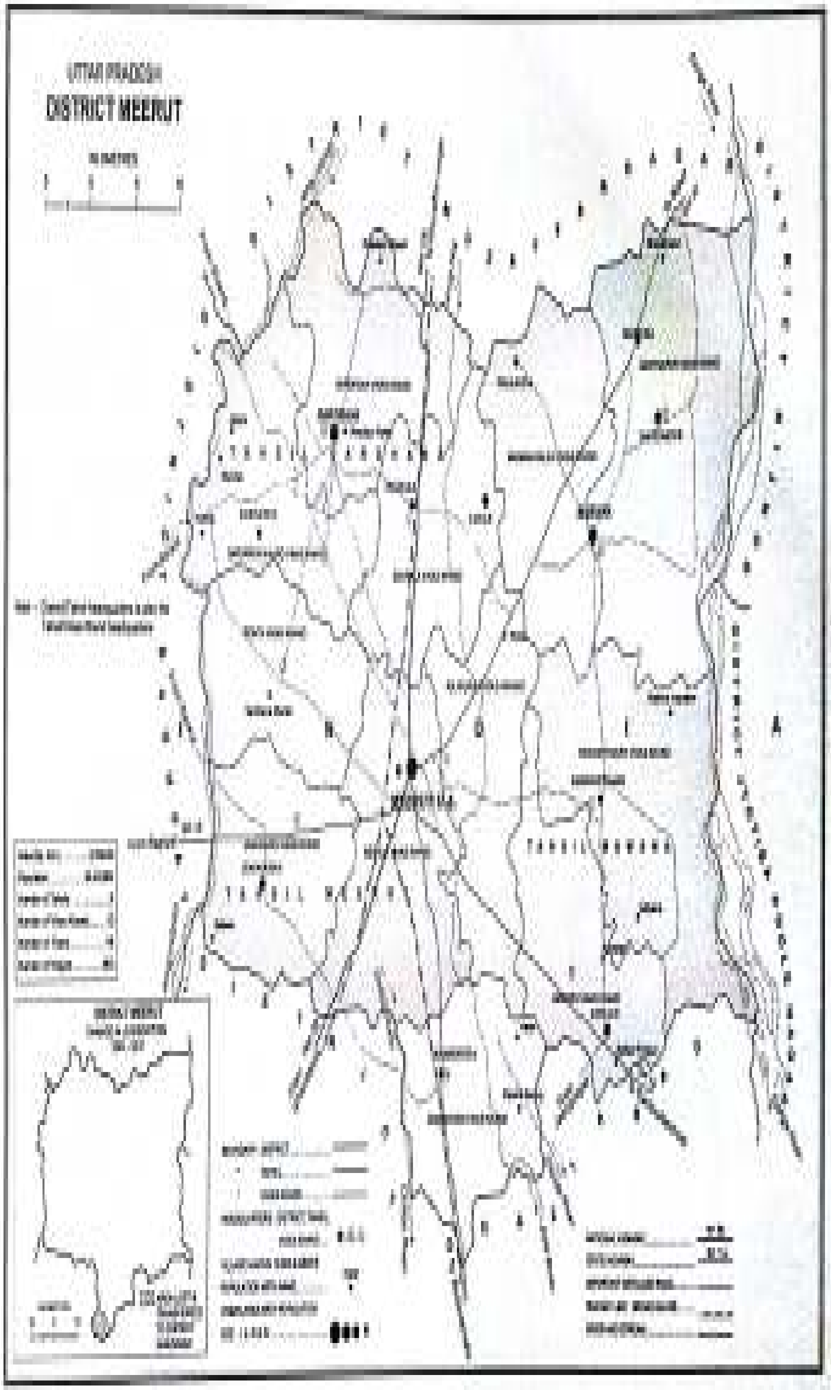
UTTAR PRADESH
DISTRICT MEERUT

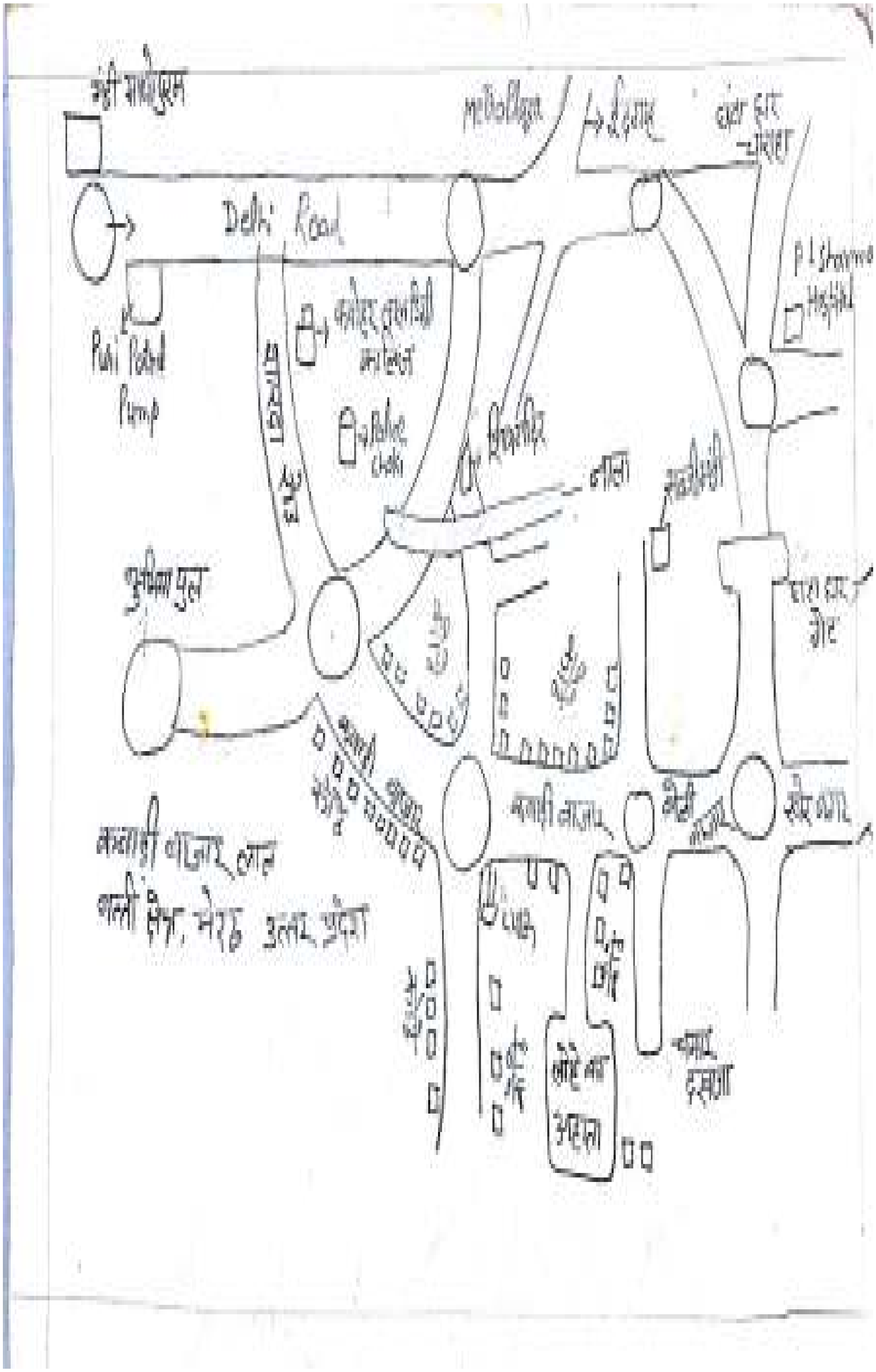
Delhi Road
Puri Petrol Pump
कबाड़ी बाजार, लाल
वाली गली, मेरठ उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना

प्रस्तावना

वेश्यालय आधारित यौन कार्य भारत और दुनिया में बहुत सी महिलाओं के लिए अपने जीवन यापन करने हेतु अपनी और अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए कमाई के रास्तों का एक साधन है। भारत और दुनिया के विभिन्न भागों के साहित्य और कानूनी ढांचे में यौनकर्मियों के सम्वन्ध में काफी बहस हुई है, जिसमें माना जाता है कि वैश्यावृत्ति शायद मानव समाज की सभ्यता के साथ ही समकालीन रूप से पाई जाती रही है। यह अधिकांशत दुनिया भर में, सभी समाजों, और सभी उम्र में पायी गयी है। इसके होने का प्रमाण इतिहास में साहित्य, कला, पेंटिंग, और मूर्तियों के माध्यम से अनेक रूपों में मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि वेश्याओं की उपस्थिति सबसे प्राचीनतम सभ्यता में भी होती थी, एवम् इसी के साथ-साथ यह भी तथ्य सामने आते हैं कि वेश्यावृत्ति शायद एक ऐसा काम भी है जिसे कलंकित कामो की श्रेणी में सबसे उपर रखा जाता है, जिस काम में अधिकांशत महिलाएं ही संकलित होती हैं। निश्चित ही, उन महिलाओं को जो काम के रूप में वेश्यावृत्ति में भाग लेती हैं, उन महिलाओं को समाज में भारी बहुमत मिला है, जबकि उनके ग्राहक लगभग सभी पुरुष होते हैं। नारीवादियों के लिए वेश्यावृत्ति के ओचित्य के विषय में सवाल उठाने के लिए श्रम (Labour) में इस तरह के भारी लिंग (gendered) अंतर का भेदभाव पर्याप्त होना चाहिए, किन्तु वेश्यावृत्ति को सिर्फ लिंग श्रेणी में बांटा जाने वाला मात्र एक पेशा नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसे काफी हद तक एक अवैध व्यवसाय भी माना जाता है, जिसमें महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा व्याप्त होती है। इसी बहस में महिला यौन-कर्मियों के आसपास की जटिलताओं और उनके अधिकारों के विषय में काफी चर्चा हुई है। इसी के संदर्भ में यह अध्ययन कबाड़ी बाजार, मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर महिला यौन श्रम करने के साथ साथ अपना जीवन यापन कर रही महिला यौन-कर्मियों के जन जीवन को नृवंशविज्ञानिक (ethnographic) अध्ययन के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है, वेश्यालय आधारित कोठों का यौन श्रम करने के स्थान (brothel as a work site), वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य से जुड़े व्यक्तियों के रहन सहन करने के स्थान (brothel as a living site), यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही यौन-कर्मियों के नागरिक अधिकारों का स्वरुप कैसा है? और इन महिला

यौन-कर्मियों के जीवन का स्वरुप यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद कैसा होता है? यही समझने का प्रयास किया गया है।

अभी तक दुनियां और भारत देश में यौन-कर्मियों को लेकर बहुत प्रकार के अध्ययन हुए हैं, जैसे-उनके बच्चों कि शिक्षा को लेकर, HIV/AIDS जागरूकता फैलाने के लिए, HIV/AIDS से बचने के लिए कंडोम का प्रसार प्रचार करना, HIV/AIDS के मुद्दों को लेकर महिला यौन-कर्मियों के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना, यौन-कर्मियों के लिए पुनर्वास से सम्बंधित कार्य करना, समाज में यौन-कर्मियों के क्या फायेदे और नुकसान हैं, यह समाज में मुख्य रूप से किन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, इस कार्य में किस तरह के खतरे हैं, महिला यौन कर्मी और सेरोगेट मदर आदि आदि मुद्दों को लेकर यौन कार्य पर अध्ययन होते रहे हैं। इस अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया है कि मेरठ लाल बत्ती क्षेत्र में काम कर रही यौन कर्मीयों का सामाजिक जन जीवन किस प्रकार चल रहा है, और भारतीय नागरिक होने के कौन कौन से अधिकारों का उपयोग अपने जीवन में कर रही हैं। इसी के साथ यदि हम महिला यौन कार्य को एक श्रम के रूप में समझें तो समाज में वेश्यालय आधारित कोठों पर चलने वाली वैश्यावृत्ति को एक श्रम स्वरुप में समझने का प्रयास किया है महिला यौन कर्मीयों को एक श्रमिक के रूप में किस प्रकार समझ सकते हैं। अध्ययन में मुख्य रुप यह समझने का प्रयास किया है कि इन महिला यौन कर्मीयों का जीवन इस व्यवसाय में इन वेश्यालय आधारित कोठों पर किस प्रकार चल रहा हैं, उनको अपने दैनिक जीवन में किस किस्म की कठिनाइयों का सामना यौन कार्य के दौरान करना पड़ता है। एक बार यौन कार्य में आने के बाद इसको करना ज्यादा कठिन होता है, या इसको छोडना ज्यादा कठिन होता हैं। वह सभी महिलाएं जो कि इस कार्य में जुडी हुई हैं वह कहां से आती हैं? जो महिलाएं वेश्यालयों की सेवा से खारिज हो जाती वह कहां जाती हैं? और जो महिलाएं वैश्यालयों में काम कर रही हैं, वह अपनी जीवन यात्रा के विषय में क्या अनुभव करती हैं?

यौन-कर्मियों के मुद्दों को लेकर में अभी तक कम अध्ययन हुए हैं, और यौन-कर्मियों से जुड़े मुद्दों की अनुसन्धान कर्ताओं, शोध छात्रों और सरकार के द्वारा काफी नजरअंदाज किए गए हैं। किन्तु इन सब के बावजूद भी भारत में कुछ अध्ययन यौन-कर्मियों के मुद्दों पर समय समय पर होते रहे हैं, जिन्होंने अपने अध्ययनों व अनुसंधानों के द्वारा यौन कर्मीयों व यौन कार्य से सम्बंधित विभिन्न सामाजिक, राजनीतिज्ञ व आर्थिक

पहलुओं को समझने का प्रयास किया है, जैसे कि यौन कार्य के क्षेत्र में प्रामाणिक अनुसन्धान कार्य 1954 में Central Social Welfare Board (CSWB) की समिति के द्वारा किया गया। इस समिति ने महिला यौन कार्य के सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, और इसके कार्य के आचरण संबंधी पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इसी के साथ इस अध्ययन में यह भी समझने का प्रयास किया है कि जो निजी संस्थायें इन महिला यौन-कर्मियों को अभिरक्षण संबंधी और पुनर्वास संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं उनकी क्या समस्याएँ हैं। अध्ययन के दौरान समिति का मुख्य निष्कर्षयह था कि इस विषय पर अभी तक अत्यधिक कम जानकारी हैं। जिस कारण इस समस्या का प्रभावशाली समाधान संभव नहीं है।[1]

अध्ययन में यह भी समझने का प्रयास किया है कि वर्तमान समय में यौन कार्य को लेकर समाज में किस प्रकार की स्वीकृति बन रही है, क्योंकि तथ्यों के अनुसार यह आज भी समाज मे चल रहा हैं, किन्तु अभी भी समाज ने इसे न तो स्वीकार किया हैं, और न ही इसे समाज से हटाया हैं। सरकार के द्वारा अनेक कानून बनाए व संसोधित किए जा रहे हैं, व भारतीय संविधान के द्वारा भी प्रत्येक नागरिक को जन्म से ही अनेक अधिकार दिये गये हैं, तो इन कानूनों व संवेधानिक अधिकारों का फायदा इनको हुआ है, यदि नहीं तो ये किसकी, व किस किस्म की रक्षा के लिये बनाये गये हैं? इनके द्वारा इनके जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है। तथ्यों के अनुसार एक महिला यौनकर्मी के रुप में 12 वर्ष से लेकर लगभग 35 वर्ष तक यह काम करते हुए मर जाती हैं, या वेश्यालयों से सेवानिवृत (खारिज) कर दी जाती हैं। यदि इस स्त्री-पुरुष समानता वाले समाज में वह यह काम करके लौटती हैं, तो उसे समाज में 35 वर्ष के उपरांत जब वह अपना जीवन यापन करती है, तो उसे समाज में किस प्रकार का सामाजिक भेदभाव और सामाजिक अलगाव झेलना पड़ता है, और वह अपना जीवन यापन समाज में किस तरह करती हैं?

यह शोधकार्य (थीसिस) मुख्य रूप से पांच अध्यायों में विभाजित है, जिसके अध्याय एक में जिला मेरठ और शहर तथा मेरठ शहर के लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाज़ार का संक्षिप्त परिचय के साथ, यह लाल बत्ती क्षेत्र शहर के किस भाग में स्थित है, और

[1] Mukherjee, K.K. and Sutapa Mukherjee. *Girls / Women in Prostitution in India: A National Study*. Supported by Department of Women and Child Development, Government of India, New Delhi, November- 2004, p: 19.

इस क्षेत्र में स्थित वेश्यालय तथा इस वेश्यालय में बने कोठों की कैसी संरचना है? और यहाँ के दैनिक बाज़ार से इस वेश्यालय का कैसा सम्बन्ध है? और समकालीन समय में यह किस प्रकार चल रहा है? समझने का प्रयास किया गया है। वैश्यावृत्ति अर्थात महिला यौन कार्य दुनियां का सबसे पुराना व्यवसाय है, यह मानवशास्त्रियों और विद्वानों द्वारा माना गया है, कि महिला यौन कार्य का स्वरुप सवसे प्राचीन समाजों में भी पाया जाता रहा है।[2] महिला यौन कार्य के बिभिन्न स्वरुप आज भी हमको समाज में देखने को मिलते हैं, जिनमें से खुले रूप में सबसे सरलता से दिखने वाले महिला यौन कार्य का स्वरुप वेश्यालय आधारित यौन कार्य है। वेश्यालय आधारित यौन कार्य के स्वरूपों को हम जी.बी. रोड लाल बत्ती क्षेत्र, पुरानी दिल्ली, कमाठीपुरा लालबत्ती क्षेत्र, मुंबई, सोनागाछी लाल बत्ती क्षेत्र, कोलकाता, चतर्भुज मुजफ्फरपुर बिहार, मेरठ शहर के लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाज़ार, आदि में और बहुत से स्थानों पर सामान्यता देखा जा सकता है। यह नृवंशवैज्ञानिक अध्ययन मेरठ शहर में स्थित लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी में किया गया है। इसलिए इस अध्याय में मेरठ शहर के कबाड़ी बाज़ार का अवलोकन किया गया गया है, कि यह क्षेत्र किस तरह की संस्कृति के साथ विकसित हो रहा है।

शोध अध्ययन के अध्याय दो में यह यह समझने का प्रयास किया गया है कि जब यौन कार्य को एक श्रम के रूप में माना जाता है तब तथ्यों से यह सामने आता है कि महिला यौन कार्य एक ऐसा श्रम है जिसमें कि एक महिला अपनी यौन सेवायें धन कमाने के लिए पुरुषों को अपना यौन बेचती है, अर्थात कुछ समय के लिए महिला यौन-कर्मी के शरीर पर कुछ धन देकर कोई पुरुष उसके साथ यौन संबंध बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। समाज में महिला यौन कार्य के बहुत से भिन्न भिन्न स्वरुप देखने को मिलते हैं, किन्तु इस अध्याय में कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर होने वाले यौन श्रम के स्वरुप को इस सन्दर्भ में समझने का प्रयास किया गया है, कि यौन कार्य में जुड़े व्यक्तियों की इस कार्य में कैसी भूमिका होती है? यह श्रम कैसी शर्तों पर किया जाता है? और इस श्रम में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए इस श्रम में शामिल महिलाओं में कैसे कौशलों का होना अनिवार्य है? तथा यह कार्य किस तरह जोखिमों से भरा हुआ है? इसी के साथ यह भी समझने का प्रयास

---

[2]Ditmore, Hope Melissa. Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, Volume - 1 & 2, Greenwood Press, London, 2006, p: XXVI.

किया गया है, कि कार्य स्थल के रूप में वेश्यालय आधारित कोठों का कैसा स्वरुप होता है?

शोध अध्ययन के अध्याय तीन वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन कर्मी जिन्हें सामान्य यौन-कर्मी भी कहते हैं, सामान्यतया यह यौन-कर्मी वेश्यालयों के कोठों पर रहकर यौन कार्य करती हैं अर्थात महिला यौन-कर्मियों के श्रम करने के लिए और निवास करने के लिए यही वेश्यालयों के कोठे होते हैं। इस प्रकार के वेश्यालयों को, दिल्ली के श्रद्धानन्द मार्ग पर स्थित जीबी रोड, कलकत्ता के सोनागाछी, मुंबई का कमाठीपुरा, बिहार में चतर्भुज मुजफ्फरपुर और मेरठ में कबाड़ी बाजार, आदियों के कोठों पर सामान्यतया यौन-कर्मियों को यौन श्रम और निवास करते हुए देखा जा सकता है। इस अध्याय में कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों में यौन-कार्य में जुड़े व्यक्तियों का निजी दैनिक जीवन यापन करने हेतु दिनचर्या किस तरह चलती है, उनका खान-पान, धार्मिक मान्यताएं, बच्चों का बचपन, पारिवारिक संबंध, शौचालय के साधन, मनोरंजन के साधन, खेल खेलना, संचार साधनों का प्रयोग, साफ़ सफाई के कार्य आदि।

शोध अध्ययन के अध्याय चार में यह समझने का प्रयास किया है कि जब महिला यौन-कर्मी इन्ही कोठों पर रहकर अपना यौन श्रम कर रही हैं तब उनका कार्य स्थल और निवास स्थल दोनों एक है तो उनको यह श्रम करते हुए यह यौन श्रमिक अपना जीवन निर्वाह किस स्वरुप में करती हैं, इस अध्याय में यह समझने का प्रयास किया गया है कि इस जगह उनका नागरिक रहन सहन और दैनिक जीवन किस प्रकार चलता है। महिला यौन-कर्मीयों और इनके बच्चों के लिए किस तरह के नागरिक अधिकार प्राप्त हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा किस तरह हो रही है, जैसे कि- उनको सम्पत्ति रखने का अधिकार, शोषण के खिलाफ विरोध करने का अधिकार, समाज में समानता का अधिकार, मनपसंद खानपान, कपड़े, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाओं का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनेतिक पार्टी या कोई संस्था, संघ अथवा यूनियन बनाने का अधिकार, कहीं भी जमा होने या आने-जाने का अधिकार, यह कार्य छोड़कर अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए अन्य श्रम एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण इनके लिए किस प्रकार से हो रहा है, को विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

तथ्यों अनुसार यौन श्रम एक ऐसा कार्य है जिसमें से एक निश्चित आयु के बाद यौन-कर्मी सेवानिवृत्त हो जाती हैं और उनको वैश्यालयों की सेवा से खारिज कर दिया जाता है, इसलिए इस शोध अध्ययन के अध्याय पांच में यह विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है कि यौन कार्य से सेवानिवृत्त होने की निश्चित आयु एवंम अन्य तथ्य कौन-कौन से होते हैं जिस वजह से उनको एक निश्चित आयु के बाद इस कार्य से खारिज होना पड़ता है, इसी के साथ यह भी समझने का प्रयास किया है कि वह यौन-कर्मी जो कि वेश्यालयों की सेवा से खारिज हो जाती हैं वह कहाँ जाती हैं, और सेवानिवृत्त के बाद उनके रहने के कौन से स्थान होते हैं। यौन कार्य से सेवानिवृत्त के बाद वह अपना जीवन यापन करने हेतु किस तरह के कार्य करती हैं, और इन कार्यों को करने के लिए उनके पास कौन से साधन उपलब्ध होते हैं। वेश्यालय आधारित यौन कार्य से सेवानिवृत्ति के बाद उनका और उनके बच्चों का सामाजिक जीवन किस तरह का होता और वह किन हालातों में अपना जीवन बिताती हैं। उसके बाद संक्षिप्त में शोध अध्ययन का निष्कर्ष बताने का प्रयास किया गया है कि महिला यौन कार्य में शामिल महिलाओं और यौन कार्य को किस प्रकार समझ सकते हैं। शोध अध्ययन को पूरा करने के लिए कौन-कौन से सन्दर्भों को लिया गया है के लिए एक सन्दर्भ सूची को बनाया गया है।

अध्ययन की कार्य पद्धति

शोध अध्ययन की शुरुआत में शोधार्थी ने अपने शोध विषय से संबंधित किताबों, लेखों, सरकारी दस्तावेजों, आदियों को एकत्रित करके उनकी समीक्षा की तथा इसी के साथ-साथ एक वर्ष तक अपने विषय विशेषज्ञ के साथ कोर्स वर्क किया जिसके माध्यम से महिला यौन- कर्मियों के मुख्य मुद्दों को कैसे समझा जाए इस बात की समझ पुख्ता हुई। एक वर्ष तक द्वितीयक श्रोतों के अध्ययन के उपरान्त अपने विषय विशेषज्ञ के सुझावों के अनुसार वेश्यालय आधारित क्षेत्र कबाड़ी बाजार का एक पायलेट अध्ययन किया गया जिसके माध्यम से कबाड़ी बाजार के विषय के बारे में बहुत से तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, जिन तथ्यों के माध्यम से बहुत महिला यौन श्रम के विषय में शोधार्थी की समझ और अधिक विकसित हुई। शोधार्थी ने इन तथ्यों का प्रयोग अपनी सिनोप्सिस में किया। सिनोप्सिस पास होने के उपरान्त शोधार्थी के अध्ययन का विषय निश्चित हुआ और उसके बाद शोधार्थी अपने क्षेत्र के लिए मेरठ के कबाड़ी बाजार में गया।

शोधार्थी अपने अध्ययन क्षेत्र में जाने से पहले वहां पर पहले कार्यरत कुछ एन.जी.ओ. कार्यकर्ताओं और वहां पर टी.आई. प्रोग्राम चला रहे व्यक्तियों से मिला जिनके माध्यम से अध्ययन क्षेत्र की कुछ जानकारी प्राप्त हुई, इसके बाद शोधार्थी अध्ययन क्षेत्र में गया और क्षेत्र अध्ययन की शुरुआत अध्ययन क्षेत्र में काफी देर घूमने से की अर्थात शोधार्थी बहुत समय तक एक सामान्य व्यक्ति की तरह कबाड़ी बाजार के लाल बत्ती क्षेत्र में घूमकर यहाँ की दुकानों, पान वालों, ठेले वाले, दुकानदार, आदियों के साथ बातचीत करते हुए पूरे बाजार का अवलोकन करता रहा कि यह बाजार कहाँ से शुरू होता है? और कहाँ पर समाप्त होता है? यह बाजार की कौन-कौन सी सड़कों पर चलता है? कबाड़ी बाजार का पूरी तरह अवलोकन करने के उपरान्त यह सामने आया कि इस बाजार के एकदम मध्य में एक प्याऊ है और इसी प्याऊ से लगभग सभी कोठों पर और पुरे बाजार में घटने वाली प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखी जा सकती है, और इसी प्याऊ के आसपास कुछ चांट, छोले-कुलचे, गोलगप्पे, छोले भठूरे, आदि के ठेले खड़े हैं और इन ठेलों पर कुछ व्यक्ति अपने मनपसंद व्यंजनों को खाने का आनंद ले रहे हैं, तथा साथ ही साथ में यह इन महिला यौन-कर्मियों को ताड़ने का भी लुफ्त उठा रहे हैं। यह सब समझने के उपरान्त शोधार्थी भी इसी प्याऊ पर आकर खड़ा हो गया और इसी प्याऊ से पानी पिया और यहाँ पर घटने वाली घटनाओं का अवलोकन करने लगा। यह शोधार्थी के क्षेत्र अध्ययन की शुरुआत का पहला कदम था। शोधार्थी यहाँ पर खड़े व्यक्तियों के साथ बातचीत कने लगा। उसके बाद शोधार्थी जब भी क्षेत्र में आता तो अक्सर इसी प्याऊ पर आकर खड़ा हो जाता, प्याऊ से पानी पिया करता, और लोगों से बातचीत के साथ यहाँ पर घटने वाली घटनाओं का अवलोकन किया करता। यह सिलसिला क्षेत्र अध्ययन के दौरान चलता रहा किन्तु जब भी शौधार्थी यहाँ पर खड़ा होता तो और यहाँ खड़े लोगों से बातचीत करता रहता था तो उसी समय ऊपर सामने वाली खिड़की से कोई भी महिला यौन-कर्मी शोधार्थी को ऊपर आने के लिए अपनी आँखों से इशारा किया करती।

महिला यौन-कर्मीयों का इशारा पाकर शोधार्थी को थोड़ी घबराहट होती और साथ ही एक अनजाना सा डर भी लगता और दिल जोरों से तेजी के साथ धड़कने लगता कि आज ना जाने क्या होगा। तब शोधार्थी हमेशा यह सोचने लगता कि क्या करू क्या में ऊपर जाऊ या रहने दूँ। किन्तु कुछ समय सोचने के बाद शोधार्थी उन महिला यौन-कर्मीयों से मिलने ऊपर चला जाता। जैसे ही शोधार्थी पहला कदम ऊपर कोठों पर रखता और अंदर

जाता तो सामने हमेशा चार छ: लड़कियाँ आतीं जो कि मुझे अपना ग्राहक समझती थीं। जो कि शोधार्थी से कहतीं कि आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो जो महिला यौन-कर्मी अपने इशारे से ऊपर बुलाती थी उसका हक़ सबसे अधिक होता था (यह नियम सभी ग्राहकों के लिए लागू होता है) जिसका मानना होता था कि मैंने आपको बुलाया है तो आप मेरे ही साथ चलोगे। उन में उसने कहा कि मेरे साथ चलो 100 रुपये देना मैंने आपको बुलाया है[3] इसलिए आप साथ ही बैठो आपका एक दम टाईट जायेगा मजा आ जाएगा, इसी प्रकार दुसरी लड़की ने कहा कि नहीं आप मेरे साथ चलो एक बार मेरे साथ बैठोगे तो बार बार आओगे[4] तभी एक लड़की ने कहा कि आप मेरे साथ ही चलो चाहें जो भी हो आप एक बार तो चलो, इस प्रकार सभी महिला यौन-कर्मियों में एक प्रतिस्पर्धा के साथ होड़ भी थी कि चाहें जो भी हो ग्राहक सिर्फ मेरे पास ही आना चाहिए। तब शोधार्थी ने कहा कि ठीक है, हम कुछ देर बात करेंगे मैं आपसे पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। वहां पर खड़ी सभी लड़कियों ने कहा कि हाँ बताओ क्या बात करना चाहते हैं? तुम ये सब बात बाद मैं करना पहले यह बताओ कि मेरे साथ चलोगे या नहीं पक्का करो और जल्दी चलो[5] मेरी सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पर यह देखने

---

[3] रानी, कविता, बबिता, सविता, रेनू, अनीता, बिमला, सोनिया, राजवती, कमला, सुनीता, गुनगुन, कमलेश, पूनम, पूजा, प्रिया, रेखा, पुष्पा... आदि महिला यौन कर्मी जो कि कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य में कार्यरत हैं के साथ शोधार्थी का यह अनुभब रहा कि जब भी शोधार्थी कोठों पर अपने अनुसन्धान से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए जाता था तो जो भी महिला यौन कर्मी इस बात से अंजान होती थी कि शोधार्थी ग्राहक नहीं अनुसन्धान कर्ता है, तो वह शोधार्थी को अपना ग्राहक ही समझती थी और वह ऐसा ही व्यवहार करती थीं कि जैसा अपने ग्राहक के साथ करती हैं, अर्थात यही पुरुष शोधार्थी की पुरुष होने के नाते सबसे बड़ी समस्या होने के साथ साथ वेश्यालय आधारित महिला यौन कार्य के कुछ ऐसे तथ्यों से भी अवगत हुआ जैसे - की महिला यौन कर्मियों का शुरुआत में अपने ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार होता है, किस प्रकार अपने प्रति आकर्षित करती हैं, एक पुरुष ग्राहक को देखकर कैसे उसके ऊपर झपटती हैं की मेरे साथ चलो - मेरे साथ चलो कि ग्राहक के साथ किसी भी प्रकार से बैठने (यौन क्रिया करने) का मौका मिल जाए ताकि हमको उससे पैसा प्राप्त हो सके, किन्तु यदि शोधार्थी कोई महिला होती तो शायद इन कुछ तथ्यों की जानकारी से वंचित रह सकती थी।

[4] Ibid.

[5] बिमला, सोनिया, राजवती, गुनगुन, रानी, कविता, बबिता, सविता, रेनू, अनीता, कमलेश, पूनम, पूजा, प्रिया, रेखा, पुष्पा, कमला, सुनीता... आदि महिला यौन कर्मी जो कि कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य में कार्यरत हैं के साथ शोधार्थी का यह अनुभब रहा कि जब भी शोधार्थी कोठों पर अपने अनुसन्धान से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए जाता था तो जो भी महिला यौन कर्मी इस बात से अंजान होती थी कि शोधार्थी ग्राहक नहीं अनुसन्धान कर्ता है, तो वह शोधार्थी को अपना ग्राहक ही समझती थी और अपनी सर्विस के विषय में बताने लगती थीं कि मेरे, वह ऐसा ही

को मिला जैसे कि दो चार दुकानदार किसी ग्राहक को अपना सामान बेचने के लिए बुलाते हैं और अपने अपने सामान के गुण बताते हैं, उसी प्रकार यह महिला यौन-कर्मी भी अपनी अपनी विशेषताओं को बता रही थीं (ऐसा शोधार्थी को सभी कोठों पर देखने को मिला)। तब शोधार्थी ने पूछा कि आप सभी की मुखिया कौन है ? मुझे बताओ मैं पहले उनसे बात करूँगा उन्होंने थोड़ी ना नुकुर करने के बाद शोधार्थी को अपनी मुखिया के पास भेज दिया जो कि कोठे के बरांडे में बैठी थी। तब शोधार्थी उनसे जाकर मिला उनको बताया कि मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं आपके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे इसी संबंध में कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि आप हम से क्या बात करोगे आप को जो भी बात करनी हैं। आप हमारी हैड शान्ता बाई से बात कर लीजिये। हम इस बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। इन सब के बारे मैं वही आपको बतायेंगी आप उन्ही के पास जाईयें।[6]

शोधार्थी ने उनसे बात करते हुए कहा कि ठीक है मैं उनसे भी मिल लूँगा लेकिन आपका नाम क्या है? और आप यहाँ पर कब से रह रही हो? तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम कस्तूरी बाई है और मैं यहाँ 20 साल से रहती हूँ। उस कोठे की मुखिया कस्तूरी बाई से काफी बात की तथा शोधार्थी ने पूछा कि तो क्या आपका कोई पहचान पत्र आदि है या नहीं यहाँ पर कोई डाक्टर आदि की आपको सुविधाएँ मिलती हैं या नहीं ? तो उन्होने बताया कि पहचान पत्र बने हुए हैं और डाक्टर भी आते हैं। यह पूछने पर कि आपके पहचान पत्र कौन से पते पर बना हुआ है और उसमे आपका क्या नाम है ? तब वह महिला कुछ सकपकाई और कहा कि आपको जो भी पूछना है। आप शान्ता बाई से पूछे मुझसे नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे उनका पता बता दीजिए। मैं उनसे जाकर मिल लूँगा। तब उन्होने मुझसे कहा कि आप नीचे से दायें चले जाना। आपको कोई भी बता देगा कि उनका कोठा कौन सा है।[7] मैंने कहा ठीक है और मैं इतना कहकर नीचे आ गया।

व्यवहार करती थीं कि जैसा अपने ग्राहक के साथ करती हैं, अर्थात यही पुरुष शोधार्थी की पुरुष होने के नाते सबसे बड़ी समस्या थी, किन्तु यही समस्या शोधार्थी को वेश्यालय आधारित महिला यौन कर्मी अपने नये ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं यह समझने का अवसर मिला।

[6] Ibid

[7] Ibid.

उसके बाद शोधार्थी नीचे पान बेचने वाले दुकानदार से मिला उनसे कोई पहली बार कोई भी सहयोगी व्यवहार देखने को नहीं मिला। उसके बाद कपडे दुकानदार, परचून दुकानदार, लोहे का सामान बेचने वाले दुकानदार आदियों से मिलते हुए अगले दिन शांता बाई (जो कि यहाँ पर सभी कोठों अर्थात पूरे वेश्यालय की मुखिया है) के कोठे पर मिलने के लिए शोधार्थी पहुंचा वहाँ उनसे मुलाक़ात हुई। उनसे मिलने पर शोधार्थी ने उनको बताया कि मैं दिल्ली से आया हूँ और आपके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ। मैं आपके जीवन के विषय में जानना चाहता हूँ कि आपका जीवन किस प्रकार चलता है ? मैं इससे पहले और भी कोठों पर कुछ लोगों से मिला था, किन्तु उन्होंने बताया कि मुझे जो भी बात करनी है, आप से ही करूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर शान्ता बाई ने मुझसे कहा कि हम आपको क्या बताए और क्यों बताए कि हमारी दुनिया क्या है ? इसका हमको क्या फायदा होगा ? तब शोधार्थी ने उनको बताया कि हो सकता है, कि आपको शायद अभी कोई फायदा ना हो किन्तु आने वाले समय में आपको जरुर फायदा होगा। दूसरी बात यह कि इस समाज में हम सबको एक दूसरे इंसान से मिलने का, उन्हे जानने का और दोस्ती करने का हक है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे कि मदद व सहयोग करने का हक है। समाज के दूसरे लोगों की तरह आप भी समाज का एक हिस्सा हैं। समाज में ऐसा माना जाता है कि आपके होने से ही समाज पूरा होता है। यदि आप ना हों तो समाज कभी भी इस तरह ना चले। क्या आप ऐसा नहीं मानती हैं ?

शोधार्थी की बात सुनकर उन्होने कहा कि हम लोगों को कौन इंसान मानता है। हम तो समाज में होते हुए भी समाज के नहीं हैं। सभी हमारे साथ दोगला (भेदभावपूर्ण) व्यवहार करते हैं। जब तक यहाँ होते हैं तो कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो और यहाँ से जाने के बाद कभी कोई याद नहीं करता है। आप एक किताब लिखकर क्या कर दोगे हमारे लिए ? ऐसा तो नहीं है कि आपके किताब लिखने से पूरा समाज बदल जायेगा।[8] तब शोधार्थी ने उनके साथ अपना विश्वास बनाते हुए कहा कि आप बहुत हद तक ठीक कहती हैं, किन्तु मैं यहाँ समाज बदलने नहीं आया हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ करके आपकी दुनिया एकदम पलक झपकते ही बदल दूंगा, लेकिन हाँ आपके जीवन की सच्चाई मैं जरुर अपनी किताब के जरिये समाज को बता सकता हूँ। यदि समाज मैं आपकी सही बात जायेगी तो सभी लोग आप की वास्तिविक्ता को जान

[8] Ibid.

पायेंगे और आप को समझ पायेंगे कि आपका जीवन किस प्रकार चलता है। यह समाज आपको समझने में कहाँ पर गलती कर रहा है। आपकी सच्चाई को जानकर शायद आपके साथ यह समाज अच्छा व्यवहार करेगा जिसकी आप सभी हकदार हैं। शान्ता बाई मेरी बातों से प्रभावित तो हों रही थी, जिनका सहयोग मेरे अनुसन्धान के लिए अत्यंत आवयश्क था क्योकि इन्हीं से मेरी शोध के लिए नए विकल्प सामने आने थे, क्योंकि यही पूरे वेश्यालय की मुखिया थीं। किन्तु इन सब के बाबजूद भी वह मेरी बातों पर ना जाने क्यों पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी, किसी अनजाने से सन्देह और भय के मिश्रण की झलक उनके भीतर दिखाई पड़ रहीं थी। इसी के साथ जब शोधार्थी उनसे बात कर रहा था तब उनके पास में खड़ी बाकी लड़कियाँ हमारी बातों पर कभी हँसने लगतीं तो कभी बड़ी ध्यान से बातों को सुनने लगती कि शायद हमारे मध्य उनके काम की कोई बात चल रही है। काफी बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि आप चार पांच दिन बाद आना अभी मेरी तबियत ठीक नहीं है। बाद में हम थोड़ी फुर्सत से बात करेंगे। तब शोधार्थी ने कहा कि ठीक है आप अपना ध्यान रखना दवाई समय से खा लेना हम बाद में जरुर मिलेगे।

अभी शोधार्थी के पास तीन दिन का समय था तो इस बीच वह यहाँ पर कार्यरत एन.जी.ओ. कार्यकर्ताओं, यहाँ के पुस्तकालय, कुछ इस विषय के जानकार व्यक्तियों, यहाँ पर काम कर रहे दलालों, ग्राहकों, यहाँ के सामान्य दुकानदारों ठेले वालों से मिलता रहा और अपनी शोध के लिए आवयश्क तथ्य एकत्रित किये। जब चार दिन बित गए तब शोधार्थी शान्ता बाई से मिलने उनके कोठे पर गया तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि शोधार्थी फिर से मिलने आया है। तब उन्होंने शोधार्थी के साथ बहुत अच्छे ढंग से बात की और सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने सभी कोठों पर शोधार्थी का परिचय करवाया और बहुत तथ्यों से भी अवगत कराया। जब शोधार्थी के कहा कि वह आपकी रिकॉर्डिंग के साथ फोटो लेना चाहता हूँ, तब उन्होंने इसके लिए मना कर दिया कि इससे हमारी पहचान सभी से सामने आ जायेगी आप ऐसा मत कीजिये। इसके बाद शोधार्थी के लिए लाल बत्ती कबाड़ी बाजार मेरठ के वेश्यालय आधारित कोठों पर शोध करने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं हुई, किन्तु यहाँ पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों से फुर्सत से बात करने का समय निकलना बहुत कठिन होता था, क्योंकि जब भी इनका ग्राहक आ जाता तो यह सबकुछ छोड़कर उसके साथ चली जाती थीं, ऐसा वह इसलिए करती थीं कि इसी से उनको पैसे मिलते थे, यदि वह ऐसा नहीं करेयेंगी तो

उनका स्थाई ग्राहक फिर किसी और के पास चला जाएगा और इससे उनकी रोजी रोटी खराब होती है।

इसी के साथ साथ शोध अध्ययन को पूरा करने के लिए शोधार्थी ने अपने अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार पुराना मेरठ के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे मजदूर, यौन-कर्मियों के उनके नियमित ग्राहक, उनको रोजमर्रा के सामान पहुँचाने आने ठेले वाले, उस क्षेत्र मैं काम कर रहे चाय वाले, उस क्षेत्र के दुकानदार, आदियों के साथ ओपन एंडेड विचार-विमर्श, गहन साक्षात्कार और अपने उत्तरदाताओं के एकल अध्ययन के द्वारा तथ्य एकत्रित किये हैं। शोधार्थी ने कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय के कोठों पर जाकर, वहां पर काम करने वाले यौन-कर्मियों, यौन-कर्मियों के दलाल और कोठों की मालकिनों के साथ सहभागी अवलोकन के माध्यम से लगातार एकत्रित तथ्यों की जांच की है, और इसी के साथ शोधार्थी अपने बुनियादी उत्तरदाताओं के साथ लगातार संपर्क में रहा है, जिससे अध्ययन से सम्बन्धित सही तथ्य प्राप्त किये जा सकें।

इसी के साथ शोधार्थी ने लिखित प्राथमिक तथ्यों की जानकारी जैसे- जनसंख्या गणना, जातीय गणना, श्रम में भागीदारी, लिंग अनुपात, धार्मिक संरचना, साक्षरता दर आदि जिनका उपयोग अपने शोध अध्ययन में किया है, के लिये लिखित प्राथमिक तथ्य जैसे - भारत की जनगणना, सरकारी विवरण, सरकार की नीति रिपोर्ट्स, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आदियों का प्रयोग किया है।[9] इसी के साथ शोधार्थी ने द्वितीयक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अकादमी लिखित किताबें, लेख, गैर सरकारी संस्थाओं के विवरण व् रिपोर्ट्स, मेरठ शहर के स्थानीय समाचार पत्रों, मेरठ शहर के स्थानीय पुस्तकालय, दस्तावेज़ी फिल्म, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली आदि से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है। इसी के साथ शोधार्थी ने शोध अध्ययन के अंतर्गत जिन महिला यौन-कर्मियों, कोठों की मालकिनों, दलालों, कोठों के वास्तविक नामों, तथा अन्य कोई भी ऐसे तथ्य जो कि महिला यौन कार्य से जुड़े हुए हैं और उनसे उनकी वास्तविक पहचान हो सकती है तो उनके असली (वास्तविक नाम) बदल कर लिखे गए हैं। ताकि भविष्य में कभी भी उत्तराताओं को किसी भी प्रकार की क्षति का पहुंचे।

[9] सिंह वीरेन्द्र (प्रमुख सम्पादक). *भारतीय गजेटियर उत्तर प्रदेश जिला मेरठ*, उत्तर प्रदेश शासन जिला गजेटियर विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1994 ।

अध्ययन की चुनौतियां

यह अध्ययन कबाड़ी बाजार मेरठ में वेश्यालय आधारित वैश्यावृत्ति को एक श्रम के रूप में करने वाली महिलाओं की यथार्थपूर्ण सामाजिक जीवन और परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहा है। तथापि सामान्य से लगने वाले इस कथन में अध्ययन के दौरान कुछ भी सामान्य, साधारण या सीधा नहीं रहा, बल्कि इनके सामान्य जनजीवन का विश्लेषण करना मेरे लिए एक अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया रही है।

वेश्यालय आधारित यौन-कर्मियों के व्यावसायिक समूह के अध्ययन से संबंधित कार्य पद्धति की चुनौतियों में इस बात के सही आंकड़े प्रस्तुत करना कि उनकी संख्या कितनी है और उन सभी यौन-कर्मियों तक एक सापेक्षिक पहुँच बनाना मेरे अध्ययन में एक प्रमुख चुनौती रही है क्योंकि समय समय पर हर कोठे की यौन-कर्मियों की संख्या में परिवर्तन होता रहता था, कोई यौन कर्मी किसी कोठे पर दो दिन से काम कर रही है, और उसको लेकर पुलिस का खतरा है या कोई और विवाद है तो रातों रात उसका स्थान परिवर्तन कर दिया जाता था और फिर चाह कर भी उस उत्तरदाता (यौन कर्मी) से बातचीत नहीं हो पाती थी। कबाड़ी बाज़ार में यौन कार्य में शामिल पुरुष एवं महिलाओं से संबन्धित अधिकतर अध्ययन सुविधा के अनुसार प्राप्त नमूनों पर आधारित हैं, अर्थात जब भी उत्तरदाताओं से बातचीत करने का मौका मिला है शोधार्थी ने अपने उत्तरदाताओं के साथ साक्षात्कार किया है। कुछ अनुभवों में शोधार्थी का कहना है कि वेश्यालय के दलाल, दल्लन, पुलिस, एवं ग्राहक, आदि अर्थात वेश्यालय प्रबंधन अध्ययन में भाग लेने से हतोत्साहित करते हैं अर्थात वह इस अध्ययन में शामिल होने से बहुत कतराते हैं, तथा इसी के साथ स्वयं यौन कर्मी भी अपने अधिकारों के प्रति अजागरूक और अविश्वास के कारण, अपने व्यावसायिक कार्यों के अत्यधिक व्यक्तिगत होने के कारण एवं अपनी गुमनामी को बचाने की इच्छा के कारण इस अध्ययन में खुलकर भाग लेने से हिचकिचाती हैं, उनको इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हम उनकी पहचान समाज में तो नहीं बता देयेंगे और इससे उनको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा।

यहाँ की यौन कर्मी महिलाओं के विषय में बात करना लिंग एवं लिंग-भेद समाज में प्रभावशाली रूप से हावी रुढ़िवादी एवं अनियंत्रित हाशिये पर दोनों तरीके से सांस्कृतिक निर्माण के आवयश्क रूप की व्याख्या एवं पड़ताल करना है। कबाड़ी बाजार लाल बत्ती

क्षेत्र मेरठ के विषय में अध्ययन करना एक जटिल इतिहास का आमन्त्रण करने के समान रहा है, जिसमे ये सभी संभाषण, प्रथाएँ, परम्पराएँ, बाजार, एवं संघर्ष आदि, महिला यौन कार्य को न्यायायिक इतिहास के साथ इसके रूपांतरित नस्लीय भूत एवं वर्तमान के साथ तथा इसके दोहरी संस्कृती निर्धारित आदान प्रदानों के साथ शामिल है। जब शोधकर्ता के रूप शोधार्थी ने उस शहर की यौन कर्मी महिलाओं के यथार्थपूर्ण जीवन के हालातों को समझने की कोशिश की तब उनके जीवन के अस्पष्ट वृताँतों की परतों की सच्चाई प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में सामने आई जो कि इन सामाजिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल विचारों में कभी साथ मिलकर तो कभी विपरीत तरीके से एक दुसरे से टकराते हुए पाए गए।

उत्तरदाताओं की साक्षात्कार के दौरान उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए शोधार्थी ने प्रारुप स्तर पर कुछ नियम बनाए हैं, जैसे की महिलाओं के साथ गहन साक्षात्कार से संबंधित मुश्किलों के बावजूद शोधार्थी ने यह पाया कि बहुत सारी महिलाएं अपने जीवन की सच्ची कहानियों के प्रति चिंचित पायी गयीं और जब शोधार्थी ने एक तटस्थ श्रोता की तरह उनको सुना और विश्लेषण किया तो वह इस अवसर के लिए बहुत आभारी पायी गयीं। यौन कार्य में विशुद्ध रूप से यौन-कर्मियों को यौन वस्तुओं की तरह मानने के कारण शोधार्थी के साथ साक्षात्कार को बहुत सारी महिलाओं ने अपना दृष्टिकोण बताने में दस्तावेज रूप से शोधार्थी को मददगार पाया।

हालांकि यह सहभागी अवलोकन सहभागितापूर्ण हो सकता हैं, परन्तु शोधार्थी की एक सामाजिक समूह में किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं थी, क्योंकि यह महिला यौन-कर्मी मेरठ के लाल बाजार क्षेत्र में अपना कोई सामाजिक समूह नहीं बनाती हैं। तार्किक रूप से महिला यौन-कर्मियों के समूह में महिला शोधार्थी की तुलना में मेरी भागीदारी पुरुष होने के नाते और भी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि शोधार्थी जब भी कोठों पर तथ्यों की जाँच के लिए जाता तभी वहां पर कार्यरत महिला यौन-कर्मी शोधार्थी को अपना एक ग्राहक समझतीं और वह ग्राहक जैसा ही व्यवहार उसके साथ करतीं। शोधार्थी इस कारण बहुत उनको बहुत समझाता कि मैं आपका कोई ग्राहक नहीं हूँ बल्कि एक अनुसन्धान करता हूँ मुझ पर विश्वास करें और अपने विषय में कुछ बताओ, जिस कारण बहुत समय चला जाता, इसलिए शोधार्थी ने एक मृदुल (mild) सहभागी अवलोकन को चुना है, क्योंकि लाल बत्ती क्षेत्र मेरठ में पूर्णत: सहभागी अवलोकन शोधार्थी की विशेष लैंगिक प्रकृति के कारण तथा इसलिए भी कि लाल बत्ती

क्षेत्रों में यौन-कर्मी अपना कोई सामाजिक समूह या समुदाय नहीं बनाती हैं, अर्थात् इनका कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित है, इसलिए यौन कर्मी महिलाओं के जीवन से जुड़े सामाजिक तथ्यों की गहनता तक पहुँचने के लिए शोधार्थी ने बार बार उत्तर दाताओं के साथ सहभागी अवलोकन करते हुए गुणात्मक साक्षात्कार किये हैं।

यौन कार्य से जुड़े नैतिक मुद्दे

शोधार्थी ने अपने शोध कार्य के दौरान मुख्यतौर पर चार बुनियादी नैतिक सिद्धांतों का ध्यान रखा है, (a) उत्तरदाता की स्वतन्त्रता एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का सम्मान शोधार्थी को करना चाहिए कि कहीं कोई उत्तरदाता किसी दवाव में या किसी लालच में तो अपने अनुभवों को शोधार्थी के साथ साझा नहीं कर रहा है (b) उत्तरदाता की सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखना सबसे ऊपर आती है ताकि उत्तरदाता को हमारी शोध के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे (c) अपना संरक्षण करते हुए शोध क्षेत्र के खतरों एवं मूल्यों के बीच संतुलन बनाकर शोध कार्य के लिए उपयोगी तथ्यों को एकत्रित करना शोध कार्य के फायदे की खोज करना तथा (d) अधिक से अधिक उत्तरदाताओं तक अपनी पहुँच बनाना जिससे की अधिक से अधिक पुख्ता तथ्य एकत्रित किये जा सकें।

अध्याय - एक

कबाड़ी बाज़ार लाल बत्ती क्षेत्र मेरठ, उत्तर प्रदेश

अध्याय - एक

कबाड़ी बाज़ार लाल बत्ती क्षेत्र मेरठ, उत्तर प्रदेश

अभी तक इस बात पर अत्यधिक बल दिया जाता है, कि वैश्यावृत्ति अर्थात महिला यौन कार्य दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय है, मानवशास्त्रियों और विद्वानों द्वारा यह माना गया है, कि महिला यौन कार्य का स्वरुप सवसे प्राचीन समाजों में भी पाया जाता रहा है।[10]महिला यौन कार्य के विभिन्न स्वरुप आज भी हमको समाज में देखने को मिलते हैं, जिनमें से खुले रूप में सबसे सरलता से दिखने वाले महिला यौन कार्य का स्वरुप वेश्यालय आधारित यौन कार्य है। वेश्यालय आधारित महिला यौन कार्य के स्वरूपों को हम जी.बी. रोड लाल बत्ती क्षेत्र, पुरानी दिल्ली, कमाठीपुरा लालबत्ती क्षेत्र, मुंबई, सोनागाछी लाल बत्ती क्षेत्र, कोलकाता, चतर्भुज मुजफ्फरपुर बिहार, मेरठ शहर के लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाज़ार, आदि में और बहुत से स्थानों पर सामान्यता देखा जा सकता है। यह नृवंशविज्ञानिक अध्ययन मेरठ शहर में स्थित लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार में किया गया है। इसलिए इस अध्याय में मेरठ जनपद, मेरठ शहर के पुराने बाज़ार जहाँ यह लाल बत्ती क्षेत्र स्थित है का अवलोकन और क्षेत्र अध्ययन के तथ्यों के आधार पर परिचय दिया गया गया है, कि यह शहर का यह भाग किस तरह की संस्कृति के साथ विकसित हो रहा है। उसके बाद इस अध्याय में यह समझने का प्रयास किया है, कि यह लाल बत्ती क्षेत्र शहर के किस भाग में स्थित है, और इस क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों का बाहरी और आंतरिक संरचनात्मक स्वरुप कैसा है, जहाँ पर यह महिला यौन कार्य एक श्रम के रूप में चलता है, तो इन कोठों का संरचनात्मक स्वरुप कैसा है, इसी के साथ अध्याय में यह भी समझने का प्रयास किया गया है, कि कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र जो कि पुराने बाजार मेरठ का भाग है, तो वर्तमान समय में उसका स्वरुप कैसा है?

मेरठ शहर एक परिचय

मेरठ शहर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक महानगर है। यह भारत के राज्य राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह भारत का 16th सबसे बड़ा महानगर क्षेत्र और 17th सबसे बड़ा शहर है। वर्ष 2006 में यह दुनिया के सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों की सूची

---

[10]Ditmore, Hope Melissa. Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, Volume - 1 & 2, Greenwood Press, London, 2006, p: XXVI.

में 242th और सबसे बड़े शहरों की सूची में 292th स्थान रखता है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का नोएडा और गाजियाबाद के बाद तीसरे सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। इसका क्षेत्रफल 172 वर्ग किमी हैं। इसका कुल महानगरीय क्षेत्र 198 किमी है, जो की उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ और कानपुर के बाद तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। मेरठ शहर में भारत देश की 2nd सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। शोध का भोगोलिक क्षेत्र मेरठ शहर में स्थित कबाड़ी बाज़ार लाल बत्ती क्षेत्र है। मेरठ शहर जिला मेरठ का का जिला मुख्यालय है। मेरठ की भौगोलिक स्थिति 28.98° N77.7 मेरठ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ नगर निगम कार्यरत है। यह प्राचीन नगर दिल्ली से 72 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। मेरठ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है।

मेरठ अति प्राचीन काल से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक द्रष्टि से अपना महत्व रखता है। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस के बाद इस क्षेत्र को भारत के महत्वपूर्ण प्राचीन राजाओं मौर्य, कुशंस, गुप्त और प्रतिहार ने अपने शासन के समय में जनसंख्या उच्च घनत्व के साथ इसे एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र बनाये रखा। मेरठ राजा अशोक के शासन के समय में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन यह मुख्यत: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के लिये विशिष्ट रूप से जाना जाता है।

मेरठ शहर आधुनिक समय में व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन, और तीर्थ यात्रा, परिवहन और वितरण के साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि के लिये यह अत्यधिक विकसित क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय राजधानी के अधिक निकट होने के कारण इस क्षेत्र की समृद्ध कृषि का लाभ राष्ट्रीय राजधानी को मुख्य रुप से प्राप्त होता है। यह संगीत वाद्ययंत्र और खेल के सामन के लिये देश का सबसे बड़ा निर्माता और सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। मेरठ मुख्य रुप से चीनी मिल मवाना, कताई मिल, ऑटो टायर कारखाने, फाइबर बोर्ड उद्योग आदि जैसे बड़े उद्योगों के साथ यह मिठाई की दुकानों, कैंची निर्माण, उस्तरा निर्माण, यंत्र उपकरण, अभियांत्रिकी उपकरण, प्रकाशन, मुद्रण और हथकरघा के लिए जाना जाता है और यह आभूषण डिजाइनिंग के लिए उभरता हुआ केंद्र है।

अभी मेरठ शहर में वाणिज्यिक क्षेत्रों को शहर के नए भागों में विकसित किया जा रहा है। मेरठ शहर के पुराने भाग जैसे- घंटाघर, क्षेत्र, कबाड़ी बाजार, वैली बाजार, सर्राफा

बाजार, बुढाना गेट, लाल बाजार, सुभाष बाजार आदि जो कि शहर के मुख्य बाजार होने के साथ- साथ सबसे पुराने शहरी क्षेत्र हैं, उनमें कोई विकास पूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में स्थित है।

पंतनगर विमानक्षेत्र या इंदिरा गांधी अन्तराष्ट्रीय विमानक्षेत्र मेरठ के निकटतम एयरपोर्ट है। पंतनगर का एयरपोर्ट मेरठ से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरठ जंक्शन देश के प्रमुख शहरों से अनेक ट्रेनों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, जम्मू, अंबाला, सहारनपुर आदि स्थानों से आसानी से मेरठ पहुंचा जा सकता है। मेरठ उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के अनेक शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन निगम की बसें अनेक शहरों से मेरठ के लिए नियमित रूप से चलती हैं।

मेरठ का सर्राफा एशिया का नंबर एक का व्यवसाय बाजार है। सोने के बारे में कहें तो मेरठ शहर कई तरह के उद्योगों के लिये प्रसिद्ध है। मेरठ में निर्माण व्यवसाय में खूब तेजी आयी है,जैसा कि आज दिखाई देता है कि-शहर में कई ऊंची इमारतें, शॉपिंग परिसर एवं डिपार्टमेंटस हैं।

मेरठ भारत के शहरों में क्रीड़ा सामग्री के सर्वोच्च निर्माताओं में से एक है। साथ ही वाद्य यंत्रों के निर्माण में भी यह उच्च स्थान पर है। मेरठ में यू.पी.एस. आइ.डी.सी के दो औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक परतापुर में एवं एक उद्योग पुरम में। मेरठ में कुछ प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ भी हैं, जैसे- पर्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मैनकाईंड फार्मा एवं बैस्टोकैम। आयकर विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, मेरठ ने वर्ष 2007-08 में ही 10089 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय कोष में दिये हैं, जो कि लखनऊ, जयपुर, भोपाल, कोच्चि, और भुवनेश्वर से कहीं अधिक हैं।

शहर मेरठ में चार विश्वविद्यालय हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शोभित विश्वविद्यालय एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय। इसके अलावा शहर में कई अन्य महाविद्यालय एवं विद्यालय हैं, जो कि यहाँ के समस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है।

जनपद मेरठ की जनसंख्यात्मक स्वरुप

मेरठ शहर ही जनपद मेरठ का जिला मुख्यालय है, जिसमें 1,025 गाँव भी सम्मिलित हैं। 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार मेरठ शहरी क्षेत्र (जिसमें नगर निगम एवं

छावनी परिषद के अंतर्गत आते क्षेत्र सम्मिलित हैं) की जनसंख्या लगभग 14 लाख है, जिसमें से लगभग 13 लाख 10 हज़ार नगर निगम के क्षेत्र में है। इस हिसाब से जनसंख्या अनुसार मेरठ शहरी क्षेत्र भारत के शहरी क्षेत्रों में 33वे स्थान पर है और भारत के शहरों में 26वे स्थान पर है। मेरठ में लिंग अनुपात 888 है, राज्य औसत 908 से कम; बाल लिंग अनुपात 847 है,राज्य औसत 899 से कम। 12.41% जनसंख्या 6 साल की उम्र से छोटी है। साक्षरता दर 78.29% है, राज्य औसत 69.72% से अधिक। 2012 अनुसार मेरठ में अपराध दर (भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराध प्रति लाख जनसंख्या) 309.1 है, राज्य औसत 96.4 और राष्ट्रीय औसत 196.7 से अधिक।

Meerut District Handbook 2001 के अनुसार मेरठ जिले की कुल जनसंख्या 2997361 है, ग्रामीण आबादी 1,545,378 (51.56%) और शहरी 1451983 (48.44%) है, पुरुष जनसंख्या 53.43% हैं, महिला 46.57% है। मेरठ जिले के कुल शहरी पुरुषों की जनसंख्या 53.35% और 46।65% महिलाओं हैं। मेरठ जिले के ग्रामीण पुरुषों की जनसंख्या 53.53% है, और महिलाओं की जनसंख्या 46.49% है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मेरठ जिले की महिला आबादी (Sex Ratio), ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बहुत कम है।

मेरठ जिले में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 36.87%, ग्रामीण 58.99%, शहरी 41.01%, पुरुष 53.72%, महिला 46.28% है, ग्रामीण पुरुष जनसंख्या 53.85%, महिला 46.15% है। कुल शहरी अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या 53.52 प्रतिशत और महिला 46.48% है। अनुसूचित जनजाति के कुल जनसंख्या बहुत कम है केवल 0.0078% है। मेरठ जिले में रहने वाले केवल 13 अनुसूचित जनजाति के लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 223 लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। शहरी जनसंख्या में पुरुष 47.53% और महिला 52.47% हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महिला आबादी हर समुदाय (सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) हर जगह (ग्रामीण एवं शहरी) में बहुत कम है। केवल S.T. शहरी महिलाओं की जनसंख्या 52.47%, लेकिन कुल S.T. मेरठ जिले में जनसंख्या बहुत कम 0.0078% ही है। लिंग अनुपात लेकिन मेरठ जिले की प्रमुख समस्या है, क्योंकि महिलाए पुरुषों की अपेक्षाकृत बहुत कम हैं।

तालिका संख्या - 1

Sex Ratio Profile of Meerut City

S. No.	Year	Total	Population		Sex Ratio
			Male	Female	
1.	1971	3,71,760	2,20,082	1,15,678	689
2.	1981	5,36,615	2,90,370,	2,46,245	848
3.	1991	8,49,799	4,54,204	3,95,595	871
4.	2001	1,16,716	6,21,481	5,40,235	869
5.	2011	17,59,182	9,30,823	8,28,359	890

Source: Meerut District Census Hand Book 1971, 1981, 1991 & 2001, 2011.

पुरुष महिला अनुपात एक अति महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय सूचक (Demographic Indicator) है। जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2001 में पुरुष महिला अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 932 महिलाए हैं। किन्तु मेरठ शहर में 1971 से 2001 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक दशक में वहाँ महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर अत्यधिक कम है। यह हम ऊपर की तालिका संख्या- 1 में देख सकते हैं।

तालिका संख्या - 2

Work Participation of Women in Government Offices in Meerut City

Sr. No.	Type of Office	No. of Offices	Employment		
			Men	Women	Total
1.	Central Government	41	9,530	631	10,161
2.	Central Government Aided	123	3,394	492	3,886
3.	State Government	180	18,983	1,946	20,929
4.	State Government Aided/Municipal	93	9,154	254	9,408
5.	Total	437	41061 (92.51%)	3323 (7.49%)	44384

Source: Meerut Master Plan, Vision 2021. (Cited in Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, City Development Plan Final Report 2006.)

मेरठ एक प्रशासनिक केंद्र है, जिससे यहाँ पर बहुत क्षेत्रीय और प्रशासनिक कार्यालय हैं। शहर मेरठ में 41 केंद्रीय सरकार (Central Government), 123 केंद्रीय सरकार के उपक्रमों (Central Government Aided), 180 राज्य सरकार (State Government) और 93 राज्य सरकार के उपक्रमों व नगर निगम के कार्यालय हैं (State Government Aided/Municipal)। इनमें कुछ कार्यालय अन्य राज्यों के भी हैं। यहाँ पर कुल कार्यालयों की संख्या 437 है, जिनमें कुल 44384 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमे 92.51% पुरुष और 7.49% महिलाएं काम कर कार्यरत हैं। इस प्रकार स्पष्ट है, कि इन सभी कार्यालयों में महिलाओं के काम की भागिदारी अत्यधिक कम है। जो कि ऊपर तालिका संख्या - 2 में साफ़ देखा जा सकता है।

तालिका संख्या - 3

Educational Institutions in Meerut City

Sr. No.	Categorization of Educational Institutions	No. of Education Centers		Total
		Govt l/Semi-Govt.	Recognized by State	
1.	Nursery/Primary	106	539	645
2.	Junior High School	10	94	104
3.	Secondary High School	1	26	27
4.	Secondary School	2	45	47
5.	Graduate College	N/A	1	1
6.	Postgraduate Collage	N/A	11	11
7.	University	2	N/A	2
8.	Technical Institutes	8	N/A	8
9.	Technical Institutes ITI	4	N/A	4

Source: Meerut District Census Hand Book 2011.

मेरठ शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मेरठ शहर मात्र शहर के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता को पूरी नहीं करता है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र और आसपास की समस्त ग्रामीण जनसंख्या के लिये कार्य करता है। मेरठ

शहर में 645 प्राथमिक विद्यालयों (Nursery/Primary), 104 जूनियर हाई स्कूल (Junior High School), 27 माध्यमिक हाई स्कूल (Secondary High School), 47 माध्यमिक स्कूल (Secondary School), 1 स्नातक महाविद्यालय (Graduate College), 11 स्नातकोत्तर महाविद्यालय (Postgraduate Collage), 2 विश्वविद्यालय (University), 8 तकनीकी संस्थान (Technical Institute), और 4 आईटीआई तकनीकी संस्थान (Technical Institute ITI) हैं। जो कि ऊपर तालिका संख्या - 3 में देखा जा सकता है। किन्तु इन सब के बाद भी यहाँ की महिलाओं का litracy rate बहुत कम है। मुख्य तोर पर ग्रामीण अनुसूचित जातियों की महिलाओं का litracy rate तो सबसे कम है। जो इस क्षेत्र की मुख्य समस्या है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121,01,93,422 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 62,37,24,248 और महिलाओं की संख्या 58,64,69,174 है।लिंग अनुपात 1000/940 तथा ग्रामीण जनसंख्या 74,24,90,639(72.18%)हैं।अनुसूचित जाति जनसंख्या 16,66,35,700 (16.6%) हैं, एंव अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 104,281,034 (8.6%) हैं। भारत में कुल महिलाओं की संख्या 58,64,69,174 (48।46%) हैं, और वर्ष 15-35 आयु वर्ग की महिलाओं की कुल संख्या 11,38,53,547 (22.93%) है।[11] भारत में अधिकतर यौन कर्मीयों की आयु वर्ग 15-35 वर्ष हैं। भारत में कुल यौन-कर्मियों की संख्या 28,27,534 है, जो कि सम्पुर्ण भारत की (15-35) वर्ष के आयु वर्ग की कुल महिलाओ का (2।48%) हैं। यही आंकड़ा उत्तर प्रदेश में (1।5%) हैं। भारत में 35.47% महिला यौन कर्मी 18 वर्ष की आयु से पूर्व यौन कार्य शुरू करती हैं, व इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 50.60%, बिहार में 72.30%, व मध्य प्रदेश में 72.80%। उत्तर प्रदेश में 3,00,000 से 5,00,000 तक महिला यौन कर्मी यौन कार्य कर रहीं हैं।[12] किंतु इन सब आंकडों के बाद भी देश में इस बात को लेकर कोई विश्वसनीय आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, कि देश में यौन कार्य में वास्तव में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, फिर भी ऐसा अनुमान हैं कि भारत में यौन कार्य के द्वारा किया गया सलाना कारोबार 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक का होता हैं।[13]

---

[11] Census of India. Primary Census Abstract, Total Population, Table A-5. 2001, p:

[12] Mukherjee, K.K. and Sutapa Mukherjee. *Girls / Women in Prostitution in India: A National Study*. Supported by Department of Women and Child Development, Government of India, New Delhi, November- 2004, pp: 100-111.

[13] योजना. फरवरी 2008, वर्ष 52, अंक 2, pp: 16.

तालिका संख्या - 4

Particulars of High Operational (Prostitution) in Nine Districts of India

Sr. No.	District	State/ territory	No of prostitutes	Rural Pop. %	Literacy rate %	Work participation %	Remarks
1	Kamrup	Assam	245	64.2	74.69	32.64	Covers state capital & important district of NER???
2	Muzaffar pur	Bihar	500	90.69	48.15	30.48	One of the oldest districts of India, predominantly rural
3	Central Delhi	Delhi	600	0	82.54	34.6	National capital city & prime location for the workers from all other states
4	Dakshin Kannada	Karnataka	204	61.59	83.47	49.95	Rural, prevalence of Devadasi system
5	Mumbai	Maharashtra	485	0	86.82	39.84	State capital, metro city financial capital, crime capital, Bollywood, one of the prime location for industrial workers
6	Jaipur	Rajasthan	399	50.62	70.63	35.47	State capital, partially rural, state where caste based prostitution is still found।
7	Chennai	Tamil Nadu	1096	0	80.14	34.18	State capital, metro city, one of the prime ports of India, tourist location।
8	Meerut	Uttar Pradesh	205	51.52	65.96	29.92	District adjoining national capital, hub for skilled metallic workers
9	Kolkata (South 24 PGS)	West Bengal	681	0	81.31	37.66	State capital, metro city, one of the oldest cities & prime city during colonial period,

Source: Mukherjee, K.K. and Sutapa Mukherjee. *Girls/Women in Prostitution in India: A National Study*. Supported by Department of Women and Child Development, Government of India, New Delhi, November 2004, p: 120.

तालिका संख्या - 5

Particulars of Ten Cities having Highest Number of Prostitutes with Respect to Places of Operation

S. No.	City	No. of places of operation	No. of prostitutes working	Remarks
1.	Chennai	160	1096	
2.	Kolkata	9	685	Red-light and other Areas।
3.	Delhi	1	600	Red-light Area
4.	Muzaffarpur	12	500	Red-light and other Areas।
5.	Mumbai	20	485	Red-light and other Areas।
6.	Jaipur	14	399	
7.	Kamrup	1	245	
8.	Meerut	1	205	Red-light Area।
9.	Dakshin Kannada	26	204	
10.	Thiruvananthpuram	62	188	

Source: Mukherjee, K.K. and Sutapa Mukherjee. *Girls/Women in Prostitution in India: A National Study*. Supported by Department of Women and Child Development, Government of India, New Delhi, November 2004, p: 122.

Table No. 4 और 5 के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ शहर का लाल बत्ती कबाड़ी बाजार क्षेत्र भारत में स्थापित मुख्य रुप से पांच लाल बत्ती क्षेत्रों में से एक है। इन लाल बत्ती क्षेत्रों बने वेश्यालय आधारित कोठों पर अधिकांशत संख्या में महिला यौन श्रम में जुड़ी हुई हैं। कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र मेरठ शहर के लगभग बीच में स्थित है जहां पर लोगों का लगातार आना जाना लगा रहता है, किन्तु किसी का भी इस क्षेत्र की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। मेरठ में सरकार के द्वारा चारो तरफ विकासपूर्ण कार्य किये गये हैं, तथा इसी क्रम में मेरठ में बहुत बड़ा लाल बत्ती क्षेत्र होने के बाद भी अभी तक किसी के द्वारा भी इस लाल बत्ती क्षेत्र व इसमें काम करने वाली महिला यौन-कर्मियों के जीवन को और उससे सम्बन्धित समस्याओं को समझने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया है। अभी तक सामाजिक क्षेत्र मेरठ को

समझने के लिये समय-समय पर बहुत से अध्ययन हुए हैं, जैसे- Saxena,[14] Mumtamayee,[15] Singh,[16] Raina et. all,[17] Palmer,[18] Misra,[19] Brass,[20] Singh,[21] Engineer,[22] Sinha,[23] आदि किन्तु इनमे से अधिकतर Studies, Agricultural, Labor, Child Labor, Rural Human Ecology, Family Planning, Brassband and Scissor Manufacturing Industries, Powerlooms, Handloom, Mutiny of Meerut 1857, Nature of the Panchayati Raj

---

[14] Saxena, R.C. *Agricultural Labour, Wages and Living Conditions in Meerut,* New Delhi: Elite Publication, 1969.

[15] Mumtamayee, C. *Rural Ecology,* New Delhi: Ashish Publication, 1989.

[16] Singh, R.L. *Dholri Village Meerut District,* Varanasi: Silver Jubilee Publication, 1971.

[17] Raina, B.L. Robert R. Black, Eugene M. Weiss, *Family Planning Communication Meerut District,* New Delhi: Central Family Planning Institute, 1967.

[18] Palmer, J.A.B. *The Mutiny Outbreak at Meerut in 1857.* Cambridge University Press, 1966.

[19] Misra, Amaresh. "Meerut Firing: A Turning Point". *Economic and Political Weekly*, Volume - 29, No. 18, April 30, 1994, pp: 1054 - 1055. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4401123.pdf?refreqid=search%3Aacc68220ab7c2397617541bf497c01e3, accessed on 12th March 2017

[20] Brass, Paul R. "Development of an Institutionalised Riot System in Meerut City, 1961-1982". *Economic and Political Weekly*, Volume - 39, No. 44, October 30 - Novmber 5, 2004, PP: 4839 - 4848. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4415744.pdf, accessed on 02nd January 2018.

[21] Josh Sohan Singh. *The Great Attack: Meerut Conspiracy Case,* New Delhi: People's Publishing Housing, 1979.

[22] Engineer, Asghar Ali. "Meerut: The Nation's Shame". *Economic and Political Weekly*, Volume - 22, No. 25, Jun 20, 1987, pp: 969 - 971. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4377115.pdf, accessed on 14th December 2017.

[23] Sinha, Sanjay, "Economics vs Stigma Socio-Economic Dynamics of Rural Leatherwork in U.P." *Economic and Political Weekly*, Volume - 21, No. 24, June. 14, 1986, pp: 1061 - 1067. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4375797.pdf?refreqid=excelsior%3A6bc5564ef9d35f7b459ab6bc320cd6d1, accessed on 12th January 2018.

Institution, Rural Leatherworking; the Pattern of Employment and the Economic Returns, Dalit Assertion and Dalit Identity, Hindu-Muslim Riots, Socio-demographic factors causing anaemia in adolescent girls and Tourism in the Uttar Pradesh NCR आदि जैसे मुद्दों पर हुई हैं। किन्तु मेरठ के Red-light Area और यहाँ की Female Sex Workers से सम्वन्धित कोई Study नहीं हुई है जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। जिस कारण यह क्षेत्र शोध के लिए चुना गया है।

कबाडी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र एक परिचय

कबाडी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र मेरठ शहर के लगभग बीच में स्थित हैं। यह क्षेत्र एक चौराहे की तीन सड़कों में फैला हुआ हैं। यहाँ पर महिला यौन कार्य सड़क के दोनों तरफ स्थित दुकानों के प्रथम तल पर चलता हैं। भू-तल स्थित दुकानों में परचुन का सामान, पुराने कबाड़े का समान, जनरल स्टोर, दाल मण्डी, जूते चप्पल आदि की दुकानें हैं। लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार के चौराहे की चारों सड़के मेरठ के अन्य बाजारों व रियाहसी क्षेत्रों से होती हुई राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ती हैं। यह क्षेत्र मेरठ के प्रसिद्व पुराने बाजार हैं, जिसे पुराना मेरठ के नाम से भी जाना जाता है। बाजार के बायीं तरफ वेली बाजार व दायी तरफ देवीपुरी व बृहम्पुरी रियाहसी क्षेत्र हैं, जिसमें दैनिक उपयोग की समस्त सामान की दुकानें उपलब्ध हैं। इन दोनों रियाहसी कोलनियों में स्लम्स अत्याधिक संख्या में रहते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर से श्यामनगर, तारापुरी, माधोपुरम आदि स्लम्स क्षेत्रों के निवास के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों कोलनीयों से लाल बत्ती क्षेत्र लगा हुआ हैं। इस लाल बत्ती क्षेत्र के पास घंटाघर और सुभाष बाजार हैं, जिसकें पास एक धर्मशाला हैं। कबाड़ी बाजार के पास एक राष्ट्रीय राजमार्ग - 14 गुजरता है, जो कि दिल्ली और मेरठ बिजनौर को जोडता है। कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र के अध्ययन से पता चला कि इन कोठो की इमारते काफी पुरानी व जर्जर हैं। जब मुख्य सूचनादाता (Key Informants) से पूछा तो बताया कि यह इमारतें अंग्रेजी शासन काल में बनी थीं, किन्तु मेरठ शहर में वेश्यालय आधारित वैश्यावृत्ति मुस्लिम शासन काल मेरठ शहर के लालकुर्ती स्थान में हुई थी, किन्तु जब लालकुर्ती जगह की आबादी अधिक हो गयी और यह स्थान शहर के मध्य में आ गया तो अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रजों ने इसको लालकुर्ती से विस्थापित करके शहर से दूर कबाड़ी बाजार में स्थापित कर दिया। वर्तमान समय में इन कोठों के फर्श पक्के व छते अधिकतर पुराने समय की

पत्थर की बनी हैं। कुछ छतें हाल ही में पक्की करा दी गई हैं। इन कोठों का रास्ता सड़क से सीधा सीढीयों से होकर ऊपर जाता हैं। यहाँ पर इन कोठों की सख्यां लगभग 60 हैं, जिनमें से कुछ कोठे अभी बिल्कुल बंद हैं जिन पर अब महिला यौन कार्य नहीं किया जाता है। इन कोठों का रास्ता सीधे सड़क से सीढीयों द्वारा एक बडे बरामदे में जाकर खुलता हैं। यह बरामदा सामने सड़क की तरफ खुला हुआ हैं जिसमें लगभग 20 से 30 के मध्य महिला यौन कर्मी हमेशा खड़ी या बैठी रहती हैं।

यहाँ पर चाय बनाने वाले व्यक्ति लाला ने बताया कि यहाँ पर पहले मुस्लिम और अंग्रेजी समय में मुजरा एंव नाच-गाने का प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें मनोरंजन करने के लिए, यहाँ बादशाह, नवाब या उनकें खास आदमी और अंग्रेजी सैनिक यहाँ आया करते थे। यह क्षेत्र उस समय शहर से कुछ दूर था। 1857 के जनविद्रोह के बाद जब अग्रेजों का शासन पूरी तरह से हुआ तो उन्होंने अपनी सेना का बडा भाग मेरठ में रखा और अपने सेना के अड्डे बनाये उस समय यह पूरी तरह चकला बना दिया गया। इस प्रकार यह काम शुरू हो गया, नाच गाना, मुजरा आदि समाप्त हो गया। ऐसा बुजूर्ग लोग बताते है। उन्होने बताया कि यहाँ पर हर प्रकार का व्यक्ति आता है। अमीर भी और गरीब भी एक रिक्शा चालक से लेकर सरकारी नौकरी वाला व बिजनेस मैन। यहाँ पर आने वाले अधिकतर व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से होते हैं। तो क्या मेरठ की महिलाएं यह काम नहीं करती ? तो बताया कि करती हैं लेकिन यहाँ कोठों पर नहीं बैठती वह छिपकर काम करती हैं और ये खुल्ल्म खुल्ला काम करती हैं। यह सवाल पूछने पर कि यहाँ पर काम करने वाली महिला यौनकर्मी को एक नागरिक के समान अधिकार मिलते हैं या नहीं ? तो बताया कोई अधिकार नहीं मिलते। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं यौन कार्य करतीं हैं, जो कि देश के विभिन्न स्थानों से आती हैं, किन्तु इनमे मुख्य रूप से राजस्थान, अजमेर, मध्य प्रदेश, नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश और कुछ आस पास के क्षेत्रों से स्थानीय स्थानों से आती हैं, जिनकी यहाँ पर संख्या लगभग 350 हैं।[24]

---

[24] रानी, सुनीता, कविता, बिमला, राजन, तारिणी... आदि महिला यौन कर्मी जगदेवी बाई, कर्मो बाई, बनिता बाई, रामवती बाई... आदि कोठे की मालकिनों ने यह बताया की मेरठ के लाल क्षेत्र कबाड़ी बाजार में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन कर्मियों में अधिकतर यौन कर्मी अजमेर, मध्य प्रदेश, नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आदि क्षेत्रों से आती हैं ।

यहाँ पर कुछ कोठे ऐसे भी हैं जहाँ पर आज भी शाम होने पर मुजरा और नाच गाना किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर महिला यौन कार्य भी होता है। किन्तु यह वह कोठे हैं जो यह दावा करते हैं, कि हम आज भी अपने देश की नाच गाने वाली परम्परा को बनाए हुए हैं। हम उस परम्परा का सम्मान करते हैं जो कि हमारे देश की कलात्मक परम्परा है, जिसे हम अब आगे बड़ा रहे हैं और जिसे हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। इन कोठों की मालकिन अर्थात दल्लन सरकार व् समाज के समक्ष यह दावा करती हैं की हमारे यहाँ पर देह का व्यापार नहीं किया जाता है। हम सिर्फ नाच गाना करके ही लोगों का मनोरंजन करते हैं।[25] इसलिए हम उनसे अलग हैं जो कि देह कार्य करते हैं। किन्तु क्षेत्र कार्य के दौरान यह सामने आया कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ नाच गाना ही होता। यहाँ पर यौन कार्य भी किया जाता है। इन्ही कोठों पर आने वाले ग्राहकों ने बताया की ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ नाच गाना ही किया जाता है यह तो बस कहने की बात है। ऐसा कहने की मुख्य वजह यह है कि यदि यह सरकार के सामने सच बता दें तो सरकार इनके लाइसेंस की वैधता की अवधि को कभी भी आगे नहीं बढाएगी, क्योकि सरकार के द्वारा इन कोठों पर सिर्फ नाच गाने और मुजरा करने के लिए ही लाइसेंस दिया जाता है। यहाँ पर यौन कार्य करने या करवाने के लिए सरकार कभी भी अनुमति नहीं देगी, जब इस बात को इन महिला यौन कर्मी और इन कोठों की मालकिनों से पुचा गया तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि हमारे कोठों पर भी नाच गाने के साथ साथ महिला यौन कार्य भी किया जाता है।[26]

समकालीन भारत में यह तथ्य सामने आते हैं कि The Immoral Traffic (Prevention) Act 1956 के अनुसार “वेश्यावृत्ति” का मतलब महिलाओं का यौनिक शोषण और व्यावसायिक फायदे के लिए व्यक्तियों का दुरूपयोग होता है, तथा आँकड़ों के अनुसार भारत में महिला यौन कार्य से 40,000 करोड़ रूपए सालाना आमदनी वाला व्यवसाय है, जिसमें की तीस प्रतिशत महिला यौन कर्मी बच्चे होते हैं, जिनके मालिक 11,000 करोड़ की शानदार कमाई करते हैं, और इसी के साथ एक सर्वेक्षण के अनुसार

---

[25] शांता बाई, छन्नो बाई, रामवती बाई... आदि (कोठे की दल्लन अर्थात कोठे की मालकिन) राजवती, सब्बो, गुंजन, आरती... आदि महिला यौन कर्मी के साथ क्षेत्र अध्ययन के दौरान की गयी एक समूह चर्चा से यह सामने आया की यहाँ पर वर्तमान समय में भी मुजरा, नाच, गाना आदि के माध्यम से पुरुषों का मनोरंजन किया जाता है ।

[26] Ibid

भारत में करीब 1 करोड़ महिला यौन कर्मी हैं, जिसमें कि एक लाख सिर्फ मुम्बई में काम करती हैं, जो कि अभी तक का एशिया का सबसे बड़ा सेक्स उद्योग केन्द्र मन जाता है, भारत में करीब 300,000 से लेकर 500,000 तक बच्चे महिला यौन कार्य के व्यवसाय में शामिल हैं, जिसमें बेंगलूरू की अन्य पाँच बडे शहरों के साथ देश में बाल वेश्याओं का 80% हिस्सेदारी है।[27] यह आश्चर्यचकित करने वाले आँकड़े इस आवश्यक बुराई को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के सच्चे हस्तक्षेपों की तरफ इशारा करते हैं।

वेश्यावृत्ति का भारत में प्राचीन काल से लेकर अभी तक और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन काल के दौरान एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका असर आज भी भारतीय समाज में एक सच्चाई के रूप में दिखाई देता है। भारतीय न्यायालयों ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि भारतीय समाज में महिला यौन कार्य कोई नया अथवा अंजान मुद्दा नहीं है। भारतीय न्यायालयों का मानना है कि समाज के गरीब, अशिक्षित एवं अनभिज्ञ वर्ग के व्यक्ति ही इस जाल के शिकार होते हैं, और और जब वह इस देह व्यापार में अ जाते हैं तो समाज में उन्हें एक लक्ष्य समूह की तरह देखा जाता है। संभ्रात वर्ग के व्यक्ति उनका शोषण करते हैं, और पुलिस के साथ सांठगांठ कर के उनकी गरीबी एवं अज्ञानता का सुनियोजित तरीके से फायदा उठाते हैं, इसी के साथ भारतीय न्यायालयों का मानना है कि एक खास वर्ग की महिलाओं की परिस्थितियों के निराधार और सामाजिक प्रतिबंधों की विकलांगता के शिकारों को फँसाया जाता था, और उन्हें देह व्यापार में जबरदस्ती धकेलकर "वेश्या" के नाम से अलंकृत कर दिया जाता था।[28]

यदि हम भारत में औपनिवेशिक काल के समय वैश्यावृत्ति का विश्लेषण करते हैं तो Katherine Bushnell एवं Elizabeth Andrew जो की उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जो कि उन्मूलन आंदोलन की सदस्य थीं, जो कि भारतीय महिलाओं की राज्य-

---

[27] King & Partridge. From the selected workes of Dharmendra Chatur. "Legalization of Prostitution in India", *Legal Methods Research Paper,* January 2009, p: 1. Available at: file:///C:/Users/Manoj/Downloads/fulltext_stamped.pdf, accessed on 30th June 2017.

[28] King & Partridge. From the selected workes of Dharmendra Chatur. "Legalization of Prostitution in India", *Legal Methods Research Paper,* January 2009, p: 1. Available at: file:///C:/Users/Manoj/Downloads/fulltext_stamped.pdf, oss on 30th June 2017.

प्रयोजित तस्करी का एक उल्लेखन करती हैं के ख्याल को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है खासकर जब हम मेरठ के सन्दर्भ में कबाड़ी बाजार के वेश्यालय का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि मेरठ में आज के भारत की और अगंरेजी शासन काल के समय की दूसरी बड़ी सैनिक छाबनी है, जो कि वर्तमान समय में भी देश की सेवा में कार्यरत है। Katherine Bushnell एवं Elizabeth Andrew अपने विश्लेषण में कहती हैं कि भारत में अंग्रेजी सेना के अध्यक्ष, Lord Roberts ने जून 1886 में सभी सैन्य छावनियों को एक आदेश जारी कर कहा था कि "पलटन के बाजारों में उचित संख्या में आकर्षक महिलाओं का रहना जरूरी है तथा उनके रहने के लिए घर भी दिए जाएं तथा उनके स्नान एवं प्रक्षालन की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी उस समय सेना के अध्यक्ष ने जोर डाला।"[29] इसी के साथ ब्रिटिश सरकार ने जवान सैनिकों को यौन रोग से बचाने के लिए यौन रोगों से पीड़ित भारतीय वेश्याओं की पहचान को सम्मान का एक तरीका माना जाता था। इन आदेशों पर कार्रवाई करते हुए भारतीय महिलाओं की मांग के लिए उस समय न्यायाधीशों (Magistrates) के सामने आवेदन पत्र दाखिल किए गए थे।[30] जिसके फलस्वरूप, सैन्य अधिकारियों ने वेश्याओं की भर्ती के लिए देशी महिलाओं का सहारा लिया एवं भारतीय महिलाओं को किसी भी संभव तरीके से यौन-कर्मियों की भर्ती के लिए कहा गया। इसी क्रम में बहुत बार भारतीय महिलाओं को धोखेबाजी एवं झूठे वायदों से बहला फुसलाकर वेश्यावृत्ति में डाला गया। यह महिला उस समय के कोठे - मालकिनों या madam की अग्रदूत mahaldarni के नाम से जानी जाती थी एवं यह यौन- कर्मी महिलाओं की प्रभारी हुआ करती थीं।

औपनिवेशिक राज्य में वेश्यावृत्ति को प्रायोजित एवं प्रोत्साहित करने का अंदाजा सरकारी वेश्यालयों के जरिए इस प्रथा के संस्थानीकरण से लगाया जा सकता है कि सामान्य रूप से, सैनिकों को ठहराने वाली हर छावनी इलाके में कुछ भारतीय महिलाएं और उस क्षेत्र के मूल निवासी (natives) जैसा की अंग्रेज उन्हें बुलाते थे, आसपास के

---

[29] Andrew Wheeler Elizabeth and Katharine Caroline Bushnell. With Perfatory Letters by Mrs. Josephine Butlar and Mr. Henny S. Wilson, M.P., *The Queens Daughters in India,* London, Morgan and Scoot, New York, U.S.A. 1899, pp: 9-12. Available at: https://www.godswordtowomen.org/queensdaughters.pdf, accessed on 14th march 2017.

[30] Indian Penal Code 1860, Sections 39.

मकानों में रहती थी। यह वेश्यालय चकला[31] के नाम से जाने जाते थे। हर चकले में ऊंची दीवारों एवं छोटी खिड़कियां होती थी ताकि महिलाएं यहाँ से भाग न पाए । महलदारनी (mahaldarni), इस बात का भी ध्यान रखती थी कि ये महिलाएं किसी देशी पुरुष के साढ़ नाता न रख पाएं और देशी पुरुष के साथ ना भागे।[32] इन महिलाओं को कैद में रखे जाने के अलावा, ब्रिटिश सैनिकों द्वारा इन भारतीय महिलाओं का शारीरिक एवं यौन उत्पीड़न किया जाता था।[33] और ब्रिटिश अफरशाहों और अधिकारियों द्वारा इन महिलाओं पर बेवजह जुर्माना भी लगाया जाता था। इन महिलाओं को कैद में रखने के साथ साथ भूखा रखा भी जाता था।[34] हर चकला (chakla) का अपना एक जेल अस्पताल होता था जहां बाद में संक्रमित होने के बाद या चकला से रिटायर्ड होने के बाद इन महिलाओं को उनकी मर्जी के बिना इन्हें जेल अस्पताल में डाल दिया जाता। ब्रिटिश प्रशासन भारतीय शहरों में रह रहे ब्रिटिश सैनिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इन चकलों में काम कर रही महिला यौन-कर्मियों के स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखता था। यदि हम ब्रिटिश प्रशासन के इस नियंत्रण के तरीका को समझें तो यह बहुत रुचिकर है। उन्नीसवीं शताब्दी के पहले भाग में सरकार वेश्या महिलाओं का स्वास्थ्य-नियंत्रण कार्यकारी प्रस्तावों (executive resolutions) के द्वारा करती थी। उदाहरण के तौर पर, 1805 में, Lord Bentick द्वारा जारी एक प्रस्ताव में यह बातें शामिल थीं कि यूरोपीय सैनिकों के इलाकों में Lock Hospital या जिसे हिन्दी में लाल बाजार कहा जाता था, की स्थापना की गयी; प्रत्येक जिले में सभी वेश्या महिलाओं के पहचान पत्र एवं स्वास्थ्य-निरीक्षण[35] की व्यवस्था की गयी; फौजी अधिकारियों की सिफारिश या शिकायत पर magistrate को किसी भी संक्रमित महिला की गिरफ्तारी का आदेश जारी करने की शक्ति एवं उसे बाद में civil magistrate के सामने हाजिर

---

[31] Ibid

[32] Ibid: 16-17.

[33] Ibid

[34] Andrew Wheeler Elizabeth and Katharine Caroline Bushnell. With Perfatory Letters by Mrs. Josephine Butlar and Mr. Henny S. Wilson, M.P., *The Queens Daughters in India,* London, Morgan and Scoot, New York, U.S.A. 1899, p: 10. Available at: https://www.godswordtowomen.org/queensdaughters.pdf, accessed on 14th March 2017.

[35] Ibid

किया जा सकता था एवं Lock Hospital में भेजा जा सकता था; संक्रमित महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक होने तक Lock Hospital में रख जाता था और उस वक्त तक ब्रिटिश सैनिकों के साथ इन महिलाओं का किसी प्रकार के संबंध को मना था।[36] जब ऊपर दिए गए उपायों के अनुसार काम नहीं चलता था तो ब्रिटिश सैनिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन संक्रमित महिलाओं यौन-कर्मियों को छावनियों से बाहर निकाल[37] दिया जाता था।

परन्तु इन सभी उपायों के बाद भी ज्यादा समय तक यह व्यवस्था सही साबित नहीं हो सकी Lock Hospitals व्यवस्था अप्रभावी साबित हुई और आखिरकार 1830 में इसे नियम समाप्त कर दिया गया। वेश्यावृत्ति सबसे पुराना पेशा होने के नाते इसे शहरी समाज में स्थायी विशेषता के रूप में बहुत पहले ही पहचान हासिल हो चुकी है जिसका विभिन्न समाजों समय समय पर विविध रूप देखने को मिलता रहा है।[38] किन्तु वर्तमान समय में जब मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों से यह जानने की कोशिश की कि क्या आप जानते हैं कि यह यहाँ पर यौन कार्य कब और किसने शुरू किया तो इस विषय पर उनका कहना था कि -

> "यह काम कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया इसके वारे में हमको कुछ नहीं पता है हम तो बस अपना पेट पालने के लिए यह काम करते हैं। हमारा जीवन तो इन कोठों पर ही बीत जाता है कभी इस कोठे पर तो कभी किसी दुसरे कोठे पर कोई भी रंडी यह कभी नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी यह काम करे हर औरत यही चाहती है कि उसकी बेटी कोई अच्छा काम करे जिससे कि समाज में उसका नाम हो और उसको इज्जत भी मिले। इस काम में कोई इज्जत नहीं है यह तो सवसे गन्दा काम है यह बस वह चाहती तो है किन्तु यह सब करना उसके बस की बात नहीं होती है। एक महिला जब इस धंदे में आ जाती है तो वह अपने जीवन में कितनी बार बिकती है और कहाँ कहाँ बिकती है कोई भी नहीं

---

[36] Ibid

[37] Raj, M. Sundara, *Prostitution in Madras: A Study in Historical Perspective,* New Delhi: Konark Publication Pvt. Ltd., 1993, pp: 22-26.

[38] Prabha Kotiswaran, Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and Law, *Boston College Third World Law Journal*, Volume - 21, Issue - 2, p: 206. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj accessed on 12th march 2017.

जानता है। यह जीवन हमारे लिए अँधेरी कोठरी के समान है हम इसमें कहाँ जायेंगे कोई नहीं जानता है।"[39]

इसी के साथ Prabha Kotiswaran अपनी विवेचना Kamala Kempadoo का उदाहरण देते हुए कहती हैं "मंदिर वेश्यावृत्ति" (temple prostitution) और "दाता सेक्स" (donor sex) की तरह "पेशेवर सेक्स" (commercial sex) भी विभिन्न ऐतहासिक और समसामयिक रास्तों से समाज महिला यौन कार्य व्याप्त रहा है, जिसमे की महिला यौन कार्य को मानवीय और सामाजिक जीवन में मनोरंजन और स्थानान्तरण के लिए संवारा गया है, जो की महिला यौन कार्य को परिभाषित करने में मददगार सावित हो सकता है।[40] इसी के साथ अनेक प्रकार और भी बहुत सारे तर्क दिए गए हैं जो यह सावित करने की कोशिश करते हैं की वेश्यावृत्ति अर्थात यौन कार्य एक भूतपूर्व स्वर्ण युग था, जिसमें कुछ तथ्य महिला यौन-कर्मियों के लिए कल्याणकारी भविष्य की की तरफ संकेत करते हैं, तथा इस कार्य को अहमियत प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जो की अस्थाई रूप से समाज में मौजूद पाया जाता है। किन्तु इन सारी कल्पनाओं को यौन कार्य की विषयवस्तु के विमर्श का एक अभिन्न भाग होना चाहिए, क्योकि इसके बिना वेश्यावृत्ति की वैधानिकता संकोचितवादी तर्को में घिरकर रह सकती है।

इसी के साथ कुछ विद्वानों का मानना है कि वेश्यावृत्ति को समाज में एक श्रम के रूप में मान्यता देना बहुत गलत साबित हो सकता है, क्योंकि यौन श्रम या यौन कार्य का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है। यह ना तो किसी प्रकार के महत्व की वस्तु का उत्पादन करता है, और ना ही इससे किसी प्रकार की सामाजिक जरूरतों की पूर्ति होती है। समाजशास्त्रीय लेखिका Julia O'Connell Davidson अपना तर्क देतीं हैं कि वेश्यावृत्ति कोई श्रम नहीं है क्योकि किसी को भी यौन संबंधों की जरुरत नहीं होती है

[39] कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत शबाना, शीतल, शालिनी, चंपा, शान्ति ... आदि महिला यौन कर्मी शांता बाई, चंदा बाई ... आदि कोठे की मालकिन इस बात की दलील देतीं हैं कि हम तो मात्र पेट पालने के लिए यह काम करते हैं, इन कोठों को यह यौन कर्मी अँधेरी कोठरी के समान बताती हैं जिनसे मुक्त होना बहुत मुश्किल है ।

[40] Rajan Rajeswari Sunder. *The Scandal of the State: Women, Law and Citizenship in Postcolonial India,* Permanent Black, New Delhi, 2003. p:37.

और ना ही यौन किसी का अधिकार है।[41] वास्तव में मानव की यौन संबंध की जरूरतें नहीं होती हैं, बल्कि यह तो समाज द्वारा निर्मित इच्छाएं हैं, और इन्हीं पुरुषों इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज में वेश्यावृत्ति को पुरुषों द्वारा चलाया हुआ है। जिससे वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति वेश्यावृत्ति के माध्यम से कर सकें। किन्तु वह महिलायें जो इस वेश्यावृत्ति के काम में जुड़ी होती हैं, यह श्रम उन महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यधिक क्षति पहुंचाता है, इसलिए समाज में ऐसी किसी भी सेवा की कोई जरुरत नहीं है, जो की यौन इच्छाओं को तृप्त करती हो।[42] H. Patricia Hynes and Janice Raymond यह मानती हैं कि यौन कार्य के व्यवसाय में जुड़ी महिलाओं और उनके पुरुष ग्राहकों को लेकर एक आर्थिक विश्लेषण करने की अत्यधिक आवयश्कता है, लेकिन यौन कार्य को लेकर अभी तक किये गए विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण हमेशा अपर्याप्त ही सावित होते हैं, क्योकि यह स्पष्टीकरण यौन कार्य के काम में जुड़ी महिलाओं के कष्टों और प्राक्रतिक कानून के रूप में स्वीकारी गयी पुरुष लैंगिकता की जांच पड़ताल नहीं करती हैं, क्योकि समाज में पुरुषों की अवांछनीय यौन जरूरतों की पूर्ति होनी चाहिए इसलिए माना जाता है कि समाज में महिला यौन कार्य अनिवार्य है। इस प्रकार उनका कहना है कि यौन कार्य नामक संस्थान का उन्मूलन धीरे धीरे पुरुष लैंगिकता की महत्वपूर्ण समझ और उसकी वास्तिविकता के साथ साथ होना चाहिए।[43]

इसी के साथ कुछ विद्वानों का मानना है कि कोई भी श्रम तभी उपयोगी होता है जब वह किन्ही इच्छाओं की पूर्ति ना करके किन्ही जरूरतों की पूर्ति करता हो लेकिन इस पैमाने पर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अधिकतर श्रम असफल ही साबित होते हैं।

---

[41] Showden Carisa R., “Prostitution and Women’s Agency: A Feminist Argument for Decriminalization”, *Paper prepared for presentation at the 2009 American Political Science Association Annual Meeting,* Toronto, Ontario. (September 3-5, 2009), This is part of a longer book chapter-in-progress, p: 5. Available at: http://www.policeprostitutionandpolitics.info/pdfs_all/Academics%20Research%20Articles%20Support%20Prostitution%20%20Decriminalization/2009%20Prostitution%20and%20Womens%20Agency%20A%20Feminist%20Argument%20for%20Decriminalization%20.pdf, accessed on 20th june 2017.

[42] Ibid

[43] Ibid

इसके बाद उनका मानना है कि हमारी सारी इच्छाए समाज के द्वारा ही निर्मित होती हैं और समाज के द्वारा ही पूरी होती हैं।

इस तरह वेश्यावृत्ति की समस्या यह नहीं है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, वल्कि इसके साथ जुड़ी गलत सांकेतिक महत्व और वेश्यावृत्ति से जुड़े अनेक अर्थ हैं, जिनको सही मायने में समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैथुनिक क्रिया को एक नए सांकेतिक स्वरुप में स्थापित करने की जरुरत है।

उन्मूलनवादियों द्वारा प्रचलित यौन क्रियाओं की समीक्षा पर एक तरफ यौन उग्र सुधारवादी यौन कार्य को चिकित्सा सेवा की तरह परिभाषित करते हैं, जो कि भिन्न लैंगिकता की तरह लैंगिक संबंधों में हस्तक्षेप कर सशक्तिकरण प्रदान करता है तो वहीं उन्मूलनवादी नारीवादियों का मानना है कि यौन कार्य महिला के खिलाफ हिंसा और अधिनता की जनक है, के रूप में इसे परिभाषित करती हैं। लेकिन वहीं जब वेश्यावृत्ति को एक श्रम के रूप में यौन "sex as a work" या "prostitution as work" समझने का प्रयास करते हैं तो सामाजिक चिंतक वेश्यावृत्ति के उदगम एवं राजनीतिक स्थिति के विषय में एक बिल्कुल ही अलग राय रखते हैं। यौन कार्य के मुद्दे पर नारीवादियों का अपने तर्क के साथ यह मानना हैं, कि यौन कार्य को इस बात से परिभाषित करना चाहिए कि इसके सामाजिक संबंधों का और इसका समाज में गैर-कानूनी स्थिति का स्वरुप कैसा है कि यौन क्रियाओं और स्वत्व के बीच में पनपे अटूट संबंधों के स्वरुप के अनुसार। यौन कार्य अर्थात सेक्स वर्क को एक श्रम की तरह देखने वालों का एक यह भी दावा है, कि दुनिया में अधिकांश काम शोषणकारी ही होते हैं और महिला यौन-कर्मियों के लिए अनजान पुरुषों को यौन सेवा प्रदान करने वाले काम से ज्यादा अपमानजनक गरीबी और कम पैसे में काम करना लगता है। जिसके सन्दर्भ में मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत कुछ महिला यौन-कर्मियों ने भी कुछ इस तरह बयान किया कि -

> "दर दर की ठोकर खाने से तो अच्छा है कि हम यह काम (यौन कार्य) कर लें क्योंकि इस काम में उधारी नहीं होती है और ना ही पैसे ही कम मिलते हैं बस समाज में इज्जत नहीं मिलती है वह भी तब नहीं जब लोग हमारे बारे में जान लेते हैं कि हम यह काम करती हैं, लेकिन जब तक किसी को पता नहीं होता कि हम यह गन्दा काम कर रहीं हैं तो किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती है। हमारे छिपकर काम करने के पीछे बस यही कारण है कि जब भी समाज में हमारे काम के बारे में पता चलता है बस पुरे समाज के मर्दों की नजर हमको ही घूरने लगती हैं।शीला का कहना है कि मेरे पति बिहार में रहते हैं उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वह हमारे बच्चों को पड़ा सकें तो मैं ऐसे में क्या करती । मैं भी अपने

गाँव की दीदी के साथ दिल्ली काम करने के लिए आ गयी। जब कहीं कोई ठीक से काम नहीं मिला तो मेरी दीदी ने इस काम के बारे में बताया जो कि गुड़गांव में किसी के घर में यह काम करती थी। जब दीदी ने मुझसे यह काम करने को कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, परन्तु जब काफी दिनों तक कोई काम नहीं मिला तो एक दिन मैं दीदी के साथ गुड़गांव गयी। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि जो महिला यह काम अपने घर में करवाती है वह बहुत ही मिलनसार है, मैं उसकी मीठी बातों में बह गयी और यह काम कर बैठी। फिर मुझे बहुत गन्दा लगा कि मैंने यह क्या किया है यह तो गलत काम है हमारे गाँव में लोग क्या कहेयेंगे लेकिन मुझे समझा दिया गया गया कि वहां किसी को कोई पता नहीं चलेगा और जब तूने एक के साथ कर लिया तो औरों के साथ भी कर सकती है।[44] उसके बाद मेरा मन भी बदल गया और मैं इस धंदे में आ गयी। कुछ समय बाद वह मकान मालकिन हमसे अधिक हिस्सा लेने लगी तो हमने वहां से यह काम छोड़ दिया। उसके बाद दीदी की एक जानकार थी जो कि मेरठ में काम करती थी उसने हमको यहाँ पर बुला लिया और अब हम यहाँ पर रहकर काम कर रहीं हैं। मैं अपने घर पैसा भेज देती हूँ और वहां सभी समझते हैं कि मैं कोई नौकरी कर रही हूँ। आज मुझे तो यह सबसे अच्छा काम लगता है, मैं किसी मजबूरी में नहीं मैं तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह काम कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी भी और काम में इतना पैसा नहीं कमा सकती हूँ" यहाँ पर अधिकतर महिला यौन कर्मी शीला की इस बात का समर्थन करते हुए पायी गयीं।[45]

यदि ऊपर दिए गए दोनों तर्कों को जोड़कर देखा जाए तो यौन कार्य को श्रम के रूप में समझने वाली नारीवादियों का मानना है कि महिला यौन कार्य या महिला यौन कर्मी की वैधानिकता पर सवाल उठाने के बजाय उन स्थितियों पर प्रश्न उठाने चाहिए जिनमें कि महिला यौन कर्मी अपने काम को अंजाम देती है। अगर महिला यौन-कर्मियों यह पूछा जाए तो अधिकांशत यौन-कर्मियों का यही मानना है की उन्होंने इस कार्य को अधिक पैसे कमाने के लिए करना शुरू किया था।[46] एक पूर्व महिला यौन कर्मी और

---

[44] मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत शीला, महिमा, माहि, काजल, सोनी, बबली, पूजा, अनुजा .. आदि महिला यौन कर्मी यह मानती हैं कि समाज में डर डर की ठोकर खाने से अच्छा है कि हम यह यौन कार्य करें क्योंकि इसमें उधारी नहीं होती है, और पैसा भी अन्य कामों से अधिक मिलता है, इसलिए यदि इस काम को छिपकर किया जाए तो कोई खराबी नहीं है, क्योंकि जब समाज को पता चलेगा तभी तो हमारी इज्जत खराब होगी और जब पता ही नहीं चलेगा तो इज्जत खराब ही नहीं होगी ।

[45] Ibid

[46] Showden Carisa R., "Prostitution and Women's Agency: A Feminist Argument for Decriminalization", *Paper prepared for presentation at the 2009 American Political Science Association Annual Meeting,* Toronto, Ontario. (September 3-5, 2009), This is part of a longer book chapter-in-progress, pp: 13 - 14. Available at: http://www.policeprostitutionandpolitics.info/pdfs_all/Academics%20Research%20Articles%20Support%20Prostitution%20%20Decriminalization/2009%20Prostitution%20and%20Wom

वर्तमान समय में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली Gloria locket के कथन टिप्पणी हाल ही में महिला यौन-कर्मियों की समझ रखने वाली नारीवादियों के द्वारा लिए गए पहले व्यक्ति साक्षात्कार का सार प्रस्तुत करते हुए, उस सार के मद्देनजर यह सामने आया की जैसा यौन कर्मी Janelle Galazia लिखती हैं कि यौन कार्य किसी खास साधन का खास परिणाम नही है, बल्कि यह खास माध्यमों से गुजरता हुआ बिभिन्न परिणामों में तब्दील होता है। एक ऐसा परिणाम या अंत जो न्यून भत्ते वाले कामों में रहकर लांक्षन और अत्यंत गरीबी में गुजारा करने से बिल्कुल अलग होता है।[47] यौन-क्रिया को एक श्रम के रूप में परिभाषित करने वाली नारीवादियों का मानना है कि वह यौन कर्मी जो कि श्रम के रूप में यौन कार्य करती हैं के विषय में उनके ग्राहक पुरुषों की यौन - क्रिया के प्रति मनो: स्थिति जानने का प्रयास किया तो पाया कि समाज में यौन-कर्मियों की स्थिति बदलने से अलग जो यौन-कर्मियों की माँग में परिवर्तन लाता है, वह यौन-कर्मियों के आर्थिक शोषण की तरफ ज्यादा आकर्षित नजर आती हैं, अर्थात उनका मानना है कि आर्थिक कमजोरी और गरीवी की वजह से महिलायें यौन कार्य शुरू करती हैं। इस प्रकार उनका यह विचार उन्हे उन्मूलनवादी नारीवादियों के बहुत समीप और कट्टरपंथी नारीवादियों के विचारों से कुछ-कुछ सामानता वाली स्थिति में ला खड़ा करता है। यौन-क्रिया को एक श्रम के रूप में परिभाषित करने वाली नारीवादी विचारक परंपरागत नारीत्व के प्रश्नों एवं यौन प्रथाओं से जूझने की तुलना में आर्थिक शोषण एवं गरीबी को ज्यादा लैंगिकवादी समझकर उसे प्राथमिकता प्रदान करती है।

लैंगिक सम्बन्धों वाले इस समाज और यौन कार्य को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने के यौन-कर्मियों के अपने मकसद के कारण वह अपने काम को यौन-क्रिया की तरह समझने के वजाय इसे एक श्रम की तरह समझती है।[48] इस परिप्रेक्षय में, उन कानूनों को बदलकर जो कि यौन-कर्मियों को अपराधी का दर्जा देते है, और जो कि समाज में यौन-कर्मियों को नीच दृष्टि से देखेते हैं और साथ ही साथ इनको कानूनी सुरक्षा एवं व्यक्तिगत सम्मान से अलग रखते है, ऐसी महिलाओं की स्थिति में

---

ens%20Agency%20A%20Feminist%20Argument%20for%20Decriminalization%20.pdf, accessed on 20th june 2017.

47 Ibid

48 Ibid

आमूलचूल बदलाव लाने में अधिक मददगार साबित हो सकता हैं। समाज में यौन कार्य के खिलाफ कानून यौन कर्मी महिलाओं को पुलिसिया जुल्म के साथ साथ इनके ग्राहकों को भी यह भरोसा दिलाते है कि महिला यौन-कर्मियों के साथ हिंसा करना कोई कानूनन अपराध नहीं है, तथा इसी के साथ किसी भी महिला यौन कर्मी को अपने रक्षात्मक उपायों को करने के लिए जैसे कि, किसी भी महिला यौन कर्मी को अपने पुरुष ग्राहक के साथ कार में घुसने से पहले सोचना एवं समझना चाहिए कि उसके साथ क्या हो सकता है, एक महिला पुरुष समूह के साथ टहलना और साथ में यात्रा करने से पूर्व समझना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थितियों में कोई भी वाधा पहुँचा सकते हैं। ये कानून महिलाओं की कार्य करने की गतिविधिक स्थिति को सिर्फ खतरनाक बनाते हैं, तथा यही कानून महिलाओं के इस यौन कार्य व्यवसाय को छोडने एवं अन्य पेशे के कानूनी दाएरे में काम करने में कठिनाइयाँ प्रदान करते हैं।[49] इससे अलग समाज में अभी तक यौन कार्य को कानूनी मान्यता नहीं होने के कारण अपराधीकरण महिलाओं को दिए हुए कार्यों तथा उनसे संभावित कामों के बंधनों और उससे होने वाले आर्थिक आमदनी एवं इससे सम्मानित काम को भी नुकसान पहुँचाता हैं। इस प्रकार, एक तरफ उन्मूलनवादी नारीवादीयों का मानना है कि इस श्रम की वैधानिकता इसके राजनैतिक पहलुओं से बिलकुल अलग है, तो वहीं महिला यौन-कर्मियों की यह समझ है कि यौन कार्य का अपराधीकरण अगर सर्वोच्च न सही किन्तु फिर भी यौन कार्य से संबंधित विचारों एवं उसके परिणामों का एक प्रमुख कारण है। इसकी अवैधानिकता ही इस वर्तमान परिवेश में इसे एक कलंकित, हिंसक और दूसरे तरह के काम की तरह बनाने में एक प्रमुख भूमिका प्रदान करता है। इस व्यवसाय को गैर-कानूनी होने के कारण ही महिला यौन कर्मी इसे एक श्रम की तरह समझने के बजाए एक मैथुनिक कृत्य वाली परिधि के दायरे में दिखाने को बाध्य होती हैं, जो कि समाज में महिला यौन-कर्मियों को श्रमिक (worker) के रूप में स्वीकृति से दूर रखता है।

McIntosh का मानना है कि अधिकतर वेश्याएँ अपने आप को “sex worker” कहलाना ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ महिलाएं हैं, जो कि यौन-क्रिया के माध्यम से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती है, जैसे कि वे सफाई या देखभाल आदि कार्यों के माध्यम से अपना और अपने परिवार का भरण

---

[49] Chapkis, Wendy. *Live Sex Acts: Women Performing Erotic Labor*. New York: Routledge, 1997, pp: 101-104.

पोषण करती है। उपरोक्त यह सभी काम एक श्रम की श्रेणी में आते हैं, ना कि कोई प्राकृतिक सामर्थ्य। इस काम को करने के लिए आवश्यक कौशलों की जरूरत होती है, और यह काम विभिन्न प्रकार के खतरों जैसे- हिंसा, लगातार होने वाले अवसाद दुर्घटनाएँ, एलर्जी, संक्रमणों एवं भावनात्मक ठेसों से भरा होता है।[50] मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों का जीवन भी McIntosh के द्वारा बताई गयी सभी कठिनाइयों से भरा हुआ पाया गया, और इसी के साथ यहाँ की महिला यौन-कर्मियों ने भी यह बात स्वीकार की कि हमको वैश्या, रंडी या रांड कहने से अच्छा है कि "Sex Worker" अर्थात यौन कर्मी ही कहना चाहिए।[51]

अभी तक समाज में बहुत सारी महिला यौन-कर्मियों का यह मानना है कि अधिकांश कामों में महिलाओं को कामुक बनाया जाता अथवा कामुक बनना पड़ता है क्योंकि यह उस काम के सफल होने की मांग है। अत: उन्हें कम मजदूरी वाले कामों में जहाँ कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन जब ऊपरी रूप से देखा जाता तो सब ठीक होने का नाटक करना होता है। इसी प्रकार अन्य कामों में जहाँ कि महिलाओं को उनके कामुकता भरे आचरण जिसे कि एक मुफ्त की वस्तु न समझकर एक फलदाय काम के रूप में समझी जाती है, को चुनने का विकल्प भी महिलाओं के पास होता है। यहाँ पर हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सामान्यतया श्रम बाजार में महिलाओं पर उनके लिंग-भेद के द्वारा उन पर अंकुश लगाया जाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि आमतौर पर घरों में होता है। शादी के बाद अधिकांशत महिलायें अपने घरों पर सामान्य रूप से वह किसी एक खास पुरुष को अपनी यौन-क्रिया प्रदान करती हैं, जो कि उन्हें बाहरी लोगों से बचाता हैं। महिला यौन कर्मी इसी महिला कामुकता पर अंकुश लगाती है जो कि व्याप्त लिंग-भेद के पदानुक्रम को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह समाज में व्याप्त लिंग-भेद के पदानुक्रम की मजबूती को

---

[50] McIntosh, Mary. "Feminist Debates on Prostitution". In Lisa Adkins and Vicki Merchant (ed.) *Sexualizing the Social: Power and Organization of Sexuality*, New York: Palgarve Macmillan, 1996, pp: 200-01.

[51] यह तथ्य मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन कर्मियों के बीच अधिकतर सभी महिलाओं ने शुरुआत से अंत तक स्वीकार की कि हमको यौन कर्मी कहना चाहिए ना कि कुछ और अपमानित शब्द से हमको अलंकरित करें, क्योंकि हम भी अपना काम करते हैं और पैसा कमाते हैं।

बनाए रखने के लिए खतरा प्रतीत होती हैं। अधिकतर महिला यौन-कर्मियों का यह मानना है कि वह ग्राहकों की नहीं बल्कि यौन के लेन-देन की मालकिन होती है। जैसा कि Bernstein जो कि महिला यौन-कर्मियों के एक समूह के साथ टहलने गयी तो उन्होंने यह पाया कि कोई भी महिला यौन कर्मी पुरुष ग्राहक के साथ यौन-क्रिया के लिए रजामंद हो भी सकती हैं, और इंकार भी कर सकती हैं, यहाँ तक कि अगर यदि उसकी पुरुष ग्राहकों में रुचि न हो तो उनसे बात करने से भी वह इंकार कर सकती हैं।[52] जिसके सन्दर्भ में मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत सभी महिला यौन-कर्मियों ने यह स्वीकार किया कि -

> "यहाँ पर किसी की नहीं चलती है, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो हम चाहें तो उसकी भी तलाशी लेलेकि यही बात है, कि समाज में हम भी कुछ गलत काम कर रहीं है, और वह गलत काम कर रहा है, और यदि हम ऐसा करती हैं तो हमारे पास दुबारा कोई भी ग्राहक नहीं आएगा इसलिए हम सभी के साथ अच्छी तरह बातचीत, और व्यवहार करती हैं, ताकि अगले दिन वह अपने साथ कोई और दूसरा ग्राहक भी लेकर आये और हमें और अधिक आमदनी हो।"[53]

सार्वजनिन जीवन में आम जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन दोनों में ही यौन-क्रिया का एक मतलब होता है, जो कि उसके सन्दर्भ पर निर्भर करता है। संदर्भों से तात्पर्य है कि यह यौन-क्रिया प्रेम अंतरंगता या लेनदेन हो सकता है। इस यौन-क्रिया में शामिल किसी प्रतिभागी के लिए मैथुनिक कृत्य के अलग अलग मायने हो सकते हैं। वेश्यावृत्ति के विषय में sex as work तर्क के बारे में जो सबसे कट्टरपंथी एवं क्रांतिकारी नारीवादीयों का यह विचार समाज में खुलेआम रूप से मैथुनिक क्रियाओं की कामना करता है, तथा

---

[52] Showden Carisa R., "Prostitution and Women's Agency: A Feminist Argument for Decriminalization", *Paper prepared for presentation at the 2009 American Political Science Association Annual Meeting,* Toronto, Ontario. (September 3-5, 2009), This is part of a longer book chapter-in-progress, pp: 15. Available at: http://www.policeprostitutionandpolitics.info/pdfs_all/Academics%20Research%20Articles%20Support%20Prostitution%20%20Decriminalization/2009%20Prostitution%20and%20Womens%20Agency%20A%20Feminist%20Argument%20for%20Decriminalization%20.pdf, accessed on 20th june 2017.

[53]क्षेत्र कार्य के तथ्यों के अनुसार यह बात कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय की अधिकतर सभी महिला यौन कर्मियों ने स्वीकार की कि यहाँ पर कोई भी मर्द हमारी मर्जी के खिलाफ हमको परेशान नहीं कर सकता है। यहाँ पर मर्दों को हमें दिए गए हर दर्द की कीमत चुकानी पड़ती है अर्थात हम यहाँ अपनी मर्जी के मालिक है, सिवाय कोठे की मालकिन, दलाल, आदि की मर्जी को छोड़कर।

साथ ही साथ यह समाज में यौन कार्य को अन्य श्रमों की भांति गरिमा के साथ पहचान होने की बात करता है, इसलिए यह विचार समाज में महिला यौन-कर्मियों के आर्थिक जीवन और यौन-क्रिया में मौजूद विरोधामासों को एक संघर्षरत स्थिति प्रदान करता है। इसी वैचारिक और प्रासंगिक बहुलता के कारण यौन-क्रिया को एक श्रम के रूप में समाज में मान्यता मिलने के समर्थक और पैरवीकार श्रम की बात तो करते हैं, लेकिन यौन-क्रिया के विभिन्न मतलबों से संबन्धित बहसों से अपने आप को अलग रखते हुए पाए जाते हैं। उन्मूलनवादियों का मानना है की यौन-क्रिया एक हिंसा है, किन्तु वहीं यौन कार्य के उग्र सुधारवादी इसे एक सशक्तिकरणीय एवं उल्लंघन करने वाले के रूप में पेश करते हैं, लेकिन यौन-क्रियायें सामाजिक अर्थों में यौन-क्रिया एक श्रम (sex as work) वाले दायरे से बाहर है।[54] जैसा कि राजनीतिविद Heike Schotten यह मानती हैं कि महिला यौन कार्य कुछ मायनों में शोषणकारी हो सकता है, तथा समाज में व्याप्त लैंगिक और यौन-क्रिया के स्वरुप को द्वंद्व प्रदान कर सकता है, लेकिन इन दोनों में कहीं से भी यौन कार्य का यौन कार्य के रूप में कोई नाता नहीं दिखाई पड़ता है। यौन कार्य एक श्रम के रूप में शोषणकारी हो सकता है, तथा इसी के साथ यह यौन कार्य को एकीकृत करने वाला भी साबित हो सकता है, जो कि यौन श्रमिकों के लेन देन में छूट, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और मनचाहा काम करने की परिस्थिति प्रदान कर सकता है। लेकिन महिला यौन-कर्मियों पर एक यौन कर्मी की तरह यौन-क्रिया के मतलब और इसके लैंगिक संबंधों को तय करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है।[55] जिस विषय में मेरठ लाल बत्ती क्षेत्र की महिला यौन-कर्मियों के साथ अध्ययन के दौरान सामने आया कि महिला यौन-कर्मियों पर एक यौन

---

[54] Zatz, D. Noah. "Sex Work/Sex Act: Law, Labor, and Desire in Constructions of Prostitution." *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Volume - 22, no. 2 (Winter), 1997, p: 291 & 305. Available at: https://www.jstor.org/tc/verify?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F3175273.pdf%3Frefreqid%3Dexcelsior%253A69202e2e3d30dd984a63fd1f52dff65e, accessed on 20th june 2017.

[55] Schotten, C. Heike. "Men, Masculinity, and Male Domination: Reframing Feminist Analyses of Sex Work," *Politics and Gender*, Volume - 1, no. 2, June 2005, p: 223. Available at: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/5222FEA07F04EFB8B550B0EA71B20E15/S1743923X05050075a.pdf/men_masculinity_and_male_domination_reframing_feminist_analyses_of_sex_work.pdf, accessed on 12th may 2017.

कर्मी की तरह यौन-क्रिया के मतलब और इसके लैंगिक संबंधों को तय करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि समाज में इस जिम्मेदारी का निर्णय विवाह संबंध एवं आर्थिक स्थिति, लैंगिक संबंधों तथा धार्मिक नियम जो कि वास्तविक जीवन को संचालित करते हैं, के द्वारा तय किया जाता है। क्षेत्र अध्ययन के तथ्यों के अनुसार यह सामने आया कि समाज की अलग अलग परिस्थितियों एवं संदर्भों में लोग यौन श्रम के अलग अलग अनुभवों के साथ आते हैं, और वह महिला और पुरुष की यौनिक क्रियाओं को विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यौन कार्य का व्यावसायिक सन्दर्भ भी यौनिक क्रियाओं एवं यौनिक कामनाओं को अनियमित बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है, जब महिला यौन कार्य के विभिन्न संवादों के द्वारा निर्मित प्रमुख नियमों का कड़े प्रतिरोध के साथ संघर्ष किया जाए।

उन्मूलनवादी बहुत बार इस बात को नजर अंदाज करते हैं कि यौन सेवाओं के लिए महिला यौन-कर्मियों को भुगतान की गयी रकम एक मध्यमार्गी भाग होता है, यौन कृत्य के मतलब के निर्माण में एक अलगाव का रूप भी हो सकता है। यौन सेवाओं के बदले में भुगतान के दौरान की गई बातचीत महिलाओं के लिए यौन-क्रिया के अर्थ को परिभाषित करने में, अर्थात यह कि यह कोई श्रम होगा या दोनों (महिला एवं पुरुष) की कोई आकांक्षा हो सकती है, हालांकि यह संभव है कि मौजूद परिस्थिति में महिला यौन कर्मी पुरुष को परिभाषित न कर पाने में कुशल होती है।

अगर हम वेश्यावृत्ति को एक श्रम की स्थिति से वंचित रखते हैं, और बार बार महिलाओं के स्वत्व पर ज़ोर देते हुए यह कहते हैं, कि महिला यौन कार्य में महिलाओं के स्वत्व को बेचा जाता है, तो उस सन्दर्भ में नारीवादियों का यह तर्क सवसे अनिवार्य प्रतीत होते हैं, कि इस महिला यौन कार्य की व्यवस्था में महिलाओं को भद्दे तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाता है, या महिला यौन-कर्मियों के द्वारा की जाने वाली वेश्यावृत्ति ही नारीत्व का सबसे आदर्श स्वरूप है, लेकिन यह इस बात को नकारने के लिए काफी है कि महिला यौन कार्य सिर्फ प्रतारणाओं और शोषणों का ही नाम है। उन्मूलनवादी और कट्टरपंथी नारीवादियों के अनुसार यौन कार्य, यौन-क्रियाओं के साथ साथ अर्थशास्त्र भी है, यह धारणा यौन-क्रियाओं को एक श्रम के रूप में स्वीकार करने वाली महिला यौन-कर्मियों में की है। यौन-कर्मियों के द्वारा प्रयुक्त माध्यमों एवं महिलाओं को एक मैथुनिक साधन के रूप में बनाने के लिए स्त्री-पुरुष संबंधी कट्टरपंथी

और यौन-क्रियाओं को एक श्रम के रूप में विश्लेषित किये गए दोनों मतों को आधार बनाकर समाज में प्रयोग करने की जरूरत हो सकती है, जिससे कि महिला यौन-कर्मियों के माध्यमों के द्वारा उनकी बातों को आगे पहुंचाने और उनके लोक-कल्याण हेतु राजनीतिक महत्व में मदद मिल सके। यौन कार्य पर स्त्री-पुरुष संबंधी कट्टरपंथीयों का मत है कि महिला यौन कार्य को समाज में एक उपयुक्त स्थान मिल सकता है, जो कि यौन संबंधों के साथ यौन-क्रियाओं की जरूरतों के संबंध पर प्रश्न करने के साथ-साथ महिला पुरुष यौन-संबंधों एवं महिलाओं की लैंगिकता को एक नयी दिशा प्रदान कर सकता हैं। यह नयी दिशा तभी संभव है, जब महिलाओं को समाज में एक उपयुक्त स्थान प्राप्त हो जहाँ वे अपने यौन सहमागी (ग्राहक) की तरह सशक्त एवं मजबूत हों, और यह निर्धारित करने की स्थिति में हों कि उन दोनों के बीच होने वाले संबंधों के स्वरुप कैसे होंगे ? किन्तु क्षेत्र अध्ययन के तथ्यों के अनुसार अधिकांशत महिला यौन कर्मी यौन कार्य के व्यवसाय में कोई वैकल्पिक कामोन्माद की तलाश के लिए नहीं उतरती हैं, बल्कि वह अपनी आर्थिक जरूरतों के कारण इस पेशे को अपनाती हैं। तथ्यों से यह भी सामने आया कि अधिकतर महिला यौन कर्मी अपने काम के दौरान होने वाली यौन-क्रियाओं को अपनी यौनिक इच्छाओं एवं व्यक्तिगत जीवन से अलग रखती हैं, जिसके लिए उनका मानना है कि जिस प्रकार मास्टर स्कुल में पढ़ाने का, दर्जी कपड़े सिलने का, किसान खेती करने का काम धन कमाने के लिए करता है, ठीक उसी प्रकार हम भी अपना यौन बेचने का कार्य धन कमाने के लिए करते हैं, हमारे काम के दौरान ग्राहक से प्यार या मजे की बात ही नहीं है। साहब प्यार तो उससे होता है जो कि हमको समझता हो और शारीरिक संबंधों का सुख भी प्यार करने वाले के साथ ही मिलता है ग्राहक के साथ तो हम सिर्फ अपनी डयूटी पूरा करते हैं, महिला यौन कर्मी सीमा के अनुसार -

> "मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी के साथ सेक्स करने में मजा आता है और मैं भी अधिकतर उसी के साथ मजा लेती हूँ बाकी तो अधिकतर सभी को में बस मजा देती हूँ, उनकी मर्जी के अनुसार सहवास करके[56] किन्तु ग्राहक ऐसी ऐसी मांग करता है कि सुनकर ही दम निकल जाता है, जैसे - कि कल एक ग्राहक आया और कहने लगा कि में तुम्हारे मुंह में करना चाहता हूँ और तुमको मेरा रस पीना पड़ेगा उसके लिए में चाहें कितनी भी बख्सिश

[56] सीमा, काजल, बबीता, सन्नो, सुनीता ... आदि मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन कर्मी यह बात सिरे से स्वीकार करती हैं कि जो हमसे प्यार करता है उसी के साथ संबंध बनाने में अच्छा लगता है बाकि के साथ तो हम सिर्फ अपने काम की पूर्ति करती हैं ।

> देने को तेयार हूँ। यह सुनकर में दांग ही रह गयी तो क्या साहव ऐसा जुल्म और भी किसी काम में होता है, मुझे तो लगता है कि ऐसा किसी भी काम में नहीं होता होगा ? तब क्या ऐसा करने में हमको कोई भी मजा आएगा। किन्तु जो हमको प्यार करता है वह ऐसा नहीं करता है, और हमारे साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा करता है, इसलिए हमको सिर्फ उसी के साथ सुख मिलता है जो हमको प्यार करता है, साहब इस तरह की मर्द ग्राहकों की ऐसी शर्तें ही हमारे काम करने की स्थिति होती हैं।"[57]

यदि यौन-कर्मियों की लैंगिकता पर विचार करें तो यह पाते हैं, कि इससे संबंधित मुख्य रूप से दो तरह के खतरों से जुड़ा हुआ है। पहला खतरा यह है, महिला यौन-कर्मियों कि मानदंड संबंधी नारीत्व बिल्कुल जस का तस रह जाता है, और महिला यौन कर्मी सामाजिक हाशिए पर रहने को बाध्य होती है, यदि विधिवत सामान्य महिलाओं की लैंगिकता और महिला यौन-कर्मियों की लैंगिकता दोनों अलग अलग अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विभाजित होती है। दूसरा खतरा यह है यौन कार्य की समाज में स्वीकर्ति पर प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि यह किसी भी महिला की पहचान के निर्माण में अपनी एक मददगार की भूमिका निभाता है, अन्यथा यहाँ पर स्त्री-पुरुष मूलसिद्धांत के अनुसार उन्मूलनवादीयों के प्रतिमानों में परिवर्तन होने की आशंका रहेगी, जिसके विषय में दो विरोधाभासी मत हैं, कि या तो लैंगिकता किसी महिला के पहचान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका व्यवसायीकरण समाज में किसी के आस्तित्व को क्षति पहुँचाये बिना मुश्किल है, या महिला यौन-कर्मियों की लैंगिकता किसी महिला के पहचान के निर्माण में इतना जरूरी है, कि इसके आस्तित्व को क्षति पहुंचाए बिना महिला यौन कार्य का अपराधीकरण नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम यह पाते हैं, कि सामान्य महिलाओं की लैंगिकता और महिला यौन-कर्मियों की लैंगिकता दोनों एक दूसरे के आमने-सामने विपरीत दिशाओं में खड़ी दिखाई देती है, तब यहाँ पर महिला वेश्यावृत्ति का sex as work वाला मत अधिक प्रभावी दिखाई होता देता है। समाज में लिंग-भेद किसी भी व्यक्ति के लिए गरिमा एवं पहचान का एक प्रमुख हिस्सा होता है, लेकिन लैंगिकता को व्यक्त करने एवं अनुभव करने के तरीके अलग-अलग महिलाओं के लिए अलग हो सकते हैं। यौन क्रियाओं के व्यवसायीकरण में बाजार ना सिर्फ कोई समस्या या समाधान है, बल्कि इसकी मुख्य समस्या किसी व्यक्ति की लैंगिकता के अभिव्यक्त करने, जैसे कहाँ कौन किसके साथ और किन परिस्थितियों में यह समस्या है। यह दलील देना कि महिला यौन कार्य के होने से कुछ महिलाओं को

---

[57] Ibid

क्षति पहुँचति है, इसलिए इसके उन्मूलन का कोई आशय नहीं हो सकता बल्कि यह उस क्षति भरपाई करने ने का एक साधन बन सकती है, जब महिलाएं अपने लैंगिक अंग या शरीर को बिना किसी कानूनी डर, बलात्कार के या शारीरिक कष्ट के अपने लैंगिक आचरण को विकसित कर उसे बाँट या नहीं भी बाँट सकती हैं, विचार-विमर्श के सन्दर्भ में भटकने वाला व्यक्ति एक महिला यौन कर्मी है, क्योंकि वहीं अपनी कामुकता को व्यक्तिगत जीवन में उपयोग करने एवं पुरूषों से संबंध कायम करने के बजाय अपनी यौनिक सेवाओं को बेचती हैं। नारीवादियों को किसी भी कानूनी प्रक्रिया जो, कि महिला यौन-कर्मियों को कलंक एवं अपराधीकरण के द्वारा हाशिए पर लगातार ढकेलती है, तथा बीमार महिला यौन-कर्मियों को बीमारी अर्थात यौन संक्रमणों के कारकों की तरह उपचार करती है, से जुड़ने से पहले एहतियाती होना चाहिए। इस स्थिति में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अधीन करने वाली शक्तियाँ एवं महिला कामुकता को वश में करने वाली शक्तियाँ दाँव पर हैं। इस इंकार की राजनीति में नारीवाद का महिला कामुकता के ऊपर अधीनता एवं वस्तुकरण से मुक्ति के लिए किए गए प्रयास दाँव पर लगे हुए हैं, किन्तु लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है, कि हर प्रकार के व्यावसायिककरण एवं वस्तुकरण ही महिलाओं की चाहत है, और यदि यह इच्छित है, तो क्या अपराधीकरण ही इसका एक प्रभावी अन्त है।[58] अपराधीकरण के समर्थन का मतलब महिलाओं की लैंगिकता की कानूनी अधीनता का समर्थन करना है, किन्तु इसका यह भी मतलब नहीं है, कि नारीवादियों को कानूनी अधीनता से बचने के लिए हिंसक महिला यौन कार्य के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है, कि इन हिंसक प्रयासों को राज्य अधिकार से उपलब्ध तौर-तरीकों से हटकर लड़ना चाहिए जिसके लिए महिलाओं की राजनीतिक संभावनाओं को और विस्तार देने की जरूरत है। महिला यौन कार्य को एक स्वतंत्रता प्रदान करने वाले कार्य जो, कि महिला कामुकता के आर्थिक नज़रिए को एक प्रतिरोधी जामा पहनावे वाले एक सम्मानजनक

---

[58] Showden Carisa R., "Prostitution and Women's Agency: A Feminist Argument for Decriminalization", *Paper prepared for presentation at the 2009 American Political Science Association Annual Meeting,* Toronto, Ontario. (September 3-5, 2009), This is part of a longer book chapter-in-progress, p: 21. Available at: http://www.policeprostitutionandpolitics.info/pdfs_all/Academics%20Research%20Articles%20Support%20Prostitution%20%20Decriminalization/2009%20Prostitution%20and%20Womens%20Agency%20A%20Feminist%20Argument%20for%20Decriminalization%20.pdf, accessed on 20th june 2017.

पहचान प्रदान करने की समस्या यह है, कि अधिकांशतः महिला यौन कार्य प्रतिरोधात्मक एवं विध्वंसकारी शक्तियों के बजाय सत्ता के संबंधों के अधीन संचालित होती हैं।

Foucault भी अपनी एक और वार्ता “the ethics of the concern of the self as a practice of freedom” में ज़िक्र करते हैं कि, अधीनता के विभिन्न पड़ाव एक सच्चाई हैं, क्योंकि अधिकतर समय सत्ता संबंधों को इस तरह सुनिश्चित किया जाता है, कि वे असमान होते हैं और स्वतंत्रता के लिए तनिक भर का भी छूट नहीं देते हैं।”[59] महिला यौन कार्य यदि इन स्थितियों में कुछ कर सकती है, तो वह सिर्फ एक नए लैंगिक क्रम का निर्माण कर सकती है। सत्ता और अधीनता न सिर्फ गरीबी एवं हताशा को जन्म देती है, बल्कि कई बार यह इच्छाओं को भी जन्म देती है, खासतौर से यौन को खरीदने की इच्छा या किसी दूसरे का मालिक होने की इच्छा आदि ।

महिला का शरीर एक ऐसे माध्यम का रूप है जो कि खुद की परिभाषा गढ़ने एवं अपने सामाजिक सन्दर्भ के निर्माण के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक नियंत्रणों से समझौते करता है। एक ऐसी राजनैतिक पहलकदमी जो कि सामाजिक विषयों का एक व्यक्तिगत माध्यम होता है, वे सिर्फ असंभव आदर्शवाद की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सामूहिक सन्दर्भ में एक व्यक्तिगत और राजनैतिक माध्यम, है जिसे बहुत सारी दमनकारी राजनैतिक व्यवस्थाओं ने मानने से इंकार कर दिया है।

नारीवादी राजनीति ने sex (यौन) और लिंग (gender) व्यवस्था के कारण महिला के शरीर के निर्माण एवं उसकी सामाजिक समझ पर हमेशा बल दिया है। यह समाज की सेवा में किस तरीके से महिलाओं के शरीर का प्रयोग किया जाता है, जैसे तथ्य पर भी गौर करती है। शरीर की जैविक समझ को हमेशा से ही मानवीय शरीरों के बीच भिन्नता पैदा करने के लिए आधार की तरह प्रयोग किया गया है, और यहीं भिन्नता दमनकारी तरीकों से इसे समाज के लिए उपयोगी साबित करती है। प्रजाति (Race) एवं लिंग (sex) जैसे विभाजनों को मानव शरीरों में प्राकृतिक विभिन्नता के स्पष्टीकरण के लिए किया जाने लगा है। इस बात को स्वीकार करना की यह सभी विभिन्नता उपयोगी हैं, इस बात को छुपाता है, कि इसके अनेक पहलू विभिन्न संस्कृति से निकले हैं।

---

[59] Ibid

अतः हमें सावधानी से इन्हें देखने की जरूरत है, कि जिस तरह से वे शरीर से जुड़े सामाजिक मायनों एवं मतलबों का आधार बनती है, जिसका अनुभव और स्वरूप इन विभाजनों से परिभाषित तथा निर्णित होता है, जिस प्रकार से महिला की प्रजनन क्षमता समाज में उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को निर्धारित करती है, यही इस बात का सबसे सटीक उदाहरण माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से जब हम मेरठ में महिला यौन कार्य से जुड़ी यौन-कर्मियों की शरीर राजनीति का ऐतिहासिक सन्दर्भ में बात करते हैं, तो इसमें यह सामने आता, कि इस दुनिया में विभाजनों को श्रृंखलाबद्ध करने का कोई एक निश्चित तरीका नहीं हैं। मेरठ के सत्ता व्यवस्था के सन्दर्भ में प्रजाति और लिंग को हमेशा ही एक राजनीतिक विषय के रूप में पहचाना गया हैं।

सत्ता एवं लिंग की राजनीति सत्ता की राजनीति एवं आर्थिक संघर्षो तथा मानव अधिकारों की पहचान के साथ अटूट रूप से जुड़ा है, महिला यौन कार्य के महत्व को इन संदर्भों में देखने से यह स्पष्ट होता है, कि किस तरीके से महिला यौन-कर्मियों के इतिहास की जानकारी एवं लिंग व्यवस्था की समझ महिला के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अनुभवों को निर्धारित करने में एक मुख्य भूमिका निभाता हैं। यह महिला यौन कार्य के साथ-साथ चलने वाली शादी, परिवार, श्रम एवं प्रजनन जैसे व्यवस्था के पहलुओं के विषय को भी रेखांकित करते हैं।

नारीवाद एक बहुत ही विविध राजनीति है और शरीर का वर्णन (theorising the body) खास तरह के प्रयोजनों से भरा हुआ है, किन्तु महिला शरीर को अधिकांशतः भेदभाव के एक कारण के रूप में पहचाना जाता है, और महिलाओं को शारीरिक रूप से दमन एवं अधीनता सहन करनी पड़ती हैं। नारीवादी अभियानों में मुख्य रूप से महिला-हिंसा, बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जाता हैं। ये सभी काम अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अभियानों की समानता को दर्शाते हैं, जैसे कि भारत में दहेज हत्या एवं महिला भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान, अधिकतर स्थानों पर नारीवादियों द्वारा महिला शरीर के अधिकार जैसे कि शादी, यौन-क्रिया, बच्चे या गर्भपात[60] संबंधी निर्णयों के बारे में बात करती हैं।

---

[60] Pettman Jan Jindy. “Body Politics: International Sex Tourism”, *Third World Quarterly,* Volume - 18, no. 1, March, 1997, P: 98. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3992903.pdf?refreqid=excelsior:2db57879ad3934068bd7ec55afe86e0e, accessed on 26th june 2017.

हालांकि जब विभिन्न प्रकार की धाराओं को एक साथ मिलाकर शरीर के बारे में लिखा जाता है, तब यह पुराने लैंगिक भेदभाव में परिवर्तन लाता है, यह किसी लिंग विशेष से ऊपर उठने की निर्माणकारी समझ होती है।[61] जो कि भौतिकत्व, भौतिकता, अभिव्यक्ति, व्यक्तिपरकत, और पहचान की परिभाषा को करने पुर्नावलोकन करती हैं। उदाहरण के तौर पर, Rosi Braidotti, यौन और लिंग के अन्तर से ऊपर उठकर लिंग-भेद और शरीर या शरीरों के सामाजिक रचना की बात करती हैं।

वह नारीवादी व्यक्तिपरकता के एक ऐसी भौतिकवादी सिद्धांत की खोज के विषय में लिखती हैं, जो कि विषय-वस्तु में परिव्यक्षित एवं शामित्य यौन वर्गीकृत निर्माण के शारीरिक भौतिकत्व के विचारों को विकसित करने में मदद करता हो, Braidotti शारीरिक और इसके फलस्वरूप लिंग अवस्था को महिला शरीर के अनुभवों, जो कि उस जीवन की विशेषता होती है, को दर्शाने का प्रयास करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण युक्ति है, जिसके द्वारा यौन और लिंग के बीच अन्तर को नजरअंदाज करना असंभव है, जैसा कि सामाजिक विज्ञान में किया जाता हैं। वह एक शरीर के ऐसी स्थानीय राजनीति की बात करती हैं, जो मन के रूपों एवं भावनाओं को भी समाहित करता हैं।

यौनिक शरीर एवं यौनिक अंतर पर नारीवादी जोर पुरूष शरीर को एक शरीर या लैंगिक-निष्पक्षता की बात को नुकसान पहुँचाता हैं। यह यौनिक अंतरों एवं अन्य शरीरों को प्रकाश में लाता हैं। जिनको समाज में मान-मर्यादा एवं स्वीकृति से हमेशा वंचित रखा गया हैं। ये सभी अंतर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राज्य एवं नागरिक के बीच संबंध, राष्ट्रवादी एवं अन्य पहचान वाली राजनीति, युद्ध एवं सीमा उल्लंघन और सुरक्षा तथा वैश्विक यौनिक श्रम विभाजन को समझने में बहुत मदद करता हैं। शरीर से उत्पन्न असमानताओं में यौनिक, नस्लीय तथा शक्ति आदि असमानतायें प्रमुख हैं।

इस प्रकार यौन-क्रिया से संबंधित बहुत तरह के मत हैं।[62] निरंकुश शासन से सहमत, जिसमें की राजनीतिक कट्टरपंथी और नवीन दक्षिणपंथी भी शामिल है, यौन मैथुन को

---

[61] Ibid

[62] Pettman Jan Jindy. “Body Politics: International Sex Tourism”, *Third World Quarterly,* Volume - 18, no. 1, March, 1997, p: 100 - 101. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3992903.pdf?refreqid=excelsior:c403212bc38465d085788483b153a15c, accessed on 24 May, 2017.

एक जोखिमभरा और समाज को अपवित्र करने के तरीके के रूप में देखता है, जिनका मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के अधिकार में रखने की जरूरत हैं। उदारवादी राज्य और अन्य संस्थानों को कामुकता से दूर रखने की कोशिश करते हुए व्यक्तिगत अधिकारों तथा निजी मामले की दुहाई देते हैं, कि उदारवादी यौनिक उत्पीड़न को सामाजिक दमन की तरह देखते हैं। कुछ नारीवादी भी आखिर के दो मतों को साझा करते हुए मानती हैं कि महिलाओं की कामुकता को पुरुषों के अधिकार में करने के प्रयास या उससे इंकार करना पुरूष के आधिपत्य को बचाने की कोशिश करने जैसा है, इसी के साथ यह उन नारीवादियों का उपहास करती हैं जो कि महिलाओं को पुरूष हिंसा और शारीरिक उत्पीड़न से बचाने के लिए राज्य से प्रार्थना करती हैं, किन्तु वहीं दूसरी तरफ वह व्यक्ति जो पुरुषों की शारीरिक जरूरतों और इतरलिंगी आकर्षण को महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसके लिए यह प्रबलता के साथ विरोध करते हैं।यह बहस मुख्य रूप से महिला शरीर पर ही सही या गलत के आस - पास घूमती है।[63] यह मुख्य रूप से महिला यौन कार्य, वेश्याओं के आचार-व्यवहार का विवरण एवं गर्भपात संबंधित बहसों में ज्यादा खुलकर दिखाई पड़ती हैं।

महिला यौन कार्य और नारीवादी विचार-विमर्श में शक्ति, यौन-क्रिया, कामुकता और श्रम के बीच संबंधों के संयोजन मुद्दों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है'। यह एक पुरानी एवं लंबी बहस है, कि क्या महिला यौन कार्य या महिला यौन कर्मी अनैतिक है; क्या महिला यौन कार्य महिला अत्याचार का प्रतीक है; क्या यह यौन कर्मी महिलाओं का आर्थिक शोषण है, यह महिला यौन-कर्मियों की जरूरत है, या यह उनको जीवन यापन करने हेतु मिला हुआ एक अवसर है, क्या राज्य को वेमहिला यौन कार्य को अपराध घोषित करके, इसे नियंत्रित करना चाहिए या इससे दूरी बनायी रखनी चाहिए।[64] इस विचार-विमर्श में लैंगिक संबंधों, यौन-क्रिया, कामुकता और महिलाओं के श्रमों की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत की तरह भी दिखते हैं। समाज में बहुत सी महिला यौन-कर्मियों को यह विश्वास है, कि वह सामान्य महिला यौन-कर्मियों से बहुत मान्यताओं से कहीं अधिक और उनसे अलग हैं। यह महिलाएं करती तो यौन कार्य ही हैं, जिनका आशय अपनी गरीबी को दूर करना, अन्य आर्थिक फायदे तथा रोजगार की

---

[63] Ibid

[64] Ibid

कमी आदि हो सकता है, किन्तु यह महिलाएं स्वयं को यौन कर्मी नहीं स्वीकार करती हैं। इस प्रकार यहाँ पर अलग-अलग परिवेशों में यौन-क्रिया और यौन कार्य की परिभाषा का भी सवाल है, जहाँ पर स्वदेशी और औपनिवेशिक प्रकृति के महिला यौन कार्य के साथ-साथ समसायिक रूप से भुगतान करके किया हुआ सहवास की माँग का एक गहन विश्लेषण की जरूरत हैं।

Agustin का यह तर्क है, कि एक तरफ महिला यौन कार्य के बढ़ावे को अपराध बताना, तथा दूसरी तरफ महिला यौन कार्य को अपराध से मुक्त करना, उन महिलाओं के अधिकार छिनना है, जो कि इस व्यवसाय में कानूनी रूप से आकर अपना गुजारा करना चाहती हैं, किन्तु Ekberg आगे यह बताती हैं, कि महिला यौन कार्य और मानव व्यापार एक दूसरे से अटूट रूप में जुड़े हैं। उनके अनुसार यौनिक शोषण एवं दमन से दूर रहना हर महिला एवं बच्चे का अधिकार है, किन्तु महिला यौन कार्य इन दोनों अधिकारों को महिला यौन-कर्मियों से छीनता हैं। महिला यौन कार्य का सबसे अच्छा उपाय यही है, कि महिला यौन कार्य से जुड़े अपराध नामक विशेषण को इससे दूर हटाया जाए। यह समाधान समाज के लैंगिक समानता के नजरिए को दिखाता है, जिसकी कल्पना समाज उन सभी संस्थानों से मुक्ति पाने का हो, जो कि पुरूष आधिपत्य और महिला की अधीनता को बरकरार रखना चाहते हैं। संघाई जनपद की 300 लङकियां महिला यौन कार्य में लगी हैं, जिनके अध्ययन के द्वारा विद्वानों ने बताया है, कि इनमें से आधी लड़कियों की संख्या 16 वर्ष से कम आयु की है, और दसवें हिस्से की 13 वर्ष से कम थी[65]। इसी प्रकार दूसरा अध्ययन बताता है, कि 40% नेपाली लङकियां या तो अपहरण से या फिर परिवारवालों से खरीद कर लायी गयी होती है, जो मुम्बई के वेश्यालयों में पायी जाती हैं।[66] बाल यौन कार्य भारत में पूर्णतया

---

[65] Ibid

[66] Misra Geetanjali, Ajay Mahal, and Rima Shah. "Protecting the Rights of Sex Workers: The Indian Experience", *Health and Human Rights,* Volume 5, no. 1, 2000. p: 93. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4065224.pdf?refreqid=excelsior:06a87b1850606c200b570becc10f2888, accessed on 12th June 2016.

निषेध हैं, किन्तु अध्ययन बताते हैं, कि 30% महिला यौन कार्य बाल यौन पर आधारित है।[67]

अध्याय का निष्कर्ष

मेरठ शहर उत्तर प्रदेश राज्य का तेजी से विकसित होता हुआ शहर है, इसमें नए नए रोजगार के अवसर, शिक्षा के लिए स्कुल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आधुनिक तकनीकी के नए अस्पताल, व्यवसाय के लिए नए कारखाने, अच्छी सड़क, बड़े बड़े होटल आदि सभी दिशाओं में शहर विकास की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, किन्तु शहर के पुराने शहर मेरठ में स्थित कबाड़ी बाजार जहाँ पर वर्तमान समय में वेश्यालय आधारित कोठों पर महिला यौन कार्य किया जाता है। यह यौन कार्य मुस्लिम शासन काल ही किया जाता रहा है किन्तु आज भी इस क्षेत्र की हालत बहुत ही खराब है, शहर का यह भाग शहर के विकसित होते अन्य क्षेत्रों से बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरठ शहर का यह कबाड़ी बाजार पुराने बाजार के नाम से भी जाना जाता है जिसमें धरातल पर अनेक प्रकार की दुकानें हैं जिनमें रोजाना बाजार लगता है और इन धरातल पर बनी दुकानों के प्रथम तल पर महिला यौन कार्य के रूप में चलता है, अर्थात कबाड़ी बाजार में बनी दुकानों के प्रथम तल पर पुराने समय के वेश्यालय आधारित कोठे बने हैं। इन कोठों में अंग्रेजी शासन काल के समय से ही महिलाओं के द्वारा नाचना गाना लोगों का मनोरंजन करना और इन महिलाओं के द्वारा वैश्यावृत्ति की जाती रही है, जिसका स्वरुप वर्तमान समय में भी देखा जा सकता है। इसलिए मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के द्वारा वर्तमान समय में की जा रही वैश्यावृत्ति एक श्रम के रुप में समझने के लिए अध्याय दो में प्रयास किया गया है।

---

[67] Ibid

अध्याय - दो

वेश्यालय आधारित कोठे यौन श्रम स्थल के रूप में

अध्याय - दो

वेश्यालय आधारित कोठे यौन श्रम स्थल के रूप में

यौन कार्य एक ऐसा श्रम है जिसमें कि एक महिला अपनी यौन सेवायें धन कमाने के लिए पुरुषों को बेचती है, अर्थात कुछ समय के लिए महिला यौन कर्मी के शरीर पर कुछ धन देकर कोई पुरुष उसके साथ यौन संबंध बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेता हैं। समाज में महिला यौन कार्य के बहुत से भिन्न भिन्न स्वरुप देखने को मिलते हैं, किन्तु इस अध्याय में कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर होने वाले यौन श्रम के स्वरुप को समझने का प्रयास किया गया है, कि यौन कार्य में शामिल व्यक्तियों की कैसी भूमिका होती है, यह श्रम कैसी शर्तों पर किया जाता है, और इस श्रम में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए इस श्रम में शामिल महिलाओं में कैसे कौशलों का होना अनिवार्य है, तथा यह कार्य किस तरह जोखिमों से भरा हुआ हैं। इसी के साथ यह भी समझने का प्रयास किया गया है, कि कार्य स्थल के रूप में वेश्यालय आधारित कोठों का कैसा स्वरुप होता हैं।

भारत में यौन कार्य के स्वरुप

दुनिया में महिला और पुरुष दोनों के जन्म के साथ यौन संबंधों की स्थापना होना एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जाती हैं। आदिम युग के समाज में भी मुक्त और यौन संबंधों की स्वतंत्रता पायी जाती हैं। सामंती युगीन समाज में व्यक्तिगत संपत्ति रखने की भावना प्रबल रूप से देखने को मिलती है इस युग में सामंत, जमींदार, तालुकदार और राजा आदि पाए जाते हैं, इस समय में जो कि जितना अधिक धनवान होता था उसकी उतनी ही अधिक पत्नियाँ और रखेलें हुआ करती थीं। महिलाओं को सिर्फ एक व्यक्तिगत संम्पत्ति की तरह माना जाता था। इन महलाओं से यौन संबंध बनाने के लिए इनकी सहमति और असहमति का कोई महत्व नहीं होता था और ना ही उनसे उनकी सहमति जानी जाती थी, इसलिए इस समय में एय्याशी की कोई सीमा नहीं थी। अपना मन भर जाने के बाद इन महिलाओं को यह धनवान पुरुष भी छोड़ देते थे और फिर इनसे कोई भी भद्र पुरुष विवाह नहीं करता था। अंततः इनको अपना जीवन एक गणिका के रूप में बिताना पड़ता था । उस समय भी यौन कार्य एक स्थापित बाज़ार की तरह चलता था। उस समय राजा गणिकाओं के अध्यक्ष की नियुक्ती करता था जिसका कार्य गणिकाओं के द्वारा यौन कार्य से हुई आय का हिसाब

रखना था। समय की साथ साथ यौन कार्य के बहुत स्वरुप बदले हैं किन्तु इक्कीस वीं सदी आते आते भारत में यौनकर्मियों का एक बाजार बन गया।

इस प्रकार माना जा सकता है कि देह-व्यापार अर्थात यौन कार्य हमेशा से प्राचीनतम बाजार का अंग रहा है जिसको समाज में एक प्रकार के अवैध यौन संबंध के रूप में माना है, यह अवैध यौन संबंध व्यक्तियों के साथ धन प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता हैं। इस व्यवसाय में प्रेम और उद्वेग का अभाव पाया जाता है, और इसमें मात्र कुछ समय के लिए यौन-कर्मियों के द्वारा अपने शरीर को बेचा जाता हैं। फ्लैक्सर ने वेश्यावृति से सम्बंधित मुख्य तीन तथ्यों के विषय में बताया है, स्त्री-पुरुष सहवास के उपरान्त महिला यौन कर्मी को पुरुष ग्राहक के द्वारा विनिमय के रूप में धन की प्राप्ति होती है, पुरुष ग्राहकों की इन महिला यौन-कर्मियों के द्वारा इनको यौन आवश्यकता की संतुष्टि प्राप्त होती है, और इस संबंध में महिला यौन कर्मी और ग्राहक के मध्य भावनात्मक तटस्थता पाई जाती हैं।

इसी के साथ वह आगे कहते हैं कि यदि किसी महिला और पुरुष के मध्य अवैध-यौन संबंध स्थापित हो जाएं किन्तु इसके एवज में कोई धन प्राप्त नहीं किया जाता है तो हम इसे वेश्यावृत्ति नहीं कहेगे, क्योंकि यौन कार्य एक व्यवसाय है, और व्यवसाय में धन की प्राप्ति महत्वपूर्ण हैं। किन्तु 1842 में वार्डला ने यह कहा था कि “यौन कार्य अवैध-यौन संबंध है”। प्रसिद्ध अपराधशास्त्री और समाजशास्त्री इलियट और मेरिल के अनुसार “वेश्यावृत्ति एक प्रकार का अवैध-यौन संबंध है, जो कि अनेक व्यक्तियों के साथ धन प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है जिसमें प्रेम जैसे उद्वेगों का अभाव पाया जाता हैं। वेश्यावृत्ति और दो प्रेमियों के मध्य अवैध-यौन संबंध में अंतर होता हैं। वेश्यावृत्ति में (पुरुष अथवा स्त्री) जो कि किसी प्रकार के व्यक्तिगत संतोष के लिए, पूर्ण समय अथवा अर्द्ध-समय के व्यवसाय के रूप में, बहुत से व्यक्तियों के साथ, जो उसी लिंग अथवा दूसरे लिंग के हों, समान्य अथवा असमान्य यौन संबंध स्थापित करने में व्यस्त हों, उसे वेश्या कहते हैं।”[68]

इस प्रकार विद्वानों के अनुसार कहा जा सकता है कि वेश्यावृति का एकमात्र लक्ष्य धन कमाना हैं। यह वह पेशा है जिसमें एक महिला अपने शरीर को बेचकर अपनी आय

[68] सिंह वी. एन. और जनमेजय सिंह. आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन: नई दिल्ली, 2010, pp: 172 - 173.

करती है अर्थात यौन कार्य में महिला का शरीर ही उसकी आय का साधन है और इसी आय से वह अपना जीवन यापन करती हैं। मुख्य रूप से सभी तरह की यौन-कर्मियों का कार्य एक ही प्रकार का होता है कि अपने शरीर को अपनी आय के लिए बेचना अर्थात धन कमाने के लिए पुरुषों से यौन संबंध बनाना, किन्तु फिर भी समाज में यौन कार्य और यौन-कर्मियों के बहुत से स्वरूप पाए जाते हैं, जो कि समान्यतया अपने देश और विदेशों में भी देखे जा सकते हैं जो की समाज में प्रभावी रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि समाज में कुछ यौन कर्मी को व्यवसायिक वेश्याएं या व्यवसायिक यौन कर्मी कहा जाता है यह वह यौन कर्मी होती हैं जो कि कानूनी तरीके से पंजीकृत भी हो सकती हैं और नहीं भी। ये अपना यौन कार्य स्वयं भी चला सकती हैं और अपने दलालों के जरिये भी यह अपना यौन कार्य कर सकती हैं। इस श्रेणी की यौन कर्मी इधर-उधर घूमकर अपने ग्राहकों तलाश करती हैं। इस तरह की यौन-कर्मियों को सार्वजनिक पार्को, होटल एंव रेस्तरांओं में देखा जा सकता हैं। इस तरह की महिलायें व्यवसायी यौन कर्मी होती हैं जो कि अपने ग्राहक को अपने घर ले जाती हैं, या ग्राहक इन्हें करार के मुताबिक रुपए देकर अपने घर ले जाता हैं। यदि इन यौन-कर्मियों के दलालों द्वारा ग्राहक से करार किया जाता है, तो वह इन ग्राहकों को वेश्यालय ले जाता है, या बदनाम और मलिन बस्तियों के घरों में ले जाता हैं। इस तरह की यौन-कर्मियों का सामाजिक और आर्थिक स्तर काफी नीचा होता हैं। और माना जाता है कि यह यौन कर्मी धन के अभाव में निम्न जातियों से आती हैं।

इसी के साथ समाज में कुछ ऐसी महिलायें भी पायी जाती हैं जो कि गुप्त रूप से यौन कार्य करती हैं। यह यौन कर्मी शिक्षित और अच्छे स्तर की होती हैं। इस तरह की यौन कर्मी ऊंचे और धनवान वर्ग के ग्राहकों के पास जाती हैं, अर्थात इन महिलाओं के ग्राहक संभ्रांत परिवार के लोग होते हैं, जो कि धनी व्यवसायी और अधिकारी आदि हो सकते हैं। इस तरह की यौन कर्मी कामकाजी महिलाएं भी हो सकती हैं, महिला मित्र आदि भी हो सकती हैं। इन महिलाओं कार्यक्षेत्र नगर और महानगर होता है, किन्तु इनके लिए यह यौन कार्य अतिरिक्त आमदनी का एक साधन होता हैं। यह महिलायें व्यावसायिक यौन-कर्मियों की तरह नहीं होतीं हैं। यह महिलायें किसी का साथ देने के लिए कुछ समय के लिए मित्र बन जाती हैं, उनके साथ हंसी-मजाक करती हैं, और एक अच्छा समय साथ व्यतीत करती हैं। यदि यह महिलायें पुरुषों के साथ यौन-संबंध स्थापित करना चाहती हैं, तो इनके कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं, और इनके साथ यौन-संबंध

स्थापित करने की कीमत अलग से देनी होती हैं। इन यौन-कर्मियों के लिए यह जरूरी नहीं है कि ये हर उस मित्र के साथ यौन संबंध स्थापित करें, जिसके साथ यह अपना समय व्यतीत करती हैं। प्रमिला कपूर इस तरह की यौन-कर्मियों के मुख्य तौर से दो स्वरूप बताती हैं, एक वह यौन कर्मी जो कि अनैच्छिक यौन कर्मी है अर्थात यह वह महिलायें हैं जिनको यौन कार्य के व्यवसाय में धोखे से लाया जाता है, और इनको यह कार्य अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है कि यह इस व्यवसाय को अपनाएं । इन महिलाओं के साथ धोखे से शादी की जाती या इनके माता-पिता से इन्हें खरीदा जाता हैं। ये वेश्यालय में रहती हैं और बहुत ही सामान्य स्तर की महिलाएं होती हैं। दूसरी वह यौन कर्मी जो कि अपनी स्वेच्छा से यौन कार्य को व्यवसाय के रूप में चुनती हैं, इनको स्वैच्छिक यौन कर्मी के रूप में माना जाता है यह वह यौन कर्मी हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से इस व्यवसाय को चुना हैं। वे इस तथ्य से परिचित होती हैं कि उनके यौन-संबंध का नकद मूल्य हैं। इसके माध्यम से तत्काल रूपयों की प्राप्ती होती हैं। यह महिलायें यह कार्य स्वतंत्र रूप में भी करती हैं, और अपने ग्राहक के साथ समझौता करके भी तथा यह अपने मित्रों के माध्यम से भी इस कार्य से जुड़ी रहती हैं।इन महिलाओं को कार्लगर्ल्स भी कहा जाता है।[69]

इसी के साथ अभी तक समाज में महिला यौन कार्य के बिभिन्न स्वरूपों को समझने के लिए लिए समय समय पर बहुत से अध्ययन और सर्वेक्षण होते रहे हैं जैसे कि Sahini and Shankar “The First PAN-India Survey of sex Workers: A Summary of Preliminary Finding” यह सर्वेक्षण, व्यवसायिक यौन-कर्मियों के साथ किया गया है, जिसमें उनकी व्यावसायिक बातों को शामिल किया गया है इस सर्वेक्षण में यह जानने का प्रयास किया गया है कि यौन-कर्मियों के साथ किस प्रकार का लिंगभेद जुड़ा हुआ है, इसी के साथ इस कार्य को लेकर समाज में इन यौन-कर्मियों को किस प्रकार का भेदभाव और लांछन सहना पड़ता हैं। यह सर्वेक्षण लगभग दो वर्षों में पूरा किया गया, इस सर्वेक्षण में लगभग 3000 महिला यौनकर्मियों को उत्तरदाताओं के रूप में नमूनों के तौर पर लिया गया हैं। यह सर्वेक्षण भारत के चौदह राज्यों औए एक केंद्र शासित राज्य में किया गया हैं। इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि यौन कार्य में यौन कर्मी दो माध्यमों से आती हैं, एक वह जो कि सीधे तौर से यौन कार्य की शुरुआत

[69] Mukherjee, K. K. and Deepa Das. *Prostitution in Metropolitan Cities of India*. New Delhi: Central Social Welfare Board-Samaj Bhavan, 1993, p: 17.

करती हैं और दूसरी वह जो कि श्रमिक प्रवासन के द्वारा यौन कार्य शुरू करती हैं, यह वह यौन कर्मी है जिन्होंने कुछ समय यौन कार्य ना करके किसी अन्य श्रम से अपने जीवन की शुरुआत की थी किन्तु इन्होने बाद में कुछ वजहों के चलते हुए यौन कार्य एक श्रम के रूप में स्वीकार किया और इसे ही जीवन यापन करने का साधन बना लिया। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि जो यौनकर्मी सीधे तौर पर यौन कार्य को एक श्रम के रूप में अपनाती हैं, उनकी आयु कम होती है अपेक्षाकृत उनके जो कि श्रमिक प्रवासन से होकर आती हैं और यौन कार्य की शुरुआत करती हैं, सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि जो महिलाएं श्रमिक प्रवासन से यौन कार्य में आती हैं, वह महिलायें लगभग पांच से छः वर्ष की आयु में एक श्रमिक की भांति काम शुरु करती हैं। पांच से छः वर्ष की आयु में यह महीलाएं - जैसे घरों में चौका बर्तन करना, खेतों में मजदूरी करना, घरों में सफाई का काम करना आदि कार्यों से शुरुआत करती हैं। सर्वेक्षण के अनुसार जब इन महिलाओं को इन मजदूरी वाले कार्यो से कम आमदनी होती हैं, तो यह और अधिक पैसा कमाने के लिए यौन कार्य के पेशे में आती हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार 70% यौन कर्मी हिन्दू धर्म की पृष्ठभूमि से आती है, 26% अनुसूचित जाति से हैं, किन्तु 74% हिन्दू यौन कर्मी यह नहीं बताती हैं कि वह किस जाति से हैं, सर्वेक्षण में पाया गया कि 60% यौन कर्मी ग्रामीण पृष्ठभूमि आती हैं, 65% यौन कर्मी ऐसी हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अत्यन्तं गरीब है, 50% यौन कर्मी निरक्षर हैं और बाकियों को मात्र अक्षर ज्ञान हैं। इस सर्वेक्षण में यह नहीं बताया गया है कि इन यौन-कर्मियों की सांस्कृतिक पहचान क्या है और इस कार्य में आने के बाद समाज में उनकी पहचान किस रूप में होती है, इनमें कितनी यौन कर्मी विवाहित हैं और वह अपना वैवाहिक जीवन के विषय में क्या विचार रखती हैं इस विषय में भी कोई चर्चा नहीं की गयी हैं। सर्वेक्षण में यह भी नहीं बताया गया गया है कि कम उम्र की यौन कर्मी जो कि सीधे तौर पर यौन कार्य शुरू करती हैं वह इस कार्य में किस माध्यम से आती हैं, अर्थात उसके पीछे क्या कारक हैं। सर्वेक्षण में यह भी नहीं बताया गया कि जो महिलाएं श्रमिक प्रवासन से यौन कार्य में आती हैं, उन्हें यह रास्ता कैसे मिलता हैं, अर्थात वह इस कार्य की शुरुआत कौन से माध्यमों से करती हैं। सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं के नमूने किस आधार पर लिए गए हैं, और किस राज्य से कितने

उत्तरदाताओं के नमूने लिए गए हैं इसकी जानकारी भी पर्याप्त रूप से नहीं मिलते हैं। साक्षात्कार और प्रश्नावली तकनीक के द्वारा आंकड़ो को एकत्रीत किये गया है।[70]

इसी के साथ अकादमी संग्रह में भी यौन-कर्मियों को लेकर समय समय पर अध्ययन होते रहे हैं जिन्होंने यौन कार्य को बिभिन्न पहलुओं से समझने का प्रयास किया है, जैसे - Ghose (1923) “Economic Life of Prostitutes and Brothel Management in Calcutta” और Mukherjee and Chakraborty (1933) ‘Prostitutes and Prostitution in Calcutta’ इन अध्ययनों के द्वारा मुख्य रुप से कलकत्ता में यौन कार्य में जुड़ी महिलाओं के जीवन को समझने का प्रयास किया गया। जैसे की इन महीलाओं का जीवन किन हालातों में किस तरह चलता है, यौन कार्य करने के इन महिलाओं के क्या कारण हैं, एवं उनका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है आदि। आजादी के बाद Jaykar (1950) “Prostitution in the City of Bombay” इस अध्ययन के द्वारा 200 यौन-कर्मियों के Randomly Sample लिया गया जिसके के आधार पर यह समझने का प्रयास किया कि शहर में यौन कार्य समाज में किन किन कारण से किस स्वरुप में फैल रहा है, इसकी सीमाएं और इसका समाज पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा।[71]

Kapoor, “The Life and World of Call Girls In India”, यह अध्ययन Purposive Sampling के आधार पर दिल्ली, बोम्बे, और कलकत्ता में कॉल गर्ल्स के सन्दर्भ में किया गया हैं। इस अध्ययन में In-depth अध्ययन के द्वारा भारतीय कॉल गर्ल्स की जिंदगी का इतिहास (Life History) को गहनता से समझने का प्रयास किया

---

[70] Sahni Rohini and V. Kalyan Shankar. “Sex Work and its Linkages with Informal Labour Markets in India: Findings from the First Pan-India Survey of Female Sex Workers”, *Institute of Development Studies,* Volume - 2013, No 416, February 2013. Available at: http://www.sangram.org/resources/Pan_India_Survey_of_Sex_workers.pdf, accessed on 20 July 2015.

[71] Ghose (1923) “Economic Life of Prostitutes and Brothel Management in Calcutta”, Mukherjee and Chakraborty (1933) “Prostitutes and Prostitution in Calcutta” and Jaykar (1950) “Prostitution in the City of Bombay” In Mukherjee, K.K. and Sutapa Mukherjee. *Girls / Women in Prostitution in India: A National Study*. Supported by Department of Women and Child Development, Government of India, New Delhi, November- 2004, p: 18.

गया हैं। इस अध्ययन में यह लड़कियों के Call Girl बनने के कारकों का विश्लेषण किया गया, कि कोई लड़की किन कारकों से कॉल गर्ल बनती है और किन कारणों वह कॉल गर्लबनकर रहती हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष में यह सामने आया कि समाज में रोजगार के विकल्पों के अभाव में, गरीबी, और जल्दी धन कमाने के लालच में यह महिलाएं यौन कर्मी बनती हैं, इसलिए इनको समाज में रोकने की जरुरत है और जो महिलाएं इस काम में शामिल हैं उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था होना अनिवार्य है, जिसके लिए सरकार को काम करने की जरुरत है।[72]

Agarwal Anuja, "Chaste Wives and Prostitutes Sisters-Patriarchy and Prostitution among the Bedias in India" यह अध्ययन भारत के तीन प्रदेशों उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंव मध्य प्रदेश के क्षेत्र में की गई हैं। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के वारावकी, राजस्थान के भरतपुर एंव मध्य प्रदेश के मौरेना व ग्वालियर जनपदों में किया गया हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश मोरेना जनपद के छोटे से शहर "जौरा" के लाल बत्ती क्षेत्र में भी लेखिका के द्वारा महिला यौन-कर्मियों और वहां पर कार्यरत व्यक्तियों से भी भेंट करके अपने अध्ययन के अनुरूप कुछ तथ्य प्राप्त किये गए हैं। यह यह अध्ययन बेड़िया समुदाय के जनजीवन पर किया गया एकल अध्ययन हैं। बेड़िया समुदाय एक ऐसा समुदाय हैं, जिसकी पहचान आपराधिक जनजाति के रूप में भी की जाती हैं, इस समुदाय के सदस्य अधिकतर घुमन्तु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। समाज में यह माना जाता था कि इस समुदाय के ज्यादातर लोग अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होते हैं। इसी समुदाय को विमुक्त जनजाति भी बोलते हैं जो कि अधिकांशत महाराष्ट्र में पाये जाते हैं। लेखिका का यह मत है कि जब इन्हें अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त समझा जाने लगा तो इन लोगों ने इस बात का विरोध किया और इनके प्रतिवाद के कारण सरकार इनकी मांगों के समक्ष झुकी और इन्हें दलित समुदाय में रख दिया। बेड़िया समुदाय एक ऐसा समुदाय हैं, जिसका व्यवसाय अपने समुदाय की स्त्रियों के द्वारा वैश्यावृत्ति करवाना हैं। किंतु इस समुदाय के सदस्य सिर्फ अपनी बेटियों और बहनों के द्वारा ही वैश्यावृत्ति करवाते हैं। इस समुदाय के सदस्य अपनी पत्नी और पुत्रवधू के द्वारा वैश्यावृत्ति नहीं करवाते हैं, इसके पीछे उनका मानना हैं कि पुत्री और बहन पराया धन हैं, जैसे भी रहे यह उनकी जिम्मेदारी नहीं हैं। किंतु पत्नी और पुत्रवधू

---

[72] Kapoor, P. *The Life and Work of Call Girls in India*. Delhi: Sahibabad Publishing House, 1975.

अपनी हैं, यह पवित्र रहनी चाहिए। अध्ययन में लेखिका ने यह पाया कि इस समाज में यह व्यवसाय एक नैतिक व्यवस्था के तहत चलता हैं। लेखिका आगे यह बताती हैं कि बेड़िया समुदाय के सदस्य इस व्यवसाय को चोरी छिपे नहीं करती हैं, बल्कि तथ्यों के अनुसार यह सामने आता है कि इस व्यवसाय में पूरी बेड़िया समुदाय शामिल रहती हैं। तथ्यों से यह भी सामने आया कि समस्त बेड़िया समुदाय में कोई पुरुष काम नहीं करते हैं, बल्कि परिवार के सभी सदस्य इन्हीं की कमाई पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेखिका आगे अपनी दलील देती हैं कि इस पूरी व्यवस्था में कैसे पुरुषवादी सोच शामिल हैं, कि कोई भी पुरुष काम नहीं करेगा और अपनी बेटी और बहनों से वैश्यावृत्ति करवाकर अथवा वनको बेचकर अपना जीवन यापन करेगा। अध्ययन में पाया गया इस बेड़िया समुदाय में पाखण्ड अधिक देखने को मिलता हैं, जिसमें इस समुदाय का मानना है कि यह परम्परागत व्यवस्था हैं, किंतु यह कब से हैं इसका कोई ठीक पता नहीं हैं। लेखिका का ने अपने अध्ययन में यह पाया कि इस समुदाय की महिलाएं पितृसत्तात्मक व्यवस्था की शिकार हैं। लेखिका ने अध्ययन के लिए प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने के लिए अवलोकन, अतारांकित साक्षात्कार, बेड़िया समुदाय की सभी प्रमुख श्रेणियों के साथ वार्तालाप करके और यहाँ पर पहले से कार्यरत एन.जी.ओ. कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और वार्तालाप के माध्यम से प्राप्त किए हैं।

चम्पा बेन जो कि यहाँ पर बेड़िया समुदाय के सदस्यों के हितों के लेकर Binoda Bhave's Persuation में 15 साल से काम कर रहीं हैं, और रामसैनानी जो कि इस बेड़िया समुदाय के बच्चों के लिए आवासिक पाठशाला चलाते हैं, से भी उनके साक्षात्कार के माध्यम से अपने अध्ययन हेतु प्रासंगिक तथ्य प्राप्त किए हैं। लेखिका ने अध्ययन के दौरान अध्ययन क्षेत्र की नियमित दौरा करती रही हैं ताकि क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त तथ्यों की जाँच समय समय पर होती रहे। लेखिका ने द्वितीयक तथ्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय, नई दिल्ली, अपने क्षेत्र के स्थानीय अखबार, यहाँ पर काम कर रहे एन.जी.ओ. कि रिपोर्ट आलेख, नीति पत्र आदियो के माध्यम अध्ययन से संबधित तथ्य प्राप्त किए।[73] इस अध्ययन में बेड़िया समुदाय की पत्नियो व पुत्रवधुओं की सामाजिक पृष्ठभूमि के सामाजिक स्तरीकरण का स्वरुप (शादी से पहले और शादी के बाद) इस बेड़िया समुदाय में कैसा है कि चर्चा नहीं की है,

[73] Agrwal Anuja. *Chaste Wives and Prostitutes Sisters-Patriarchy and Prostitution among the Bedias in India*. New Delhi: Routledge, 2008.

अध्ययन में मात्र जाति, वर्ग, और लिंग तीनों के संबंधों के आधार पर इस समुदाय की पूरी सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास किया गया हैं। किन्तु मात्र जाति, वर्ग, और लिंग ही पूरी बेड़िया समुदाय के मानवीय सम्बन्धों और किसी भी समाज की सामाजिक संरचना को समझने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

Sanders and O'Neill (et all), "The Sociology of Sex Work" इस लेख में लेखक ने सामाजिक बहस के माध्यम से यह समझने का प्रयास है कि वैश्यावृत्ति को एक यौन श्रम के स्वरुप में किस प्रकार समाज सकते हैं, अर्थात महिला यौन कार्य अन्य दूसरे श्रमों से किस प्रकार अलग हैं। इस लेख के माध्यम से लेखक यह दलील देते हैं कि इस महिला यौन श्रम में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व्याप्त होती है, और असी के साथ इस यौन श्रम में महिलाओं का पुरुषों के द्वारा विभिन्न स्वरूपों में शोषण किया जाता हैं। इसी के साथ इस यौन श्रम को हमेशा अन्य दुसरे श्रमों से अलग समझा जाता है और इसीलिए इसको समाज में अन्य कार्यों के साथ जोड़कर या किसी अन्य कार्य के समकक्ष नहीं रखा जाता है, क्योकि समाज इसे स्वीकार नहीं करता और इस काम को एक कलंकित कार्यों की श्रेणी में रखता हैं। अभी तक इस कार्य को लेकर समाज में किसी भी प्रकार प्रकार की स्वीकार्यता नहीं है जिसकी वजह से समाज में इसको कानूनी रूप से वैध कानूनन मान्यता नहीं है, और यही एक मुख्य बात है जिसकी से इस महिला यौन कार्य को करने वाली महिलाओं को आप श्रमिक कहें या इस महिला यौन कार्य को एक रोजगार कहें किन्तु यह जमीनी हकीकत के अनुसार समाज में अन्य सभी श्रमों से अपना एक बिल्कुल अलग स्थान रखती है, जिसके विषय में लेखक यह कहते हैं कि "Macro structural forces affect all our opportunities for work, economic survival and lifestyle choices, there are variables such as geography, gender, class and ethnicity that are equally as powerful in determining our choices. In addition, the state, with its both oppressive and transformative mechanisms, is a crucial dynamic that affects the status of sex workers, especially their exposure to vulnerability, violence and stigma।"[74]

---

[74] Sanders and O'Neill (et all) "The Sociology of Sex Work" in Sanders Teela, Maggie O'Neill and Jane Pitcher (ed). *Prostitution Sex Work, Policy and Politics*. New Delhi: Sage Publication, 2009, p: .14

लेखक आगे बताते हैं कि हम जहाँ भी और जो भी काम करते हैं वहां सभी के जीवन निर्वाह के लिए उत्तरजीविता हेतु एक संरचनात्मक बल कार्य करता है, जिसके अंतर्गत हमारा श्रम का भिन्न भिन्न स्वरूपों में तबदील होता है, जिसके अंतर्गत नस्ल, लिंग, वर्ग, भूगोल और राज्य की सबसे मुख्य भूमिका होती है, इसलिए सभी समाजों में महिला यौन कार्य को भी इसी परिप्रेक्ष्य मान्यता मिली है, और महिला यौन कार्य के भिन्न भिन्न स्वरूपों को भी इसी परिप्रेक्ष्य में समझा गया है। लेखक बताते हैं कि महिला यौन कार्य को समाज में मुख्य रूप से तीन परिप्रेक्ष्यों के देखने का प्रयास किया किया हैं, जिनको कि लेखक इस प्रकार समझाने का प्रयास करते हैं। प्रथम परिप्रेक्ष्य में लेखक पीड़ित परिप्रेक्ष्य (Victimhood Perspective) जिसको सामान्तय विकृत परिप्रेक्ष्य (Deviant Perspective) भी कहते हैं, यह समाज के अत्यधिक निचले वर्ग की करता है, जिसे समाज में गुजरा वर्ग भी कहते हैं, यह समाज में बहुत। उसके बाद लेखक दुसरे परिप्रेक्ष्य में सशक्तिकरण परिप्रेक्ष्य (Empowerment Perspective) की बात करते हैं, जसके द्वारा वह मानते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में जो कमजोर वर्ग हैं उनको सशक्त किया जाना चाहिए, ताकि महिला यौन कर्मी हैं उनको HIV- संक्रमण और अन्य सभी बीमारियों से उनकी रक्षा की जा सके । लेखक तीसरे परिप्रेक्ष्य में Choice Perspective की बात करते करते हैं जिसमें उनका मानना है कि जो महिलाएं गरीबी की हालत में रहती हैं, तो उनके सामने यौन क्रिया को एक यौन कार्य के रूप में स्वीकार करने के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है, तो तब उनके जीवन में कोई दबाब काम करता है कि वह यह काम अपनाएँ अथवा नहीं या ऐसी हालत में भी उन महिलाओं का जो कि गरीबी से ग्रसित होने के बाद भी यौन कार्य अपनाने हेतु अपने विवेक के साथ फैसला लेती हैं। किन्तु तथ्यों के अनुसार मेरठ की महिला यौन-कर्मियों से यह सामने आया कि यह बात ठीक है कि हम अपनी मर्जी से सभी फायेदे और नुकसान देखकर अपना फैसला लेती हैं किन्तु जब हम कहीं भी ग्राहक की जगह पर फंस जाती जैन तो उस समय हमारी कुछ भी नहीं चलती है वहां हमारी मर्जी और विवेक सब डगर का धरा रह जाता है उस समय हमको वही सब करना होता है जो कि ग्राहक मांग करता हैं।

Weitzer, “Sex for Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Indeustry” इस अध्ययन के दौरान लेखक ने यौन कार्य और Sex Industry को गहनता से समझने का प्रयास किया हैं। इस अध्ययन के में यौन कार्य और Sex Industry का

Groundbreaking तथ्यों के संग्रह के माध्यम से विश्लेषण किया गया हैं। यह अध्ययन यह बताता है कि महिला यौन कार्य के समय महिला यौन-कर्मियों को समाज में कैसे खतरों से सामना करना पड़ता है, उसके बाद लेखक महिला यौन कार्य से समाज में किस किस्म के फायेदे हैं और इसका समाज में राजनीतिज्ञ स्वरुप कैसा है को समझा हैं। यह शोध मुख्य रूप से निम्न मुद्दों विश्लेषण करती है जैसे - Gay and Lesbian, Pornography, Telephone Sex Workers Customers of Prostitutes, Male and Female Escorts, Who work Independently, Street Prostitution, Sex Tourism, Legal Prostitution, and Strip Clubs that cater to women आदि हैं।इस शोध में मानव तस्करी जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है जिसमें कि मानव तस्करी की सच्चाई और छल को बताया है कि समाज में किस प्रकार से मानव तस्करी जैसे मुद्दे व्याप्त हैं जिनका कि अभी तक कोई सटीक और निश्चित समाधान नहीं किया गया हैं। शोध में मुख्य रूप से यौन कर्मी, यौन-कर्मियों के ग्राहक, दलाल, आदि शामिल हैं, जिनके साथ शोधार्थी ने अपने उत्तरदाताओं के सभी व्यक्तिगत अनुभवों को शामिल किया है, जिसके माध्यम से यौन बाजार में शामिल व्यक्तियों के प्रति अधिक से अधिक तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई । यह अध्ययन यौन कार्य दो स्वरूपों पहला शहर की गलियों में किया जाने वाला यौन कार्य और दूसरा घरों के अन्दर अर्थात आंतरिक रूप से किया जाने वाले यौन कार्य की तुलना की गयी है जिसमें पाया गया की गलियों में किये जाने वाले यौन कार्य की अपेक्षा आंतरिक यौन कार्य में कम खतरे का सामना यौन कर्मी करते हैं। अध्ययन में यह भी सामने आता है की एक महिला यौन कर्मी की अपेक्षा एक पुरुष यौन कर्मी कम खतरे का सामना करता है और पुरुष यौन कर्मी महिला यौन-कर्मियों के मुकाबले अपने ग्राहकों से शोषित भी कम होता है, अर्थात महिला यौन कार्मियों को पुरुष यौन-कर्मियों के मुकाबले समाज में कम शोषण झेलना पड़ता हैं। यह अध्ययन यौन व्यवसाय की बात करता है, यह अध्ययन न्यूयॉर्क किया गया है, जहाँ पर यौन कार्य को कानूनन वैध घोषित किया जा चूका है।[75]

Petro, "Selling Sex: Women's Participation in the Sex Industry" यह अध्ययन 16 महिला यौन-कर्मियों के प्रतिदर्श से प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया

---

[75] Ronald. *Sex for Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry*. New York: Routledge, 2000, 2010.

हैं। जिस समय यह अध्ययन किया गया है उस समय यह 16 महिला यौन कर्मी, यौन कार्य में एक श्रमिक की भांति कार्य कर रही हैं। अध्ययन के दौरान लेखक ने महिला यौन कार्य को विकृत व्यवसाय “Deviant Occupation” कह कर संबोधित किया हैं। अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के रूप में चुनी गयी सभी महिला यौन कर्मी यह स्वीकार करती हैं की वह यौन कार्य को करने से पहले किसी ना किसी Strip Clubs में एक Strip Clubs dancer, exotic dancer, या go go dancer आदि की हैसियत से काम करती थीं, किन्तु जब इनका जीवन यापन इनकी Strip Clubs की आमदनी से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था और इनको अपने जीवन यापन करने के लिए और अधिक धन की आवयश्कता हुई तब इन्होंने और अधिक धन कमाने के लिए यौन कार्य को एक श्रम के स्वरुप में अपना लिया और यह यौन कार्य करने लगीं लगी। अध्ययन कर्ता अपने अध्ययन में पाते हैं कि “While most women purportedly enter the profession for economic gain, money is not the only reason women choose sex work and nor is it the only reason why most remain in the industry”[76]

लेखक अपने अध्ययन में यह भी बताते हैं कि जब यह महिला यौन कर्मी यौन कार्य को एक श्रम के रूप में अपनाती हैं तब इन विषय पर यह महिला यौन-कर्मियों ने स्वीकार किया कि हुस समय हमारे पास अधिक धन कमाने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं था । यह महिलाएं यह भी स्वीकार करती हैं कि यदि इनके पास कोई और अन्य विकल्प होता और यह उसमें अधिक धन कम पाती तब यह यौन कार्य को कभी भी एक श्रम के रूप में नहीं अपनाती वल्कि यह वही कार्य करना अधिक पसंद करतीं, हमने तो यह कार्य मात्र कम समय अधिक धन कमाने के लिए विकल्पों के अभाव में स्वीकार किया हैं। लेखक अपने अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों के अनुसार यह भी कहते हैं कि यह महिला यौन कर्मी यौन कार्य करके अधिक धन भी कमा लेती हैं किन्तु उसके बाद भी यह इस यौन कार्य को छोड़ना नहीं चाहती हैं।जिसके विषय में इन महिला यौन-कर्मियों का कहना है कि हम यह काम इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमको अन्य कार्यों के मुकाबले अधिक आजादी मिलती हैं। अधिक आजादी के साथ अधिक आमदनी प्राप्त होती हैं। इस कार्य में हमारे ऊपर किसी की कोई भी वाध्यता नहीं है हम जब चाहें जब इस कार्य को शुरू कर सकते हैं और जब

[76] Ibid: 156

चाहें छोड़ सकते हैं यह हमारी मर्जी पर निर्भर रहता हैं। यह अध्ययन Hague's में किया गया है जिसमें तथ्यों को प्राप्त करने के लिए महिला यौन-कर्मियों के साथ Participant Observation किया गया हैं।

अध्ययन में यह सामने आया की महिला यौन कार्य को कानूनन वैध मान्यता होने के बाबजूद भी अपने कार्य के प्रति पुलिस उत्पीड़न को झेलना पड़ता है और समाज में बदनामी का डर बना रहता है, जिस कारण महिला यौन-कर्मियों को समाज में यौन कार्य को एक श्रम के रूप में स्वीकार करने के लिए लांछित किया जाता है, जिसकी वजह से समाज महिला यौन कर्मी गरिमा के साथ अपना जीवन यापन नहीं कर पाती हैं। अध्ययन यह बताता है की इन सब के बाबजूद भी अधिकांशत महिला यौन कर्मी यौन कार्य को स्वेक्षा छोड़ना नहीं चाहती हैं। जिन यौन-कर्मियों को अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं के रूप में चुना गया है वह यह तो स्वीकार करती हैं की उन्होंने यौन कार्य को अपनी स्वेक्षा से एक श्रम के रूप में अपनाया था किन्तु उस समय उनके पास कोई अन्य काम का विकल्प नहीं था, और उनके जीवन में एक साथ अत्यधिक धन की आवश्यकता आ गयी थी जिस कारण उन्होंने यौन कार्य को एक श्रम के रूप में अपनाया है क्योंकि इस कार्य में ही हम कम समय में और आसानी से अधिक धन कम सकते हैं।[77]

अभी तक भारत और दुनिया के इतिहास में महिला वेश्यावृत्ति (यौन कार्य) अभी तक बिभिन्न चरणों से होकर गुजरा हैं। अभी तक के सामाजिक इतिहास में इसके बहुत सारे बिभिन्न रूप देखने को मिलते रहे हैं। किन्तु अभी समकालीन समय में हमारे समाज में महिला यौन कार्य को लेकर यह बहस चल रही है कि महिला यौन कार्य को नागरिक समाज में एक श्रम के रूप में मान्यता मिले, किन्तु अभी तक समकालीन समाज की बहसों से यह सामने आया है कि वेश्यावृत्ति को समाज में अभी तक एक श्रम के रूप में स्वीकार नहीं किया गया हैं, किन्तु कुछ लोगों का मानना है की महिला वेश्यावृत्ति के लिए समाज में यह दावा करना की यह भी एक श्रम है तो इसी दावे को यौन-कर्मियों की एक शुरूआती सफलता के रूप में देखा जा रहा हैं। अभी तक की बहसों से यह दावा भी अभी तक बहुत ही विवाविद रहा है कि महिला वेश्यावृत्ति को एक श्रम

---

[77] Petro Melissa, "Selling Sex: Women's Participation in the Sex Industry" In Ditmore Hope Melissa, Antonia Levy and Alys Willman. *Sex Work Matters: Exploring Money Power, and Intimacy in The Sex Industry*. New York: Zed Books, 2010, pp: 155-170.

के रूप में पूरी तरह मान्यता मिले या नहीं मिले। इसी बहस में Kathleen Barry वेश्यावृत्ति को एक श्रम के रूप में मान्यता मिले और महिला वेश्यावृत्ति समाज में एक श्रम भी हो सकता है, इस बहस को सिरे से खारिज करतें हैं। उनका मानना है कि यदि महिला वेश्यावृत्ति को समाज में एक श्रम के रूप में मान्यता मिल जाएगी और समाज इसको एक श्रम के रूप में स्वीकार कर लेगा तो समाज में महिला वेश्यावृत्ति का होना एक सामान्य सी बात जैसा तथ्य होगा जो की समाज के लिए ठीक नहीं है।[78] इसी क्रम में Indrani Sinha, का मानना है, कि वेश्यावृत्ति को समाज में एक श्रम के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ना ही इसे इस रूप में देखा जा सकता है।[79] क्योंकि महिला वेश्यावृत्ति की जड़ें अत्याचार और हिंसा में लिपटी हुई हैं, तो महिला वेश्यावृत्ति को समाज में एक श्रम के रूप में किस तरह मान्यता दी जा सकती है?[80]

महिला यौन कार्य (female sex work) जैसी बात सर्वप्रथम 1980 में कुछ महिला यौन-कर्मियों के अधिकार संगठनों द्‌वारा उठाई गई।[81] इस मत को पोर्नोग्राफी (नग्न चलचित्र) एवं वेश्यावृत्ति की स्वतंत्रता के रूपों की तरह पेश करने वाले यौन उदारवाद (sexual liberalism) से काफी बल मिला तथा इसने उस हर सलाह को सिरे से नकार कर दिया जिसने यह बताने की कोशिश की कि यह मत महिलाओं के लिए अभद्र और अपमानजनक (abusive) भी हो सकता है।[82] “sex work” शब्दावली की रचना हर प्रकार के सहवासों का उल्लेख में विगत 30 वर्षों से की गई है। अलग-अलग संदर्भों में वेश्यावृत्ति की परिभाषा काफी अलग होती हैं। इसमें से कुछ कानून में वेश्यावृत्ति की

---

[78] Rajan Rajeswari Sunder. *The Scandal of the State: Women, Law and Citizenship in Postcolonial India,* Permanent Black, New Delhi, 2003. p:37.

[79] Ibid

[80] Ibid

[81] Jeffreys, Sheila. “Prostitution, trafficking and feminism: An update on the debate”, *Women’s Studies International Forum,* No. 32, 2009, p: 316. Available at: http://ac.els-cdn.com/S0277539509000764/1-s2.0-S0277539509000764-main.pdf?_tid=298d5526-5292-11e7-b967-00000aab0f6b&acdnat=1497617517_6ce28239565e9a5fd9ed5b8606c51a57, accessed on 24th may 2016.

[82] Ibid

परिभाषा, या जो कि अवैध है, पर आधारित हैं। कानूनी परिभाषाएं समय और स्थान के अनुसार निरन्तर बदलती रहती हैं जो कि एक अनसुलझी स्थिति को जन्म देती हैं, क्योंकि यह सुनिश्चित करना बहुत ही मुश्किल होता है कि आपराधिक संहिता (criminal code) एवं नागरिक संहिता (civil code) में से किस परिभाषा को सही एवं विश्वसनीय माना जाए। पारिभाषिक शब्दावली (terminology) की मुश्किलों के बावजूद भी वेश्यावृत्ति को सामान्य शब्दों में पैसे या अन्य कीमती चीजों के लिए किए गए यौन लेन-देन को ही वेश्यावृत्ति कहते हैं। उस मायने में अपनी समावेशिता (inclusivity) के कारण यौन कार्य शब्द का इस्तेमाल ज्यादा उचित है। "यौन कार्य" की परिकल्पना "रंडी" (whore) या "वेश्या" (prostitute) जैसे लांछित करने वाले शब्दों से अलग एक और गैर कलंकित शब्द (nonstigmalizing term) के रूप में की गई हैं। इस शब्दावली का मुख्य उद्देश्य समाज की नजरों में इसे एक बेकार और मूल्य की कमी वाला काम (lack of worth) काम से हटाकर यौन कर्मी के पेशेवराना (professionalism) को दिखाना था।[83]

इस बात को खोजकर जानने की जरूरत है कि इन महिलाओं के द्वारा किया जाने वाले कामों (यौन कार्य) को आम जीवन के कामों में कहां और किस प्रकार का स्थान हासिल है ? क्या यह उन्हें यौन कार्य र्स से संबोधित किए जाने को उचित ठहराता भी है या नहीं जबकि सच्चाई यह है कि दिन का अधिकांश समय वो अन्य कामों में व्यस्त रहती हैं एवं इस सेक्स बाजार से उनका संबंध मात्र कुछ घंटों के लिए ही होता है ? श्रम बाजार में उनकी पहचान जैसे प्रश्न पर किस तरीके से पेश आया जाए एवं इसे परिभाषित करने के लिए कौन से पैमाने होने चाहिए ? अधिकतर मामलों में महिलाओं द्वारा अपने इस काम को मुख्यधारा के "सामान्य" पेशों एवं यौन कार्य र की तरह देखना इस बात को और भी ज्यादा अनसुलझा बना देता हैं। उदाहरण के तौर पर एक सब्जी विक्रेता जो की सब्जी बेचते समय भी ग्राहकों की तलाश में रहता है या विवाहों में नाचने वाली नर्तकी जो कि ग्राहकों से संपर्क बनाए रखती हैं। इन उदाहरणों के तौर पर हम यह दिखाना चाहते हैं, कि महिलाओं के काम एवं जीवन को निश्चित तौर पर

---

[83]Ditmore Melissa Hope (ed.), *The Encyclopedia of Prostitution and Sex Work,* Volume - 1 & 2, Greenwood Press, London, 2006, pp: XXV - XXVI, Available at: http://www.armchairpatriot.com/Encyclopedias/Encyclopedia%20of%20Prostitution%20and%20Sex%20Work%20%28pdf%29.pdf, accessed on 12th may 2017.

पृथक खंडों में अलग करना आसान नहीं हैं। ये सारे काम यौन-कर्मियों एवं "सामान्य" काम को मुख्यधारा में डालकर एवं यौन-कर्मियों को एक अजीब एवं पृथक काम के अलगाव को चुनौती देकर, इसकी समझ को और भी अस्पष्ट कर देते हैं।

श्रम की विभिन्न पहचानों से जुड़ी समस्या सिर्फ यौन कार्य करने वाली महिलाओं तक ही सीमित नहीं है किन्तु अपने मौलिक श्रम (primary work) की पहचान को सुलझाने में यौन-कर्मियों की जटिलता भी मुश्किलें खड़ा करती हैं। इस बयान को थोड़ा और संशोधित करते हुए यह कहा जा सकता है कि कोई महिला अपने काम को पूरी तरीके से नहीं भी खो सकती है तथा यह वेश्यावृत्ति के साथ ओवरलैप कर सकता हैं। परन्तु विभिन्न कार्यों को वेश्यावृत्ति के साथ मिलाकर देखना एक विशेष प्रकार का ध्यान आकर्षित करता हैं। यहाँ पर एक बड़े ऐतिहासिक तथ्य का मंथन करना अधिक प्रासंगिक होगा।[84] कि पूर्व में भी भारतीय सन्दर्भ के पुराने कार्यों को जैसे नाचने वाली महिलाओं को, दासियों को, देवदासियों इत्यादि को वेश्यावृत्ति के कार्यों की तरह के कार्यों को नीच कार्य की तरह माना गया है, परन्तु इसका विलोपन एक समय एवं बड़े स्थान के फैलाव में इसका विलोपन एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं समझा जा सकता बल्कि समकालीन दुनिया में महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले हर कार्यों पर इसकी पुनर्रावृत्ति का खतरा हमेशा बना रहता हैं।

इस बहस को आगे बढ़ाते हुए उनका मानना है की यदि हम तार्किकता के आधार पर भी इस बहस को समझने का प्रयास करें तब भी महिला वेश्यावृत्ति को एक श्रम के रूप में अस्वीकार करना ही इसके उन्मूलन का आधार हो सकता है, ना कि इसे एक श्रम के रूप में स्वीकार कर मान्यता मिलना, किन्तु यदि ऐसा होता है तो यह महिला वेश्यावृत्ति की बुराइयों में कुछ सुधार करने हेतु किए गए उपायों की तरफ प्रयास जैसा हो सकता हैं। उनका मानना है की यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझना और जानना सबसे आवश्यक है, यह निर्धारित करना कि sex work किस तरह का "श्रम" (work) है ? यौनिक नैतिकता के मूलसिद्धांतों के अनुसार पर सहवास के लिए महिलाओं द्वारा धन स्वीकार करना एक अपराध माना जाता है, एवं इसी के साथ समाज में महिलाओं को

---

[84] Apte Hemant and Rohini Sahni."What does a Language have to say? Words for Prostitution in Marathi Vocabulary" in Rohini Sahni, V. Kalyan Shankar and Hemant Apte (ed.). *Prostitution and beyond: an Analysis of Sex Work in India,* New Delhi: SAGE Publications, 2008, pp: 301-315.

उनकी यौन पवित्रता खंडित होने के लिए उन्हें हीं जिम्मेदार माना जाता है, किन्तु, समाज में लैंगिकता को इस तरह नियंत्रित किया जाता है, कि पुरुषों को अधिक यौनिक स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाते हैं।

इसी सन्दर्भ में मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार में वेश्यालय आधारित कोठों पर होने वाले महिला यौन कार्य को एक श्रम के रूप में समझने का प्रयास किया हैं। इन कोठों पर यह यौन कार्य एक श्रम के रूप में रोजाना सुवह आठ बजे से लेकर शाम के ग्यारह बजे तक सभी ग्राहकों के लिए खुले रूप से चलता रहता हैं। उसके बाद यहाँ पर यह यौन कार्य कुछ ऐसे ग्राहक जो कि पूरी रात के लिए यहाँ पर रुकने के उद्देश्य से आते हैं, उनके साथ शुरू होता हैं। यह ग्राहक रात को ग्यारह बजे से सुवह के छ सात बजे तक इन्ही महिला यौन-कर्मियों के पास रुकते हैं। रात को रुकने वाले इन पुरुष ग्राहकों की संख्या एक महिला यौन कर्मी के पास एक से अधिक हो सकती हैं। यह महिला यौन कार्य कबाड़ी बाजार के कोठों पर मुख्य रूप से तीन कड़ियों के मिश्रण से चलता हैं। जिसमें सवसे मुख्य कड़ी है इन महिला यौन-कर्मियों के पुरुष दलाल जो कि इन यौन कर्मी महिलाओं के पास पाए जाने वाले सबसे करीबी कड़ी हैं। यह दलाल इन यौन-कर्मियों के सबसे नजदीक रहते हैं, जिनके बिना यह यौन कार्य किया जाना संभव नहीं हैं। यह दलाल बहुत ही चालाक और शातिर होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को देखकर यह अनुमान लगा लेते हैं कि यह क्या चाहता है और इस व्यक्ति को किस तरह पटाना हैं। यह दलाल एक तरह से इन महिला यौन-कर्मियों के संरक्षक भी होते हैं यदि यह यौन कर्मी किसी मुसीबत में फंस जाती हैं तो यही दलाल इनको वहां से निकाल कर लाते हैं।इन महिला यौन-कर्मियों को यह विश्वास बहुत जोरों से होता है कि यदि हम किसी परेशानी में फंस जायेंगे तो हमारे दलाल पुरुष साथी हमको हर मुसीबत से निकालगे। यह दलाल ही होते हैं जो कि इन कोठों पर यौन कार्य करने हेतु नयी-नयी लड़कियां लेकर आते हैं, जिनके माध्यम से यह यह महिला यौन कार्य चलता हैं।

उसके बाद इस कार्य को सुचारू ढंग से चलने के लिए दूसरी और महत्वपूर्ण कड़ी है दल्लन अर्थात कोठे की मालकिन। यह कोठे की मालकिन भी बहुत ही दबंग, मजबूत, चालाक, निर्दयी, और सभी के साथ साठ गाँठ बैठाने वाली होती हैं। इनका संबंध दलालों और पुलिस कर्मियों से मुख्य तौर पर सबसे खास होता है, किन्तु यह संबंध किसी को भी सामान्तय दिखाई नहीं पड़ता हैं। इन दल्लनों के यह संबंध हमेशा छिपे रहते हैं।कोई भी इस बात का पता नहीं लगा सकता है कि इस दल्लन का किस पुलिस कर्मी से

संबंध है और कौन सा व्यक्ति किस कोठे का दलाल हैं। ऐसा यह सब इसलिए किया जाता है ताकि समाज में इन लोगों की गरिमा बनी रहे और यह छिपकर एक दुसरे की मदद करते रहें।

इसके बाद कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर चल रहे महिला यौन कार्य की तीसरी और सवसे महत्वपूर्ण कड़ी है, स्वयं महिला यौन कर्मी जिसके अभाव में यह श्रम का होना संभव ही नहीं हैं। यही वह कड़ी है जो कि सभी कड़ियों के आस्तित्व को बनाए रखने का काम करती है, और इस कार्य में सवसे अधिक भूमिका भी इन्ही महिलाओं की होती है जो कि स्वयं यौन कार्य करती हैं। इसी के साथ यह स्वयं महिला यौन कर्मी इस श्रम हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कड़ी होने के बाबजूद भी सबसे अधिक शोषण, जिल्लत, गाली, अत्याचार... भी बाकी दोनों कड़ियों से सहन करना पड़ता हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि इस महिला यौन कार्य में महिला यौन कर्मी ही सवसे महत्वपूर्ण कड़ी होने साथ साथ सवसे कमजोर कड़ी भी है, क्योंकि जब कोई भी महिला इन कोठों पर आ जाती है तो वह मात्र एक वस्तु के समान होती हैं जिसे हर हाल में इन कोठों की मालकिन और कोठों के दलालों के ऊपर निर्भर हो जाना होता हैं। यह कोठे की मालकिन और दलाल जैसा कहते हैं इन महिला यौन-कर्मियों को करना पड़ता हैं। यहाँ पर इनकी अपनी कोई भी मर्जी नहीं चलती हैं। शुरूआती दिनों में इन महिला यौन-कर्मियों की कोई भी अपनी मर्जी नहीं चलती है किन्तु जब यह यौन कर्मी इस यौन कार्य को अपना पूर्ण रूप से लेती हैं और इन दलालों और इन कोठे की मालकिनों का विश्वास इन महिला यौन-कर्मियों पर अच्छी तरह जैम जाता है तो फिर इन यौन-कर्मियों को कुछ आजादी मिल जाती हैं। किन्तु यह भी सच है कि यह यौन कर्मी जब तक भी यह यौन कार्य करती हैं, इन्ही दलालों और कोठों की मालकिनों के अधीन रहकर ही करती हैं।

वेश्यालय आधारित कबाड़ी बाजार मेरठ के इन कोठों का रास्ता सीधे सड़क से सीढीयों द्वारा एक बडे बरामदे में जाकर खुलता हैं, इन बरामदों में छोटी छोटी खिड़कियाँ भी होती हैं जिनमें कि यह यौन कर्मी बैठी रहती हैं और इस पुराने मेरठ के बाजार में आने जाने वाले सभी ग्राहकों पर नज़र रखती हैं। यह बरामदा सामने सड़क की तरफ खुले हुए हैं, जिसमें लगभग 20 से 25 के मध्य लड़कियां खड़ी या बैठी रहती हैं। कुछ युवा व सुंदर लड़कियां इशारे व आवाज देकर बरामदे में से सड़क पर आने जाने वाले व्यक्तियों को ऊपर आने के लिए आमत्रित करती रहती हैं।ये लड़कियां आने जाने वाले

व्यक्तियों को, कभी अपनी आँखों के इशारे से तो कभी हाथ के इशारे से तो कभी धीरे से दवी आवाज में आवाज देकर, तो कभी किसी भी नाम से पुकार कर, तो कभी अपने मुंह से सीटीं बजाकर भी अपनी ओर आकर्षित करके ऊपर आने के लिए आमत्रित करती हैं। इन कोठों के दलाल भी कहीं किसी कोने में इन्ही कोठों पर छिपे रहते है, व यह दल्लन अर्थात कोठे की मालकिन भी इसी बड़े बरामदे में खटिया पर, मुड़े पर या किसी कुर्सी पर बैठी रहती हैं। यदि कोई महिला यौन कर्मी किसी ग्राहक के साथ निश्चित समय से ज्यादा समय लगाती हैं, तो यह दल्लन उन्हें फटकार लगाती है (किन्तु ऐसा नयी महिला यौन-कर्मियों के साथ ही अधिक होता है, जिनके प्रति यह डर रहता है कि यह कभी भी किसी ग्राहक के साथ भाग सकती है, यदि कोई पुरानी यौन कर्मी है और उस पर दल्लन को विश्वास है कि यह कहीं भी जाने वाली नहीं है तो उसको ग्राहक के साथ अधिक समय देने पर भी फटकार नहीं लगती है)। यह महिला यौन कर्मी किसी ग्राहक से एक बार संबंध बनाने के ऐवज 150 से 400 रु० तक वसूल करती हैं, अर्थात जिस तरह का ग्राहक फंस जाए ठीक ही हैं। यह ग्राहक के साथ संबंध बनाने को *ट्रिप* (यह एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ है यौन संबंध बनाना) कहती हैं, जैसे एक *ट्रिप* मारने के 150 रूपये या अधिक लगेगें। महिला यौन कर्मी बहुत बार इस कबाड़ी बाजार के कोठों पर घण्टे के हिसाब से अपने ग्राहक के साथ संबंध बनाती हैं और उन ग्राहकों से घंटों के हिसाब से ही चार्ज भी करती हैं। यह घंटों का चार्ज 600 रु० प्रति घंटे से लेकर कितना भी अधिक हो सकता हैं। अपनी आमदनी के विषय में इन महिला यौन-कर्मियों का कहना हैं कि यदि ग्राहक आता हैं तो ठीक है कुछ कमाई हो जाती हैं, यदि नहीं आता है तो कमाई नहीं हो पाती हैं। इसी के साथ इसकी कमाई का विभाजन भी कई जगह होता हैं - (1) कोठे की दल्लन (2) कोठे के दलाल (3) कोठे के नौकर (4) पुलिस आदि । इन कबाड़ी बाजार में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत यौन कर्मी महिलओं की आमदनी का लगभग 65% भाग इन्हीं लोगों में बंट जाता हैं, इनकें हिस्से में इनकी कमाई का लगभग 35% भाग ही आता हैं। जिसमें यह अपना खर्च, अपने बच्चों का खर्च, बीमारी, घरवालों व अपने भविष्य के लिए बचाकर रखती हैं। अन्य मजदूरों अर्थात श्रमिकों की तरह इनको अपनी कमाई पर पूरा हक नहीं मिल पाता हैं। इनकी कमाई का अधिकतम भाग इस काम को करवाने वालो को ही चला जाता हैं। यहाँ पर ये महिला यौन कर्मी एक बंधुआ मजदूर से भी कठिन व असहाय जीवन जी रही होती हैं। दिन भर यह एक - एक ग्राहक के साथ रहती हैं, व रात में किसी एक निश्चित ग्राहक के साथ रहती हैं।इसकें ऐवज में ये 2000 रु० या

जितने भी अधिक रूपये मिल जाएँ वसूल कर लेती हैं। कई बार एक महिला यौनकर्मी के साथ एक से अधिक पुरुष ग्राहक भी रात को ठहरते हैं। इन ग्राहकों के खाने पीने की व्यवस्था भी इन्हीं वेश्यालय आधारित कोठों पर होती हैं।

यदि हम यौन कार्य के विषय विशेषज्ञों का वैश्यावृत्ति के प्रति उनके विश्लेषण को समझने का प्रयास करें और मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के जन जीवन और उनके यौन श्रम का विश्लेषण करें तो सामने आता है कि भारत में जिस समय अंग्रेजों का राज था उस समय के भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारी भी इस भावना की ही हाँ में हाँ मिलाते हुए नज़र आते हैं कि भारत में वैश्यावृत्ति एक आम बात है, जैसा कि उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता कि Mcyor C. A. McMohan का यह अवलोकन है कि भारत में वेश्यावृत्ति अन्य पेशे जैसे - त्योहार दुर्गा पूजा का काम करना या बढ़ईगिरी करना या सुनार का काम करने जैसा ही था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी गौर किया कि उस समय ब्रिटिश वेश्याओं की तुलना में भारतीय वेश्याओं को अपमानित जिंदगी नहीं जीनी पड़ती थी एवं ना ही उन्हें समाज के द्वारा नीचा दिखाया जाता था।[85] कुछ उदाहरणों में देखने को मिलता है कि, ब्रिटिश इस घटना से इतने परेशान और भ्रमित थे कि वे देशी महिलाओं को वेश्यावृत्ति के मामले में पाखंडी समझते थे एवं वे उन्हें वैसी महिलाओं के एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में देखते थे जिनकी "ना" का मतलब "हां" होता था। परन्तु, भारतीय समाज के आचार-विचार को समझने की इस असमर्थता को उनके द्वारा सही तरीके से पता नहीं लगाया जा सका, बल्कि इसके विपरीत वेश्यावृत्ति की सहनशीलता की व्याख्या के लिए अंग्रेज सतही धार्मिक एवं अंधविश्वासों पर ज्यादा विश्वास करने लगे थे।[86]

---

[85] Chatterjee, Ratnabali. The Queens' Daughters: Prostitutes as an Outcast Group in Colonial India, *Report Chr. Michelsen Institute, Department of Science and Development,* 6 December1992, p: 6 & 22. available at: http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/380/1/R%201992_8%20Ratnabali%20Chatterjee-07122007_1.pdf, accessed on 10th April 2017.

[86] Edwardes, S.M. *Crime in British India: a brief review of the more important offences included in the annual criminal returns with chapters on prostitution & miscellaneous matter,* New Delhi: ABC Publication, 1983, in Prabha Kotiswaran, Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and Law, *Boston College Third World Law Journal*,

अंग्रेजों ने इन कारणों को औपनिवेशिक राज्य के अभियान को बढ़ाने के लिए भारतीय वेश्याओं के नुकसान में प्रयोग किया। अंग्रेजी जवानों को भारतीय महिलाओं के शरीर की जरूरत को पहचानने के बाद[87] ब्रिटिश नस्ल की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों को एक नए तरीके की तलाश करनी पड़ी । इसलिए लैंगिकता का नैतिकता से प्रबंधन औपनिवेशिक परियोजना की पहचान एवं अधिकार से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था।[88] अंग्रेजों ने पाया कि वेश्यावृत्ति से संबंधित अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका भारतीय वेश्याओं को अपमानित करके उन्हें नीचा दिखाना हैं। भारत को ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को सिर्फ सेवा प्रदाता की तरह प्रयोग करने के कारण भारत में अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक प्रतिकूल प्रभाव डाला जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारी महिलाओं को अपना परंपरागत पेशों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों की तरफ जाना पड़ा जहां उन्हें किसी प्रकार का श्रम नहीं मिला और उनको कारखानों में काम के अभाव में भी भारतीय महिलाओं को अपनी आजीविका चलाने के

Volume - 21, Issue - 2, pp: 203 - 204. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj accessed on 12th march 2017.

[87] Andrew Wheeler Elizabeth and Katharine Caroline Bushnell. With Perfatory Letters by Mrs. Josephine Butlar and Mr. Henny S. Wilson, M.P., *The Queens Daughters in India,* London, Morgan and Scoot, New York, U.S.A. 1899, pp: 4 - 5. Available at: https://www.godswordtowomen.org/queensdaughters.pdf, acessed at: 14th March 2017 &

Prabha Kotiswaran, Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and Law, *Boston College Third World Law Journal*, Volume - 21, Issue - 2, p: 204. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj accessed on 12th march 2017.

[88] Alexander, M. Jacqui. “Redrafting Morality: The Postcolonial State and the Sexual Offenses Bill of Trinidad and Tobago”, In Mohanty Talpade Chandra, Ann Russo and Lourdes Torres (ed.). *Third World women and the Politics of Feminism,* Bloomington USA: Indiana University Press, 1991, pp: 133-139. in Prabha Kotiswaran, Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and Law, *Boston College Third World Law Journal*, Volume - 21, Issue - 2, p: 204. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj accessed on 12th March 2017.

लिए वेश्यावृत्ति में शामिल होना पड़ा।[89] किन्तु जब हम आज भी कबाड़ी बाजार मेरठ में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों से उनके काम के प्रति उनकी पूर्णतः रजामंदी की बात करते हैं तब उनका कहना है कि -

> “हम क्या करें हमको यदि कोई और काम मिलेगा तो हम यह काम क्यों करेयेंगे हम तो यह काम मज़बूरी में अपना पेट पालने के लिए करते है नहीं तो यह काम किसको पसंद है इस काम में कोई इज्जत नहीं है और ना ही कोई आगे भविष्य है तो यह काम तो हम सिर्फ मज़बूरी में कर रही हैं, जिससे कि हमारा पेट भर जाए और हमारे बच्चे भी पल जाएँ, यदि हम यह काम नहीं करके कोई और काम भी करते हैं तो भी हमको हजार बुरी नजरों का सामना करने पड़ेगा हमारे पास इस काम को ररने के सिवा कूई और रास्ता नहीं हैं। जब हम इस काम में आ ही गए हैं तो हम कोई और काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब हमको समाज में कोई इज्जत नहीं मिलेगी।”[90]

विद्वानों का मानना है कि अंग्रेज़ी प्रशासन अपने जवानों के लिए भारतीय वेश्याओं की सेवाओं का नियमित रूप से प्रयोग करता रहा है, जिसका मेरठ शहर में भी देखने को मिलता हैं। भारत के कस्बों एवं शहरों में बड़े एवं स्पष्ट सेक्स उद्योग हैं। खासकर यह उत्तर भारत के शहरों की सच्चाई है जहां की परंपरागत वेश्यालय एक पूरे पड़ोस को घेरती हैं। मद्रास एवं बंगलौर जैसे दक्षिण शहरों में अस्पष्ट रूप से परिभाषित लाल-बत्ती क्षेत्र (red-light area) होते हैं एवं गलियों तथा सड़कों पर काम करने वाली महिला यौन कर्मी होती हैं और अपना काम करती हैं। HIV/AIDS बाल वेश्यावृत्ति एवं तस्करी पर काम करने वाली एजेंसियों एवं NGOs ने इन शहरों में वेश्यालय आधारित यौन-कर्मियों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है क्योंकि यहीं पर यौन-कर्मियों एवं शोषितों की संख्या सबसे अधिक होती हैं। इसके अलावा राजमार्गों के आस-पास उप-नगरों में एवं छोटे शहरों में यौन कार्य के अनेकों और भी स्थान होते हैं, एवं इसी के साथ व्यावसायिक यौन की विविधिकरण फैलने और यौन कार्य के अपने इन रूपों को

---

[89] Chatterjee, Ratnabali. The Queens' Daughters: Prostitutes as an Outcast Group in Colonial India, *Report Chr. Michelsen Institute, Department of Science and Development,* 6 December1992, pp: 1 - 4. available at: http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/380/1/R%201992_8%20Ratnabali%20Chatterjee-07122007_1.pdf, accessed on 10th April 2017.

[90] रानी, कविता, अमिता, सुनीता, काजल ... आदि अर्थात यह बात कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय के कोठों पर कार्यरत सभी महिला यौन कर्मियों ने स्वीकार की कि उन्हें यह काम करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस काम में सामाजिक गरिमा नहीं है वह तो यह काम मात्र पेट पालने लिए कर रही हैं यदि उनके पास कोई और अच्छा काम होता तो वह यह काम कभी नहीं करती ।

बदलने की यह प्रवृति व्यवसायिक यौन कार्य की जटिलताओं को और भी अधिक बढाती हैं। उदाहरण के लिए, मुम्बई में NGOs के काम कमाठीपुरा लाल-बत्ती क्षेत्र में केन्द्रित होते हैं परन्तु हाल के एक यौन कार्य के मानचित्रण में इस शहर में कम से कम तीस और ऐसी महतवपूर्ण जगहों का खुलासा हुआ है जहाँ पर यौन कार्य छिप कर किया जाता है।[91] इसमें अप्रत्यक्ष रूप से मानी जाने वाली जगह शामिल नहीं हैं। खास तौर पर यह ऐसी छोटी जगह होती हैं जहाँ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है और इन जगहों पर यौन कार्य जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। इस तरह का यौन कार्य मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ, आगरा, जैसी छोटी जगहों पर भी बहुत आसानी से चलता रहता है। यहाँ के यौन बाज़ार बड़े मेट्रोपोलिटन शहरों के मुकाबले अत्यधिक छोटे होते हैं जिस कारण यहाँ पर यौन-कर्मियों की संख्या भी अत्यधिक कम होती है और इसीलिए यहाँ पर यह यौन कर्मी ना ही तो यूनाइट हो पाती हैं और ना ही इनके लिए सरकार ही कोई सुधार योजना इनके लिए काम करती है और ना ही यहाँ पर काम करने वाले NGOs को इनकी कोई ख़ास समस्या दिखाई पड़ती है। जिस कारण इनका शोषण बड़े शहरों में काम करने वाली यौन-कर्मियों के मुकाबले अधिक होता रहता है।

महिला यौन कार्य के सन्दर्भ में विद्वानों का मानना है भारत में भारतीय महिलाओं की एक बहुत बड़ी तादात अपनी विकट आर्थिक परिस्थितियों के कारण यौन कर्मी बनती हैं।वेश्यालय एवं गली कस्बे की वेश्यावृत्ति में उतरने वाली महिलाएं यौन कार्य आरम्भ करते समय आमतौर पर बहुत जवान और सुंदर होती हैं और उनमें से बहुत अधिक संख्या में वह बच्चे की आयु की ही होती हैं, शायद सभी सभी बच्चे की ही आयु की भी हो सकती हैं, जिसके विषय में जब मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन-कर्मियों से बात की तो उन्होंने बताया कि -

> “यहाँ वेश्यालयों में तो जितनी अधिक सुंदर और कम उम्र की लड़की होगी उसकी मांग उतनी ही अधिक होगी । वेश्यालयों में सभी ग्राहक कच्ची जवान और सुंदर लड़की मांगते हैं, ग्राहक कहते हैं कि हमको सुंदर, जवान और शख्त गुदगुदी लड़की चाहिए चाहें हमसे कितनी भी कीमत वसूल कर लो पैसे की कोई कमी नहीं है, किन्तु मेरठ के वेश्यालय में काम कर रही यौन-कर्मियों ने बताया कि मात्र सुंदर और कम आयु का होना ही यौन कार्य

---

[91] World Health Organization, Regional Office for the Western Pacific, *STI/HIV: Sex Work IN Asia,*

July 2001, pp: 27-28.

में सफल नहीं बना देता है वल्कि ग्राहक उस यौन कर्मी को ही पसंद करते हैं जो की उनकी मनमानी को पूरा करे और वह जैसे भी यौन क्रिया करते हैं उनका किसी भी प्रकार का विरोध ना करे, चाहें ग्राहक हमारे स्तनों को पूरी ताकत से मसल दे या हमारे नितम्बों पर चांटे मारे या कितनी भी गन्दी गाली हमको दे हमको अपने ग्राहक को यही दिखाना होता है कि उनके दिए गए अपमान और कष्ट में हमको बहुत मजा आ रहा है, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो ग्राहक हमको दुबारा पसंद नहीं करेगा। किसी भी ग्राहक को आनंद इस बात में आता है कि वह हमको कितना कष्ट दे सकते हैं (यह कुछ हद तक नाटक भी हो सकता है) ना की इसमें कि वह हमसे कितना प्यार करते हैं।[92] ऐसा दुर्व्यवहार अधिकतर रात को रुकने वाले ग्राहक अधिक करते है क्योंकि वह हमको अधिक पैसा देते हैं जिसके लिए वह हमारे साथ पूरी मनमानी करते है और हर उस यौन कर्मी को यह सहन करना पड़ता है जिसे कि एक अच्छी यौन कर्मी बनना है।"

विद्वानों का मानना है कि ऐसी स्थिति उत्तरी राज्यों में खासतौर से गंभीर है, जहां पर गरीब महिलाओं को नीचे दर्जे के मिश्रण सेक्स उद्योग में उनके शोषण को बढ़ावा मिलता देता हैं। बहुत सारे अत्यंत गरीब इलाकों में यह भी स्वीकृत होता है कि परिवार को पालने के लिए लड़कियां वेश्या ही बनेंगी। ठीक ऐसे ही परिवारों की लड़कियां मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में काम कर रही हैं जो कि बेड़न, बिडिया, बाछड़ा, समुदाय और नेपाल आदि क्षेत्रों से आती हैं, जो कि अपने परिवारों की रजामंदी से यौन कार्य करती हैं और इनके संबंध भी अपने परिवार जनों से बने हुए होते हैं, इतना ही नहीं यह अपने परिवारों के शादी विवाहों में भी शामिल होती हैं और उनको पैसे देकर भी मदद करती हैं।

क्षेत्र कार्य दौरान यह तथ्य सामने आये कि यौन कार्य के व्यवसाय में सस्ते उप-सेक्टरों (sub-sectors) में नवांतुकों लड़कियों की एक बड़ी संख्या की तस्करी की जाती हैं। भारतीय वेश्यालयों में तस्करी किए गए नेपाली एवं बांग्लादेशी लड़कियों को एक ऊंचा दर्जा दिए जाने के बावजूद, भारत में तस्कृत अधिकतर महिलाएं गरीब भारतीय राज्यों

---

[92] यहाँ मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत सभी अनुभवी महिला यौन कर्मियों, दल्लनों, दलालों और इन महिला यौन कर्मियों के ग्राहकों ने इस बात को स्वीकार किया कि महिला यौन कार्य में जितनी अधिक सुंदर, अधिक दर्द और गालियाँ हंसकर बर्दास्त करने वाली होगी वही लड़की इस काम में अधिक सफल हो सकती है । ग्राहकों का मानना था कि एक यौन कर्मी को ग्राहक की सभी बातों को मानना चाहिए और उसका नाभि विरोध नहीं करेगी तो इस काम में बहुत सफलता प्राप्त करेगी । इसी के साथ ग्राहकों ने यह भी बता कि यौन कर्मी वही अच्छी मानी जाती है जो कि ग्राहक को खुश कर दे और ग्राहक के साथ मीठी भाषा में बात करे और ग्राहक का खूब सम्मान करे ।

से आती हैं।तस्करी के शिकारों की बहुत बड़ी संख्या की स्थिति बहुत विकट होती हैं। बहुतों को यौन गुलामी की व्यवस्था में जकड़कर रखा जाता है जहां उनके अपने जीवन पर न्यूनतम अधिकार होता हैं। जवान, सस्ती एवं अधीनता स्वीकार करने के कारण ऐसी महिलाओं की बड़ी मांग महिला यौन कार्य उद्योग में अधिक होती हैं।

क्षेत्र कार्य से ढेर सारे वास्तविक साक्ष्य यह रेखांकित करते हैं कि ना सिर्फ गरीब एवं बेबस महिलाएं बल्कि शिक्षित महिलाएं भी व्यावसायिक यौन कार्य के बाजार में उतर रही हैं। छात्राएं, पेशेवर महिलाएं एवं गृहणियां भी अपना यौन बेच रही हैं। परंपरागत निम्न दर्जे के वेश्यालयों में काम करने वाली शिक्षित महिलाओं द्वारा उनके गुणात्मक व्यवसाय पर कब्जा जमाने की शिकायत करती हैं। व्यवसायिक सेक्स बाजार में जानबूझकर ये महिलाएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। वे आम वेश्याओं से अलग तरीके का व्यवहार करने का प्रयास करती हैं ताकि उनकी पहचान छिपी रहे।

क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से यह बात सामने आई कि यौन कार्य के माध्यम से अपने जीवन का पालन पोषण के दायरे में आने वाली महिलायें और विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाली महिलायें जैसे - निर्माण कार्यों में मजदूरी करने वाली महिलायें, दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिलायें, खोमचे लगाकर काम करने वाली महिलायें, खुदरा माल बेचने वाली महिलायें होती हैं, लेकिन संयोग से ये सारे काम गतिशीलता से संबंधित हैं तथा इन कार्यों में सार्वजनिक संपर्क की जरूरत होती हैं। क्षेत्र कार्य के सर्वेक्षण तथ्यों के परिणामों में यह पाया गया कि वास्तविक रूप में इन पृष्ठभूमियों से आने वाली कुछ महिलाएं देह धंधे में भी शामिल होती हैं। हालांकि इस सच्चाई का रेखांकित करना भी इन पेशों से संबंधित एक बड़ी संख्या को इन विशेषताओं से स्थानांतरित करने का एक जोखिम पैदा करने जैसा हो सकता हैं। जैसा कि वास्तविकता में निर्माण मजदूरी से जुड़ी हर महिलायें यौन कार्य में शामिल नहीं भी हो सकती है और ना ही हर नौकरानी इस पेशे को अपना सकती है, किन्तु इन सभी कामों का एक जगह मिलना ही इन सारे कामों को यौन कार्य से जोड़े जाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हैं।

जिस सन्दर्भ में global sex workers[93] में Kempadoo "sex work" के इस्तेमाल के औचित्य को स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि यौन कार्य हमें यह सुझाता है कि हमें "वेश्यावृत्ति को एक पहचान के रूप में देखने के बजाए (मुख्य रूप से महिलाओं की सामाजिक एवं मानसिक विशेषता जो की सामान्य रूप से "वेश्या" के द्वारा पहचाना जाता है) इसे एक आमदनी के जरिए के रूप् में या पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा एक काम के रूप में देखना चाहिए तथा इसमें शामिल लोगों को काम करने वाले लोगों की तरह देखा जाना चाहिए"। "work" खुद एक बहुसतही शब्द है जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए काम से ज्यादा कुछ और भी दर्शाता हैं। यह भी एक प्रकार का लेन-देन है जैसा कि सभी "work" में निहित होता है जिसके मायने किसी के लिए किए गए काम अर्थात (खुद के लिए, परिवार के लिए या अन्य के लिए) या किसी समय किसी काम को पूरा करने में गुजारे गए वर्ष, महीने, दिन घंटे किसी काम की मंशा का मतलब है की इससे होने वाले फायदों को या नुकसानों को दर्शाता हैं। इससे मिलने वाले प्रतिफल भी अपने रूपों एवं मूल्यों में विविध प्रकार के हो सकते हैं, जैसे- कि वेतन या लाभ में, नकद या वस्तु रूप में, तथा अमूर्त मूल्यों जैसे- सम्मान और गरिमा भी हो सकते हैं। सवाल यह है कि यौन कार्य इस प्रकार के लेन-देनों में से किस प्रकार के लेन-देन के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है? इसका प्रतिफल हिस्सा निश्चिंत और स्पष्ट है या नहीं? परन्तु अन्य नजरिए से यह एक प्रतिपूरक काम भी हो सकता है जिसे कि अन्य कामों के साथ जोड़ा जा सकता हैं। जैसा कि कुछ महिलाएं अन्य श्रम आधारित कामों में संलग्न होने के बावजूद अच्छी कमाई नहीं होने पर अपने कामों को यौन कार्य के साथ करने को प्रलोभित हो सकती हैं, जिससे उन्हें एक सीमित काम के लिए एक अच्छा प्रतिफल हासिल हो सकता हैं। अन्य विचारों में यौन कार्य को एक समझौताकारी तालमेल के रूप में भी देखा जा सकता हैं। जैसा कि कुछ महिलाएं बताती हैं कि शुरुआत में यह उन्हें एक मुश्किल काम लगा परन्तु बाद में वे इस काम की आदी हो गई और अब उन्हें इस काम को करने में कोई शर्म और मुश्किल महसूस नहीं

---

[93] Kempadoo, Kamala. "Introduction: Globalizing Sex Workers' Rights" In Kamala Kempadoo & Jo. Doezema (ed.). *Global Sex Workers: Rights, Resistance and Redefinition,* New York: Routledge, 1998, in West Jackie and Terry Austrin. From Work as sex to Sex as Work: Networks, 'Others' and Occupations in the Analysis of Work, Gender Work and Organozation, Volume - 9, No. 5, November 2002, p: 487.

होती हैं। यदि हम उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के अनुसार करते हैं तब उनका कहना है कि -

> "शुरू में हमको ऐसा लगता था कि यह काम बहुत मुश्किल है और हम यह काम नहीं कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे हम यह काम करने के आदि हो गए। जब हम इस कोठे पर आये थे तो हमको लगता था कि हम यह कहाँ पर आ गए हैं यह तो बहुत बुरी जगह हैं। लेकिन जब हमको यहाँ कुछ समय रहते हुए हो गया तो देखा कि यहाँ कोई परेशानी नहीं हैं। यहाँ पर कोठे की मालकिन हमारी देखभाल करती है और कुछ यौन कर्मी खाना बनाती हैं डॉक्टर हमारा चेकअप कर जाता है और नीचे बाजार है, यह अलग बात है कि सब हमको गलत नजरों से देखते हैं और हमसे बात नहीं करते हैं किन्तु हम भी अपना जीवन जी ही लेते हैं।"[94]

क्षेत्र अध्ययन के तथ्यों के अनुसार यहाँ पर एक असली चीज के लिए एक अपूर्व मूल्य का समझौता हुआ हैं। अचेतन रूप में अभी तक आर्थिक चेतना के भीतर महिला यौन मजदूरी एक कम टटोला हुआ क्षेत्र हैं। यह अनौपचारिक जीविकोपार्जन, जिसे कि गलती से महिलाओं के एक आर्थिक विकल्प के रूप में समझा जाता है, के दायरे में ही हाशिएपन का शिकार होता है, जिसके सन्दर्भ में मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन-कर्मियों ने जबाब दिया कि -

> "जब हम जब भी नीचे बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो यह दुकान के मालिक कहते हैं कि तुम दुकान बंद करने के समय आया करो। तुम्हारे आने से अच्छा ग्राहक हमारे पास नहीं आता है, अब जल्दी से यह सामान लो और जाओ इस तरह वह जल्दी से हमको सामान देकर कुछ अजीव सी बुरी सी नजरों से देखते हुए भेज देते हैं, जैसे कि हम इस समाज का कोई भी हिस्सा नहीं हैं। यहाँ हमारे पास तो सभी ग्राहक अपनी मर्जी से आते हैं हम तो कभी भी किसी के पास नहीं जाते हैं तो फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है ? आखिर समाज में हमारी क्या पहचान है?"[95]

यह विवादास्पद पहचानों की एक समस्या के रूप में होता हैं। जब कोई महिला किसी रेलगाड़ी में मौजे या रुमाल बेचती है या सब्जी-विक्रेता का काम करती है बावजूद इसके कि वह एक मामूली आय के लिए काम करती है, उसे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार के रूप में देखा जाता हैं। इस पर से उसे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम

---

[94] कबाड़ी बाजार के लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर काम कर रही महिला यौन कर्मियों ने अधिकतर यह स्वीकार किया कि हमको सिर्फ शुरुआत में ही यह काम को करने में घिन और आत्मग्लानि होती थी किन्तु कुछ समय बाद हमको भी यह काम अच्छा लगने लगा और अब ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हम कोई गकत काम कर रहे हैं ।

[95] Ibid

करने एवं कमाई करने की भी पहचान हासिल होती हैं। लेकिन जब वही महिला यौन कार्य में शामिल होती है तो उसके सारे वैकल्पिक कामों की पहचान खत्म हो जाती हैं। उसे उसके काम के पहचान के बजाय उसे एक यौन कर्मी का तमगा हासिल होता हैं।

महिलाओं के अनौपचारिक काम जो कि महिलाओं की आर्थिक कामों को नजरअंदाज किए जाने वाले सांचों में पूर्णरूपेण बैठता हैं, को यौन कार्य की प्रासंगकिता साबित करने वाले एक तात्कालिक ढांचे के रूप में देखा जा सकता हैं। यह सर्वसम्मत बात है कि पहचान की कमी सिर्फ यौन कार्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को इस पहचान की कमी को झेलना पड़ता है, जैसा कि श्रम-शक्ति में महिलाओं की प्रासंगिकता साबित करने वाले अपने प्रभावशाली काम। Beneria यह तर्क देती हैं कि "आर्थिक कामों में महिलाओं की भागीदारी को मोटे तौर पर नजरअंदाज किया गया है, खासकर उन कामों में जहां की आर्थिक जीवन में बाजार का प्रवेश अभी बहुत कम है।"[96] इस नजरअंदाज को स्पष्ट करने के लिए वह एक उदाहरण देती हैं कि एक कुम्हार की पत्नी जो कि कुम्हार के चाक में प्रयोग की जाने वाली मिट्टी को लाती है, एवं सानती है, उसे हमेशा एक गैर-कामगार (काम नहीं करने वाले) की तरह देखा जाता है।[97]

यौन कार्य एक श्रम और इसका सामाजिक स्वरुप

स्वाभाविक रूप से यह माना जाता है कि वेश्यावृत्ति एक सामाजिक कार्य है[98] जिस पर Kingsley Davis यह सवाल करते हैं कि "आखिर ऐसा क्या कारण है कि वेश्यावृत्ति एक अमान्य प्रथा होने एवं पश्चिमी सभ्यता में इसको गैर कानूनी घोषित होने के बावजूद भी यह सार्वभौमिक रूप से सर्वत्र से पनपता रहने वाला पेशा है?" Amrican Sociological Review में अपने एक लेख में वे इसका एक प्रकार्यात्मक नजरिया पेश

---

[96] Beneria, Lourdes. Lourdes Beneria. "Conceptualizing the Labor Force: The Underestimation of Women's Economic Activities", *The Journal of Development Studies,* Volume 17, Issue 3, 1981, pp: 24 - 26.

[97] Raju, Saraswati. "Introduction", In Saraswati Raju and Deipica Bagchi (ed.). *Women and Work in South Asia: Regional Patterns and Perspectives*, New York: Routledge, 1993, pp: 03-5.

[98] O'Neill, Maggie and Jane Pitcher. *Prostitution: Sex Work, Policy, & Politics*, New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd., 2003 p: 03.

करते हुए Davis कहते हैं कि "सेक्स की खरीद-फरोख्त वेश्यावृत्ति को एक संस्थान के रूप में स्थापित करता है एवं यह सिद्ध करता है कि वेश्यावृत्ति एक जरूरी "सामाजिक बुराई" है,[99] David की इस दलील के प्रति मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन-कर्मियों की यह तर्क है कि -

> "यदि हम यह काम करना बंद कर दें तो समाज में बलात्कार होंगे और सभ्य समाज की महिलायें सुरक्षित नहीं रह पाएंगी यह हमारी ही मेहरबानी है कि वह आज सुरक्षित हैं, क्योंकि जब किसी भी मर्द को सेक्स की भूख लगती है तो वह कोई रिश्ता नाता नहीं देखता है उस समय उसको बस औरत ही चाहिए चाहें वह कोई भी हो, ऐसी हालत में उन कामुक पुरुष ग्राहकों की सेक्स की भूख शांत करने के लिए मात्र मॉम ही काम आते हैं। याद्दी ऐसा नहीं होता तो आखिरकार अभी तक हमको यहाँ से हटा दिया जाता। हमको ही क्यों दुनियां में कभी कोई रंडी नहीं बनती साहब यदि रंडी की जरुरत इन मर्दों को नहीं होती तो, इन्ही मर्दो ने अपने फायेदे के लिए औरत को वैश्या बनाया है ताकि इनकी अपनी घरेलु महिलायें पवित्र और सुरक्षित रहें और बाजार में हमारे साथ मुंह मारते रहें। इसलिए हम इस समाज और इन मर्दों के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं और हमारा होना बहुत जरुरी है, और समाज हमको कभी भी नहीं हटाएगा चाहें जो कुछ भी क्यों ना हो जाए।"[100]

साक्षात्कार के दौरान महिला यौन कर्मी सीमा ने बताया कि मैं यह सिर्फ पैसे की खातिर करती हूँ। मैंने चार वर्षों तक एक सिलाई फैक्ट्री में धागे काटने के रूप में काम किया है, और मैंने घरों में चोका वर्तन करने का काम भी किया परन्तु उसके बाद भी मैं बेरोजगार हो गई। जब मैं बेरोजगार थी तब मैं अपनी एक दोस्त के घर पर थी, जो कि अपने पति से छिपकर कुछ विश्वासपात्र ग्राहकों के साथ यौन कार्य करती थी। मेरी दोस्त ने बताया कि इस काम में अधिक पैसा है और पैसा नगद भी मिलता है, उधारी का कोई चक्कर नहीं है, यदि ठीक से ग्राहक को खुश कर दो तो अलग से कुछ पैसे देकर जाता है वह अलग। तू कब तक यह घरों में मजदूरी करती रहेगी अब तेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं उनको भी तो पालना है इसलिए मेरी बात मान और यह काम शुरू कर दे, बस कुछ देर बुरा लगेगा फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसी हालत में क्या करती जब मेरी दोस्त मोहिनी ने समझाया तो में उसकी बात मान कर इस काम को करने के लिए राजी हो गयी। मैंने सीधे लाल बत्ती क्षेत्र में आकर काम शुरू नहीं किया पहले तो मैंने वहां काम शुरू किया जहाँ मोहिनी किसी मौसी के घर में यौन कार्य करती थी। मैं

---

[99] Ibid

[100] शबनम, सोनिया, रानी, कविता, रेखा, सुनीता, सीमा... आदि महिला यौन कर्मियों में और लगभग सभी यौन कर्मियों में यही मान्यता है कि यदि हम यह काम नहीं करते हैं तो सामाजिक स्तरीकरण एकदम बिगड़ जाएगा इसलिए हमारा होना इस समाज के किये बहुत उपयोगी है ।

भी उसके साथ मौसी के घर गयी किन्तु पहले दिन में कुछ भी नहीं कर पायी तो मोहनी ने मुझे यह बताया कि डरने या शर्माने की कोई बात नहीं हैं। मैं फिर अगले दिन मौसी के घर गयी तो मुझे पहले से ही तेयार करके ग्राहक के पास भेजा, मैं बहुत दरी हुई थी लेकिन वह ग्राहक बहुत ही अच्छा था उसने मुझे परेशान नहीं किया और 200 रूपये अलग से देकर गया वह जो कि अब पूरी तरह मेरे थे।[101] धीरे-धीरे मैं भी इस काम में शामिल हो गयी और अब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें पैसा मिलता हैं। मैं कभी कभी बहुत ही हताश और निराश भी हो जाती हूँ कि मैं इस धंधे में शामिल हूँ, लेकिन इसी काम से मेरी जरुरत पूरी होती हैं, और काम करना भगवान की पूजा करने के समान होता है, जैसे सभी अपना काम करते हैं में भी करती हूँ।

इस विषय में प्रसिद्ध नारीवादी McLeod की दलील हैं कि प्रारंभिक काम से अब तक नारीवादी विश्लेषण काफी विकसित हुआ है, एवं अब यह पितृसत्ता के सिद्धांत के साथ-साथ उप-सांस्कृतिक एवं गरीबी और आर्थिक एवं यौन-कर्मियों के अधिकारों तथा सेक्स बेचने वाली महिलाओं के विभिन्न मतों की जटिल समझ को भी अपने सिद्धांतों में शामिल करता है एवं विकसित करता हैं। समसामयिक समाज में वेश्यावृत्ति के नारीवादी विश्लेषण के शुरुआती दौर में, वेश्यावृत्ति को एक भ्रमकारी काम (Deviant Activity) एवं यौन गुलामी की तरह एक Reductionist तरीके से इसके साथ बर्ताव किया जाता रहा है।[102] हाल में इसे उपभोक्ता संस्कृति के सन्दर्भ में एवं पुरुष लैंगिकता को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक ढांचे की समझ एवं इसके उचित जवाब के रूप में देखा गया हैं।

इसी सन्दर्भ वहीं दूसरी तरफ putain, the mistress (रखैल), “दूसरी” से संबोधित की जाने वाली महिला भी अपने दूसरे किरदार की भूमिका से अवगत रहती हैं। उसे इस बात का हमेशा ख्याल रहता है कि sexiness से प्राप्त कोई भी शक्ति अन्य प्रकार की शक्तिहीनता और असमर्थता जैसे तुलनात्मक रूप से desexualized पर समाज द्वारा

---

[101] Ibid

[102] O’Neill Maggie, J. Green and S. Mulroy. “Young People and Prostitution from a Youth Services Perspective Footnote 1”, In David Barrett (ed.). *Child Prostitution in Great Britain: Dilemmas and Practical Responses,* London: The Children’s Society, 1997. Available at: http://people.uvawise.edu/pww8y/Supplement/-ConceptsSup/Sexuality/SupYoungProstYouthServ.html, accessed on: 27th June 2016.

स्वीकृत मां, बहिन, पत्नी, प्रेमिका की स्थिरत (सुरक्षात्मक) स्थिति के मुकाबले उसकी डांवाडोल स्थिति की शर्त पर ही आती हैं। एक महिला एक यौन कर्मी होने के कारण अपने पेशे को सार्वजनिक जीवन में स्वीकार करने या मानने से इंकार कर सकती है, जो कि यह सिद्ध करता है कि उस वेश्या का व्यवहार भी कुछ हद तक प्रभावित एवं नियंत्रित हुआ हैं। उसी प्रकार एक "अच्छी लड़की" भी किसी दूसरे की उपस्थिति के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकती हैं।

वेश्यावृत्ति को लेकर ये दो नारीवादी प्रतिक्रियाएं एक दूसरे से अलग दो विभिन्न छोरों पर स्थित है परन्तु इनमें से हर कोई स्वीकार करता है कि वेश्यावृत्ति की अनैतिकता का संबंध सीधे तरीके से परंपरागत एकल पत्नी वाले परिवार विचार के उतार एवं चढ़ाव से जुड़ा हुआ हैं। परन्तु फिर भी, ये दोनों रूख नारीवादी साहित्य में बहुत कम ही दिखाई पड़ता है तथा यह कहना गलत नहीं होगा कि नारीवादी परंपरागत एकल पत्नी विवाह एवं वेश्यावृत्ति दोनों को महिला उत्पीड़न के वाहक की तरह देखता हैं। वेश्या को किसी अनैतिक काम का दोषी नहीं समझा जाता है बल्कि उसे एक अनैतिक संस्था का शिकार माना जाता है।

एक ऐसी संस्था जिसका अस्तित्व अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचना की नींव पर टिका होता है तथा जिसमें महिलाओं के यौन का वस्तुओं की तरह शोषण किया जाता हैं। विवाह के अंदर महिलाओं की यौनिकता को आश्वस्त पितृत्व सेवाओं के तहत दबाया जाता हैं। वहीं वेश्यावृत्ति के अंदर महिलाओं की यौनिकता को पुरुषों की यौन की वासना एवं इच्छा की पूर्ति के लिए दबाया जाता है।[103] प्रभुत्व Engels द्वारा कथित-कथन जो अंतर एक गुलाम और शांति कायम कराने वाले में है वहीं अंतर एक पत्नी और वेश्या के बीच में है, इस बात को सटीक तरीके से पुष्टि करता हैं। उन दोनों ही स्थितियों में महिलाओं को यौन वस्तुओं की तरह देखा जाता है जिन्हें उपयोग के लिए कभी भी खरीदा या किराए पर रखा जा सकता है।[104]

---

[103] Benjamin Jessica, "The Bonds of Love: Rational Violence and Erotic Domination", *Feminist Studies*, Volume - 6, no. 1, Spring 1980, pp: 167 - 69. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3177655.pdf?refreqid=excelsior:e88c0c70973e295140b80d4e162c7f32, accessed on 24th may 2017.

[104] एंगेल्स फ्रेडरिक. *परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति,* प्रगति प्रकाशन मास्को, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली 1986, पेज 74 - 86.

कबाड़ी बाजार में महिला यौन कार्य एक नारीवादी विश्लेषण

कट्टरपंथी नारीवादी जो कि एक नारीवादी विचारधारा है के शब्दों में वेश्यावृत्ति की परिभाषा कुछ अलग है, उसके अनुसार वेश्यावृत्ति पुरुष प्रभुत्व, महिलाओं का शोषण एवं महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो कि स्वेच्छा या अस्वेच्छा से, नैतिक या अनैतिक रूप से किया जाता हैं। जैसा कि कट्टरपंथी नारीवादी संगठनों में सबसे प्रमुख में घोषणा करते हैं कि “हर प्रकार की वेश्यावृत्ति, महिलाओं की सहमति की परवाह किए बिना, महिलाओं का शोषण करती है और वेश्यावृत्ति सारी महिलाओं को प्रभावित करती है, यह किसी भी महिला की खरीद-फरोख्त को जायज ठहराता है तथा सभी महिलाओं को सिर्फ सहवास तक ही सीमित कर देता है।”[105]

उग्र नारीवादियों की वेश्यावृत्ति की आलोचना उनके द्वारा सामाजिक संबंधों के विश्लेषण से आता हैं। एक वृहत पैमाने पर, उन्होंने पश्चिमी समाजों में वंचित स्त्रियों को प्रचारित करने की मांग की है और इन असुविधाओं को sexual practices से जोड़ने की कोशिश की हैं। उनका मानना है कि ये प्रथाएं समाज में एक पदक्रम को परिभाषित करते हैं। जो कि महिलाओं की अधीनता को लागू करते हैं तथा इसे वैधता प्रदान करते हैं। इन सारे प्रभावों से प्रभावित यौन प्रथाओं में, नारीवादी वेश्यावृत्ति को महिलाओं की अधीनता का एक सूचक तथा कारण मानते हैं इसे इस अधीनता का एक प्रतीक भी मानते हैं। उदाहरण के तौर पर, Christine Overall यह दावा करती हैं कि सेक्स, धन और शक्ति के मिश्रण की वजह से “वेश्यावृत्ति में अधीनता एवं उसका स्वीकार, अत्याचार और जुल्म निश्चित तरीके से इसमें निहित है।”[106] किन्तु Overall

---

[105] Weitzer Ronald, “Moral Crusade against Prostitution”, *Society: Human Rights Review,* Volume 6, March-April 2006, P: 33. Available at: https://www.researchgate.net/publication/248141796_Moral_Crusade_Against_Prostitution &

file:///C:/Users/Manoj/Downloads/SOCIETY%20Moral%20Crusade.pdf, accessed on 17th june 2017.

[106] Overall Christine. “What's Wrong with Prostitution? Evaluating Sex Work”, *Signs,* Volume 17, no. 4 Summer 1992, pp: 706 - 07. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3174532.pdf?refreqid=excelsior:f776436a41119ec5467cf3f89d32ad34, accessed on 17th june 2017.

की इन दलीलों के विषय में कबाड़ी बाजार की महिला यौन- कर्मीयों का कुछ और ही मानना हैं। यह यौन कर्मी मानती हैं कि -

> “हाँ यह सही बात है कि हमको इस काम में बहुत पुरुषों को खुश करना पड़ता है, इस काम में हमको अपने ग्राहक की सभी तरह की मांगों को पूरा करना पड़ता हैं। अधिकतर ग्राहक की ऐसी ऐसी अभिलाषा होती है जिनको पूरा करने के लिए हमारी जान तक निकल जाती, ग्राहक जब हमारे साथ जब संबंध बनता है तो वह हमको एक इंसान नहीं समझता है वह मात्र एक वस्तु समझता है वह यौन संबंध बनाते समय गाली देता है ऐसी गाली कि कोई सहन नहीं कर सकता, “हरामजादी साली रंडी कुतिया तेरी माँ का ...” रांड की कोई इज्जत नहीं होती है इस समाज में साहव, कितने ऐसे ग्राहक हैं जो कि संबंध बनाते हुए हमारे मुंह पर थूकते हैं और हमको थप्पड़ मारते हैं, गला दवाते हैं, हमारे मुंह पर अपना वीर्य गिराते हैं और चाहते हैं कि हम उनके वीर्य को ऐसे चाट चाट कर पी जाए जैसे कि यही अमृत रस है, मानों कि इसको पीकर हम दुनिया की हर खुशी मिलेगी। यौन संबंध के दौरान जो यौन कर्मी जितनी अधिक पीढ़ा, दर्द अपमान और पिटाई सहन कर सकती है वह उतनी ही अधिक सफल और अच्छी रांड मानी जाती हैं। इस काम में हमको अधिक पैसा तभी मिलता है जब हम ग्राहक की की मार, गाली शोषण अधिक सहन करती हैं।यदि ऐसा नहीं करें तो कोई भी हमको पसंद नहीं करते हैं।”[107]

हालांकि यह नजरिया शत प्रतिशत सत्य नहीं है फिर भी अगर Overall एवं अन्य सही हैं तो भी यह वेश्यावृत्ति को एक विवादास्पद संस्था मानकर इसके दमन के प्रयासों की शुरुआत का एक कारण जैसा होगा। इस प्रकार सिर्फ वेश्याओं या उसके ग्राहकों के विकल्पों से जनित हानि या लाभों पर ध्यान केन्द्रित करने से कोई भी वेश्याओं या उसके ग्राहकों का सही मूल्यांकन नहीं कर सकता है, बल्कि ये विकल्प किसी बुरे संस्थान को बनाए रखने में दिए गए योगदान के लिए समस्यात्मक साबित हो सकते हैं। वेश्यावृत्ति को एक बुरी संस्था दिखाते वक्त नारीवादी मुख्य रूप से तीन तरह के दावों का मिश्रण पेश करते हैं: (1) वेश्या से खरीदी गई वस्तु है, और एक तरीके से उसका पतन होता है; (2) वेश्यावृत्ति का अस्तित्व वेश्या एवं उसके ग्राहकों के सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति की असमानता पर निर्भर है; एवं (3) वेश्यावृत्ति इसमें निहित असमानता को बरकरार रखने में मदद करती हैं।

---

[107] गीता, परमिता, विभाबरी, काजल, तमन्ना... आदि महिला यौन कर्मियों जो कि मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन कर्मियों ने यह स्वीकार किया कि सभी ग्राहक जब संबंध बनाते हैं तो हमको गाकी जरुर देते हैं, बिना गाली के उनको सुख प्राप्त नहीं होता है, यदि हम उनकी गाली सहन नहीं करते हैं तब वह दुबारा हमारे पास नहीं आते हैं, और हम बिना ग्राहक के हो जाते हैं ।

हालांकि बहुत सारे लोग जिसमें कि बहुत सारी वेश्याएं भी शामिल हैं, इस बात से इंकार करते हैं कि वेश्यावृत्ति हमेशा क्रूर या अपमानजनक होता है, पर वेश्याओं द्वारा सही जाने वाली क्रूरता एवं कष्ट को सबके सामने लाना नारीवादी (feminist scholarship) की एक सफलता माना जा सकता हैं। ये सारे कष्ट किसी भी साधारण काम की तुलना में ज्यादा बदतर है, बलात्कार, मार-पीट, गाली गलोच, एवं यौन उत्पीड़न इन कष्टों का केवल एक हिस्सा है।[108] अपने पाठकों को इन वास्तविक अनुभवों से दूरी बनाए रखने से रोकने के लिए Dworkin क्षतिग्रस्त शरीर, अंतरांग (viscera) एवं वेश्यावृत्ति की दोहरावदार प्रकृति को रेखा-चित्र द्वारा स्पष्ट करती हैं या किसी अन्य तरीके का प्रयोग करती हैं। उनका मानना है कि इन नुकसानों में चिन्हित अधीनता एवं पतन पुरुषों द्वारा वेश्यावृत्ति में खरीदी जाने वाली चीजों का एक हिस्सा है, इसलिए ये नुकसान वेश्यावृत्ति से ना तो आकस्मिक रूप से जुड़े हैं और ना ही इससे आसानी से अलग किए जा सकते हैं।[109]

कुछ नारीवादियों का वेश्यावृत्ति से संबंधित यह भी तर्क कि इसमें तुलनात्मक रूप से विशेषाधिकार और शक्तिशाली पुरुष और महिलाओं की जिंदगी में शामिल गरीबी, शक्तिहीनता, यौन शोषण और दुर्व्यवहार के इतिहास का शोषण करते हैं, इसलिए उनका मानना है कि स्वैच्छिक वेश्याओं की आपूर्ति के अस्तित्व को इसमें निहित अन्याय के निशान के रूप में देखा जाना चाहिए। वेश्यावृत्ति निश्चित तौर पर शोषण का एक रूप है क्योंकि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति अपने आप को एक यौन वस्तु की तरह उपभोग को कतई तैयार नहीं होगा। इसका अस्तित्व सामाजिक असमानता पर भी निर्भर करता है, क्योंकि सामाजिक असमानता यह सुनिश्चित करती है कि शक्तिशाली लोगों को उनकी पसंद की महिलाओं के यौन की वस्तुओं (sexual objects) तक

---

[108] Jeffreys, Sheila. “Prostitution, trafficking and feminism: An update on the debate”, *Women’s Studies International Forum,* No. 32, 2009, p: 317 - 318. Available at: http://ac.els-cdn.com/S0277539509000764/1-s2.0-S0277539509000764-main.pdf?_tid=298d5526-5292-11e7-b967-00000aab0f6b&acdnat=1497617517_6ce28239565e9a5fd9ed5b8606c51a57, accessed on 24th may 2016.

[109] Ibid

उनकी पहुंच हो।[110] Sheila Jeffreys, की इन दलीलों के विषय में कबाड़ी बाजार में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत यौन-कर्मियों का कहना है कि -

> “जिस भी इंसान के पास पैसा है वह शक्तिशाली है और अधिकतर वही ग्राहक हमारे पास आते हैं, यह बात ठीक है लेकिन यह बात पूरी तरह भी ठीक नहीं है हमारे पास तो गरीव से गरीव ग्राहक और अमीर ग्राहक आता है, क्योंकि हर इंसान में सेक्स की भूंख होती है की वही और जिसको भी अपनी अभिलाषा पूरी करनी होती है वह हमारे पास ही आता है, क्योंकि हम किसी को कभी भी मन नहीं करते हैं, लेकिन गरीव ग्राहकों की तुलना में अमीर ग्राहक हमारा शोषण अधिक करते हैं।अमीर ग्राहकों को लगता है कि वह अधिक पैसा देकर हमको कितनी भी पीढ़ा, दर्द और बेईज्जत कर सकते हैं। हम करहाते रहते हैं और उनको मजा आता रहता है लेकिन यही हमारी जिन्दगी है इससे आगे हम समाज में और कर भी क्या सकते हैं।हमारा रेट हम तय नहीं करते हैं वल्कि हमारी कीमत तो हमारे कोठे की मालकिन आदि तय करती हैं, हम तो ग्राहक से मिलने वाली बख्शिश जो की संबंध बनाने से पूर्व ग्राहक द्वारा हमको इस उम्मीद से दी जाती है कि हम उनको खुलकर मजा देयेंगी अर्थात् उनकी हर मनमानी को सहन करेयेंगी वह कितनी भी पीढ़ा या अपमान हमको दें हम उसको मुस्कुराते हुए सहन करेंगी।”[111]

मेरठ वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य में शामिल महिलाओं का पहनावा और व्यवहार, उनके पुरुष ग्राहकों के द्वारा यौन कर्मी महिलाओं से आशा किए जाने वाले व्यवहारों को भी स्पष्ट करता है, जो कि बहुत बार यौन श्रम में शामिल महिलाओं को संपत्ति या वस्तु समझने वाली स्थिति को और प्रत्यक्ष तरीके से स्पष्ट करता हैं। जिसके विषय में यहाँ पर यौन श्रम से जुडी महिलायें यह स्वीकार करती हैं कि -

> “हम जैसा पहनावा पहनते हैं हमको हमारे ग्राहक के द्वारा वैसा ही समझा जाता हैं। यदि हम टाईट जींस - टॉप, स्कर्ट - टॉप, या नए चलन के कपड़े पहनती हैं, तो हमको मॉडर्न समझा जाता है, और यदि हम सलवार - कुर्ती, साड़ी - ब्लाउज पहनती हैं तो हमको सीधी साधी समझते हैं।हमारे पहनावे से भी ग्राहक अंदाजा लगता है कि हम यौन संबंध बनाते

---

[110] Richards David A. J. Commercial Sex and the Rights of the Person: A Moral Argument for the Decriminalization of Prostitution, *University of Pennsylvania Law Review,* Volume - 127, no. 5, May, 1979, pp: 1219 - 1221. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3311634.pdf?refreqid=search%3A1147c87a6b02ed900766f513ce0549f3 , Accessed: 12/05/2016.

[111] सविता, सावित्री, रेनू, गीता, पारमिता, विभाबरी, काजल, तमन्ना, सविता, सावित्री, रेनू... आदि (महिला यौन कर्मी) जो कि मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत हैं इन महिलाओं ने बताया कि यह बहुत ही आम बात है कि सभी अमीर, गरीब, जाति, धर्म, उम्र, रंग, रूप आदि के मर्द हमारे पास अपनी भूख मिटाने के लिए आते हैं और हम महिला यौन कर्मी किसी को भी निराश नहीं करती हैं ।

समय उनको कितनी मनमानी करने दे सकती हैं।[112] यदि हमने मॉडर्न कपड़े पहने हैं तो तो ग्राहक समझता है कि हम उनको सेक्स का खुलकर मजा देयेंगी और यदि सादा कपड़े पहने हैं तो ग्राहक समझता है कि यह तो मजबूरी में काम कर रही है इसके साथ कोई मजा नहीं आएगा। लेकिन पहनावे से अधिक इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है की हम ग्राहक के साथ कितनी इज्जत और प्यार से बात करती हैं हम ग्राहक को समझें की वाही दुनिया का सवसे सुंदर वलवान, और समझदार इंसान है और यौन किर्या के दौरान उसको भरपूर मनमानी करने दें तो हम एक अच्छी और सफल यौन कर्मी होती हैं।"[113]

मेरठ के वेश्यालय में बहुत सारी यौन कर्मी इस तरह की बातों का समर्थन करती पायी गयी हैं। यह सभी महिलाएं, अपने आप को यौन कर्मी महिलाओं से आशा की जाने वाली यौन सेवाओं को प्रदान करने वाली समझती हैं, परन्तु फर्क यह है कि इन सेवाओं के लिए इन्हें भुगतान भी किया जाता है, जो कि इन महिलाओं को विवाह के स्थायी समझौते की दुविधा से बचाता हैं। यहाँ पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के साथ अध्ययन के तथ्यों के अनुसार से यह मालुम हुआ कि यहाँ पर जो महिलायें यौन कार्य को एक श्रम के रूप में अपनाती हैं, यह उनके लिए सामाजिक और आर्थिक अधीनता के कारण स्वीकार किया जाने वाला श्रम है, जिसके पक्ष में मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन कर्मी अपनी दलील देती हैं कि -

"यदि हमारे पास पैसा होता या हमारे माँ बाप पैसे वाले होते तो हम ऐसा ही गन्दा काम कभी नहीं करते। यह काम तो हम सब मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो इस काम में कोई भी इज्जत नहीं है, ना ही कोई सुरक्षा है, ना ही हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं, पैसा का क्या है, पैसा तो सभी कमाते है और हम भी कमाते लेकिन और सभी लोग अपने पैसे को अपने भविष्य के लिए खर्च करते हैं और हम वह भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसे पैसे का क्या करें, जिसे हम अपने बच्चों पर भी नहीं खर्च नहीं कर सकते है।"[114]

जब मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन-कर्मियों से उनके अपने कार्य के दौरान व्यक्तिगत पहचान को यौन क्रियाओं से अलग करने के प्रयासों

---

[112] Ibid

[113] Ibid

[114] सविता, सावित्री, रेनू, बबिता, कविता, शबनम, शब्बो, सन्नो, सजिया... आदि महिला यौन कर्मियों जो कि मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत हैं इन सभी और अधिकतर सभी कोठों की सभी महिलाओं ने जो कि महिला यौन कार्य में लगी हुई हैं उन्होंने स्वीकार किया और क्षेत्र कार्य से प्राप्त तथ्यों से भी यही सामने आया कि यहाँ पर कार्यरत महिला यौन कर्मी गरीवी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक पहचान, आदि के कारण यौन कार्य में शामिल हो रही है।

के विषय में शोधार्थी ने जिक्र किया तब उस समय; लिंगभेद और स्वार्थपरता के बीच एक अटूट सा सम्बन्ध बहुत सारी यौन-कर्मियों के अपने व्यक्तिगत् अनुभवों में रूढ़िबद्ध रूप से दिखाई देता हैं। जो कि उदाहरणस्वरूप, Emma Marcus की दलील से एक दम मेल खाता हुआ प्रतीत होता है जो कि महिला यौन कार्य की बारीकियों के विषय में लिखती हैं कि यौन सहवास के दौरान ग्राहक की बातचीत एवं चुंबन की इच्छा को अपनी अनिच्छा के बाबजूद पूरा करने के बारे में लिखती हैं कि “गंदी" बातें करना। मुझे सबसे सौदा पूर्ण व्यवहार लगा क्योंकि इसमें मेरी कल्पना के साथ मेरा शरीर भी जुड़ा था। मैंने अपना सर दूसरे तरफ घुमा लिया ताकि वह मुझे चुंबन लेने की कोशिश नहीं करेगा।[115] जब Emma Marcus की इस दलील के विषय में मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन-कर्मियों से बातचीत हुई तब यहाँ की बहुत सी महिला यौन-कर्मियों ने बड़े ही खुले मन से यह स्वीकार किया कि -

> “हमारे बहुत से ग्राहक यौन-क्रिया करने के लिए हमको घोड़ी (घुटनों के बल झुक जाना) बनने को कहते और हमको ना चाहते हुए भी बनना पड़ता, हम जानती हैं कि यदि हम घोड़ी बनकर अपने ग्राहकों के साथ यौन-क्रिया करेयेंगे तो वह जोर जोर से हमारे नितंबों पर चांटे मारेगा और हमको बहुत दर्द होगा, और उसकी इस मर्दानगी भरे व्यवहार के लिए हमको जबदस्ती मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ़ करनी होगी तथा ऐसा और अधिक करने के लिए मुझे उसको और जोश दिलाना होगा, जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं, लेकिन हम आखिर क्या करती यदि ग्राहक की मर्जी अनुसार यह नहीं करती हैं तो हमारा ग्राहक हमसे नाराज हो जाता और हम अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठते हैं और वह हमारा नियमित ग्राहक होने के साथ-साथ इस काम के अच्छे पैसे भी हमको देते हैं, इसलिए ऐसे ग्राहक को नाराज नहीं करना होता है, यही हमको ज्यादा ठीक लगता है और ना चाहते हुए भी हमको उसकी बात माननी पड़ती, क्योंकि हमारे पास इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं होता है, किन्तु जो नियमित ग्राहक होते हैं ऐसा वही अधिक करते हैं क्योंकि वह हमारे साथ खुले हुए होते हैं, और हमारी कमजोरी भी जान जाते हैं।[116]

[115] Iyer Karen Peterson. “Prostitution: A Feminist Ethical Analysis”, *Journal of Feminist Studies in Religion,* Volume - 14, No. 2 (Fall, 1998), p: 34. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/25002334.pdf?refreqid=excelsior:6fe677404b6c605ca5a641765d55bdc2, Accessed on 12th june 2017.

[116] काजल, रानी, शब्बो, कमला, मंजू, सोनिया... आदि मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन कर्मियों ने बड़े झिझकते और शर्माते हुए यौन क्रिया के दौरान ग्राहक कैसी कैसी मांग करता है, बताया कि उनकी खवाहिश हमको अधिक से अधिक दर्द और दुःख देने की होती है यहाँ पर हमारे शरीरों की रुई से भी अधिक धुनाई होती है ।

मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन-कर्मियों में अपने यौन श्रम के प्रति इस तरह की व्यक्तिगत अनिच्छा और अरुचि के वृतांत यहाँ पर आम रूप से देखने को मिलते हैं क्योंकि यह एक अमानवीय परिस्थिति में अपने स्वयं की भावना को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। अन्य कामों की तुलना में भुगतान किए हुए सहवास के दौरान पारस्परिक क्रिया संवाद में किसी भी यौन कर्मी के लिए ज्यादा व्यवसाय से भरा होता हैं।

महिला यौन कार्य के विषय में Peterson Iyer Karen का यह विश्लेषण ठीक ही मान पड़ता है कि, महिलाएं यौन श्रम ना तो स्वतंत्र तरीके से चुनती हैं और ना ही वे अन्य विकल्पों के अभाव में वेश्या बनती हैं।महिलाएं वेश्यावृत्ति अपनी जिंदगी के सीमित विकल्पों में से जीवन बसर के लिए चुनती हैं।[117] जिस विषय में मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों अपना मत इस प्रकार प्रस्तुत किया कि -

> "साहव यह तो हमारी मज़बूरी है, जो हम यह काम कर रहे हैं, हम तो यह काम सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए करते हैं। ऐसा काम कोई भी नहीं करना चाहेगा। हम जब एक बार इस काम में आ जाते हैं तो फिर यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं यदि हम जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते हैं और यदि किसी तरह चले भी गए तो समाज में हमारे लिए सभी रास्ते बंद हैं। अगर हम एक बार इस काम में फंस गए तो हमे हर हाल में यही काम करना है चाहें जो भी हो और चाहें हम कहीं भी रहें चाहें यहाँ कोठे पर या समाज में यह जानने के बाद समाज में कोई भी हमको काम नहीं देगा कि हम पहले यह काम करते थे।"[118]

इसी सन्दर्भ में महिला यौन कार्य विषय की विश्लेषणकर्ता Pateman और Shrage इस विषय में यह दलील देती हैं, कि वेश्यावृत्ति एक सामाजिक संस्था के रूप में खासकर महिलाओं के लिए नुकसानदायक और खतरनाक साबित हो सकती हैं। इस

---

[117] Iyer Karen Peterson. "Prostitution: A Feminist Ethical Analysis", *Journal of Feminist Studies in Religion,* Volume - 14, no. 2 (Fall, 1998), p: 37. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/25002334.pdf?refreqid=excelsior:6fe677404b6c605ca5a641765d55bdc2, Accessed on 12th june 2017.

[118] काजल, शब्बो, सन्नो, धर्मवती, गरिमा, कस्तूरी बाई, चांदनी बाई... आदि (महिला यौन कर्मी और कोठों की दल्लनों) जो कि मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत हैं सभी यह बताती हैं कि एक बार इस काम आने के बाद इस समाज में हमारे लिए सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, यदि हम इस काम को छोड़ना भी चाहें तो भी हम नहीं छोड़ नाही सकते क्योंकि अन्य कोई विकल्प हमारे पास नहीं होता है ।

सन्दर्भ में यदि वेश्यालय आधारित महिला यौन-कर्मियों के देखें जो कि मेरठ के कबाड़ी बाजार में कार्यरत है तो Pateman के यह तर्क खासतौर पर कुछ यौन-कर्मियों के जन जीवन के प्रति मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन यह बात जिसको वह बड़ी मजबूती के साथ कहती हैं कि, यौन-क्रिया की सहमति को पुरुष प्रभुत्व के लैंगिक सामाजिक यथार्थ को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना चाहिए। हमें सभी महिला यौन-कर्मियों को और इस कार्य से जुड़ी सभी महिलाओं को सिर्फ शिकार हुई या मात्र पीड़ित महिला ही मानने की भूल से बचने के साथ-साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिकतर भारतीय महिला यौन कर्मी जिस माहौल में यौन कार्य करती हैं, वह यौनिक, आर्थिक एवं अन्य तरीके से एक पितृसत्तात्मक माहौल भी हैं। इसलिए, हमें यौन कार्य को सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्र सहमति की बात, जिसका महिलाओं की खुशहाली से कोई नाता नहीं है, की तरह नहीं देखना चाहिए।

इसी प्रकार महिला यौन कार्य का एक पहलु यह भी है जो की वेश्यावृत्ति को एक काम की तरह देखता है, और इसका विश्लेषण यौन कार्य के रूप में करता हैं। यह इस यौन कार्य का लैंगिग (sexual) पहलु हैं। इस पहलु के अनुसार यह एक सर्वविदित सच्चाई है लगभग सभी वैश्याएँ अर्थात यौन कर्मी मुख्य रूप से महिलाएं होती हैं, (हालांकि यह जरुरी नहीं है की यह शत प्रतिशत सत्य हो लेकिन इस बात को स्वीकारते हुए कि यौन सेवाओं में उपभोक्ता पुरुष होते हैं, एक वैश्या को संरचनात्मक रूप से महिला की तरह देखा जाता है, चाहें यौन कर्मी कोई पुरुष ही क्यों ना हो) । यौन श्रम की लैंगिग मांग ही इस काम को लैंगिकता प्रदान करता है, हांलाकि इस काम की भौतिक परिस्थितियों को नकारा नहीं नहीं जा सकता है, क्योकि यही भौतिक परिस्थिति यौन कार्य को महिलाओं के अन्य कामों से मिलाता हैं। पेशेवर यौन कार्य को एक खुले समाज में भी हमेशा ही हैय की द्रष्टि से देखा जाता रहा है, क्योंकि समाज में इसे मुक्त सहवास की तरह समझा जाता हैं। यौन कार्य पारंपरिक महिला की भूमिका के व्यावसायीकरण के दायरे में आता है जो की अभी तक समसामयिक अर्थव्यवस्था में विधित अस्पष्टता का मुख्य कारण है।[119] जब महिलायें परम्परागत रूप से किये हुए कामो के लिये जो कि वे

[119] Schwarzenbach, Sibyl. “Contractarians and Feminists Debate Prostitution”, January 18, 2006, pp: 232-34, available at, *http://academia.edu/684192/Contractarians_and_feminists_debate_prostitution,* accessed on 16th may 2017.

या तो परिवार के भीतर प्रेम के लिये या बिना किसी स्वार्थ के मुफ्त रूप से या कभी कभी तुच्छ या छोटे पुरुस्कार के लिये, किये हुए कार्यो के लिये कीमत का दावा करती है तो उस मांग को एक विश्वासघात के रूप में देखा जाता हैं। समाज में शिक्षकों, नर्सो, सचिवों एवं अन्य महिलाओं को मिलते जुलते सेवा पेशों में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है, लेकिन यौन-कर्मियों की तरह उन्हें भी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करके महत्वहीन करार दिया जाता हैं। यह भी एक कारण है कि समाज में जब किसी पेशे का महिलाकरण हो जाता है तब बाजार में उस पेशे की मजदूरी का भी अवमूल्यन हो जाता हैं। अन्य कामों के कारणों में महिला के कौशल की कमी या सामान्य लैंगिक भेदभाव को भी शामिल किया जाता हैं।

अध्याय निष्कर्ष

मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन कार्य को एक श्रम के स्वरुप में समझना एक जटिल प्रक्रिया है, किन्तु फिर भी क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि महिला यौन कार्य को व्यवसाय के काम में जिसमें कि वेश्यावृत्ति भी शामिल है ना तो पूर्ण स्वतंत्रता और ना ही यह पूर्ण गुलामी का काम हैं। इसके विपरीत, वेश्यावृत्ति में असली व्यक्तिगत साधनों को सामाजिक बंधनों का सामना करना पड़ता है और यौन-कर्मियों को अपने जीवन में कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, ऐसे कठोर फैसले जिन से हम लोगों में से अधिकतरों का सामना कभी नहीं पड़ता है इसलिए जिसे हम शायद कभी समझ नहीं पाएंगे।

अध्याय - तीन

वेश्यालय आधारित कोठे महिला यौन कर्मीयों के निवास स्थल के रूप में

अध्याय - तीन

वेश्यालय आधारित कोठे महिला यौन कर्मीयों के निवास स्थल के रूप में

वेश्यालय आधारित यौन कर्मी या इन्हें सामान्य यौन कर्मी भी कहते हैं, सामान्यतया यह यौन कर्मी वेश्यालयों के कोठों पर रहकर यौन कार्य करती हैं। इनके श्रम और निवास दोनों यही वेश्यालयों के कोठे होते हैं।इस प्रकार के वेश्यालयों को, दिल्ली के श्रद्धानन्द मार्ग पर स्थित जीबी रोड, कलकत्ता के सोनागाछी, मुंबई का कमाठीपुरा, बिहार में चतर्भुज मुजफ्फरपुर और मेरठ में कबाड़ी बाजार, आदियों के कोठों पर सामान्यतया यौन-कर्मियों को यौन श्रम और निवास करते हुए देखा जा सकता हैं। इस अध्याय में कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों में यौन कार्य में जुड़े व्यक्तियों का निजी दैनिक जीवन यापन करने हेतु दिनचर्या किस तरह चलती है, उनका खान - पान, धार्मिक मान्यताएं, बच्चों का बचपन, पारिवारिक संबंध, शौचालय के साधन, मनोरंजन के साधन, खेल खेलना, संचार साधनों का प्रयोग, साफ़ सफाई के कार्य आदि।

महिला यौन कार्य के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए अभी तक बहुत से अध्यान हुए हैं जैसे कि Punkar and Rao, “Prostitutes in Bombay” यह अध्ययन 350 महिला यौन-कर्मियों के उत्तरदाताओं के आधार पर मुंबई में की गयी हैं। अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार अध्ययन के लिए चुनी गयी महिला यौन-कर्मियों की सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, कि जो महिलाएं वैश्यावृत्ति में शामिल होती होती हैं उनकी परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी होती हैं। इस अध्ययन के माध्यम से लेखक ने यह जानने का प्रयास किया है कि जो महिलाएं वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य करती हैं, वहां पर उनका जीवन कैसे व्यतीत होता है, तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक, उनका स्वास्थ्य, किस तरह का होता है, और इन वेश्यालयों पर इन महिला यौन-कर्मियों जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है और इनका और इनके बच्चों का कैसा भविष्य है।[120]

Mathur and Gupta, “Prostitutes and Prostitution” यह अध्ययन 20 महिला यौन-कर्मियों के निदर्शन उत्तरदाताओं के आधार पर आगरा शहर में किया गया हैं। इस

---

[120] Punekar, S. D. and Kamla Rao. *A study of Prostitution in Bombay.* Bombay: Allied Publishers Pvt. Ltd. 1962.

अध्ययन के माध्यम से आगरा शहर में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों और उनके ग्राहकों की इस काम में क्या भूमिका होती है समझने का प्रयास किया गया गया हैं। इस अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि समाज में महिला यौन कार्य को जारी रखने ले लिए मुख्य रूप से पुरुष समाज ही जिम्मेदार है, यदि पुरुष समाज ग्राहक के रूप में महिला यौन-कर्मियों के पास नहीं जाएगा तो यह समाज में अस्वीकृत व्यवसाय बंद हो जाएगा।[121]

Joardar Biswanath, “Prostitution in Historical and Modern Perspective” यह अध्ययन 200 महिला यौन-कर्मियों के निरुद्देश्यतापूर्ण (Randomly) निदर्शन के आधार पर कलकत्ता में किया गया है, कि वह महिला यौन कर्मी जो कि वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य करतीं हैं उनकी क्या समस्यायें होती हैं? इस अध्ययन में महिला यौन-कर्मियों की समस्याओं को ऐतिहासिक स्वरुप में समझने का प्रयास किया किया गया हैं, महिला यौन-कर्मियों की। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के लालालों, वेश्यालय के प्रवन्धक के साथ संबंधों का स्वरुप कैसा होता हैं? अध्ययन में यह बताया गया है कि समाज में महिला यौन कार्य के फैलने की वजह समाज में इसकी मांग है।[122]

वेश्यालय आधारित यौन कार्य यौन श्रम का एक ऐसा स्थान है, जहाँ पर यह यौन श्रमिक चोवीस घंटे अपना जीवन बिताती हैं, अर्थात यही कोठे इनके रहने और श्रम करने का स्थान हैं। इसलिए इस अध्याय में यह विश्लेषण करने का प्रयास किया है, कि इन महिला यौन कर्मीयों का खान पान, रहन सहन, इनके मनोरंजन के साधन, इनका दैनिक जीवन, इनके बच्चों का दैनिक जीवन, इनकी धार्मिक मान्यताएं, रीतिरिवाज आदि किस तरह होते हैं, और वह इनके जीवन में किस तरह का महत्व रखते हैं, और इनका इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हैं। इसी के साथ इन महिला यौन-कर्मियों के उनके मूल पारिवारिक सम्वन्ध किस तरह चलते हैं, और इन कोठों पर ग्राहक, दलाल, दल्लन, और यौन कर्मी आदि के मध्य किस तरह के सम्वन्ध पाए जाते हैं। कबाड़ी बाजार क्षेत्र काफी पुराने समय से बसाया गया है, जिसे पुराना मेरठ शहर भी

---

[121] Mathur, A. S. and B.I. Gupta *Prostitutes and Prostitution*. Agra: Ram Pramod and Sons, 1965.

[122] Joardar, Biswanath. *Prostitution in Historical and Modern Perspective.* New Delhi: Inter-India Publication, 1984.

कहा जाता है, और यह क्षेत्र काफी बड़े क्षेत्र मैं फैला हुआ हैं। कबाड़ी बाजार क्षेत्र में महिला यौन कार्य मुख्य रूप से एक चौराहे की तीन सड़कों के दोनों तरफ बनी इमारतों के प्रथम तल पर होता हैं। यह चौराहा बहुत पुराना हैं। जिस पर बहुत पुराने समय का एक प्याऊ बना हुआ हैं। जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि "प्याऊ" पीने का ठंडा पानी । यह प्याऊ लोगों के जमा होने का एक हब हैं। जहाँ पर लोग अक्सर आकर खड़े होते हैं, पानी पीते हैं और फलों की चाट छोले कुलचे आदि खाते रहते हैं।यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चारों तरफ से लोगों के आने जाने का हब हैं। ट्रक ट्रांसपोर्ट, कबाड़े का सामान, टायर बनाने; पकाने और बेचने की दुकाने, जुते चप्पलों व कपड़े की दुकाने, चमड़े जूते; चप्पल जैकिट आदि बनाने का काम, चमड़ा पकाने का काम, हार्डवेयर के सामन की दुकाने, पशुओं के मॉस बेचने की दुकाने आदि इस जगह का बाजार हैं। इस जगह पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता हैं। यहाँ से निकलने वाले नाले गन्दगी और पशुओं के मॉस से भरे रहते हैं। बारिश के समय में यहाँ की सड़कों पर अत्यधिक कीचड़ और गद्दों में पानी भरा रहता हैं। यह क्षेत्र हमेशा टायर फैक्टरी के धुयें और नालों की दुर्गन्ध से दूषित होते रहते हैं।

प्रत्येक कोठों में काम करने वाली महिला यौन-कर्मियों की सख्यां लगभग 30 से 50 के बीच हैं। जिनकी आयु 18 से 30 के मध्य हैं।अधिकतम वाली महिला यौन-कर्मियों सख्यां 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग समूह की हैं। 30 से 40 वर्ष की आयु वर्ग समूह की वाली महिला यौन-कर्मियों की सख्यां बहुत कम हैं। इन कोठों को चलाने के लिए कोठों पर दल्लन व दलाल होते हैं। कोठे की दल्लन की आयु 40 से 50 वर्ष के मध्य हैं। यह वह महिलाएं हैं, जो काफी लंबे समय से यौन कार्य रहीं हैं। अब इनकी यौन-कर्मियों के रुप में डिमाण्ड नहीं हैं। इसलिए यह स्वंय यौन कार्य न करके अन्य महिलाओं से यौन कार्य करवाने का काम करती हैं। इन दल्लनों की सख्यां 1 से 3 प्रत्येक कोठे पर होती हैं, ठीक इसी प्रकार हर कोठे पर दलाल भी होते हैं। इनकी सख्या 1 से 2 के मध्य होती हैं, ये अधिकतर 23 से 40 वर्ष के मध्य होते हैं। इनका कार्य यह हैं कि यदि कोई ग्राहक किसी प्रकार की जोर जबर्दस्ती करता हैं, तो यह दलाल उससें निपटने का कार्य करते हैं। इन कोठो पर महिला यौनकर्मियों को *माल* (एक स्थानीय शब्द) कहकर संबोधित किया जाता हैं। मगर कोठों से अलग इनकों *रण्डी, तवायफ माल* ही कहा जाता हैं। इन कोठों में काम करने वाली महिलाओं के मनोरंजन के लिये रेडियो, टी.वी., सी.डी., आदि हैं। कुछ कोठों पर 14 इंच का कलर टी.वी. भी हैं। यहाँ पर महिला

यौनकर्मियों के पास मोबाईल फोन भी हैं, जिसका उपयोग यह अपने दैनिक जीवन में करती हैं। यहाँ पर प्रत्येक कोठों में एक पूजा स्थल भी हैं जहां राम सीता, मक्का मदीना व अन्य देवी-देवताओ की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ पर काम करने वाली कुछ यौनकर्मियों की कलाई पर पूजा का कलगा बंधा हुआ था, पूछने पर पता चला कि यहाँ पर पूज़ा पाठ भी की जाती हैं। यहीं पर एक कोठे पर एक महिला यौनकर्मी एक लोकगीत गा रही थी कि "*मोरे हरी बांसुरी वाले मोरे सब संकट हर लेंगे, मोरे सब संकट हर लेने, मोरे हरी बांसुरी वाले*" इन सभी की भगवान में अत्यधिक आस्था हैं। यह इस वेश्यालयों की एक परंपरा है जो चली आ रही है, किन्तु सभी यौन कर्मी पूज़ा पाठ नहीं करतीं हैं।

इन महिलाओं के रहने का स्थान काफी छोटा हैं। इन कोठों में बहुत सारे छोटे-छोटे कमरे बने हैं। जिनकी लंबाई और चौडाई 5×7 फिट के मध्य होगी। इन कमरों में लकडी का एक तख्त पडा हैं, जिनकी लंबाई और चौडाई 4.5×2.0 फिट होगी। इन तख्तों पर कोई गद्दा या चादर नहीं हैं। ऐसे ही बहुत सारे कमरे प्रत्येक कमरे में बने हुए हैं।

यहाँ पर तीन चाय वालों की दुकान हैं जो काफी पुरानी हैं ये दुकानदार वहां के लिए चाय व दूध भेजने का काम करते हैं तथा इनका धंधा इन्हीं यौन कर्मी व इनके ग्राहकों के द्वारा चलता हैं। इसी प्रकार यहाँ तीन ठेले वाले हैं जो इनके लिए सब्जी व फल देने का काम करते हैं इन चारों का धंधा भी इन्हीं के वजह से चलता हैं। यहाँ पर नीचे एक बडी मार्किट हैं किंतु इनके खाने का राशन 3, 4 दुकानों से ही जाता है वह भी एक निश्चित समय पर अधिकाशत: शाम को अंधेरा होने पर । नीचे यही पर चौराहे के पास एक पुलिस चौकी हैं जिनके लिए इनकी कमाई का एक बडा भाग जाता हैं। कुछ ऐसे लडके हैं जो इनके पास कोसमेटिक व कपडे बेचते हैं। यह सभी प्रत्येक कोठे में जाकर अपना धंधा करते हैं। कुछ लडके बडी दुकानों में भी काम करते हैं और दुकानदारों के कहने पर यहाँ सामान पहुचाने आते हैं। इनकी सख्यां लगभग 10-15 लड़के हैं। कुछ ऐसे ग्राहक हैं जो नियमित रुप से यहाँ आते हैं। ये ग्राहक एक लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं, जिन्हें इस वेश्यालय के नियमित ग्राहकों के रूप में माना जा सकता हैं।

कबाड़ी बाज़ार क्षेत्र का दैनिक जीवन

यह क्षेत्र लोगों के आने जाने और खड़े होने का एक मुख्य स्थान है, इसलिए यहाँ पर लोग हमेशा आते जाते रहते है, खड़े होकर बातें करते रहते हैं। इन्ही लोगों में इन यौन-कर्मियों के ग्राहक भी होते हैं। यह ग्राहक यहीं से इन कोठों पर खड़ी यौन-कर्मियों को देखते रहते हैं। ये यौन कर्मी भी इन्हीं लोगों में से अपने ग्राहक तलाशती रहती हैं। जब भी किसी यौन कर्मी की नजर और यहाँ पर खड़े लोगों की नजर एक दुसरे से मिलती है तो ठीक उसी समय यहाँ पर काम करने वाली यौन कर्मी सकपकाते हुए उसे ऊपर आने के लिए अपनी आखों से इशारा करतीं हैं। किन्तु वह जब भी यह इशारा करतीं हैं तो बड़ी ही सजकता (सावधानी) के साथ करतीं हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि यदि यहाँ पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो वह इस बात पर ऐतराज करेगें कि वह यहाँ पर खड़े लोगों को एक गलत काम के लिए उकसा रही हैं। इसलिए वह यह काम डरते हुए बड़ी सावधानीपूर्वक करतीं कि कहीं कोई और दूसरा व्यक्ति उन्हे ऐसा करते हुए ना देख ले। किन्तु यहाँ पर और भी बड़ा बाजार है, जैसे - कपड़ें की दुकाने, कबाड़े की दुकाने, पशुओं के मॉस की दुकाने आदि आदि। किन्तु उनके काम करने के तरीके में किसी भी प्रकार की कोई शर्म या डर नहीं दिखता हैं। वह अपने ग्राहकों को बड़े ठाठ के साथ बुलाते हैं और उन पर अपने सामान को बेचने के लिए बेझिजक सारे हत्कंडों को आजमाते हैं। यौन कार्य में अन्य कामों की तरह ना तो कोई स्वतंत्रता दिखाई देती है और ना ही कोई सम्मान दिखाई देता हैं। यह कार्य इन महिलाओं के द्वारा बहुत घबराते और डरते हुए किया जाता हैं।

क्योंकि यह एक बहुत ही संसेटिव क्षेत्र है इसलिए इस जगह पर हमेशा पुलिस के दो तीन सिपाही भी अपनी डयूटी पर तैनात रहते हैं। जिनका काम यह है कि कौन ग्राहक ऊपर जा रहा है और कौन ग्राहक ऊपर जा कर नीचे आया हैं। इस बात का यह विशेष ध्यान रखते हैं। जब भी कोई ग्राहक ऊपर से नीचे आता है, तो ये मौका देखकर उसे पकड़ लेते हैं और उससे कुछ पैसा ऐंठने की सारी तरकीबें लगाते हैं, जैसे- उन्हे डराना कि तुम बहुत गलत काम करके आये हो इस काम के लिए तुमको सजा हो जायगी, जब समाज में पता चलेगा तो तुम्हारी इज्जत चली जायेगी, तुम कानून के चक्कर में फंस जाओगे, अरे जब केस चलेगा तो कितने पैसे खर्च होंगे तुम को पता नहीं हैं। हम तो बस कुछ पैसे ही मांग रहे हैं। ऐसे में ग्राहक डर जाता और पुलिस वालों को कुछ ना कुछ पैसे देकर निकल जाता हैं। इतना ही नहीं जब वह पुलिस वाले उस ग्राहक को

पकड़ते हैं, तो उस समय उन के आस पास काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाती हैं। जब वह व्यक्ति उनको पैसे देकर उस क्षेत्र से बाहर जाता है, तो उसकी नजर झुकी रहती है, यह स्थिति उस ग्राहक के लिए ऐसी होती है, जैसे - उसने दुनिया का सबसे बड़ा अपराध किया हैं। उस भीड़ में कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं और वह व्यक्ति जो पकड़ा जाता है किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता हैं।

वेश्यालय आधारित कोठे अथवा महिला यौन कार्य के स्थान

कबाड़ी बाज़ार क्षेत्र के कोठों में यौन कार्य करने वाली अधिकतर महिलाएं राजिस्थान, अजमेर, नेपाल, बिहार और मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों से आती हैं। यह कोठे बहुत ही संकुचित और छोटे हैं। कहीं किसी कोने में बहुत ही छोटी सी एक रसोई है और एक कोने में लगभग 40 से 50 महिलाओं के लिए एक बहुत छोटा सा बाथरूम हैं। किन्ही कोठों पर खाना छत पर बनता है तो उन कोठों पर नीचे कोई रसोई नहीं हैं। जब भी सुबह होती है तो इन कोठों पर दैनिक दिनचर्या के लिए रोजाना एक छोटे से बाथरूम के सामने, पीने की पानी की टंकी के सामने। सभी महिलाओं को लाइन लगाकर खड़े रहना होता हैं। यहाँ पर इन सभी कोठों को अलग- अलग नामों से जाना जाता हैं। जैसे कोठा नंबर 445, रेल का डिब्बा, अनीता बाई का कोठा, बसंती बाई का कोठा, राधा बाई का कोठा, कस्तूरी बाई का कोठा आदि। हर कोठों की अपने नाम के साथ साथ कुछ विशेषता भी हैं। जैसे किसी कोठे पर जवान और सुंदर लड़कियाँ मिलती हैं। कुछ ऐसे कोठे हैं जहाँ पर मध्यम आयु की महिलाएं मिलती हैं और यहाँ पर इनके ग्राहक भी अधिक उम्र के व्यक्ति ही आते हैं। कुछ कोठे ऐसे भी हैं जो काफी बदनाम हैं। जिन पर माना जाता है कि यहाँ ग्राहकों से पैसे छीन लिए जाते हैं। कुछ कोठों पर ढली हुई अधिक आयु की महिलाएं पाई जाती हैं। जिनका चार्ज बहुत कम होता है क्योंकि अब इनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है, इनके पास कोई ग्राहक नहीं आता हैं।

वेश्यालय आधारित क्षेत्र में यौन कार्य रोजाना सुबह आठ नौ बजे से रात को दस-ग्यारह बजे तक खुले बाजार की तरह चलता हैं। जिसमे अनेक प्रकार के ग्राहक इनके पास आते-जाते रहते हैं। किन्तु यदि कोई ग्राहक इसके बाद भी इनके पास आता है, तो उसे लौटाया नहीं जाता हैं। इसके बाद यह काम रात को कुछ स्थायी ग्राहकों के साथ शुरू होता है जिसमे एक यौन कर्मी के साथ एक या एक से अधिक ग्राहक भी होते हैं। इसके लिए यह महिलाएं अपने कोठे के रेट और अपने रेट के अनुसार ग्राहक से फुल

नाईट के हिसाब से चार्ज करते हैं। इसके लिए यह एक हजार से दो तीन हजार रूपये या अधिक तक चार्ज करती हैं। ये महिलाएं अपने ग्राहक को कभी भी खाली नहीं जाने देती हैं।इन कोठों पर हर यौन कर्मी के रेट बंधे रहते हैं। जैसे- एक ट्रिप के 100 रूपये से 300 रुपए या अधिक हो सकते हैं, जिनमे से इनको आधे से भी कम पैसे मिलते हैं। यौन कर्मी के यह रेट उसके शारीरिक संरचना, सुन्दरता और ग्राहक के साथ किये गए सहयोग के आधार पर निश्चित किये जाते हैं। इनकी कमाई का आधा भाग कोठे की मालकिन को और पुलिस को चला जाता हैं। किन्तु इनके पास जो ग्राहक आते हैं, वह Hot Site (इस स्थान पर महिला यौन कर्मी और पुरुष ग्राहक दोनों के यौन संबंध क्रियात्मक रूप से बनते हैं) इस स्थान जब पुरुष ग्राहक महिला यौन कर्मी के साथ पहुँचता है, तो इस स्थान पर वह महिला यों कर्मी को कुछ बख्शीस (टिप) देते हैं। बख्शीस का सारा पैसा इन यौन-कर्मियों का होता हैं। ग्राहक इन यौन-कर्मियों को यह बख्शीस इसलिए देता है कि वह उस यौन कर्मी उसके के साथ खुलकर सहयोग करे अर्थात महिला यौन कर्मी की यौन सेवा उम्दा (बेहतर) किस्म की हो। बहुत बार ग्राहक इनके साथ समय अधिक बिताना चाहता है इसलिए वह इनको बख्शीस देता हैं। इन सभी यौन-कर्मियों के लिए बख्शीस नगद पैसे का एक मात्र ना सही किन्तु सबसे महत्वपूर्ण श्रोत होता है, जिसका उपयोग यह अपने खान पान और अपने भविष्य के लिए करतीं हैं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा यह अपने घर भी भेजती हैं जिससे कि इनके बच्चों की परवरिश इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती हैं। यहाँ पर अधिकतर यौन-कर्मियों के बच्चों की परवरिश उनके परिवार जन करते हैं जो कि कहीं दूर गांव में रहते हैं।

इन सभी कोठों पर पुलिस हमेशा पर्याप्त चिंता का विषय बना रहता हैं। यहाँ की यौन कर्मी हमेशा कोशिश करतीं हैं की वह कभी भी पुलिस के चक्कर में ना फंसे चाहें इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। किन्तु यहाँ पर कुछ कोठे ऐसे भी हैं जिनकी मार्किट में बहुत अच्छी शाख हैं। ग्राहक जिनका सिर्फ नाम सुनकर ही आता हैं। इनकी विशेषता यह है कि यहाँ पर कोई भी नया ग्राहक आये या पुराना ग्राहक आये सभी ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता। इन कोठो पर कोई कितना भी रुपिया लेकर आये कोई भी लड़की ग्राहक की तलाशी नहीं लेती हैं। वह आराम से आता है और अपना काम करके चला जाता हैं। इन कोठो पर पुलिस का खतरा भी नहीं होता है, क्योंकि पुलिस को भी बराबर हफ्ता जाता हैं। यदि पुलिस की कभी कोई दविश

पड़नी होती है तो इसकी जानकारी पहले ही मिल जाती हैं। इन कोठों पर ग्राहक को कोई खतरा नहीं होता हैं। इसीलिए यह कोठे अधिक चलते भी हैं। यहाँ पर अधिकतर अमीर बिजनिश मैन, पढ़े - लिखे और सरकारी नौकरी वाले लोग ही आते हैं। ग्राहकों का कहना है कि हमको यहाँ पर सुन्दर और जवान लड़कीयां मिलती है इसलिए हम इनके पास आते हैं।जब इस कार्य से जुड़े लोगों से बात की तो पता चला की इस वर्ग के ग्राहकों को ऐसी लड़की चाहिए होती है, जो उनसे अच्छे से बात करे और अच्छे से उनका सहयोग करे । ये लोग इन्ही कोठो पर इसलिए भी आते हैं क्योंकि इनको यहाँ सब कुछ मिलता है और सबसे बड़ी बात इन कोठो पर जेब कटने और पुलिस का कोई खतरा नहीं होता हैं। इस कार्य से जुड़े लोगों (दलाल आदि) के द्वारा यह बात जाहिर हुई कि इस कार्य में कम उम्र की, जवान, सुंदर और भरे हुए शरीर की महिला यौन कर्मियां अत्येधिक मूल्यवान होती हैं जिनकी मांग यौन बाज़ार में सवसे अधिक होती हैं। कम उम्र की महिलाओं के लिए प्रत्येक ग्राहक लालायित रहता है और उनके साथ जाने के लिए अधिक कीमत भी देता हैं।

यहाँ पर इस कार्य में जुड़ी एक अच्छी यौन कर्मी हमेशा अपने ग्राहक की निगरानी रखती है कि कहीं वह किसी और यौन कर्मी के पास तो नहीं जा रहा हैं। वह हमेशा अपने ग्राहक को खुश रखने का प्रयास करती है जिसके लिए वह हमेशा अपने ग्राहक के साथ बड़ी सादगी, शिष्टाचार और शालीनता के साथ पेश आती हैं, और हर ऐसा कार्य करती है जिससे कि उसका ग्राहक कभी किसी अन्य यौन कर्मी के पास वापस ना जाए। इतना ही नहीं कुछ यौन कर्मी अपने पक्के नियमित ग्राहकों के साथ उनकी पारिवारिक मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं कि वह क्या काम करता है उसके परिवार में कौन-कौन हैं ? उसका उसकी पत्नी के साथ कैसा चल रहा है और उसके बच्चे कैसे हैं आदि आदि। इतना ही नहीं यहाँ पर सभी यौन कर्मी अपने पहनने के कपड़ों और साज श्रंगार पर अत्यधिक ध्यान देती हैं। यह अपने कपड़ों और श्रंगार का चुनाव चल रहे वर्तमान फैशन के अनुसार करती हैं। यह फ़िल्मी अभिनेत्रीयों के नाम पर अपने नाम भी बदलती रहती हैं, जैसे - कैटरीना कैफ कभी करीना कपूर बन जाती है और ऐश्वर्या रॉय कभी रानी मुखर्जी बन जाती है तो आयशा टाकिया कभी आलिया भट्ट बन जाति हैं। यह हमेशा एक दुसरे का संवोधन इन्ही फ़िल्मी अभिनेत्रीयों के नाम के अनुसार करती हैं। ऐसा करने से इनकी अपनी सही पहचान भी छिपी रहती हैं।

Mukherjee and Mukherjee, “Female Prostitute and their Children in the City of Delhi” के द्वारा 500 यौन-कर्मियों के रेंडमली सेम्पल के आधार पर जी. बी. रोड़ लाल बत्ती क्षेत्र दिल्ली में किया गया हैं। यौन-कर्मियों के सामान्य जन जीवन पर किया गया भारत में यह पहला अध्ययन हैं। इस अध्ययन के द्वारा यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही यौन-कर्मियों की और उनके बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, और यहाँ पर उनको अपना देनिक जीवन यापन करने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका यौन-कर्मियों के नमूनों आधार पर विश्लेषण करते हुये समझने का प्रयास किया हैं। इस अध्ययन में यौन-कर्मियों के बच्चों के लिए इस लाल बत्ती क्षेत्र में उनकी शिक्षा, रहन-सहन की व्यवस्था, खान-पान व उनके बच्चों का पालन-पोषण किस तरह होता है, यह समझने का प्रयास किया गया। इस अध्ययन में निष्कर्ष के तौर यह पाया कि वह महिलायें और लड़कियां जो कि यौन कार्य को एक श्रम के रूप में कर रही हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि अत्याधिक निम्न स्तर की रही हैं। इसी के साथ अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो महिलायें अर्थात लड़कियां इस यौन कार्य में प्रवेश कर रही हैं इसके और भी बहुत सारे पहलु हैं, किन्तु इनकी कमजोर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का होना सबसे मुख्य पहलु हैं। इससे आगे अध्ययन का यह भी निष्कर्ष है कि यौन कार्य में शामिल महिलायें कठोर परिश्रम तो करती हैं, किन्तु इस कार्य में उनका विभिन्न पहलुओं से शोषण होता है, जिनको कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हैं। इसी के साथ अध्ययन में यौन कार्य से जुड़े अन्य मुद्दों जैसे कि यौन कार्य के स्वरुप, यौन-कर्मियों के परिवारों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यौन-कर्मियों की जीवन शैली, यौन-कर्मियों के साथ जुड़े उनके साथी दलाल, मैनेजर, आदियों के साथ उनके सम्बन्ध आदि मुद्दों की जांच की गयी हैं। किन्तु इस अध्ययन में इस बात की कोई चर्चा नहीं की गयी कि यौन-कर्मियों को एक श्रमिक के रूप में समाज में कितनी मान्यता मिलती है और समाज में एक श्रमिक की तरह क्या अधिकार प्राप्त हैं और समाज इनको किस तरह स्वीकार करता है।[123] अभी तक वैश्यालय आधारित महिला यौन-कर्मियों के रहन सहन और इनके दैनिक जीवन को समझने के लिए कुछ अध्ययन हुए है, जैसे -

---

[123] Mukherjee, K.K. and Sutapa Mukherjee. *Female Prostitute and their Children in the City of Delhi*'. A Study Report by Gram Niyojan Kendra, 1992.

Deparment of Welfare, Government of India, “They too are Children; A Report on Rehabitation of Children of Prostitutes” यह अध्ययन Women’s Study & Devlopment Center University of Delhi के द्वारा जी. बी. रोड़ लाल बत्ती क्षेत्र में किया गया हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि इस लाल बत्ती क्षेत्र में यौन कार्य किस तरह चलता हैं, और उसका कैसा स्वरुप हैं। यहाँ पर रहने वाली वह महिलायें जो कि यौन कार्य में जुड़ी हुई हैं उनके लिए अपने बच्चों के भविष्य निर्माण हेतु कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा वह इन सुविधाओं को किस हद तक प्राप्त कर पाती हैं। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि इस वेश्यालय आधारित यौन कार्य को चलाने के लिए इन कोठों पर इस काम से जुड़े लोगों की एक श्रंखला होती है, और इस श्रंखला में भी एक संस्तरण भी होता हैं। इस संस्तरण के क्रम में वेश्यालयों की देख-भाल करनेवाला, वेश्यालयों का प्रभारी, वेश्यालयों के प्रबन्धक, वेश्यालयों के दलाल और नौकर आदि कार्यकर्ता इस वेश्यालय आधारित यौन कार्य में जुड़े होते हैं।यह सभी किसी ना किसी रूप से इस कार्य शामिल होते हैं। इस अध्ययन को पूरा करने के लिए 340 उत्तरदाताओं के नमूने लिए गये जिनसे इस कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस अध्ययन पाया गया कि 264 वह महिलाएं है जो कि यौन कार्य को अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करती हैं और अपना पूरा समय के इसी कार्य के लिए देतीं हैं, यहाँ पर काम कर रही यौन-कर्मियों के 76 उनके बच्चे हैं, जिनमें से 46 स्कूल जाते हैं, और 34 VCH (Village Cottage Home) हैं अर्थात वह अपने सगे सम्बन्धियों के सात गाँव में रहते हैं। अध्ययन के दौरान सही तथ्यों को जानने के लिए जी. बी. रोड़ लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित कोठों पर लगातार अवलोकन किया गया। इसी के साथ इन यौन-कर्मियों के बच्चों की शिक्षा किस तरह चल रही है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जी. बी. रोड़ लाल बत्ती क्षेत्र में के पास स्थित एम.सी.डी. प्राथमिक विद्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त की, और इसी के साथ जी. बी. रोड़ लाल बत्ती क्षेत्र में के पास स्थित पुलिस स्टेशन से भी तथ्य एकत्रित किये एंव महिला यौन-कर्मियों के साथ लगातार अवलोकन करते हुए साक्षात्कार किये गए। ताकि इनके जीवन की दिनचर्या का गहनता से विश्लेषण किया जा सके। इस क्षेत्र में अन्य काम करने वाले व्यक्तियों से भी अध्ययन के दौरान तथ्य प्राप्त किए। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि 72.21% यौन कर्मी हिंदू धर्म को मानने वाली हैं। 52.13% अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं। 27.13% पिछड़ी जाति से सम्बन्धित हैं।19.68% यौन कर्मी उच्च जाति वर्ग को सदस्य हैं। 79.16% ऐसी यौन कर्मी हैं जो की यौन

कार्य को एक पहली पीढ़ी की सदस्य के रूप में कर रही हैं, 9.09% यौन कर्मी इस कार्य में दूसरी पीढ़ी के साथ जुडी हुई हैं, अर्थात उनकी पहली पीढ़ी की महिला सदस्य भी यही कार्य किया करतीं थी, अध्ययन के नमूनों का 1.14% हिस्सा ऐसी यौनकर्मियों का हैं जो की तीसरी पीढ़ी के रूप में पर यह यौन कार्य कर रही हैं, इन यौन-कर्मियों का मानना है की यह यौन कार्य उनका पैत्रक कार्य है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं को हस्तान्तरित होता रहता हैं। इन यौन-कर्मियों में 68.18% महिलायें अविवाहित थी, 77 महिलाओं के पास राशन कार्ड था परन्तु 147 महिलाओं के पास राशन कार्ड नहीं था । किन्तु उस राशन कार्ड का उपयोग उनके जीवन में क्या और कैसे होता के विषय पर इस अध्ययन चर्चा नहीं की गई है, इन राशन कार्डों में उन महिलाओं पता कहां का हैं यह भी नहीं बताया गया हैं। उनके बच्चों के साथ स्कूल में अध्यापक व अन्य सहपाठियों के द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता हैं, इस बात की भी चर्चा इस अध्ययन में नहीं की गयी हैं। 31.82% महिलायें जो कि विवाहित हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसे और कहाँ चलता है, यह भी अध्ययन में नहीं बताया हैं। अध्ययन में मुख्य तौर पर वेश्यावृत्ति के क्या कारण हैं, और उनके बच्चों का पुनर्वास किया जाना चाहिए यह अध्ययन का निष्कर्ष हैं।[124]

Shah P. Svati, "Street Corner Secrets: Sex, Work, and Migration in the City of Mumbai" । Shah अपनी पुस्तक में मुंबई शहर के वैश्यालय, सड़क, और दैनिक श्रम बाज़ार पर शोध में यह बताया है, कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन हुआ है। शहरों के उपनगरों में 'नाका' (स्थान का नाम) जहां पर श्रमिक अपने श्रम को दैनिक मजदूरी पर बेचते हैं, इस नाका पर महिलाओं के द्वारा पुरुषों को यौन सेवाएं वाणिज्यिक रूप से देती हैं। इन महिलाओं द्वारा सेक्सुअल सर्विस तथा निर्माण कार्यों के द्वारा जो आय अर्जित करती है। यह महिलायें इस आय से अपना जीवन यापन से करते हैं। Shah आगे बतातीं हैं कि मुंबई शहर के कमाठीपुरा वैश्यालय में महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और नेपाल आदि स्थानों से महिलाएं पलायन करके, इस कमाठीपुरा क्षेत्र में आकर रहती हैं। Shah अपने अध्ययन में सेक्सुअल कॉमर्स को abolutionist नजरिए से नहीं देखती हैं, बल्कि वह सेक्सुअल कॉमर्स को पलायन का

---

[124] *THEY TOO ARE CHILDREN: A Report on the Rehabilitation of Children of Prostitutes.* Sponsored by Department of Welfare, Government of India, In Women's Studies & Development Centre, University of Delhi. Delhi, 1992.

राजनीतिक अर्थशास्त्र, शहरी असंगठित क्षेत्र, राज्य के द्वारा नियंत्रित अभ्यास, जीवन के लिए भौतिक जरूरतें, यहां तक की आवास, पानी, जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों पर चर्चा करते हुए उनका विशलेषण करती हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में महिमा यौन कार्य के लिए सेक्सुअल कॉमर्स शब्द का प्रयोग किया है, इसमें महिलाओं द्वारा अपने जीवन यापन के लिए इस व्यापार में महिलाएं जुड़ी हैं। वह अपने अध्ययन में बताती हैं कि जहाँ (नाका) पर दैनिक मजदूरी के लिए श्रमिक बैठते हैं, यहां पर अनुमानित 300000 श्रमिक रोजाना मजदूरी करने के लिए बैठते हैं। रोजाना सुबह में मुंबई शहर के उपनगरों के प्रत्येक नाका पर लगभग 50 से 100 लोग सुबह दैनिक श्रम प्राप्त करने के लिए बैठते हैं। यह नाका वाणिज्यिक शहरों के करीब होता है, यहां पर विभिन्न वर्गों और जातियों के लोग दैनिक श्रम के लिए जमा होते हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर निर्माण कार्य करने के लिए पुरुष और महिलायें श्रमिक होते हैं। इन श्रमिकों में से अधिकतर महिला निर्माण कार्य श्रमिक अपने जीवन यापन के लिए यौन कार्य से जुड़ जाती हैं[125]। Shah ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में तथ्यात्मक रूप से यह बताती हैं कि महिला श्रमिकों की agency, चुनाव तथा विरोध का भी विश्लेषण करती हैं, जिसके संदर्भ में वह कहती हैं कि agency और चुनाव को हमें ढांचागत संदर्भ में समझना चाहिए, जिसके लिए सामाजिक-आर्थिक स्वरूप ही प्रमुख कारक होते हैं।

इसी के साथ भारत में यौन कार्य के काम में यौन-कर्मियों की एक बहुत बड़ी संख्या का अनुमान लगाया जाता है जो कि एक तरीके से हमारी जनसंख्या के आकार को परिलक्षित करता हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग करीब 20 लाख यौन कर्मीयों के होने की बात करता है।[126] इसी के साथ आयोग इस बात की भी पुष्टि करता है की इन 20 लाख यौन-कर्मियों में बाल वेश्याओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। आयोग के

---

[125] Shah P. Svati. *Street Corner Secrets: Sex, Work, and Migration in the City of Mumbai,* New Delhi: Orient Black Swan, 2014.

[126] Government of India. “The Velvet Blouse: Sexual Exploitation of Children”, New Delhi: National Commission for Women, 1997, in WORLD HEALTH ORGANIZATION, Regional Office for the Western Pacific, STI/HIV, Sex Workers in ASIA, July, 2001, p: 27.

अनुसार 40 प्रतिशत महिला यौन कर्मी अठारह वर्ष पूरा होने से पहले ही सेक्स (यौन) बेचना शुरू कर देती हैं।[127]

वह आगे कहती हैं कि आखिरकार वह महिला जो कि यौन कार्य कर रही है वह एक यौन कर्मी होने के साथ साथ एक शोषित माँ और एक कुआंरी महिला भी है, जिस स्वरुप में Luce Irigaray एक यौन कर्मी और यौन कार्य को विश्लेषण करती हैं, उनका मानना है, कि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यौन कार्य पुरुषों, दलालों, और ग्राहकों के बीच में केवल एक आदान प्रदान की वस्तु है।[128]

महिला वर्ग को सामाजिक नजरिये से देखने पर यह सामने आता है, कि समाज में महिलाओं को यौन कर्मी के रूप में उनके प्रति दोहरा मापदण्ड है, पहला वह महिलायें जो कि घर, परिवार अथवा वेश्यालयों के कोठों पर यह उम्मीद लेकर जाती हैं, कि वह हर हाल में उनके लिए खर्च करने वाले पुरुषों के प्रति समर्पित रहें। निश्चित रूप से यह मापदण्ड पुरुषों को महिलाओं के साथ यौन-क्रिया करने की आजादी देता है, क्योंकि यह उनकी जैविक आवश्यकता और शक्ति है। दूसरा मापदण्ड यह है, कि गुणवती महिलाओं से पुरुष वर्ग यह आशा करता है, कि वह वैवाहिक जीवन में पुरुषों की काम पूर्ति हेतु स्वत: तैयार रहें, वैवाहिक जीवन में जो महिलाएं यौन संवंधों को कम करना शुरू करती हैं, अर्थात अपने पति को इसमे सहयोग नहीं करती हैं, तो उनके अनैतिक होने का खतरा बना रहता है। महिला यौन कार्य से जुड़ी हुई महिलाएँ धन कमाने के लिए अपनी यौन सेवा पुरुष ग्राहकों के लिए प्रदान करती हैं, यह दोनों पहलू एक दुसरे से थोड़ा भी भिन्न नहीं है, लिंग असमानता की यह दोहरी स्थिति महिलाओं को यौन की आजादी नहीं देती और ना ही उन्हे समाज में मर्यादा और सम्मान प्राप्त होता है।

जब हम महिला वेश्यावृत्ति को एक श्रम के रूप में स्वीकार करते हैं तो महिला वेश्यावृत्ति को वैध (legitimat) माना जाए, और जब तक यौन कार्य के प्रति समाज में यह धारणा रहेगी की इस श्रम में सिर्फ आपराधिक प्रवृति वाले व्यक्ति ही लिप्त होते हैं, और यह श्रम स्वास्थ्य सम्वन्धी अनेक खतरों के लिए उत्तरदायी है, तथा जब तक इस श्रम को और भी अन्यों सामाजिक पहलुओं के साथ जोड़कर देखा जाता रहेगा तब

---

[127] Ibid

[128] Rajan Rajeswari Sunder. *The Scandal of the State: Women, Law and Citizenship in Postcolonial India,* Permanent Black, New Delhi, 2003. p:37.

तक महिला वेश्यावृत्ति को एक प्रामाणिता के साथ मूललिपि में इसे सामाजिक रूप से उपयोगी और फलदायी के रूप में शामिल करना गैर-कानूनी पेशेवर रूप में सामान्य करना बहुत मुश्किल होगा। उसी तरह जैसा कि यह सर्वविदित है कि राज्य और मानवीय पुरुष समाज के द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज में महिला वेश्यावृत्ति जैसी सेवाओं का निमार्ण किया जाता है, और इसके साथ ही साथ वेश्यावृत्ति के अर्थव्यवस्था में योगदान को भी यह राज्य स्वीकार करते हैं। इस प्रकार वेश्यावृत्ति को वैधानिक रूप से नियमित करने के सारे प्रयास जो कि ग्राहक और समाज के हित में हो सकते हैं, वह उसके अपराधीकरण के प्रयास के रूप में दिखाई पड़ते हैं। समाज में यौन कार्य का यह अनसुलझी और अस्पष्ट प्रस्थिति एक समस्या की तरह वेश्यावृत्ति सम्वन्धी कानूनों में और यहाँ तक की यह श्रम विधेयकों में भी दिखाई पड़ता हैं। वेश्यावृत्ति समूहों ने इस समस्या को एक अवसर की तरह देखते हुए यह सुझाने की कोशिश की है कि वेश्यावृत्ति को कानूनी शब्दकोष में से अपराध से मुक्त करना, यौनकर्मियों के हालातों को सुधारना, इस श्रम से संवन्धित खतरों से मुक्त करने जैसा होगा। अनेक प्रकार के सुधारों जैसे कि (a) इस काम में शामिल महिलाओं और उनके बच्चों पर हिंसा से छुटकारा मिलना (b) यौनकर्मियों के लिए पर्याप्त आजीविका के साथ यौनकर्मियों और उनके ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रावधानों की मांग की गयी हैं। इसी के साथ यदि देखा जाए तो समाज में एक यह भी विचार है कि हर बुरा काम चाहें वह कमजोर और बुरे हालातों में ही क्यों ना किया जाता है वह बुरा ही होता हैं। जैसे यह कहने वाली बात होगी कि इन हालातों में सुधार की जरुरत एवं तत्परता के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। यौनकर्मियों को भी अन्य कामों की तरह काम के रूप में देखना एक अति महत्वपूर्ण कदम हो सकता है लेकिन यह जरुरी नहीं है कि यह इस काम के हर रहस्य को सुलझाने वाला कदम साबित होगा। यह काम अपनी कुछ विशेषताओं के कारण इसे एक काम के रूप में स्थापित करना और भी कुछ अलग तरह की मुश्किलें पैदा कर सकता है जैसे कि -

> “यदि हमको यह काम करने की आजादी मिल जाएगी और पुलिस, कानून और दबंगों का कोई डर नहीं होगा तो, यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। असके बाद हमको कोई भी परेशान नहीं करेगा, और हम यह कार्य अपनी मर्जी से कर सकेयेंगे।”[129]

---

[129] अनीता, सविता, रेनू, विनीता, निधि... आदि महिला यौन कर्मी तथा मौरी बाई, शांता बाई, कस्तूरी बाई... आदि कोठे की मालकिन जो कि मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर महिला यौन श्रम को कर रही हैं का मानना है कि यदि हम लोगों को कानूनन वैध मान्यता मिल जायेगी तो

"जब कोई हमको खरीद लेता है, तो हम उतने समय के लिए उस पुरुष ग्राहक की हो जाती हैं जितने समय के लिए वह हमको पैसे देता हैं। हमको उसकी मर्जी के अनुसार चलना पड़ता है ठीक उसी तरह जिस तरह किसी बच्चे का खिलौना रिमोट से चलता है कि वह जैसे चाहे उसको चला सकता। यदि देखा जाए तो हमको पैसे भी इसी बात के मिलते हैं कि हम अपने ग्राहकों को मनमानी करने दें, फिर वह चाहें कैसी भी मनमानी क्यों ना करें हमको सब सहन करना पड़ता है।"[130]

जबकि यौन कार्य अपने आप में एक असाधारण, नापाक और कपटी आर्थिक प्रणाली के केन्द्र में एक अनूठा स्थान ग्रहण करती है, इसी के साथ वह स्वंय भी अपने आप में पूंजीवादी उत्पादन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है; Nead का कहना है की वह स्वंय मानव श्रम है, और इसी के साथ ही साथ स्वंय ही विनिमय और विक्रय की वस्तु भी हैं।

"हम ऐसे बेजान शरीर हैं जो रोजाना जाने कितनी बार बिकते हैं, और खरीदे जाते हैं।हमारी सभी इच्छाएं ग्राहकों की इच्छाओं के अनुसार बन और बिगड़ जाती, जैसा ग्राहक को पसंद होता है हम उसी तरह का व्यवहार हम भी करने लगते हैं। हमारी हालत ठीक बाजार में बिकने वाले सामान की तरह होती है, यदि बाजार में ग्राहक को काले रंग की सैंडल पसंद आती हैं तो उनकी ही अधिक बिक्री होती हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम ग्राहक के अनुसार उसकी मर्जी की सेवा देते हैं तो ही ग्राहक हमारे पास बार बार आता और हमारा शरीर बार बार बिकता है अन्यथा नहीं।"[131]

वह एक श्रमिक मजदूर, वस्तु और पूंजीपति होते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ललकारती है, जैसे कि वह सम्पत्तिजीवी नैतिकता के मानकों की परीक्षा लेती हैं। इस प्रकार एक यौन कर्मी एक वस्तु के रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सारी क्लासिक विशेषताओं का निर्माण व खंडन करती हैं। यही उसके जीवन में आशंका की प्रकृति है और उसकी सत्ता की कुंजी भी है।[132]

हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी अर्थात हम स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी के दबाब और डर के काम कर सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन शान्ति से चल सकता है ।

[130] Ibid

[131] बबली, शिवांगी, शालनी, शमां, परवीन, अश्मा... आदि महिला यौन कर्मी जो कि मेरठ का कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य कर रहीं हैं का कहना है कि हम जब तक ग्राहक की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं तब तक ठीक है नहीं तो ग्राहक हिंसात्मक व्यवहार करने लगते हैं इसलिए हमको उनके अनुसार ही काम करना पड़ता है ।

[132] Rajan Rajeswari Sunder. *The Scandal of the State: Women, Law and Citizenship in Postcolonial India,* Permanent Black, New Delhi, 2003. p:37.

भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति से फैलने वाले यौन संक्रमण व बिमारियों को रोकने के लिए पहला कानून Contagious Disease Act 1868 (CDA) लागू किया। यह कानून भारतीय वेश्यावृत्ति के इतिहास में एक नए युग का आरम्भ माना जा सकता हैं। इस कानून के अनुसार वेश्यालयों आधारित वेश्यावृत्ति को पंजीकृत तरीके से स्थापित किया गया। प्रत्येक वेश्यालय की देख-भाल करने वालों को और यौन-कर्मियों को उनकी पहचान के लिए पहचान पत्र प्रदान किये गये। उस समय प्रत्येक यौन कर्मी की नियत समय पर आवधिक चिकित्सकीय जांच की जाती थी, कि कोई यौन कर्मी, मैथुन संबंधी बीमारी से संक्रमित तो नहीं गयी हैं। इस चिकित्सकीय जांच जांच का मुख्य उद्वेश्य यौन-कर्मियों के द्वारा ग्राहकों को फैलने वाले यौन संचारित रोगों से बचाना था। Contagious Disease Act 1868 का मुख्य उद्वेश्य भारतीय यौन-कर्मियों के स्वास्थय की रक्षा करना कभी नहीं था। Contagious Disease Act 1868, वर्ष 1888 ई० में समाप्त कर दिया।[133] इसके बाद 1923 में The Suppression of Irmmoral Traffic Act of 1923, (SITA) कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया तथा इसी के साथ उत्तरप्रदेश में Girl Prostitution Act of 1929 (GPA)[134], Uttar Pradesh Miner Girls Protection Act VIII of 1929 (UPMGPA) और The Uttar Pradesh Suppression of Immoral Traffic Act VIII of 1933 (UPSITA) में लागू किए गये।[135] इन कानूनों के द्वारा यौन कार्य को नियंत्रित करना और इसको विधिवत तरीके से चलाने की कोशिश की गई।

इसके बाद भारत में वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए The All India Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act of 1956 (AISITWGA) पहला अधिनियम लागू किया गया । स्वतंत्र भारत में वेश्यावृत्ति से संबन्धित यह पहला कानून था। सन 1978 व 1986 में इस अधिनियम के अन्तर्गत

---

[133] Singh, P. K. *Brothel Prostitution in India*. Jaipur: University Book House Pvt. Ltd, 2004. pp:18- 19.

[134] Nair Janki. *Women and Law: A Social History*. New Delhi: Kali for Women 1996. pp: 171-173.

[135] Ghosh, S. K. *The World of Prostitution*, New Delhi: APH Publishing Corporation, Vol. 1, 1996, p: 144.

कुछ कानूनी सुधार किए गये, व 1986 में इस अधिनियम का नाम बदलकर "Immoral Traffic (Prevention) Act 1956 (ITPA) कर दिया गया।[136]

Rajan, "The Prostitution Question (s): Female Agency, Sexuality and Work" प्रस्तुत लेख Rajeswari Sunder Rajan के द्वारा लिखा गया है, जिसके माध्यम से लेखिका महिला यौन कार्य के कानूनी स्वरुप का विश्लेषण करने का प्रयास करती हैं। इस लेख में Rajan महिला यौन-कर्मियों से संबंधित अभी तक जो भारत में कानून बने हैं और जिनका कि समय समय पर संसोधन किया जाता रहा है, उनके परीक्षण के आधार पर यह समझने का प्रयास करतीं हैं कि यह कानून एक महिला यौन कर्मी और महिला यौन कार्य के लिए किस हद तक उपयोगी सावित हुए हैं। इसी के साथ Rajan यह भी विश्लेषण करती हैं कि एक महिला यौन-कर्मियों के जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनको भारतीय कानूनों के तहत किस हद तक महिला यौन-कर्मियों के लिए अनुकूल बनाया गया है, इसलिए इन्होंने महिला यौन कार्य के स्वरुप को दो आयामों में देखने का प्रयास किया हैं।

प्रथम पितृसत्तात्मक राज्य महिला यौन कार्य को एक आपराधिक प्रवृति वाले कार्यों की तरह देखता है, जिसके तहत वह यह मानता है कि इस कार्य में जुड़े लगभग सभी लोग किसी ना किसी रूप से आपराधिक कार्यों से जुड़े होते हैं। इसलिए राज्य यह मानता है कि यौन कार्य पर समाज, पुलिस, और सामाज सुधार समितियों, तथा समाज सुधार संगठनों का नियंत्रण होना चाहिए; जिससे कि समाज में यौन कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा किये जाने वाले आपराधिक कार्यों पर नियन्त्रण रखा जा सके। इसी के साथ Rajan द्वितीय आयाम मणि यह बताती हैं कि वैश्यावृत्ति एक महिला यौन कार्य है जो कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है, जैसे कि sex tourism... आदि के माध्यम से। इस प्रकार Rajan यह मानती हैं कि जिस प्रकार हमारा अनौपचारिक श्रमिक क्षेत्र (informal labour sector) है, जिसमें कि अधिकतर महिला श्रमिक ही काम करतीं हैं, और उसे समाज में कानूनन वैध मान्यता प्राप्त होती है तब महिला यूं कार्य को समाज में कानूनन वैध मान्यता क्यों नहीं प्राप्त हो सकती

[136] Singh, P. K. *Brothel Prostitution in India*. Jaipur: University Book House Pvt. Ltd, 2004, p: 75.

हैं। लेखिका मानती हैं कि समाज में वैश्यावृत्ति इसलिए वैश्यावृत्ति हैं क्योंकि राज्य इसको मात्र वैश्यावृत्ति की मान्यता ही प्रदान करता है।[137]

उन महिला यौन-कर्मियों ने बताया जो कि मेरठ के नारी निकेतन अथवा सुधार गृहों में रहकर आई है, कि यहाँ पर महिला यौन-कर्मियों के लिए बनाये गए आश्रय घरों में महिलाओं की स्थिति दयनीय है, यहाँ पर उनके पहनने के लिए जो कपड़े मिलते हैं वह सही नहीं हैं, इनको रोजाना दिया जाने वाले खाने की गुणवत्ता घटिया किस्म की है, यहाँ पर इनको प्रशिक्षण का कोई इंतजाम नहीं है जिसको सीखकर यह अपना आगे का जीवन कोई अन्य काम करके यापन कर सकें, तब ऐसे हालातों में इनके पुर्नस्थापन की योजना सफल नहीं हो पाती है।

समाजशास्त्रीय और नारीवादी चिन्तक अपना असंतोष प्रकट करते हुए कहती हैं कि यौन कार्य का लघुकारक मुख्य रूप से श्रम को यौन क्रिया से अलग करने का परिणाम है, जबकि वेश्यावृत्ति श्रम और यौन-क्रिया का एक महत्वपूर्ण संबंध है और यह कीमत पर प्राप्त होता हैं। यौन कार्य में निहित यौन ही नारीवादी सिद्धांतों में इसे परिभाषित करने और पहचानने में विभिन्न दुविधाओं को जन्म देता हैं। इसे महिला वेश्यावृत्ति की बहसों में दुसरे प्रमुख मतभेद के विषय के रूप में पहचाना जा सकता हैं। अभी तक वेश्यावृत्ति पर अधिकांशत चर्चाएँ एक निश्चित शब्दावली की शिकार मानी जा सकती हैं। अभी तक वेश्यावृत्ति को एक उत्पादक कार्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन वहीं शब्दों के अनुचित प्रयोग से इसे भिन्न भिन्न समय और सन्दर्भ में इसे मजदूरी के रूप में, श्रम के रूप में, एक नामक के रूप में, व्यापारिक वस्तु के रूप में, व्यवसाय के रूप में, महिला शरीर के रूप में या यौन कार्य के रूप में, या फिर इसे समाज की एक सेवा के रूप में समझा जाता रहा हैं।

अतः यह संस्था खतरों से भरी एवं अस्पष्ट होती हैं। महिला यौन कर्मी भी हम सभी की भांति ही अपने रिश्तों को बिना किसी भरोसे और बिना किसी मतलब भी चलाती हैं, और चलाती भी रहेंगी। महिला यौन कार्य की अस्पष्टता का निर्माण हर व्यक्ति के

---

[137] Rajan Rajeswari Sunder, 'The Prostitution Question (s): Female Agency, Sexuality and Work' in Kotiswaran Prabha. *Issues in Contemporary Indian Feminism: Sex Work*. New Delhi: Women Unlimited, an associate of kali for women, 2011, pp: 118-156.

आपसी लेन देन से हासिल चीजों एवं उस लेन देन के लिए जिम्मेदार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बीच अन्तर से होता हैं।

Men Create the Demand, Women are the Supply नामक लेख में Hughes Dworkin के मतों पर अपने विचार स्पष्ट करते हुए यह कहती हैं, कि Hughes यह तर्क देती हैं, कि समाज ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, कि मर्दों को यौन-क्रियाओं की आवयश्कता होती है, जिसका एक आशय यह है, कि हमारी संस्कृति पुरुषों के बनाए कानून से पुरुषों के द्वारा बनाई गई है, व्यवसाय भी पुरुष ही चलाते हैं, और शैक्षणिक संस्थानों की लगाम भी उन्हीं के हाथों में है, अधिकांश समाज में माने गए नियम पुरुषों के द्वारा थोपे गए नियम होते हैं। Hughes का यह मानना है, कि महिला यौन कार्य समाज में प्राकृतिक रूप से आवयश्क नहीं है, बल्कि यह महिलाओं और लड़कियों का शोषण एवं उल्लंघन है, जो कि उच्चतम स्तर पर व्याप्त महिला एवं पुरुष के बीच व्याप्त असमानता के चेतनता से पनपता हैं। महिला यौन कार्य महिलाओं एवं लड़कियों का व्यवसायीकरण कर उनके शरीरों को पुरूषों द्वारा बनाए गए यौनिक नियमों की तृप्ति के लिए खरीद-बिक्री के लिए प्रयोग किया जाता है, समाज में व्यस्क पुरूषों के प्रति इस तरह का बर्ताव शायद ही कभी देखने को मिलता है।[138]

यह उनके Hughes सिद्धांत की पृष्ठभूमि तय करती है, जिसके अनुसार महिला यौन कार्य एक नीच काम है, जो कि महिला को सशक्त करने के बजाय उसका शोषण और व्यवसायीकरण करता हैं। Hughes यह रेखांकित करती हैं, कि महिलाओं के प्रति यह विमूल्यन समाज के नजरिए का प्रमाण है, और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन ही इसका समाधान हो सकता हैं। Ekberg, Dworkin और Hughes के बातों के अनुसार महिला यौन कार्य के सबसे कठिन पहलु किसी नियम एवं कानून का लागू होना नहीं है, बल्कि उन सामाजिक मूल्यों का बदलाव है, जो कि महिला के विमूल्यन एवं वस्तुकरण को स्वीकार करते हैं, तथा इन बदलावों का सांस्कृतिक जीवन में स्थिरता पाना सबसे कठिन पहलू हैं।

---

[138] Eisele Sarah. Views of Sex Trafficking and Prostitution, Available at: http://www.essaydocs.org/views-of-sex-trafficking-and-prostitution-sarah-eisele.html, accessed on 14th April 2017.

Broomberg जो कि अपने आपको एक liberal feminist मानती हैं, वह महिला यौन कार्य की प्रकृति के विषय में Dworkin और Hughes के तर्कों की अलग परिप्रेक्ष्य में आलोचना करती हैं। Dworkin को तर्कों से अपनी असहमति जाहिर करते हुए वह कहती हैं, कि दुनिया में अनेक प्रकार की महिला यौन कर्मियाँ होती हैं, जो कि अलग-अलग आशयों से यौन कार्य के व्यवसाय में शामिल होती हैं। वह इस बात को स्वीकार करती हैं, कि इस व्यवसाय में शामिल व्यक्तियों को कष्ट एवं अपमान झेलना पड़ता है, किन्तु वह व्यक्तिगत फैसलों की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, कि वह महिला यौन कर्मियाँ जिनको यातना सहनी पड़ती है, अधिकांश समय स्वयं ही वह अपने आपको जोखिम में फँसाती हैं।[139] बाद में वह स्पष्ट रूप से यह कहती हैं, कि बावजूद इसके कि महिला यौन-कर्मियों फैसलें उन्हें इस दलदल में फँसाती है, किन्तु महिला यौन कर्मी कभी इसका शिकार नहीं बनती हैं।स्पष्ट रूप से यह इस बात को सुदृढ़ करता है, इसकी जिम्मेदार स्वयं पीड़ित पर है, क्योंकि इस व्यवसाय की सभी खामियों के जानने के बावजूद भी उसने इस व्यवसाय को चुना है और इस व्यवसाय को चुनने से पहले उसे इसके विषय में जानकारी ले लेनी चाहिए थी। Hughes के इस तर्क, जिसमें की महिला यौन कार्य को एक अमानवीय एवं नीच कार्य समझा जाता है, के विषय में Bromberg महिला यौन कार्य से जुडी यातनाओं को अनैतिकता से जोड़ने का प्रयास करती हैं, वह यह कहती हैं, कि यह सच है कि इस समाज में बहुत से अनैतिक पुरूष एवं महिलाएँ हैं, किन्तु इसका प्रयोजन यह नहीं है, कि महिला यौन कार्य सभी के लिए अनैतिक है।[140] सामाजिक विज्ञान जगत में एक अन्य मत यह भी है, कि महिला यौन कार्य दूसरे व्यवसायों के कारण उपजी पीड़ा / यातना / कष्ट को झेलता हैं। comparison of tactics of power and control में Giobbe घरेलू हिंसा और महिला यौन कार्य के मध्य में तुलना करती हैं, जिसमें वह घरेलू हिंसा और महिला यौन कार्य को एक जमीन पर रखकर दलाली और महिला यौन-कर्मियों की स्थिति को पीड़िता के खिलाफ सबसे पीड़ादायक हिंसा के रूप में देखती हैं।

वेश्याओं के कलंकित और निंदा से संबंधित समस्याग्रस्त सैद्धांतिक कारण यह भी है कि लिंग के आधार पर वेश्याओं के कलंक को समाज में बुरा माना जाता है, उन्हें समाज

[139] Ibid

[140] Ibid

में अपने शरीर के द्वारा फायदा उठाने वाली अन्य महिलाओं से भी अलग करता हैं। यौन कर्मी की तरह अन्य महिलाएं भी आकर्षक एवं बिकाऊ शरीरों की शक्ति का आनंद उठाती है और वैसी ही शक्ति पाने का प्रयास भी करती है चाहें यह अंशकालिक ही क्यों ना हो। इस प्रकार नारीवादी सिद्धांत के आइने से सिर्फ वेश्याओं की तरफ इशारा करना एक पक्षपाती नजरिया होगा जब तक की दुनिया में अन्य करोड़ों महिलाओं को भी इसी आलोचना की नजर से नहीं देखा जाता हैं। लिंग और लैंगिकवाद दोनों को एक साथ मिलाने वाली व्यवस्था को बदलने पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाए व्यक्तिगत फैसला लेने से बचना जायदा हितकर कदम साबित हो सकता हैं। वेश्यावृत्ति एक आसान तरीके से उपलब्ध चीज होती है, जिस पर लैंगिकवाद के अत्याचारों के गुस्से को आसानी से उतारा जा सकता हैं। जिस प्रकार समाज में किसी निम्नवर्ग को चिन्हित कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार नारीवादी विचारधारा के अनुसार वेश्यावृत्ति को भी निम्नवर्ग का ही एक पृथक समूह घोषित करना वेश्यावृत्ति के प्रति सामाजिक प्रक्रियाओं, कारणों एवं आलोचनाओं से अपना ध्यान भटकाने के सामान हैं। यही सब कारण हैं जिससे कि नारीवादी विचारधारा सभी स्त्रियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के अपने लक्ष्य पर सबसे ज्यादा अडिग हैं। साथ ही साथ, यह भी महत्वपूर्ण है कि नारीवादियों को वेश्यावृत्ति की जबरन आलोचना से दूर भागने की भी जरूरत नहीं हैं। इन दोनों के मिश्रण से एक दियुक्ति वाला तरीका सामने आ आता है, जो कि तात्कालिक रूप से सोचा हुआ तथा भविष्य में जिसके पास एक दूरदर्शिता हो, सबसे बेहतर हो सकता हैं। अगर किसी समय में sex-for-sale को आसानी से चुनना संभव हो पाए तो लैंगिकवादी वर्तमान समय में रहने वाली महिलाओं के पास जीने का यही एकमात्र विकल्प उपलब्ध हैं। अतः Carmen एवं Moody जैसे विश्लेषकों की बातों को नीति निर्देश में और गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि उनके विश्लेषण street women's के भारी जुर्माने, बेदखली, अपमान, चिकित्सा सुविधा की कमी के अलावा पुलिस का शारीरिक शोषण के भय से निर्मित दयनीय हालातों एवं परिस्थितियों को दर्शाता है।[141] उनका मानना है कि, यौन कार्य का वैधीकरण उपरोक्त प्रभावों को सुधरने में मददगार साबित होगा तथा इसी के साथ वेश्याओं की जगह वेश्यावृत्ति पर दोषारोपण करना भी बड़े सुधारों जैसे सभी महिलाओं के लिए सुनिश्चित रोजगार एवं

[141] Ibid: 166.

आमदनी का जरिया, स्वास्थ्य एवं शिशु देखभाल को भी शामिल करना इनकी जरूरत की तरफ इशारा करता हैं।

उदारवाद की शुरुआत समाज के एक चरित्रीकरण से होती है, जिसके अनुसार सारे सदस्य समान रूप से तर्कसंगत व्यक्ति होंगे तथा जिसका अंत एक ऐसे विचार से होगा, कि जिसके अनुसार ये सारे व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत रिश्तों को जन्म दे सकते हैं परन्तु जो रिश्ते गुलामी की दहलीज से बाहर हैं उनको किस स्वरुप में देखा जा सकता हैं। वेश्यावृत्ति से संबंधित हमारे व्यवहार में बाधा डालने वाली ये अमान्य कार्य उदारवाद से कहीं ज्यादा पुराने हैं तथा इनकी जड़ें समाज में परिवारों के परिवार मानने वाली मान्यता पर टिकी हैं, जिसके अनुसार कुछ खास व्यक्ति ही पारिवारिक दायित्वों को निभाने वाले रिश्तों से जुड़े होते हैं तथा जिनमें अधिकार एवं स्वतंत्रता के बजाए कर्तव्य एवं दायित्व सर्वोपरित होता हैं। समाज की यही पुरानी व्यवस्था है जिससे, कि समाज में एक वैश्या को एक पारिवारिक महिला के व्यबहार से भिन्न पाया जाता हैं। उसके अमान्य कार्य (अमान्य स्थिति शादी से पहले शुद्ध एवं कुंवारी तथा शादी के बाद विश्वसनीय एवं आज्ञाकारी जैसे चरित्र एक आदर्श महिला के चरित्र पर बल देते हैं) जो कि पुरानी सामाजिक व्यवस्था के स्वरूपों में पायी जाती हैं।

उदार नारीवादीयों (liberal feminist) ने इस दोहरे मापदंड का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी स्वतंत्र तर्कसंगत व्यक्ति हैं। इसके अनुसार, विवाह को दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच यौन संबंधों एवं बच्चों के लिए किए गए अनुबंध की तरह देखना चाहिए। दोनों में किसी भी पक्ष के लिए यौन वफादारी (sexual fidelity) को परस्पर सहमति के अनुसार स्वतंत्र तरीके से अपनाया जा सकता है परन्तु इसकी इच्छा सिर्फ महिलाओं से ही नहीं किया जाना चाहिए। इस नजरिए से, वेश्यावृत्ति भी यौन सेवाओं के लिए एक अलग तरह का अनुबंध हैं। जब तक वेश्याएं बिना किसी दलाल या कोठे मालिक के दबाव में खुद के लिए काम करती हैं तब तक इस पेशे में नैतिक रूप से कोई बुराई नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य नारीवादी इस उदारवाद की सख्त विरोधी हैं। नारीवाद का एक वर्ग इसे महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने वाले की तरह देखता हैं। वहीं शुरुआती नारीवादियों के लिए यह परिवार एवं बच्चों के मूल्यों से लिपटता हुआ समझा गया था।

कट्टरपंथी नारीवादियों के पक्ष का यह एक संक्षेप वर्णन है जिसमें कि कुछ जरूरी ब्यौरों एवं गवाहों की कमी है हो सकती है, फिर भी मान सकते हैं कि यह वेश्यावृत्ति के खिलाफ दिए गए उनके तर्कों का यह एक सही वर्णन करता हैं। अगर ये दावे सही हुए तो यह हमें वेश्यावृत्ति पर संदेह के लिए बहुत सारे कारण प्रदान करेगा। इस तरीके का फैसला हमें इस संस्था का समर्थन करने वाली वृहत सामाजिक संरचनाओं एवं विकल्पों एवं इसके नतीजों के महाजाल को गंभीर रूप से समीक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए।

यौन कार्य से संबंधित कट्टरपंथी नारीवादियों के बहुत सारे तर्कों और विचारों से उदारवादी नारीवादी आसानी से अपनी सहमति जता सकते हैं। जिसमें महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक हीनता का यौन-कर्मियों पर प्रभाव और आमतौर पर महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार की जरूरत मुख्य रूप से शामिल हैं। उदारवादी नारीवादी और कट्टरपंथी नारीवादियों से मुख्य रूप से इस बात से असहमति जाहिर करते हैं कि यौन कार्य को आम महिलाओं की तुलना में कम आदर्श परिस्थितियों में किस प्रकार नियंत्रित करना चाहिए। कट्टरपंथी नारीवादियों सामान्यत तौर पर वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध को बरकरार एवं मजबूत करने की वकालत करते हैं हालांकि हर कोई वेश्या के कामों को कानूनी जुर्माने से छूट का पक्षधर हैं। वे बिचैलियों एवं ग्राहकों पर प्रतिबंध की बात करती हैं। इसके विपरीत, वेश्याओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी नियंत्रणों की अनुमति देने की बात करते हुए उदारवादी व्यावसायिक को आमदनी का जरिया या मन बहलाव के जरिए से हटाने की बात को अस्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि इसका सफल उन्मूलन भी वेश्यावृत्ति में व्याप्त समस्याओं का आंशिक समाधान ही प्रदान कर सकता हैं। प्रतिबंध से संबंधित नारीवादी तर्कों के जवाब में उनका मानना है कि वर्तमान स्थिति में वेश्यावृत्ति एक अपमानजनक संस्था है परन्तु इससे संबंधित वे अनेक प्रत्युत्तर देते हैं जो कि निषेध की संभवनाओं को कम करता हैं।

मैं यहाँ पर उनके दो जवाबों को संक्षेप में एवं तीसरे की विस्तृत तरीके से चर्चा कर रहा हूँ, पहले प्रत्युत्तर के अनुसार, स्वैच्छिक यौन कार्य वेश्यावृत्ति की सबसे निचली सीढ़ी पर होने के बावजूद भी महिलाओं को इससे कुछ ज्यादा फायदा हासिल होता है और यह भी संभव है कि इस स्तर पर उनके लिए रोजगार का सबसे अच्छा विकल्प यही होता हैं। वेश्यावृत्ति की समाप्ति गरीब महिलाओं के लिए और भी मुश्किलें खड़ी करेगा इसकी समाप्ति इस श्रम से होने वाली छोटी या बड़ी आमदनी को खत्म कर देगा। यह समाप्ति सही भी हो सकती है और अगर ऐसा है तो यह निर्णायक भी

साबित हो सकती हैं। अगर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार राजनीतिक या अन्य तरीकों से संभव नहीं है तो हमें किसी दूसरे संभव समाधान को तलाश करना चाहिए। इसका जवाब उन लोगों की राजनीतिक एवं वास्तविक सच्चाई पर निर्भर करता है जिनके पास वेश्यावृत्ति की वजह से रोजगार है या रोजगार हो सकता है।[142]

दूसरा प्रत्युत्तर इस बात को रेखांकित करता है कि वेश्यावृत्ति के दायरे में काम एवं भागीदारी की अपार विविधता हैं। अगर हम सिर्फ वेश्याओं पर नजर डालें तो उनके ग्राहकों, दलालों बिचैलियों एवं पुलिसकर्मियों आदि हमें उनके बीच एक विविध अंतर का पता लगता है जैसे उनके लिंग, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, नस्ल, उनका यौनिक इतिहास, उनके व्यापार एवं यौन क्रियाओं (sexual activities) की विविधता का भी पता चलता।[143] अतः यह स्पष्ट नहीं है कि वेश्यावृत्ति कोई एक संस्थान है बल्कि यह अनेक संस्थानों में विभाजित हो सकता है तथा जिनमें हर कोई अपनी समस्या के कारण एक दूसरे से अलग हैं। इस चुनौती से उठने वाले सवाल मुश्किल एवं रुचिकर हैं परन्तु नीचे दिए गए कुछ तर्क इस बात को अप्रत्यक्ष तरीके से साबित करते हैं कि लगभग हर प्रकार की वेश्यावृत्ति में एक सामान्य और आम बात होती है।[144] जिसको कबाड़ी बाजार के वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों ने इस प्रकार स्वीकार किया कि -

> "हम क्या करते और अब हम करें कि समाज में हमको सम्मानित जीवन मिले यह प्रश्न हमारा नहीं है वल्कि आपका है, यदि हम समाज में कोई और काम करने के लिए जायेंगे तब भी हमको यही करना पड़ेगा और उस काम को बचाने की मज़बूरी में हमको अपने ऊपर के लोगों जिनके लिए हम मजदूरी करते हैं उनके सामने अपना शरीर देना ही होगा, तभी हमको काम करने को मिलेगा, तब इससे तो अच्छा है कि हम यह काम खुले रूप से करें ताकि हमको अपना पूरा पैसा मिले यही हमारे लिए अच्छा काम है।"

---

[142] Almodovar Norma Jean "For Their Own Good: The Results of the Prostitution Laws as Enforced by Cops, Politicians, and Judges", *Hastings Women's Law Journal*, Volume 10, 1999. Available at: http://alexpeak.com/twr/ftog/#p78, accessed on 20th june 2017.

[143] West Jackie and Terry Austrin. From Work as sex to Sex as Work: Networks, 'Others' and Occupations in the Analysis of Work, Gender Work and Organozation, Volume - 9, No. 5, November 2002, p: 493 - 94.

[144] Ibid

"यदि हम यह काम नहीं करेंयेंगे तो समाज में सभ्य समाज की सभ्य महीलाएं सुरक्षित नहीं रहेयेंगी और समाज में बलात्कार की घटनाएं अधिक बढ़ जायेंगी, किन्तु ऐसा भी नहीं है कि हम हम कोई समाज सुधारक हैं हम तो बस अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं और यह काम ऐसा है कि इससे जल्दी और आसानी से पैसा कमाया जा सकता है।"[145]

इन विचारों के सन्दर्भ में Martha Nussbaum ने अपने हाल के एक लेख में यह तर्क दिया है कि वेश्यावृत्ति को कलंकित या निन्दा करना ठीक उसी तरह का पक्षपात है जैसा कि कभी महिला अभिनेत्रियों, नृतकों एवं गायकों को नीच हीन भावना से देखा जाता था।[146]

इस समाज में महिला यौन-कर्मियों का यह मानना है, कि व्यवसायिक सहवास महिला यौन कार्य का फलते-फूलते रहने का मूल सिद्धान्त है, सामान्य महिलाओं अर्थात पुरुषों की पत्नियों के पास उपायों की कमी तथा समाज के द्वारा स्वीकृति संबंधों में यौनिक पूर्ति की कमी है, इसलिए पुरुषों के द्वारा बनाई गई मैथुनिक लालसा को पूरा करने का काम महिला यौन-कर्मियों को करना पड़ता हैं। समाज में आम महिलाओं की सेवाओं और जरूरतमंदों को कम करने के लिए वे महिला यौन-कर्मियों को समाज के द्वारा आम जनजीवन से अलग की जाती हैं, और महिला यौन-कर्मियों के अधिकारों का हनन किया जाता हैं। इन आसानी से मान ली गई चीजों के साथ-साथ इस विश्वास को भी खुलेआम चुनौती देने की भी जरूरत है, कि महिला यौन कर्मी ही अपने अस्वस्थ वातावरण के लिए जिम्मेदार होती हैं, तथा समाज की यौनिक नैतिकता के बचाव की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही आती हैं। महिला यौन कर्मी इस तथ्य को भली-भाँति समझती हैं, कि यौनिक आनन्द समाज में पुरुषों के पास उपलब्ध संसाधनों की पहुँच के अनुसार कम हैं, जो कि इस अवांछित स्थिति को जन्म देता है, कि समाज में

---

[145] रवीना, रवीना, शानू, रफत, बन्नो, अर्पिता... आदि महिला यौन कर्मी जो कि कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत हैं, का कहना है कि यदि हम यह काम नहीं करेंयेंगे तो समाज में सभ्य समाज की सभ्य महीलाएं सुरक्षित नहीं रहेयेंगी और समाज में बलात्कार की घटनाएं अधिक बढ़ जायेंगीकिन्तु ऐसा भी नहीं है कि हम हम कोई समाज सुधारक हैं हम तो बस , अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं और यह काम ऐसा है कि इससे जल्दी और आसानी से पैसा कमाया जा सकता है ।

[146] Nussbaum C. Martha "'Whether From Reason or Prejudice': Taking Money for Bodily Services" by The University of Chicago, *Journal of Legal Studies,* volume XXVII, January 1998, p: 694. Available at: http://policeprostitutionandpolitics.net/pdfs_all/Academic_pro_decrim_articles_pdfs/1998%20Whether%20From%20Reason%20or%20Prejudice.pdf, accessed on 20th june 2017.

महिला यौन कार्य होना चाहिए, इसलिए, महिला यौन कर्मी अपने लिए पुर्नवास को मात्र अपने जीवन उद्धारक उपाय की तरह दिखाए जाने वाले पर सवालिया निशान खड़ा करती है, तथा इसे मात्र एक समाधान मानने से इंकार करती हैं। महिला यौन-कर्मियों का मानना है, कि किसी एक महिला यौन कर्मी का पुर्नवास, एक दूसरी महिला को उस महिला यौन कर्मी के स्थान को भरने के आगमन संदेश होता है, जो कि पुर्नवार्सित महिला की यौनिक स्वतंत्रता के स्थान पर होता हैं।

मार्क्सवादी शादी - विवाह और वेश्यावृत्ति दोनों को ही यौन शोषण मानते हैं। वेश्या को अपनी सेवाओं के एवज में ज्यादातर समय अच्छे तरीके से भुगतान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके पास एक सामान्य पत्नी या मां की तुलना में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे उपलब्ध होते हैं। अगर एक साधारण आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो वेश्यावृत्ति कुछ चंद परिस्थितियों में ही अनैतिक होगी, जैसे कि अगर महिलाओं को बहलाकर या जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा हो या उनकी कमाई को किसी दलाल या कोठे-मालिक को दिया जा रहा हो।[147] ऐसी परिस्थितियों में माना जा सकता है कि यौन कार्य समाज के लिए अनैतिक कार्य हैं।

यौन शोषण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कम से कम एक संभव तरीका है परन्तु मेरा विश्वास है कि यह भी वेश्यावृत्ति के परंपरागत मूल्यांकन में ही घिरा नजर आता हैं। वैसे जिन समाजों में जहां स्त्री-पुरुष संसर्ग के बाद प्रजनन होता है, वहां पर एक महिला द्वारा मैथुन संबंधी अनुमति के न्यायोचित आदान-प्रदान को सामान्य रूप से जन्में बच्चे की भलाई के लिए किए गए योगदान की प्रतिबद्धता की तरह देखा जाता हैं। इस प्रकार उपरोक्त सन्दर्भ में वेश्यावृत्ति एक प्रकार का शोषण है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्त्री-पुरुष संसर्ग के समय ही भुगतान किया जाता है और यह महिलाओं को उनके बच्चों के साथ अपने भाग्य के सहारे छोड़ दिया जाता हैं। प्रेम, जिसकी जड़ें और आधार किसी खास व्यक्ति के साथ मजबूत संबंधों में है, उसे फिर से पनपने के लिए खास तरह के संबंधों की जरूरत पड़ती हैं। इन बातों से सीख लेते हुए, एक विचारक नारीवादी समाजवादी, उन पूर्ववर्ती तरीकों जिसमें महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति एवं नौकरानी

---

[147] Green Karen. Prostitution, Exploitation and Taboo, *Philosophy,* Volume 64, no. 250, October 1989, pp: 532 - 533. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3751608.pdf?refreqid=excelsior:cfc12ccbbf43dd058aa3c3af605f68dd, accessed on 16th may 2016.

समझा जाता था को त्यागकर एवं पारस्परिक प्रेम कर्तव्य पर आधारित अन्य प्रकार के तरीकों को स्वीकार कर, विवाह से संबंधित अपनी आलोचना में बदलाव ला सकती हैं।

कुछ मार्क्सवादीयों के लिए शोषण का सीधा संबंध अलगाव की भावना से होता है जिसमें दिहाड़ी मजदूर पूंजीपतियों द्वारा शोषण किए जाने पर अपनी मेहनत से निर्मित उत्पाद से अलगाव महसूस करने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनको समाज में अमानवीय माना जाता है, और वह खुद अपने आप से अलगाव महसूस करते हैं। ज्यादातर समय, जब भी नारीवादी यौन शोषण की बात करते हैं तो वह आर्थिक शोषण के बजाए अलगाव ही उनका मुख्य मुद्दा होता हैं। वेश्याएं यौन वस्तु होती हैं, जिसके कहने का तात्पर्य है कि वे अपने ग्राहकों की यौन इच्छा-पूर्ति के लिए अपने शरीर को अपने ग्राहकों की संतुष्टि का साधन बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो महीलाएं पारस्परिक रूप से यौन कार्य में लगी होती हैं, वह समाज में अपने लिए किसी भी प्रकार की पहचान की कामना नहीं करती हैं और ना हीं अपनी इच्छाओं की पारस्परिक संतुष्टि की कामना करती हैं।

कामिनी अपने जीवन की कहानी बताती है जो कि आज के समय में मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर यों कार्य करती है के अनुसार मेरी एक लड़के दोस्ती हो गयी थी और उसके बाद बहला फुसलाकर मुझे दिल्ली लेकर आया। उस समय मेरी आयु मात्र सोलह वर्ष की नाबालिक थी और उसके प्यार के चक्कर में पड़ कर उसके साथ दिल्ली भाग कर आ गयी थी। उसने कुछ दिन तो मुझे अपने दोस्त के घर में अपने साथ रखे और वह और उसका दोस्त मेरा बलात्कार करते रहे किन्तु कुछ समय दिनों के बाद वह मुझे जी. बी. रोड की बदनाम गलियों में बेचकर चला गया, उसी दिन से में यह यौन कार्य कर रही हूँ। जब अनुसंधानकर्ता ने यह जानने का प्रयास किया की आप दिल्ली के वेश्यालय आधारित कोठों से मेरठ के वेश्यालय आधारित कोठों पर कैसे पंहुच गयीं तब कामिनी के बताया की इन सभी कोठों वालों के संबंध आपस में होते हैं और जब इनको अपने यहाँ पर कोई कतरा दिखाई देता है या किसी यौन कर्मी की मांग यौन बाजार में कम होने लगती है तब वह उसको दूसरी जगह भेज देते हैं और दूसरी जगह से कुछ नई महिलाओं को बुलाकर इस यौन कार्य में लगा देते हैं।

हम लोगों को बहुत बार पुलिस से छिपाकर तहखाने में रखा जाता या तहखानों की चौड़ाई एक फिट और ऊंचाई मात्र दो फिट के करीब होती है जिसमें लड़की मात्र लेटकर ही रह सकती है । इन तहखाने में लड़कियों को जबर्दस्ती एक के उपर एक घुसा कर रखा जाता है । हम लोगों को यौन कार्य करने के लिए दबाब डाला जाता है कि हम यह काम करें यदि हम यौन कार्य करने से मना करते हैं तो यहाँ पर काम करने वाले दलाल हमारे साथ बलात्कार करते हैं और हमको मारते हैं। जब हमको दलालों के द्वारा मारा जाता है तब हमारे शरीर पर और चहरे पर चोट के निशान होते हैं जिनको छिपाने के लिए जब हम यौन कार्य करने के लिए तैयार होतीं हैं तो अपने शरीर पर चमकीला और भड़कीला सिंगार करती हैं और अपने दर्द को सीने में दफ़न करती हैं ताकि यह शरीर पर चोट के दाग, निशान और दर्द की कराहट ग्राहक को दिखाई और सुनाई ना दे। हम ठीक उसी प्रकार इस काम के लिए तैयार जैसे कोई हलवाई अपनी मिठाइयों पर चांदी के वर्क चिपकाकर सजाता है और उसके बाद उसे खाने के लिए सभी ग्राहकों के मुंह में पानी आ जाता है ठीक उसी प्रकार जब हम भी अपने शरीर पर चमकीला और भड़कीला सिंगार कर लेतीं हैं तो हमको देखने के बाद ग्राहक हमें खाने के लिए भी लालायित हो जाता है। इसलिए चहरे की चमक, सिंगार आदि सभी इस कार्य के लिए आवयशक हैं।

हम लोगों का यौन कार्य करने के लिए इन कोठों पर खूब सिंगार किया जाता है, हमको छोटे छोटे कपड़े पहनाये जाते हैं और खुशबूदार पर्फ्यूम से हमारी काया को महकाया जाता है ताकि ग्राहक हमको देखकर और हमारी खुशबु पाकर हम पर मोहित हो सके। कामिनी ने आगे बताया की हमारा सिंगार और कपड़े फिल्मों की हीरोइनों की तरह किया जाता है वल्कि उससे अधिक ही किया जाता है तब जाकर नया ग्राहक हम पर मोहित होता है। यहाँ पर आधी तो अपनी मर्जी से आती हैं और आधी जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ लायी जाति हैं किन्तु जब वह एक बार इस काम में लग जाती हैं तो वह भी अपनी मर्जी से यह काम करने लगती हैं।

इसी के साथ लोहे का अहाता मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों के मध्य एक ऐसा स्थान है जहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मकान बने हुए हैं। इन मकानों में मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन कर्मी किराए पर निवास करतीं हैं। यह मकान पुरानी चाल के बने हुए हैं। यहाँ पर निवास करने वाली महिला यौन कर्मी रात को अपना यौन

कार्य समाप्त करने के उपरान्त रहने के लिए आती। यहाँ पर अधिकतर वही महिला यौन कर्मी निवास करती हैं जिनके पास बच्चें हैं, इसके लिए उनका कहना है की यदि कोठों पर बच्चें साथ में रहते हैं तब काम करने में बहुत कठिनाई होती है और बच्चें के दिमाग पर भी गलत असर पड़ता है। जब महिला यौन-कर्मियों से यह जानने का प्रयास किया गया की आप इस लोहे के अहाता में ही क्यों रहती हैं कहीं किसी और अच्छी जगह मकान किराये पर लेकर क्यों नहीं रहती हैं, तब वह कहती हैं कि हमको समाज में कहीं और जगह नहीं मिलेगी अब मात्र यही कोठा और यही लोहे का अहाता ही हमारी दुनिया है।

इसी प्रकार वेश्यालय आधारित कोठों से सेवानिवृत्त होने के बाद महिला यौन-कर्मीयों का जीवन कहाँ और कैसे व्यतीत होता है, कुछ कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र मेरठ में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों से सेवानिवृत्त यौन कार्य करके लौटी महिलाओं से यह समझने का प्रयास किया गया कि उनका जीवन अब कैसा चल रहा है। इन कोठों पर इन यौन-कर्मियों के काम करने की अधिकतम उम्र 35 वर्ष से 40 वर्ष तक होती हैं। उसके बाद यहाँ पर इनके लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता हैं। यह अपनी 35 से 40 वर्ष पार करने के बाद कहाँ जाती हैं यह खुद भी नहीं जानतीं हैं। उसके बाद इनके साथ क्या होता है, कुछ ठीक से अन्दाजा भी नहीं लगाया जा सकता हैं। इन महिलाओं में से अधिकतर महिलाएं कहाँ जाती हैं ? समाज के किस हिस्से में जाकर खो जाती हैं किसी को कोई पता नहीं होता है कि वह कब और कहाँ जाकर किस बीमारी से मरती हैं ? उनका इलाज हो पाता है नहीं कोई नहीं जानता हैं ? किन्तु मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से यह सामने आया कि जो महिलाएं इन कोठों की सेवा से खारिज हो जाती हैं उनमें से ही कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, जो यहाँ पर कोठों की मालकिन बन जाती हैं। कुछ महिलाएं इन कोठों के घरेलू काम काज पर लग जाती हैं और यह अब कोठे की मालकिन औए जवान यौनकर्मियों की नौकर का काम करती हैं। जैसे- इनके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, वर्तन साफ करना, झाड़ू साफ सफाई, उनकी मालिश करना, बाल बनाना आदि। यह महिलाएं सभी प्रकार के घरेलु काम काज करतीं हैं। जिसके बदले में इन्हें बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े मिलते हैं। इन्ही महिलाओं में से जो महिलाएं अपने परिवार की मर्जी के अनुसार यह काम कर रही होती हैं वह अपने घर लौट जाती हैं, और किसी जमींदार या किसी

धनवान व्यक्ति के पास उसके पशुओं कि देखभाल के साथ साथ उनकी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए नौकरी कर लेती हैं और जब उस व्यक्ति का भी जब मन भर जाता है, तब वह भी उसको किसी और जमींदार या धनवान पुरुष को बेच देता है, यह सिलसिला इनके साथ जीवन भर चलता रहता हैं। इन्हीं महिलाओं में कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनको कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता है तो वह सड़कों पर भीक मांगती फिरती हैं। इन महिलाओं के साथ ना जाने कितने पुरुष मात्र दो-दो पांच-पांच रुपए में या सिर्फ खाना खिलाने के बदले में इनका शारीरिक शोषण करते हैं। ऐसी महिलाओं का अन्त हमारे लोकतांत्रिक समता और समानता भरे देश की सड़कों पर सिर्फ एक गुमनाम मौत होती हैं।

अध्याय का निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत बहुत सी महिला यौन कर्मी इन्ही कोठों पर निवास करती हैं और कुछ महिला यौन कर्मी लोहे के अहाते में निवास करती हैं। इस क्षेत्र में इन महिला यौन-कर्मियों के उपभोग के लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इन महीला यौन-कर्मियों का जीवन मात्र पशुओं की भांति इन कोठों पर बीतता है जहाँ पर जीने के लिए यह मात्र मजबूर ही हैं।

अध्याय - चार

महिला यौन कर्मी और उनका नागरिक जीवन

अध्याय - चार

महिला यौन कर्मी और उनका नागरिक जीवन

वेश्यालय आधारित यौन कार्य यौन श्रम का एक ऐसा स्थान है, जो कि पुराने मेरठ शहर का भाग हैं। यहाँ पर काम करने के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद और पहले), महिला यौन कर्मीयों और इनके बच्चों के लिए किस तरह के नागरिक अधिकार प्राप्त हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा किस तरह हो रही है, जैसे कि - उनको सम्पत्ति रखने का अधिकार, शोषण के खिलाफ विरोध करने का अधिकार, समाज में समानता का अधिकार, मनपसंद खानपान, कपड़े, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाओं का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनेतिक पार्टी या कोई संस्था, संघ अथवा यूनियन बनाने का अधिकार, कहीं भी जमा होने या आने-जाने का अधिकार, यह कार्य छोड़कर अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए अन्य श्रम एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण इनके लिए किस प्रकार से हो रहा है, को विश्लेषण करने का प्रयास किया हैं। यह यौन श्रमिक अपना जीवन निर्वाह करती हैं, तब इस अध्याय में यह समझने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान के गणतंत्र भारत में इस जगह उनका नागरिक रहन सहन और दैनिक जीवन किस प्रकार चलता है।

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को (जिसमें कि वेश्यालय आधारित महिला यौन कर्मी भी आती हैं): सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की और एकता अखंडता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० "मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियिमत और आत्मार्पित करते हैं।"[148] ऐसी धारणा हमारे भारतीय संविधान की है कि भारत के सभी नागरिक एक समान हैं और किसी के भी मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव कही किया जाएगा इसी सन्दर्भ में मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र

[148] Panday, J.N. *Constitution of India*, Allahabad: Central Law Agency, 2003.

में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के जन जीवन को समझने का प्रयास किया गया है उन महिलाओं को जो कि भारत की नागरिक हैं और यौन कर्मी भी हैं तब उनके नागरिक होने के कौन से अधिकार उनको प्राप्त हो रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान सभी को समान नागरिक मानता हैं।

भारतीय समाज और दुनिया में महिला यौन-कर्मियों को हिंसा से बचाने के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों, नीतियों और निययों की सहमति एवं असहमति के आधार पर अधिकांश महिला यौन कार्य में जुड़े कार्यकर्ताओं को मुख्य रूप से तीन वर्गो में बांटा जा सकता है जो कि इस प्रकार हैं उन्मूलनवाद, आपराधिकरण और वैधानिकता अथवा गैर-अपराधीकरण है।[149] जब हम शुरूआती दौर के समाज सुधारकों और विचारकों के विचारों की चर्चा करते हैं, तो पाया जाता है कि उन्होंने अपने विचारों के अनुसार मासूम महिलाओं की काम वासना को ही वेश्यावृत्ति की मुख्य समस्या के रूप में पहचाना है, उनके अनुसार महिलाओं की कामुकता की तीव्र लालसा ही उन्हें एक वेश्या की नारकीय जिन्दगी में घुसने पर मजबूर किया हैं। अतः उन्मूलनवादियों के दृष्टिकोण में यह विश्वास पाया जाता है कि वेश्यावृत्ति एक शोषणकारी व्यवस्था है, जो कि इसमें शामिल महिलाओं के लिए यथार्थ रूप से अहितकारी है।[150] इस प्रकार शुरूआती दौर के समाज सुधारकों और विचारकों का मानना है कि अगर महिलाओं को यौन कार्य में होने वाली हिंसा और अत्याचार से बचाना है, तो महिला यौन-कर्मियों के ग्राहकों, दलालों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि इस पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त किया जा सके। इसी के साथ इस सिद्धांत के विरोधियों का मानना है कि यह महिला सशक्तिकरण से परे है, और एक पिता की भूमिका वाला व्यवहार सावित होगा, क्योंकि यह उन्मूलनवादी दृष्टिकोण का निर्माण ही एक ऐसी पृष्ठभूमि पर हुआ है जिसके अनुसार महिलाओं को समाज में अभागिन और शिकार पीड़ित की तरह समझा जाता है।[151] वहीं वेश्यावृत्ति को एक गैर-कानूनी काम मानने वाले समर्थकों का कहना है, कि महिलाओं को आपसी हिंसा से बचाने के लिए महिला यौन-कर्मियों और ग्राहक दोनों को

---

[149] Sex workers' rights. From Wikipedia, the free encyclopedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_workers%27_rights, accessed on 20th june 2017.

[150] Ibid

[151] Ibid

ही दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि वही लोग यौन-क्रिया की खरीद-बिक्री में शामिल होते हैं।

महिला यौन कार्य और उसके कानूनीकरण के विभिन्न पहलु

भारत में महिला यौन कार्य के कानूनीकरण की रणनीतियों में महिला यौन कार्य से संबंधित तीन प्रकार की कानूनी व्यवस्था को तेयार और लागू किया गया है।[152] जो कि समाज में अपने प्रभाव एवं औचित्य के चलते एक दूसरे से काफी अलग प्रतीत होते हैं। इस व्यवस्था को अपराधीकरण, गैर-अपराधीकरण और वैधीकरण[153] में विभाजित किया गया जिसे क्रमशः मद्यनिषेधवादी व्यवस्था, सहिष्णुतावादी व्यवस्था एवं वैध वेश्यावृत्ति के नाम से भी जाना जाता है।[154]

अपराधीकरण व्यवस्था का उद्देश्य महिला यौन कार्य रूपी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए इससे जुड़े अपराधिक प्रतिबंधों में बदलाव लाना है, और आपराधिक कानूनों में संशोधन कर समाज में इसकी छवि में परिवर्तन लाना है।[155] यह व्यवस्था महिला यौन

---

[152] D’ Cunha Jean. “Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices”, Economic and Political Weekly, Volume 27, no. 17, 25 April 1992, pp: WS34 - WS35. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4397796.pdf?refreqid=excelsior%3A06b9e1cf1686c572e05175a3818a8e9e, accessed on 14th may 2017.

[153] Frances M. Shaver. “Prostitution: A Critical Analysis of Three Policy Approaches”, Canadian Public Policy, Volume - 11, no. 3, September 1985, pp: 493-94. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3550504.pdf?refreqid=excelsior%3Abf630d997a842aba07313b9c74d9d050, accessed on 10th May 2017.

[154] D’ Cunha Jean. “Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices”, Economic and Political Weekly, Volume 27, no. 17, 25 April 1992, pp: WS34 - WS35. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4397796.pdf?refreqid=excelsior%3A06b9e1cf1686c572e05175a3818a8e9e, accessed on 14th may 2017.

[155] Frances M. Shaver. “Prostitution: A Critical Analysis of Three Policy Approaches”, Canadian Public Policy, Volume - 11, no. 3, September 1985, pp: 493-94. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3550504.pdf?refreqid=excelsior%3Abf630d997a842aba07313b9c74d9d050, accessed on 10th May 2017.

कार्य को अनैतिक समझता है और इस व्यवस्था का उद्देश्य महिला यौन कार्य का संपूर्ण उन्मूलन करना है, एवं यह व्यवस्था महिला यौन कार्य से जुड़े सभी पहलुओं को जैसे- कोठे के मालिकों, महिला यौन-कर्मियों के दलालों, महिला यौन-कर्मियों के पुरुष ग्राहकों, महिलाओं या लड़कियों के सप्लायर्स और महिला यौन कर्मी सभी को और इनके कार्यो को अपराध की श्रेणी में रखता है।[156]

गैर-अपराधीकरण व्यवस्था के तहत महिला यौन कार्य को ना तो एक अपराध और ना ही इसको एक कानूनी रूप से वैध श्रम माना जाता हैं। इस कार्य को दो व्यस्क व्यक्तियों की आपसी सहमति से किया जाने वाला काम माना गया है, जहां पर राज्य सिर्फ जबरन महिला यौन कार्य में दखल दे सकता है।[157] राज्य इन महिला यौन-कर्मियों के लिए उनके अत्यधिक शोषण एवं उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सिर्फ कुछ उपाय ला सकता हैं। दरअसल यह व्यवस्था महिला यौन कार्य को समाप्त नहीं करना चाहती है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य महिला यौन कार्य को करने हेतु, कोठे अथवा वेश्यालय में रखे जाने के लिए महिलाओं, यौन-कर्मियों की दलाली करने वाले व्यक्तियों, यौन कार्य करने अथवा उसको करवाने के लिए किसी के द्वारा जगह हासिल करने वालों के लिए और महिलाओं एवं लड़कियों की तरस्करी रोकना ही, इस व्यवस्था का उद्देश्य हैं। इस व्यवस्था में महिला यौन-कर्मियों को अपने काम के लिए अपराधी नहीं माना जाता है और इसमें देश के हर नागरिक की तरह उनके भी अधिकार शामिल होते हैं।[158]

---

156 D' Cunha Jean. "Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices", Economic and Political Weekly, Volume 27, no. 17, 25 April 1992, pp: WS39 - WS42. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4397796.pdf?refreqid=excelsior%3A06b9e1cf1686c572e05175a3818a8e9e, accessed on 14th may 2017.

157 Frances M. Shaver. "Prostitution: A Critical Analysis of Three Policy Approaches", Canadian Public Policy, Volume - 11, no. 3, September 1985, pp: 493-94. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3550504.pdf?refreqid=excelsior%3Abf630d997a842aba07313b9c74d9d050, accessed on 10th May 2017.

158 D' Cunha Jean. "Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices", Economic and Political Weekly, Volume 27, no. 17, 25 April 1992, pp: WS42 - WS44. Available at:

गैर-अपराधीकरण व्यवस्था के तहत महिला यौन-कर्मियों को पुलिस उत्पीड़न से बचाकर उनके काम को जारी रखने में मदद करेगा। भारत में आज भी पुलिस उत्पीड़न महिला यौन-कर्मियों के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है।[159] इसी क्रम Prabha Kotishwaran अपना यह मत रखती हैं कि महिला यौन कार्य में शामिल पुरुषों एवं महिलाओं की कुछ समस्याओं का यह (गैर-अपराधीकरण व्यवस्था) कम से कम एक आंशिक समाधान माना जा सकता है, किन्तु गैर-अपराधीकरण व्यवस्था महिला यौन कर्मीयों के अधिकारों की रक्षा एवं कोठे मालिकों को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराने का एक तरीका है।[160] महिला यौन कार्य से संबंधित महिला यौन-कर्मियों को छोड़कर हर किसी को दण्डित करने का यह तरीका महिला यौन-कर्मियों के हितों के विपरीत ही काम करता है।[161] सुधारात्मक अथवा पुर्नवास गृहों की मरम्मत में बदलाव के साथ-साथ महिला यौन-कर्मियों से मैथुनिक समर्थन की मांग करने वाले भ्रष्ट पुलिस एवं न्यायायिक अधिकारियों के साथ सख्त तरीके से निपटने के साथ इनको दण्डित करने की आवयश्कता महसूस होती है।[162]

वैधीकरण अथवा कानूनीकरण व्यवस्था के तहत महिला यौन कार्य को कभी कभी नियंत्रित करने के प्रयास किये जाते रहे हैं, महिला यौन-कर्मियों और उनके श्रम के स्थान वेश्यालयों को अनुज्ञप्ति पत्र जारी करने के साथ रजिस्टर करने के प्रयास भी

---

http://www.jstor.org/stable/pdf/4397796.pdf?refreqid=excelsior%3A06b9e1cf1686c572e05175a3818a8e9e, accessed on 14th may 2017.

[159] Geetanjali Gangoli. “Prostitution, Legalisation and Decriminalisation: Recent Debates”, *Economic and Political Weekly*, Volume 33, no. 10, 07-13March 1998, p: 504. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4406490.pdf?refreqid=search%3A214a5ad0a91240642e17349ffc98bb31, accessed on 14th May 2017.

[160] Ibid.

[161] Kotishwaran Prabha, “Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and the Law”, *Boston College Third Word Journal,* Volume 21, Issue 2, Article 1, 2001, p: 188.

Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th March 2016.

[162] Ibid

किए जाते रहे हैं। इसके तहत महिला यौन-कर्मियों की निगरानी और उनको इस श्रम के दौरान ग्राहकों के संपर्क में आने से होने वाले यौन रोगों की जाँच भी करने के प्रयास किये जाते रहे हैं, इन सब के पीछे यह धारणा है कि महिला यौन कार्य पुरुष ग्राहकों और महिलाओं के विभिन्न मैथुनिक जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। इसी के साथ गैर-अपराधीकरण व्यवस्था का समर्थन करने वालों का मानना है, कि महिला यौन-कर्मियों के और अन्य दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए इस कार्य पर नियंत्रण आवश्यक है।[163] गैर-अपराधीकरण व्यवस्था महिला यौन कार्य को खासकर बन्द घरों वाले यौन कार्य की अनुमति प्रदान करता हैं। इस व्यवस्था के तहत महिला यौन-कर्मियों को स्थानीय अधिकारियों के साथ अपने आपको रजिस्टर कराना और नियमित रूप से अपनी शारीरिक जाँच कराना अनिवार्य हैं। वैधीकरण के तहत कुछ व्यवसायिक पेशों के लेकर सामान्य रूप में कुछ निर्धारित क्षेत्रों में श्रम करने के लिए पुलिस से निर्गम प्रमाणपत्र लेना आवयश्क होता हैं। गैर-अपराधीकरण व्यवस्था के मानने वालों का मानना है कि इस प्रकार महिला यौन कार्य के वैधीकरण को महिला यौन-कर्मियों और उनके स्वास्थ्य के नियंत्रण द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने का एक तरीका समझा जाता हैं। साथ में यह बिना सड़क के पुरुष ग्राहकों की महिलाओं यौन-कर्मियों तक पहुंच की भी अनुमति का समर्थन करता है।[164] महिला यौन कार्य को एक अच्छी आर्थिक विकास नीति मानने का अर्थ है, कि समाज में मांग के अनुसार महिला यौन कार्य का होना।[165] जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सुझाव है, कि महिला यौन

---

[163] Frances M. Shaver. "Prostitution: A Critical Analysis of Three Policy Approaches", Canadian Public Policy, Volume 11, no. 3, September 1985, pp: 493-95.

[164] D' Cunha Jean. "Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices", Economic and Political Weekly, Volume 27, no. 17, 25 April 1992, pp: WS34 - WS35. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4397796.pdf?refreqid=excelsior%3A06b9e1cf1686c572e05175a3818a8e9e, accessed on 14th may 2017.

[165] Raymond G. Janice. "Prostitution on Demand: Legalizing Buyers as Sexual Consumers", *Violence Against Women,* Volume 10, no. 10, October 2004, pp: 1162-1163. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.319.1534&rep=rep1&type=pdf, accessed on 14th may 2017.

कार्य को अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में शामिल करने से इस उद्योग द्वारा की गई कमाई से दक्षिण पूर्व एशिया के गरीब देश अधिक आर्थिक फायदा उठा सकते हैं।[166]

यदि हम मेरठ के कबाड़ी बाजार में वैश्यालय आधारित कोठों पर महिला यौन-कर्मियों तथा इस कार्य में जुड़े अन्य व्यक्तियों की और भारतीय संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को जो समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 15 के अनुसार किसी भी नगरिक के बीच मूलवंश, जाति, लिंग धर्म व जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद-15 (3) स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबन्ध प्रदान करता हैं। अनुच्छेद-17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया हैं। अनुच्छेद-19 के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को भाषण, अभिव्यत्ति की स्वतंत्रता, सभासंघ, भ्रमण, आवास एवं पेशे की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं।[167] यदि महिला यौन कार्य, श्रम (work) हैं, तो क्या अनुच्छेद-19, माहिला यौन-कर्मियों को वेश्यालयों के कोठों पर यौन कार्य, एक श्रम (prostitution, as a work) के रूप में करने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्रदान करता हैं, या उनके कार्य पर और उनके ऊपर किसी और किस्म का अधिकार हैं ? अनुच्छेद-23 के द्वारा किसी भी प्रकार से मनुष्य के शोषण को वर्जित किया गया हैं। यह अनुच्छेद स्त्रियों के शोषण, क्रय-विक्रय, वेश्यावृत्ति तथा बेगारी जैसे कार्यों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद-24, 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को किसी कारखाने या खान अथवा जोखिम भरे काम में लगाने को प्रंतिबधित करता हैं।[168] इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 व 326 के अनुसार भारत के प्रत्येक वयस्क् नागरिक को, जो पागल या अपराधी न हो, मताधिकार प्राप्त हैं। भारत में किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।[169] किन्तु मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र

---

[166] Ibid: 1162-65.

[167] Panday, J.N. Constitution of India Allahabad: Central Law Agency, 2003, pp: 78-195.

[168] Ibid: 269-273.

[169] Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 14, Article 15, Part III, pp: 197 - 200. Available at: http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf, Accessed on 14th June 2017.

में कोठे आधारित वेश्यालयों में कार्यरत महिला यौन कर्मी अपने मताधिकार के अधीकार से वंचित पाई गयीं।

> "सोनिया, सावित्री, कल्पना, अनुराधा, कोमल, बबिता... आदि महिला यौन-कर्मियों का कहना है कि साहब हमको कोई इंसान ही मान ले यही बहुत है, नागरिक मानना तो बहुत बड़ी बात है, हमारी बिक्री तो रोज होती है और रोज हमारा शोषण होता हैं। हमारे शरीर की रुई की तरह धुनाई होती है, और हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं होता हैं। जब तक हमारा ग्राहक हमारे पास होता है तो हमसे खूब लिपटता है, लेकिन जब उसी ग्राहक का हम से काम निकल जाता है तो हमारी तरफ देखता भी नहीं हैं। कोई भी सरकार हमारे लिए काम क्यों करेगी हम उसके लिए कौन सा काम करतीं हैं।सरकार तो हमको यहाँ से हटाना और चाहती है फिर चाहें हम किसी भी हालत में क्यों ना रहें। कोई हमारे आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड तक नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको बनबाने के लिए स्थायी प्रमाण की जरुरत होती है जो कि हमारे पास नहीं होता है, उसके बाद हमारा भी एक जगह कोई स्थाई ठिकाना नहीं होता है तब हम क्या वोट डालने जा सकते जब हमारे पास वोटर कार्ड ही नहीं होता है।"[170]

तब भारत में जन्मा हर पुरुष और महिला (वह महिला भी चाहे वह यौन कार्य ही क्यों ना कर रही है) भारत की नागरिक है, और उनको भारतीय नागरिक के सभी अधिकार प्राप्त होने चाहियें, किन्तु जब हम कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के सन्दर्भ में उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का विश्लेषण करते हैं तब यह तथ्य सामने आते हैं कि यहाँ पर अधिकांशत महिला यौन कर्मी समाज में समानता के अधिकार जैसी बातो से एकदम अनभिज्ञ हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ पर जो भी इनके बच्चे होते हैं अधिकांशत वह विद्यालय में शिक्षा लेने ही नहीं जाते हैं, उनका जीवन शिक्षा के अभाब में ही कटता हैं। प्रतिष्ठित विद्यालयों में गरिमा के साथ शिक्षा दिलाने का अधिकार, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार, यहाँ पर कार्यरत अधिकांशत महिला यौन-कर्मियों को मतदान क्या और कैसा होता है इसी बात की जानकारी ही नहीं हैं।

> "कनिका, सुन्दरी, कविता, अनीता, अमिता, सुनीता, शिप्रा... आदि अन्य बहुत सी महिला यौन कर्मी जो कि मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में यौन कार्य कर रहीं हैं और अपने बच्चों के

[170] सोनिया ,कोमल ,अनुराधा ,कल्पना ,सावित्री ,बबिता... का मानना है कि उनका शोषण हर समय होता है और सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती है जिससे कि उनके श्रम में होने वाला शोषण समाप्त हो जाए ।

साथ यहीं लोहे के अहाते में किराए के मकान में रहती हैं का अपने नागरिक अधिकारों के विषय में कहना है कि साहब आप हमारे मान सम्मान और गरिमा की बात कर रहे हैं हमने तो ऐसी बात ही जीवन में पहली बार सुनी हैं। हम लोगों के पास ना तो शिक्षा है, ना ही यहाँ पर हमारे लिए कोई भी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है, और ना ही हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय ही। साहब यदि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है उनको कोई सरकारी नौकरी मेल जायेगी और ऐसा भी नहीं है कि वह कोई अच्छा मुकाम समाज में प्राप्त कर लेयेंगे अंततः उनको भी इसी काम में ही शामिल होना है, यदि लड़का है तो दलाल बनेगा और यदि लड़की है तो यौन कर्मी, तब आप ही बताओ कि क्या इसको आप गरिमामय नागरिक होना कहोगे। साहब यहाँ पर हमारा सब कुछ निश्चित है जीवन, भविष्य, व्यवसाय और आजीविका सब कुछ। हम ऐसे जाल में फंसे हैं जहाँ से इस जन्म में निकल कर इस समाज में गरिमामय जीवन पाना असंभव है।"[171]

Wad and Jadhav, "The Legal framework of Prostitution in India" प्रस्तुत लेख में लेखक ने महिला यौन कार्य को नियन्त्रित करने के लिये भारत में जो कानूनी ढांचा है, उसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया है, यह लेख एक महिला यौन कार्य के कानूनी स्वरुप को समझने के लिए के लिखा गया एक संक्षिप्त ऐतहासिक प्रपत्र भी माना जा सकता है, जिसके माध्यम से भारत में होने वाले महिला यौन कार्य से सम्बंधित अधिनियम व कानूनों का किस प्रकार विकास हुआ है को यह बताया गया हैं। लेखक कहते हैं कि 1860 में Lord Macaulay द्वारा भारत में Indian Penal Code (IPC) कानून बना, जिसके अनुभाग 268, 269, 270, 372, 373 व 377 और खंड XIV आदि के अंतर्गत महिला यौन कार्य को नियंत्रित करने के लिए कानूनन प्रावधान किये गए हैं। इन कानूनों के बाद भारत में स्वतंत्रता अवधि के उपरान्त The Immoral Traffic (Prevention) Act- 1956 आया जिसमें 1978 इस अधिनियम में कुछ सुधार किये गए व 1986 में इसमें और अन्य सुधारों के साथ इसका नाम बदलकर Suppression of Immoral Traffic (in women and girls) Act- 1956 (SITA) कर दिया गया । इसी के साथ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23, 35... आदि में भी महिलाओं को सशक्त कुछ विशेष प्रावधान किये गए हैं, किन्तु

---

[171] कनिकाआदि ...शिप्रा ,सुनीता ,अमिता ,अनीता ,कविता ,सुन्दरी , का मानना है कि यह काम एक ऐसा बंद वर्ग है जिसमें शामिल होने के बाद कभी भी कोई

भारत में अभी तक महिला यौन कार्य से संबंधित मुख्य कानून SITA ही चल रहा है।[172]

जब शोधार्थी इन सभी इन सभी इन सभी उपरोक्त कानूनी महिला यौन कार्य से संबंधित इन सभी कानूनी प्रावधानों को देखता है और उसके बाद मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के जन जीवन का अध्ययन किया तो इन सभी उपरोक्त कानूनी प्रावधानों का असर कहीं भी देखने को नहीं मिला। इन सभी कानूनी प्रावधानों के विषय में महिला यौन कार्य में शामिल व्यक्ति, दलाल, दल्लन अर्थात कोठे की मालकिन, और महिला यौन-कर्मियों को कुछ भी जागरूकता नहीं हैं। इतना ही नहीं इन कानूनी प्रावधानों के प्रति यहाँ पर तैनात पुलिस के जवान भी कोई जागरूक नहीं पाए गए। इस कबाड़ी बाजार में तथा पुलिस कर्मियों में यह बहुत जोरों से यह मान्यता है कि यह महिला यौन कर्मी हमारे समाज को गन्दा कर रही है इसलिए इसको यहाँ से इन महिलाओं को दूर कर दिया जाना चाहिए ताकि समाज को बचाया जा सके।

Sanders and O’Neill (et all) “Sex Workers, Labour Rights and Unionization” प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक यह विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि इस पुरे संसार में कैसे-कैसे महिला यौन-कर्मियों के अधिकारों को लेकर सामाजिक संगठन हुए हैं और उन्होंने किस प्रकार एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चलाये हैं, जैसे भारत में Durbar Mahila Samanwaya Committee (DMSC), महिला यौन-कर्मियों का एक ऐसा संगठन है जो कि अपने अधिकारों के लिए सरकार से लगातार आंदोलन के जरिये मांग करता रहता हैं। लेखक कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार Brazil, Europe आदि स्थानों पर महिला यौन-कर्मियों ने एकजुट होकर सरकार के प्रति अपनी मांग को रखने के लिए बहुत से आंदोलन किये हैं, जिनमें श्रमिकों के अधिकार, मानवाधिकार... आदि इन महिला यौन-कर्मियों के आन्दोलनों के मुख्य मुद्दे रहे हैं।भारत में DMSC पश्चिम बंगाल, भारत में महिला, पुरुष और हिजड़ा यौन-कर्मियों के संगठन का एक विशेष मंच है, जो कि इनके मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, और श्रमिकों के अधिकार.. आदियों के लिए काम करता हैं। DMSC बंगाल

---

[172] Wad and Jadhav (2008) “The Legal framework of Prostitution in India” in Sahni Rohini, V.Kalyan Sankar (et.al). *Prostitution and Beyond- An Analysis of the Sex Work in India*. New Delhi: Sage Publications Ltd. 2008, pp: 207-220.

के सोनागाछी लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत 65000 यौन-कर्मियों का संगठन है, यह संगठन वहां की सरकार से उन समुदायों के सदस्यों के लिए जो की हाशिये पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको गरिमामय जीवन के साथ समाज में सम्मान और अधिकार दिलवाने की बात करता हैं। यह संगठन समाज में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की आशा करता है जिसमें की किसी भी व्यक्ति के साथ वर्ग, जाति, लिंग, और व्यवसाय के आधार पर कोई भी लांछन ना जुड़ा हो। DMSC संगठन सोनागाछी लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत यौन-कर्मियों बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल चलाते हैं, उनकी मनोरंजन व खेलकूद की व्यवस्था करते हैं। DMSC संगठन सोनागाछी लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत यौन-कर्मियों को STD व HIV संक्रमण से कैसे बचा जाए इसके लिए जागरूक भी करते हैं व इन संक्रमणों से बचने के लिए इन यौन-कर्मियों में कंडोमों का भी वितरण करते हैं।[173]

उपरोक्त सन्दर्भ के अनुसार मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के नागरिक अधिकारों को लेकर यहाँ पर कोई भी आंदोलन या संगठन नहीं चल रहा है जिससे कि इन महिलाओं को भी नागरिक होने के अधिकार प्राप्त हो सकें। कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में मात्र मनोरंजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, और उत्तर प्रदेश एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की तरफ से टी. आई. प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिस प्रोग्राम के तहत इन महिला यौन-कर्मियों का पंजीकरण किया जाता है और यह हिसाब रखा जाता है कि कौन सी महिला यौन कर्मी इन कोठों पर आई है और वह कब आई है, किन्तु शोधार्थी के तथ्यों से यह भी सामने आया कि इन कोठों पर ऐसी भी महिला यौन कर्मी हैं जिनका हिसाब मनोरंजन विभाग या टी.आई. कार्यक्रम के रिकॉर्ड में नहीं हैं यह वह महिला यौन कर्मी हैं जो कि बहुत नयी होती हैं और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलती रहती हैं, इसी के साथ ऐसी महिला यौन भी यहाँ पर कार्यरत हैं जो कि अपनी पहचान छिपा कर रखना चाहती हैं और अपना पंजीकरण इस डर से नहीं करवाती हैं कि कहीं उनकी पहचान समाज में एक यौन कर्मी की ना बन जाए इसलिए ऐसी महिला यौन कर्मीयों का रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है, किन्तु जो यहाँ पर स्थाई रूप से यौन कार्य में कार्यरत हैं उनका

---

[173] Sanders and O'Neill (et all), "Sex Workers, Labour Rights and Unionization" in Sanders Teela, Maggie O'Neill and Jane Pitcher. *Prostitution Sex Work, Policy and Politics*. New Delhi: Sage Publication, 2009, pp: 94-110.

अधिकांशत रिकॉर्ड मनोरंजन विभाग के पास होता हैं। किन्तु यह मनोरंजन विभाग का कार्य मात्र इन महिला यौन-कर्मियों में HIV-संक्रमण और Sexually Transmitted Infection (STI) - संक्रमण को रोकना है, ताकि इन महिला यौन-कर्मियों से यह संक्रमण समाज में ना फैले इसलिए इन महिला यौन-कर्मियों को उत्तर प्रदेश एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की तरफ से मुफ्त कंडोम का वितरण किया जाता है और उनको इस बात क्र लिए जागरूक किया जाता है कि वह किसी भी ग्राहक के साथ बिना कंडोम के सहवास न करें। इन महिला यौन-कर्मियों की हर छ माह के बाद मुफ्त HIV-संक्रमण की और हर तीन माह के बाद STI की जाँच भी मुफ्त कराई जाती हैं। इन विभागों के द्वारा इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है कि कौन सी महिला यौन कर्मी इस कोठे को छोड़कर कहाँ जा रही है और जहाँ भी जा रही है क्या उसका जीवन वहां पर सुरक्षित हैं। इन विभागों के द्वारा यदि किसी महिला यौन कर्मी को HIV-संक्रमण या STI के संक्रमण से ग्रसित हो जाती है तो सरकारी अस्पताल से उसके इलाज हेतु सहायता भी की जाती है, किन्तु एक नागरिक के और भी अधिकार होते हैं, जैसे अपने बच्चों को शिक्षित करना, अपना घर मकान बनाना, मतदान आदि करना इस तरह के अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए और उनको इन्हें दिलवाने के लिए लड़ने हेतु इस कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र की यौन-कर्मियों के साथ कोई भी दिखाई नहीं देता हैं।

भारत में तथा कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र मेरठ क्षेत्र अध्ययन के समय यह सामाजिक तथ्य प्राप्त हुए कि यहाँ पर इन महिला यौन-कर्मियों की सेवाओं के विषय में अभी तक बहुत कम मनोविश्लेषण जानकारी उपलब्ध हैं। लैंगिकता (sexuality) के विषय में भारत में खुले रूप से ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएँ यहाँ सांस्कृतिक आर्दशों के विपरीत मानी जाती हैं, जो कि शादी से पहले पवित्रता (chastity) एवं शादी के बाद वफादारी की बात नहीं करते हैं; वह आमतौर पर पुरुष इन सामाजिक नियमों से भटक जाते हैं। हालांकि पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया की तरह यह व्यवहार उतना प्रचलित नहीं है, पर इसका वास्तविक साक्ष्य है कि भारत में पुरुषों की एक निश्चित संख्या यौन-कर्मियों के ग्राहक के रूप में होती हैं। पुरुषों के गतिशील समूह जैसे शहरों में पुरुष प्रवासियों, ट्रक चालकों, सैन्य सेवाओं में काम करने वाले, एवं यात्रा करने वाले व्यापारियों को यौन-कर्मियों के महत्वपूर्ण ग्राहक समूह के रूप में देखा जा सकता हैं। इसी तरह बहुत सारे व्यस्क पुरुषों का यौन जीवन वेश्याओं

के साथ ही शुरू होता है।[174] भारत में HIV का तेजी से व्यापक प्रसार भी इस बात को रेखांकित करता है, कि भारत में एकपत्नीत्व को जरूरी रूप से व्यवहार में शामिल नहीं किया जाता है।[175] यह भारतीय समाज के हर वर्ग के पुरुषों पर लागू होता हैं।

> अनुराधा, पुनम, कविता, दीपिका, कुसुम, अर्चना... आदि महिला यौन कर्मी जो कि कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में यौन कार्य कर रही हैं का मानना है कि ट्रक ड्राइवर, सेना के लोग, सरकारी नौकरी वाले और मजदूर वर्ग के लोग अधिक संख्या में हमारे पास यौन सेवाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं।इन वर्गों के यह लोग हमसे अधिकतर बिना कंडोम के संबंध बनाने के लिए दबाब डालते हैं और इसके लिए अधिक पैसे भी देते हैं।बहुत बार हम भी इस लालच में आ जाते हैं कि बिना कंडोम के यौन सेवा देने से हमको अधिक आमदनी हो रही है तो हम भी इस प्रकार के असुरक्षित यौन संबंध ग्राहक के साथ बना लेते हैं जिसका खामियाजा हमको यौन संक्रमणों जैसी बीमारियों के साथ भुगतना पड़ता है।[176]

DMSC जो कि महिला यौन-कर्मियों के उत्थान के लिए प्रयासरत है द्वारा महिला यौन-कर्मियों के लिए प्रस्तावित नीति-घोषणा पत्र में महिलाओं को यौन कार्य में शामिल होने वाले मुद्दों को आसानी से ढूंढा जा सकता है, जिनका कहना है कि जीविकोपार्जन के लिए उपलब्ध अन्य पेशों में शामिल होने की वजहों की तरह ही महिलाएं वेश्यावृत्ति का भी पेशा अपनाती हैं। यहाँ पर DMSC का महिला यौन कार्य और अन्य कार्य का एक तुलनात्मक ढांचा लिंग के सीमित दायरे से बाहर इस बात को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से जीविकोपार्जन की तलाश में महिला एवं पुरुष इस अनौपचारिक सेक्टर में फंस जाते हैं परन्तु एक पुरुष रिक्शाचालक एवं एक महिला यौन कर्मी के बीच यह तुलना कहां तक संभव है? कोलकाता में रिक्शाचालकों की आमदनी से संबंधित रिपोर्ट पर नजर डालने से यह स्पष्ट होता है कि इन रिक्शाचालकों की प्रतिदिन की कमाई

---

[174] WORLD HEALTH ORGANIZATION, Regional Office for the Western Pacific, STI/HIV, Sex Workers in ASIA, July, 2001, pp: 27 - 28.

[175] Ibid

[176] अनुराधाबाड़ी बाजार आदि महिला यौन कर्मी जो कि क ...अर्चना ,कुसुम ,दीपिका ,कविता ,पुनम , ,लाल बत्ती क्षेत्र में यौन कार्य कर रही हैं का मानना है कि ट्रक ड्राइवरसेना के लोगसरकारी नौकरी , वाले और मजदूर वर्ग के लोग अधिक संख्या में हमारे पास यौन सेवाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं और उनके दबाब और लालच में आकर हम असुरक्षित यौन संबंध बना लेते हैं और बाद में हमको यौन संक्रमण हो जाता है ।

20-25 रुपए से अधिक नहीं होती।[177] इसकी तुलना में सोनागाछी (कोलकाता) में काम करने वाली यौन-कर्मियों द्वारा ली गई औसतन कीमत 40 रुपए प्रति काम (ट्रिप) है जिससे उनकी कुल औसतन आमदनी 15 से 600 रुपए तक होती है।[178] अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में उनकी आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। यौन-कर्मियों की मान्यताओं का ठीक ऐसा ही स्वरुप मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों में भी देखने को मिला हैं।

> इस सन्दर्भ में अर्चना, रानी, अंशु, रानी, नीलम, सीमा, शशि, बिमला... आदि महिला यौन-कर्मियों का मानना है कि हम जितना पैसा इस काम में कमा लेते हैं, उतना पैसा किसी भी काम में कमा सकते हैं, क्योंकि हम अनपढ़ हैं हमारी किसी से कोई जान पहचान भी नहीं है और तो हमारी कोई सरकारी नौकरी तो लगेगी नहीं और मजदूरी करके हमारा ना पेट भरेगा और ना ही हम अब मजदूरी कर सकते हैं क्योंकि अब हमको भी इसी काम की आदत पड़ चुकी हैं। यदि इन सब के बाद भी हम यह यौन कार्य छोड़कर कहीं दूसरा काम करने जायेंगे तो वहां भी हमको यही काम करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिवा यह काम करने के इसलिए हम अब हम अपना कार्य नहीं छोड़ सकते हैं चाहें हमको हमारे नागरिक अधीकार मिलें या नहीं मिलें। इसी के साथ कबाड़ी बाजार में काम कर रही महिला यौन-कर्मियों का यह भी कहना है कि हम जरुर इस काम में एक मजदूर से अधिक कमाई करते हैं किन्तु हमारी कमाई का अधिकतर भाग इस काम में जुड़े अन्य लोगों में बंट जाता है जैसे - दलाल, कोठे की मालिकन, पुलिस को, और वह लोकल लोग जो कि हमको सुरक्षा देने का दावा करते हैं।इन सब में हमारी कमाई बंटने के बाद एक मजदूर से भी कम बचती है इस प्रकार हमारे पास मात्र पेट के लिए रोटी खाने हेतु पैसे ही हमारी कमाई के बचते हैं यदि किसी ग्राहक के साथ कोई पुलिस विवाद आदि हो गया तो वह भी नहीं बचते हैं वल्कि वह भी वकील अथवा थाने में खर्च हो जाते हैं।तब हम

---

[177] Government of India. “Report on Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganised Sector”, New Delhi: National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, August 2007, pp: 69-70, in Rohini Sahni and V. Kalyan Shankar, *Sex Work and its Linkages with Informal Labour Markets in India: Findings from the First Pan-India Survey of Female Sex Workers,* Institute of Development Studies (IDS) Working Paper, Volume 2013, No. 416, p: 21. Available at: http://www.sangram.org/resources/ids_working_paper.pdf, accessed on 12th June 2016.

[178] Ibid

किस प्रकार इस देश के नागरिक हो सकते हैं जो कि अपना काम भी ठीक ढंग से नहीं कर सके हैं और ना ही हमारी कमाई पर मात्र हमारा अधिकार होता हैं।[179]

DMSC की भांति बहुत सी परिस्थितियों में इस प्रकार महिलाओं एवं पुरुषों के कामों की यौन कार्य से की जाने वाली तुलनाएं प्रासंगिक हो सकती है किन्तु इनकी प्रासंगिकता अकादमिक अर्थों में ज्यादा साबित हो सकती है, अर्थात कहने का आशय यह है कि, इस अर्थ में (अकादमिक मायने में) यौन-कर्मियों को उनके साथ सामान्य तराज़ू में रखकर उनकी आमदनी की तुलना करके यह दिखाया जा सकता है कि यौन-कर्मियों की कमाई एक सामान्य मजदूर की तुलना में ज्यादा हो सकती है। परन्तु यह आमदनी महिलाओं के यौन कार्य में प्रवेश का तर्क भी नहीं हो सकती हैं। अगर यौन कार्य में शामिल होना एक आर्थिक फैसला है तो इसका औचित्य श्रम बाजार में यौन-कर्मियों को अपने अनुभव से आना चाहिए मजबूरी या मानव तस्करी जैसे आदि रास्तों से नहीं । इस प्रयास में, अकादमिक जगत की तरह उनके पास अन्य अनौपचारिक जीविकोपार्जन के उपायों से तुलना करने का कोई साध्य नहीं होता हैं। उसके कामों का फैसला उसके अपने अनुभव पर या अन्य कामों से पहचान पर निर्भर करता हैं। उसके पास उपलब्ध विकल्पों में यौन कार्य एक ज्यादा सोची समझी पसंद का विकल्प होगा, किन्तु इस कार्य से निकलकर कोई अन्य कार्य करने का विकल्प भी उनके पास होना चाहिए और साथ ही हर प्रकार की महिला यौन कर्मी का जीवन सभी नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के साथ समाज में गरिमामय होना चाहिए ।

अभी तक नारीवादी सिद्धांतों ने भी अपने काम में इस क्षेत्र को अनदेखा किया है, किन्तु उन्होंने अपने काम में मुख्य रूप से महिला के खिलाफ हिंसा, sexuality तथा पोरनोग्राफी जैसी बहसों पर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित किया है।[180] Jo Brewis एवं Stephen Linstead ने यौन कार्य के अस्थायी संगठन का श्रम प्रक्रिया से संबंधित

---

[179] अर्चना आदि महिला यौन ...बिमला ,शशि ,सीमा ,नीलम ,रानी ,अंशु ,रानी ,कर्मी जो कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वैश्यालय आधारित कोठों पर यौंन कार्य कर रही हैं का मानना है कि हम यौन कार्य करके कमाई तो अधिक कर लेते हैं किन्तु हमारी कमाई का अधिकतर हिस्सा उन लोगों में बंट जाता है जो कि इस कार्य से जुड़े हुए हैं और उसके बाद हमारे पास जो कमाई बचती है वह किसी भी मजदूर की मजदूरी से बहुत कम होती है ।

[180] Segal, Lynne and Mary McIntosh (ed.). *Sex Exposed: Sexuality and the Pornography Debate*, United States of America: Rutgers University press, 1993, pp: 19-27.

रोचक अन्वेषण किया है तथा Jackie West ने Australia, New Zealand, The Netherlands एवं United Kingdom (UK) का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए यौन कार्य को नियंत्रित करने वाली राजनीति के बारे में पता लगाया है।[181] जब पश्चिम के देशों का विश्लेषण स्थानीय राजनीति, यौन कर्मी समूहों एवं वेश्यावृत्ति के भीतर बढ़ते अलगाव तथा वैधीकरण एवं कानूनीकरण के बीच अस्पष्ट एवं मिटते हुए सीमा वाले नियंत्रण संदर्भों के बीच जटिल कटाव (complex intersection) को पता लगाने की कोशिश करता हैं, तब परिणामस्वरूप यह सामने आता है कि महिला यौन-कर्मियों पर इसके विभिन्न जटिल प्रभाव सुनिश्चित होते हैं।उदाहरण के तौर पर, श्रम कानून सुधार पर बहस, यौन-कर्मियों पर परिचर्चा का स्थानीय पहलुओं पर प्रभाव जैसे Utrecht में क्षेत्रीय उद्योग वृद्धि एवं कानूनीकरण को प्रोत्साहित करने वाले निवेश में बढ़त, मुख्यधारा के अवकाश उद्योग एवं वेश्यावृत्ति के बीच कड़ी का मजबूत होना, मुख्य रूप से शामिल हैं। इस प्रकार पश्चिम का विश्लेषण महिला यौन-कर्मियों की परिचर्चा एवं वेश्यावृत्ति के बदलते नियमनों पर यौन-कर्मियों समूहों के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रि करता हैं। यौन कर्मी परिचर्चा का प्रभाव वेश्यावृत्ति के समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण एवं अपर्याप्त सैद्धांतिक पहलू हैं। इसी क्रम में Phoenix का मानना है कि वेश्यावृत्ति में कुछ महिलाओं की संलिप्तता का मुख्य कारण उनकी सामाजिक एवं भौतिक स्थिति हैं। अपने ethnographic काम में उन्होंने व्यक्तिगत महिलाओं पर होने वाले संरचनात्मक प्रभावों एवं व्यक्तिपरक प्रतीकात्मक परिदृश्य (the subjective symbolic landscape) जिसके भीतर उनकी वेश्यावृत्ति में संलिप्तता को एक अर्थ हासिल हुआ, जैसे तथ्यों को टटोलने की कोशिश की हैं।

Sanders ने यौन-कर्मियों के साथ होने वाली हिंसा, गली से बाहर काम करने करने वाली महिला यौन-कर्मियों एवं उनके ग्राहकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समसामयिक यौन उद्योग का नारीवादी विश्लेषण विकसित करने की कोशिश की हैं। Sanders उन सारे यौन कर्मी सिद्धांतवादियों में से एक हैं जो कि अपने समाजशास्त्रीय एवं अपराध-

---

[181] West Jackie. "Prostitution: Collectives and the Politics of Regulation", *Gender, Work and Organization,* Volume 7, no. 2, 2000, pp: 107 - 109. Available at: file:///C:/Users/Manoj/Downloads/Prostitution_Collectives_and_the_Politics_of_Regul.pdf, accessed on 10th June 2016.

विज्ञानीय विश्लेषण को कार्यकर्ता वाले काम के साथ मिलाकर काम करते हैं।[182] वेश्यावृत्ति को विकृत व्यक्ति की तरह पेश करने वाले आइने से दूर हटकर एवं यौन कार्य में लिप्त व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुभवों एवं वृतांतों से प्रेरणा लेते हुए, Sanders, यौन कार्य को शरीर के अन्य रूपों के साथ होने वाले पेशे एवं भावुक काम के बीच समानताओं पर विचार रखती हैं।[183]

वेश्यावृत्ति को लेकर नारीवादी दृष्टिकोण भी विरोधाभासों से अछुता नहीं हैं। एक तरफ वेश्याएं मुख्य रूप से महिलाएं होती हैं तथा कानून द्वारा दबाई एवं सताई जाती हैं। बहुत सारे नारीवादियों का मानना है कि समाज के अन्य वर्गों की तरह उन्हें भी पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए एवं उन्हें अपने धंधे को शांतिपूर्वक चलाने की अनुमति देनी चाहिए। इसी सन्दर्भ में मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों का विश्लेषण किया जाता है तो सामने आता है कि -

> मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में काम कर रही यौन-कर्मियों का मानना है कि हमको भी वह सभी अधिकार मिलने चाहिए जो कि एक आम आदमी को प्राप्त हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं और हम भी इंसानों के लिए ही काम करते हैं इसलिए हमारे काम को गन्दी नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए और हमको भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए । इस काम को भी अन्य कार्यों की भाँती समान मान्यता सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए ताकि हम पुलिस की रोखथाम और शोषण से मुक्त रह सकें। इसी के साथ सरकार को हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से उचित प्रबंध करना चाहिए, तथा सरकार को चाहिए कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हमेशा कोई डॉक्टर उपलब्ध हो तो सबसे ठीक हैं। सरकार को हमारे लिए चाहिए कि हमारे मन से यह डर समाप्त हो जाए कि हम कोई गलत या बुरा काम कर रहे हैं हम भी यह काम करके सम्मान जनक जीवन यापन कर सकें तो हम मान सकते हैं कि हम भी इस समाज और देश के सामान्य नागरिक हैं।[184]

---

[182] Sanders, Teella. *Paying for Pleasure: Men who Buy Sex*, Cullompton, U.K.: Willan Publishing, 2008, pp: 13-30.

[183] Sanders, Teela. *Sex Work: A Risky business,* Cullompton, U.K.: Willan Publishing, 2005, pp: 21-33.

[184] नेहा, ट्विंकल, करीना, पूजा, आरती ज्योति, आरती, मीना... आदि महिला यौन कर्मी मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत हैं और वह यह दलील देती हैं कि जिस प्रकार सभी अपना काम करते हैं उसी प्रकार हम भी अपना काम करते हैं इसलिए हमको भी सरकार से यह काम करने की कानूनन वैध मान्यता मिलनी चाहिए ताकि हम भी अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें ।

ऐसे ही सामाजिक तथ्यों की मजबूती अन्य साक्ष्यों से भी मिलती है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि वेश्यावृत्ति की अनेकों खराब विशेषताएं इसके अवैध होने के कारण ही हैं। जैसे- दलालों एवं पुलिस की गुप्त निगरानी करने वाली रणनीतियां, कोठे मालिकों द्वारा शोषण, बिना किसी कानूनी मदद के हमले होने का खतरा, ड्रग तस्करी तथा संगठित अपराध के साथ अटूट संबंध होना ही यौन कार्य अवैधता के कारण माने जाते हैं।बहुत बार यौन कर्मी भी इन बातों को भली-भांति स्वीकार करती हैं।[185]

वहीं दूसरी तरफ कुछ नारीवादियों का मानना है कि यौन कार्य की उत्पत्ति की जड़े पुरुष एवं महिला के बीच प्रभुत्व एवं अधीनता की असमानता में छुपी हुई है।[186] वहीं मेरठ के कबाड़ी बाजार में रहने वाले सभी आम जनों के द्वारा यह धारणा स्वीकार की हुई है कि वेश्यावृत्ति पुरुषों के द्वारा महिलाओं का यौन शोषण है, को परिभाषित करते हैं। कभी-कभी ये दोनों मत एक दूसरे के अगल-बगल भी दिखाई पड़ते हैं। ज्यादातर समय, ये दोनों मत एक दूसरे का विरोध करते हुए नारीवादी चेतना में व्याप्त अंतर को उजागर करते हैं।

समाज में विद्रोह करने वाली एक महिला को सभ्य सामाजिक महिला के लक्षणों के बिना समझा जाता है, परन्तु उसे लैंगिक स्वतंत्रता एवं यौन आकर्षण के दोहरे पैमाने पर दोहरे भेदभावपूर्ण तरीके से भी कलंकित किया जा सकता है, जैसे की उसे एक "खाई" या समलैंगिक कहकर संबोधित करना या सीधे तरीके से उसे आवारा, फूहड़ और वेश्या जैसे संबोधनों से संबोधित किया जा सकता हैं। इस तरीके से एक वेश्या अंतरलैंगिक संबंध में एक बुरी लड़की को परिभाषित करती है, किन्तु ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अधिकांशत पितृसत्तात्मक संस्कृति में तिरस्कार पूर्ण संबोधनों जैसे "whore" (वेश्या), "putain" (कुलटा), या "puta" का प्रयोग ना सिर्फ शब्दिक प्रयोग

---

[185] Millett, Kate. *The Prostitution Papers: A candid dialogue,* Granada Publilishing Limited by Paladin Books, Frogmore, U.S.A. United State of America: Basic Books, Inc. 1971, 1975, pp: 72-80.

[186] Pateman Carole, "Defending Prostitution: Charges Against Ericsson, *Ethics,* Volume 93, no. 3, April 1983, pp: 561 - 62, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2380632.pdf?refreqid=excelsior%3A6b7a80fabf82ffe3909e3546e3427000, accessed on 10th March 2017.

हुआ है बल्कि लाक्षणिक रूप से इसे (figuratively) व्यवहार, यौन एवं अन्य तरीके से बिगड़ी हुई महिलाओं को सुधारने के लिए भी किया जाता रहा हैं।

> कविता, रानी, सन्नो, सुनीता परवीना, अश्मा,... आदि महिला यौन कर्मी जो कि लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार में वैश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य कर रही हैं का कहना है कि ऐसा नहीं है हमको मात्र यहाँ कोठों पर ही अपमानित या बुरे संबोधनों से पुकारा जाता है वल्कि जब हम इन कोठों से बाहर जाते हैं जैसे कि अपने बच्चों का प्रवेश करने के लिए स्कूल में जाते हैं, या अपने बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल अर्थात डॉक्टर के पास जाते हैं, या सामान खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो वहां पर मिलने वाले अधिकतर लोग हमारे ऊपर गंदे और भद्दी फब्तियां और मजाक करते हैं, जैसे - आओ तुम्हारे बच्चे का दाखिला किस कक्षा में होगा ? अच्छा बताओ इसके बाप का क्या नाम है ? खेर छोड़ो तुझे इसके बाप का नाम नहीं पता होगा आदि ... प्रकार के अपमान जनक बातें हमारे साथ की जाती हैं।[187]

इसके अलावा, यह भी एक पेचीदा बात है कि क्या इस अच्छी महिला और बुरी महिला का विभाजन इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रथम वर्ग वाली अच्छी महिला को छोड़कर वेश्याओं को ही क्यों वेश्यावृत्ति के लिए गिरफ्तार किया जाता हैं। यदि हम इसी समस्या को एक दूसरी नजर से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर शक्ति पर असमान तरीके से कब्जा करने वाले पुरुष की नजर से देखते हैं। शायद यह संभव हो कि वर्जित लोगों को लुभाने की अदाएं जो कि बुरी लड़की का अपने पुरुष कद्रदानों के लिए एक हथियार होता है, वह वैधीकरण से कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, इस तरह का कोई खास कारण नहीं है जिसके कारण गैर-कानूनी वेश्यावृत्ति के हालातों में बुरी लड़कियों को पुनर्निर्मित या उसे बनाकर नहीं रखा जा सकता हैं। परन्तु इसके एक दूसरे नुकसान को बहुत कम देखा जाता है जो की यह है कि वैधीकरण का यह खुलेआम रूप से मानना है कि पुरुष वेश्यावृत्ति को चलते रहने की इच्छा रखते हैं।

इस प्रकार, आपराधिक न्याय प्रक्रिया की यथास्थिति एक मौलिक यौन अंतर को बचाता हैं। सार्वजनिक रूप से, और कभी-कभी अच्छी महिलाओं द्वारा भी यह आमतौर पर

---

[187] कविता ...,अश्मा ,सुनीता परवीना ,सन्नो ,रानी ,आदि महिला यौन कर्मी जो कि लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार में वैश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य कर रही हैं का कहना है कि हमारे साथ समाज की हर संस्था में अपमान जनक व्यवहार किया जाता है जो कि किसी भी सामान्य मजदूर के साथ नहीं किया जाता है, यहाँ तक की हमारे बच्चों को भी रंडी की औलाद कहकर अपमान जनक संबोधन के साथ संबोधित किया जाता है ।

कहा जाता है कि वेश्याएं खराब होती हैं, परन्तु साथ ही साथ वेश्यावृत्ति के चलन जिसमें कि दोनों ही लिंगों की समान रूप से सहभागिता होती है जिस बात पर कोई चर्चा नहीं करता है और इस सहभागिता को अधिकतर छुपाया जाता हैं। इस व्यवस्था में जहाँ एक तरफ पुरुषों की एक बड़ी संख्या को ऐसा करने की अनुमति समाज देता है वहीँ दूसरी दूसरे तरफ महिला लिंग को ही प्रताड़ित किया जाता है कि वह यौन कार्य करती है, जिसका स्वरुप मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर काम कर रही महिला यौन-कर्मियों के रूप में भी तथ्य प्राप्त हुए हैं -

> "हम तो यह काम छोड़ भी दें लेकिन यह समाज हमको जीने नहीं देगा जब भी इस समाज में यह पता चलेगा कि हम यौन कार्य करते थे तो यही लोग हमको जीने नहीं देंगे और हमसे इसी प्रकार के काम की कामना करेयेंगे की हम उनके साथ यही यौन कार्य करें यह समाज हमको किसी भी प्रकार से हमको नहीं जीने देगा, हमको वहां भी अपना शरीर बेचकर ही पेट पालना पड़ेगा। साहब हम तो आज यह काम छोड़ दें लेकिन कोई बताएं की हमारे जीवन की जिम्मेदारी कौन लेगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो की हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो यदि सरकार चाहती तो कब का यह काम समाप्त हो गया होता । कोई भी लड़की अपनी खुशी और मजे के लिए रण्डी नहीं बनती है। यही समाज उसको यह सब करने के लिए मजबूर करता है, और यही समाज हमको स्वीकार नहीं करता है"[188]

क्षेत्र अध्ययन के तथ्यों तथा समस्त समाजों के उदाहरणों से बेशक यह सच्चाई सामने आती हैं कि वेश्यावृत्ति हर जगह, हर समय अवैध नहीं रही हैं और ना ही हर जगह इसका कोई एक सामान्य तरीका हैं। आमतौर पर, सिर्फ वेश्याओं को ही गिरफ्तार करना तथा "अच्छी महिला और खराब महिला" के बीच विभाजन को बनाना एवं उसे सटीकता से कायम रखना, उस व्यवस्था एवं प्रक्रिया को निश्चित करता है जो कि महिलाओं के लिए असुरक्षित एवं विभाजनकारी हैं। अतः यह सिर्फ वेश्याओं का ही सवाल नहीं है परन्तु इससे प्रभावित होने वाली सभी महिलाओं का सवाल हैं। "एक अच्छी" महिला के नजरिए से, जो कि अपनी दूसरी तरफ संशय एवं अस्पष्टता के कारण झुकी हो, उसके प्रति भी सामूहिक अत्याचार को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह भी इस देश की नागरिक है, जिसके लिए मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में काम कर रही यौन-कर्मियों का मानना है कि -

> "यदि इस समाज में हमारी जरुरत नहीं होती तो सरकार अब तक हमको हटा चुकी होती, यदि हमको अभी तक नहीं हटाया है तो इसका मतलब है कि हमारी अभी तक समाज में जरुरत है तब यदि हमारी जरुरत ही है तो हमको कानूनन यह मान्यता क्यों नहीं दी जाती

---

[188] Ibid.

की हमारा काम समाज के लिए उपयोगी है, और इस काम को सरकारी मंजूरी दी जाती है, कि कोई भी लड़की अठारह साल के बाद यह काम कर सकती है उसको कानूनन सहायता और सुरक्षा दी जाती है । यदि सरकार ऐसा करेगी तो हमको और हमारे काम को भी समाज में सम्मान मिलेगा और हमको एक नागरिक होने के अधिकार मिल सकते हैं।"[189]

इसी विषय में Shrage का मानना है कि इन दोनों आयामों को कम से कम सैद्धांतिक रूप में सुलझाया जा सकता है।[190]

मेरठ शहर के लाल बत्ती क्षेत्र में नृवंश-संबंधी अध्ययन से प्राप्त सामाजिक तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी तक के वेश्यावृत्ति में व्याप्त पक्षपात को समाप्त करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन की जरूरत होगी। जैसा कि यहाँ पर महिला यौन-कर्मियों ने भी स्वयं सुझाव दिए हैं कि वेश्यावृत्ति का एक लक्ष्य पेशेवर रूप से एवं बिना किसी कलंक और निन्दा के चिकित्सकीय उपचार का निर्माण हो सकता है, परन्तु इसके लिए भी वेश्यावृत्ति के लिए जिम्मेदार सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को भी बदलने की जरूरत है, ताकि इसका लैंगिकवादी चरित्र भी खत्म हो पाए। यह सब करने के लिए ना सिर्फ वैधीकरण एवं सुरक्षित रोजगार के हालात जरूरी हैं बल्कि यौन-कर्मियों की जरूरतों को भी पुरुष एवं महिला के लिए एक समान होना जरूरी हैं। अंतरलैंगिकता के विशेषाधिकार की समाप्ति के लिए एक वृहद स्तर पर आयु एवं शरीर को कार्यरत करने की जरूरत है। इसके लिए शायद आमूल्य परिवर्तन की जरूरत है ताकि अगर ये परिवर्तन हुए भी तो इसके परिणामों में वेश्यावृत्ति की कोई पहचान ना रह पाए। इनमें सेक्स एवं महिलाओं से संबंधित दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा तथा जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसे स्वतंत्र समाज का निर्माण होना संभव हो सकेगा जिसमें यौन एवं आर्थिक आदान-प्रदान की कोई मांग नहीं होगी।

---

[189] गंगा, ज्ञानो, सुनीता, सुन्दरी, गोपिका, मीना, मंजू, सुमन, संतोष, रजनी... आदि महिला यौन कर्मी शारदा बाई, नूरजहाँ बाई... आदि कोठे की दल्लन जो कि मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य में कार्यरत हैं इन महिलाओं का यह मानना है कि यदि इस समाज में हमारी जरुरत नहीं होती तो यह कोठे कब के बंद हो गए होते किन्तु यदि यह आज भी चल रहे हैं तब इससे यही सावित होता है कि इस समाज में हमारी जरुरत है और यह हमेशा रहेगी ।

[190] Shrage, Laurie. "Should Feminists Oppose Prostitution?" *Ethics*, Volume 99, no. 2, January 1989, pp: 356 - 57. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2381438.pdf?refreqid=search%3A49a594ac6736e3f981836fc0ede054db, accessed on 20th April 2017.

हालांकि कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र के अध्ययन के समय यहाँ पर बहुत से पुरुष यौन कर्मी तथा हिजड़े यौन कर्मी भी मिले जिनके ग्राहक भी पुरुष ही होते थे और वह इनकी यौन सेवा और इन्हें पसंद भी बहुत करते थे। इनके ग्राहकों का कहना था कि सेक्स में जो आनंद यह पुरुष यौन कर्मी और हिजड़े देते हैं कोई महिला नहीं दे सकती है और इनकी कीमत भी कम होती है। इसलिए हम इनको अधिक पसंद करते हैं। इन तथ्यों के अनुसार यह माना जा सकता है कि वेश्यावृत्ति के लिए जिम्मेदार हालात सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं हैं, पर ये हालात इस तरीके से घटित होते हैं कि ये महिलाओं के लिए अधिकतर अहितकर साबित होते हैं क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा गरीब होती हैं, तथा आर्थिक शोषण और रोजगार के लिए मोल भाव करने वाली स्थिति में ज्यादा कमजोर होती हैं। वेश्यावृत्ति में जहाँ दलाल एवं लड़कियों को सप्लाई करने वाले उनकी आर्थिक एवं सामाजिक असुरक्षा का फायदा उठाते हैं, वहीं कानून लागू करने वाली एजेंसियां उन्हें अपराधी और अवैध घोषित करती हैं। बहुत सारी महिला वेश्याओं को शिशु उत्पीड़न से भी गुजरना पड़ा है एवं शिशु उत्पीड़न के शिकार अधिकांशतः शुरुआती उम्र से ही इस धंधे में शामिल हो जाती हैं तथा इनसे निकल नहीं पाती हैं। इन पीड़ित महिलाओं में अपने अवसरवादी दुरुपयोग करने वालों से अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता की कमी होती है।[191] कबाड़ी बाजार में कार्यरत महिला यौन कर्मी संजना ने बताया कि -

> “काजल, संजना, भूमिका, कविता तथा अन्यों का कहना है कि यदि हम कहीं फंस जाती हैं तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती है, सभी लोग मौका देखकर हमारा फायेदा उठाते हैं, और मजबूरी की हालत में तो हमको और अधिक अपमान झेलना पड़ता है। ऐसी हालत में हम क्या करें कुछ समाज में नहीं आता हैं। संजना ने बताया कि एक बार में सड़क पर खड़ी थी कि मुझे तीन लड़के दिखाई दिए जो कि कहीं चार पहिये की गाड़ी में जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर गाड़ी रोक ली तब मुझे भी लगा कि यह ग्राहक है कोई बात नहीं में भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गयी और वह मुझे हस्तिनापुर के जंगल में ले गए इस जंगल का नाम जम्मू दीप हैं। मैंने वहां जाकर देखा कि यहाँ पर बहुत से प्रेमी युगल बैठे बातचीत कर रहे हैं। उन तीनो लड़कों में से एक लड़का मुझे भी एक झाड़ी के नीचे ले गया और बाकी दोनों लड़के बहुत दूर खड़े हो गए। वह लड़का मेरे साथ संबंध बनाने के लिए मुझसे बहुत दूर बैठकर मात्र बात ही कर रहा था कि तभी ना जाने कहाँ से तीन पुलिस वाले वहां पर आ गए। उन पुलिस वालों को देखते ही वह लड़का भाग खड़ा हुआ और में अकेली वहां पर फंस

---

[191] Overall Christine. “What's Wrong with Prostitution? Evaluating Sex Work”, *Signs,* Volume 17, no. 4 Summer 1992, pp: 707 - 11. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3174532.pdf?refreqid=search%3Ad227688e04e961e9d95ea86f426b01a9, accessed on 12th April 2017.

गयी। अब में क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन पुलिस वालों ने मेरे बेग की तलाशी ली तो उसमें से उन्हें छ सात कंडोम बरामद हुए जिन्हें देखते ही वह पुलिस वाले मुझे गाली देने लगे और मेरे साथ संबंध बनाने के लिए जोर डालने लगे। में ऐसी हालत में क्या करती मुझे उनकी बात माननी पड़ी और उस दिन मेरा इतना अपमान और शोषण हुआ कि किसी का भी नहीं हुआ होगा। तब साहब आप कैसे कह सकते हैं कि हम भी अर्थात यौन कर्मी भी नागरिक हैं और उनको भी कुछ अधिकार हैं।यदि यही कंडोम किसी और लड़की के पास मिलते तो वह पुलिस वाले ऐसा नहीं कर पाते। यह कैसा समाज है साहब कि यदि कोई लड़की कंडोम ले कर चलती है तो उसको गलत समझा जाता है।"[192]

इसी के साथ लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार में वैश्यालय आधारित कोठों पर अध्ययन के समय प्राप्त तथ्यों से यह सामने आया कि यहाँ पर काम कर रही महिला यौन कर्मी, महिला यौन कार्य के सौदे में यौन कर्मी बनने वाली महिलाओं को पुरुषों के बुरे व्यवहारों का शिकार बनना पड़ता है, क्योंकि यह महिला यौन-कर्मियों के पुरुष ग्राहक यौन-कर्मियों के विरोध के लिए उपलब्ध साधनों की कमी को भली-भांति तरीके से जानते हैं। वेश्यावृत्ति के संस्थागत आलोचना का यह मानना है कि वेश्यावृत्ति महिलाओं की सामाजिक असमानता को बरकरार रखने में एक मुख्य भूमिका निभाता हैं। यह महिलाओं को किसी भी पुरुष के पास उपलब्ध यौन वस्तुओं (sexual objects) की तरह परिभाषित कर इस असमानता को बरकरार रखता हैं। हमारे समाज में वेश्यावृत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाला पर अस्वीकृत तथ्य यह है कि किस हद तक यौन कर्मी और यौन कार्य हमारी बातचीत, चुटकुलों, कहानियों, अवलोकनों का मुख्य हिस्सा होता है, और हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हैं। संक्षेप में माने तो यह सार्वजनिक समाज में गुदगुदी एवं हास्य का स्रोत होता है।[193] परन्तु आम चिंतन में व्याप्त रूढ़ियां सिर्फ वेश्याओं की तरफ इंगित ना होकर महिलाओं की तरफ ज्यादा प्रेरित होते हैं।

---

[192] काजलकविता तथा अन्यों का कहना है ,भूमिका ,संजना , कि हमारे काम में हर व्यक्ति हमारी पहचान जानने के बाद हमारा फायदा उठाना चाहता है । यहाँ तक कि पुलिस भी हमारा शोषण ही करती है, एक ऐसा शोषण जिसमें हमारी आत्मा तक घायल हो जाए । जबकी पुलिस को तो हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है । जैसा व्यवहार पुलिस और सामान्य जन हमारे साथ करते हैं ऐसा व्यवहार किसी अन्य नागरिक के साथ नहीं कर सकते हैं ।

[193] Overall Christine. "What's Wrong with Prostitution? Evaluating Sex Work", *Signs,* Volume 17, no. 4 Summer 1992, pp: 707 - 11. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3174532.pdf?refreqid=search%3Ad227688e04e961e9d95ea86f426b01a9, accessed on 12th April 2017.

सोनिया, सन्नो, बन्नो, बबिता, कुसुम, नेहा, जो कि मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में वैश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत हैं का कहना ही कि यहाँ पर काम करने वाली हर महिला यौन कर्मी गरीब घरों से आती हैं, यदि हम अमीर घरों से आते तो यह (यौन कार्य) काम कभी नहीं करते । इस संदर्भ में उदारवादी आलोचकों द्वारा कट्टरपंथी नारीवादियों के दृष्टिकोण की आलोचना में प्रयोग किया जाने वाला यह जवाब मुख्य रूप से सही प्रतीत होता है, कि वेश्याओं के जीवन से संबंधित वेश्याओं के लिए सबसे आशा भरी चीज यही है कि वे वेश्याओं के काम करने वाले हालातों में सुधार किए जाए। हालांकि अभी तक विभिन्न लेखकों ने विभिन्न प्रकार के सुधारों की बात की है पर इन सारे लेखकों में कुछ आम बातें स्पष्ट होती हैं, जैसे कि वे वेश्याओं के द्वारा किए गए यौन कार्य को फिर से विश्लेषण करने की बात करते हैं, तथा वे वेश्यावृत्ति और खासकर वेश्यावृत्ति से संबंधित समाज के आम रवैयों को फिर से पुर्नावलोकण की बात भी दोहराते हैं।उदाहरण स्वरूप, उनका मानना है कि यौन कार्य के कानूनीकरण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वर्तमान वेश्यावृत्ति को और वेश्याओं के काम को एक वार दुबारा नए सिरे से देखा जाए क्योंकि यह व्यावसायिक कामुक सिद्धांत के लिए जरूरी हैं। इस तरह के उपचार के चिकित्सक होने के नाते "यौन कर्मी को उसके यौन एवं भावनात्मक ज्ञान के धन के कारण सम्मान हासिल होगा।"[194] Lars Ericsson का यह मानना है कि "वेश्याएं समाज में व्याप्त यौन गरीबी को दूर कर समाज के लिए एक बहुमूल्य कार्य को अंजाम दे सकती है।"[195]

ठीक इसी प्रकार Karen Green का मानना है कि यौन-क्रिया को वात्सल्य से अलग करना स्वास्थ्य नैतिक भावनाओं से भरे हुए व्यक्तियों के विकास को रोकता है।[196]

---

[194] Sibyl Schwarzenbach, "Contractarians and Feminists Debate Prostitution", *New York University Review of Law and Social Change,*Volume XVIII, 18, no. 1, 1990-91, pp: 103-30.

[195] Ericsson, O. Lars, "Charges Against Prostitution: An Attempt at a Philosophical Assessment", *Ethics*, Volume 90, no. 3, April 1980, pp: 364 - 367. Available at: http://kyoolee.homestead.com/Charges_Against_Prostitution_-_An_Attempt_at_a_Philosophical_Argument.pdf, accessed on 12th April 2017.

[196] Green Karen. Prostitution, Exploitation and Taboo, *Philosophy,* Volume 64, no. 250, October 1989, pp: 531 - 532. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3751608.pdf?refreqid=excelsior:cfc12ccbbf43dd058aa3c3af605f68dd, accessed on 16th may 2016.

Green के कथनानुसार, बच्चों में स्वास्थ्य आत्म सम्मान एवं देखभाल की भावना के लिए निःस्वार्थ पारिवारिक और माता-पिता के प्यार की जरूरत होती हैं। इस प्रकार आदर्श रूप में, यौन-क्रिया पारस्परिक प्रेम के साथ बंधा हुआ है जो कि दूसरों के प्रेम करने की क्षमता एवं स्वाभिमान की भावना का निर्माण करता हैं। किन्तु जब मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों ने अपने जीवन कठिनाइयों के वृतांतों को इस तरह साझा किया जिससे उनके जीवन की सच्चाई को समझा -

> "हमारे लिए यहाँ पर आने के बाद कुछ नहीं बचता हैं। ये सब कहने की बात है, कि ये कर लो वो कर लो। हम यहाँ से जहाँ भी जायेगे सभी जगह यही करना पड़ेगा। कोई भी हमे रानी बनाकर नहीं रखेगा। ऐसा नहीं है, कि हम यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करते। हम को जब कोई भी मौका मिलता हैं। हम यहाँ से जाते हैं और अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं। किन्तु हमारी किस्मत में घर नहीं कोठा हैं। जिसे कोई नहीं बदल सकता है। हम जब कभी किसी रिक्सा वाले से, कबाड़ी वाले से, पुताई वाले से, या अन्य किसी प्रकार के मजदूर के साथ शादी करती हैं या भाग कर उनके साथ रहने लगती हैं।किन्तु यह लोग भी हमें कुछ दिन ही अपने साथ रखते हैं। जब मन भर जाता है, तो छोड़ देते हैं।यदि नहीं छोड़ते, तो हमे वहां भी यही काम करना पड़ता है, जो यहाँ करते हैं। इससे तो अच्छा है, कि हम यहाँ ही रहें। किन्तु वह जितने दिन भी हमको अपने साथ रखते हैं हमें वहाँ पर भी जीवन की अत्यधिक यातनाओं को ही झेलना पड़ता हैं। एक प्रकार से हम एक नरक से निकल कर दूसरे नरक में पहुंच जाती हैं।"[197]

इस प्रकार मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के जन जीवन का विश्लेषण करते हुए यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार महिला यौन कार्य महिला यौन-कर्मियों एवं उनके परिवारों पर अपने प्रभाव द्वारा समाज की नैतिक संरचना को कमजोर बनाता हैं। परन्तु यह यौन कर्मी इस बात को भी रेखांकित करती हैं कि इसका जिम्मा सर्वप्रथम पुरुषों पर है क्योंकि वह हमारे समाज में पारिवारिक दायित्वों के निर्वाहन में कम सक्षम होते हैं। उनके इस दृष्टिकोण से, लिंगों की असमानता के निवारण के लिए पुरुषों एवं पिताओं के कर्तव्यों की मजबूती के साथ-साथ महिलाओं एवं माताओं की स्वतंत्रता भी जरूरी हैं। इस प्रकार

---

[197] सन्नो, बबिता, कविता, सुनीता, रजनी, रोजा, शबनम... आदि और ना जाने कितनी ही महिला यौन कर्मी मेरठ के कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य कर रही हैं जिनका जीवन इस तलाश मे बीतता है कि शायद उनका अब घर बस जाएगा और वह अपने ग्राहक से प्रेम करने लगती हैं और उसके साथ किसी भी तरह यहाँ से निकल कर चली भी जाती, किन्तु उनको वहां भी सफलता नहीं मिलती है और वापस यही पर आना पड़ता है यदि यहाँ नहीं आ पाती हैं तो वह जहाँ रहती हैं ओने जीवन यापन करने हेतु किसी ना किसी प्रकार से महिला यौन कार्य ही करना पड़ता है ।

से देखा जाए तो, यौन इच्छाओं, प्रेम और आत्म सम्मान के बीच में मानसिक बंधन को बनाए रखने के लिए एक नैतिक रास्ता अपनाता है, जो कि वेश्यावृत्ति को अन्य भुगतान की गयी सेवाओं से अलग करता हैं।

किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि यह कबाड़ी बाजार में वेश्यालय आधारित महिला यौन कर्मी या अन्य प्रकार की महिला यौन कर्मी अपनी जिंदगी में स्वतंत्रता पूर्वक किसी साधन का प्रयोग नहीं करती हैं बल्कि इसका मतलब है कि समाज को एक पितृसत्तात्मक दुनिया के सन्दर्भ में इस स्वतंत्रता एवं साधन की संपूर्ण प्राप्ति को बढ़ावा के लिए हर प्रकार का प्रयास करना चाहिए।[198] मेरठ के कबाड़ी बाजार में वैश्यालय अहरित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के साथ अध्ययन करने से यह सामाजिक तथ्य सामने आये कि शुरुआत के लिए, अगर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर महिलाएं यौन कार्य को एक व्यवसाय के रूप में इसलिए अपनाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस समय यही उनके पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं, किन्तु स्वतंत्रता एवं माध्यम के लिए एक नारीवादी चिंतन को महिलाओं का यौन कर्मी बनने के अपने "पसंद" की बात करने से कुछ और अधिक करने की जरूरत हैं। उनका मानना है कि नारीवादी चिंतन को महिलाओं के लिए पेशेवर विकल्पों में वृद्धि की बात करनी चाहिए। ताकि वे समाज में सामाजिक और आर्थिक विकल्पों की सीमितता के बंधनों में न बंधे। इसके अलावा उनका मानना है कि यौन-कर्मियों के विकल्प में तभी वृद्धि होगी जब समाज महिलाओं में आत्मसम्मान को बनाए रखने की जरूरत को गंभीरता से लेगा। इस प्रकार, उन सभी महिलाओं को जो कि यौन कर्मी हैं और उन महिलाओं को भी जो कि यौन कर्मी नहीं हैं, समाज में को खुद की बर्बादी वाले विकल्पों को चुनने से बचाया जा सकता हैं।

मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के साक्षात्कार और क्षेत्र कार्य के दौरान महिला यौन कर्मी और उनके नागरिक जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अभिलक्षण सामने आते हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, उनमें सर्वप्रथम हम इस तथ्य पर विचार कर सकते

---

[198] Iyer Karen Peterson. "Prostitution: A Feminist Ethical Analysis", *Journal of Feminist Studies in Religion,* Volume - 14, no. 2 (Fall, 1998), p: 37 - 38. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/25002334.pdf?refreqid=excelsior:6fe677404b6c605ca5a641765d55bdc2, Accessed on 12th june 2017.

हैं, कि महिला यौन कर्मी जिस भोगोलिक क्षेत्र में यौन श्रम कर रहीं हैं, क्या वह उस जगह की ही स्थानीय नागरिक हैं अथवा नहीं हैं, यदि वह वहां की स्थानीय नागरिक नहीं हैं, तब वह उस जगह कानूनन वैध रूप से काम कर रहीं हैं, अथवा गैर-कानूनी ढंग से यौन श्रम में कार्यरत हैं, क्या उनके पास जीवन यापन करने के लिए सामान्य नागरिकों के सामान पर्याप्त साधन और सामाजिक पहचान है अथवा नहीं है, इसी के साथ सभी महिला यौन-कर्मियों के जीवन दिनचर्या और जीवन शैली से जुड़ीं बहुत सी असमानताओं पर चिंतन किया जा सकता है, हालांकि स्वयं से यौन कार्य के व्यवसाय में प्रवेश करने वाली पारस्परिक रूप से विरोधी बात का प्रयोग बार-बार किया जाता रहा है, किन्तु यौन श्रम में जहाँ; यौनिक संबंधों का स्वरुप असमान पाया जाता है, वहाँ पर सहमति अथवा असहमति की बात करना बेपरवाही सी महसूस होती हैं।

महिला यौन-कर्मियों के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अधिकार और कबाड़ी बाजार मेरठ

यदि हम संछिप्त में महिला यौन-कर्मियों के हितों और उनके एवं मानवाधिकारों की रक्षा के अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ एवं प्रस्ताव मौजूद हैं का विश्लेषण करें तो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और कानून सामने आते हैं, जैसे - United Nations Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (UNCSTPEPO) 1949 नामक संधि, महिला यौन-कर्मियों कार्य से संबंधित पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तथा यह संधि महिला यौन कार्य के उन्मूलनवाद की बात करती है।[199] यह प्रस्ताव उन्मूलनवादी नजरिए को इस हद तक दर्शाता है कि इसके द्वारा महिला यौन-कर्मियों के मानवाधिकारों को भी पहचानने से भी इंकार करता हैं। महिला यौन कार्य की समाप्ति तथा इसमें शामिल महिला यौन-कर्मियों की पहचान एवं उनका पुर्नवास ही इस प्रस्ताव का मुख्य आधार है।[200] इस प्रस्ताव के तहत किसी भी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए लुभाना या जबरन उसमें घुसाना यदि उनकी उनकी मर्जी भी हों तो भी एक अपराध

[199] King & Partridge. From the selected workes of Dharmendra Chatur. “Legalization of Prostitution in India”, *Legal Methods Research Paper,* January 2009, p: 4. Available at: file:///C:/Users/Manoj/Downloads/fulltext_stamped.pdf, accessed on 30th June 2017.

[200] Ibid

माना जाएगा।[201] किसी व्यक्ति की वेश्यावृत्ति का दोहन भी अपराध की श्रेणी में आएगा[202] तथा वेश्यालयों को चलाने वाले[203] तथा किसी भी स्थान को चाहे या अनचाहे रूप से वेश्यावृत्ति के लिए स्थान देने वालों को भी दंडित किया जाएगा।[204]

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC) का पूरक The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (PPSPTPEWC) महिला यौन कार्य जैसे मुद्दों से संबंधित अभी सबसे हाल का अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव है, जिस पर भारत देश ने अभी तक अपनी कोई पुष्टि नहीं की है, तथा यह अभी भारत में लागू नहीं किया गया है, यह अंतरराष्ट्रीय संधि का मूल पत्र वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी या अन्य प्रकार के यौनिक शोषण के लिए जबरदस्ती से, धोखेबाजी से, अपहरण करके या अपने दर्जे की स्थिति का फायदा उठाकर किसी भी व्यक्ति को आश्रय देने, बहाली करने, हासिल करने एवं आदान-प्रदान के सारे कामों को एक अपराध की संज्ञा देता है।[205] किन्तु माना जाता है कि यह अंतरराष्ट्रीय संधि का मूल पत्र अभी तक जमीनी स्तर पर महिला यौन व्यवसाय में शामिल महिलाओं के अधिकारों एवं माध्यमों की बहुत कम ही बात करता हैं। यह तस्करी एवं जबरन वेश्यावृत्ति तथा बिना जबरन वेश्यावृत्ति के मध्य के अंतरो को साफ करने में अभी तक असफल सावित हुआ है, तथा इसी प्रकार The Slavery Convention of (SC) 1926 एवं इसके The

---

[201] United Nations. Human Rights, Office of the High Commissioner, Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, Approved by General Assembly resolution 317 (IV) of 2 December 1949, Entry into force: 25 July 1951, in accordance with article 24, *Article 1,* p: 1. Available at: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/trafficpersons.pdf & http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx, accessed on 20th June 2017.

[202] Ibid: *Article 1.*

[203] Ibid: *Article 2.*

[204] Ibid: *Article 2.*

[205] King & Partridge. From the selected workes of Dharmendra Chatur. "Legalization of Prostitution in India", *Legal Methods Research Paper,* January 2009, p: 4. Available at: file:///C:/Users/Manoj/Downloads/fulltext_stamped.pdf, accessed on 30th June 2017.

Supplementary Convention of (SC) 1956 में भी महिला यौन-कर्मियों से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, जिसमें Supplementary Convention of 1956 के Article - 1 अनुसार ऋण बंधन एवं अन्य प्रकार की बंधुआ मजदूरी शामिल है।[206] जिसके दायरे में महिला यौन-कर्मियों की कार्मिक स्थितियाँ भी आ सकती हैं।

इन सबको छोड़कर भी अनेको प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रस्ताव महिला यौन-कर्मियों के सुधार हेतु समाज में मौजूद हैं, जो कि यौन व्यवसाय में काम करने वालों के लिए महत्वकारी सावित हो सकते हैं, किन्तु अभी तक इन सभी प्रस्तावों एवं संधियों में निहित विभिन्न प्रकार के उपायों एवं योगदानों का लाभ भारत में वेश्यालय आधारित महिला यौन-कर्मियों को नहीं हुआ है, जिसका उदाहरण मेरठ शहर के लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन-कर्मियों की हालत को देखकर लगाया जा सकता है, मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन कर्मी इन सभी अधिकारों से वंचित हैं और इनको ऐसे किसी भी किस्म के अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं और ना ही इनको इनकी जागरूकता हैं। यहाँ पर सिर्फ पुलिस का राज चलता है वह जिसको चाहे पकड़कर बंद कर देती हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत में सभी लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन-कर्मियों की स्थिति सुधारने के हेतु इन सभी प्रस्तावों एवं संधियों में निहित विभिन्न प्रकार के उपायों एवं योगदानों को सामान्य रूप से सभी प्रकार की महिला यौन-कर्मियों के लिए रेखांकित किया जाए, जिससे कि यौन व्यवसाय में सभी शामिल व्यक्तियों के मानवाधिकार समाज में सुरक्षित रह सकें। इसी के साथ The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)[207] अभी तक मानवाधिकारों सुरक्षा का सबसे मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय ढांचा माना जा सकता हैं। व्यक्तिगत मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्तावों में The International Covenant on Civil

---

[206] Ibid

[207] Universal Declaration of Human Rights, *University of Minnesota, Human Right Library,* G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71, 10 December 1948.

Available at: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b1udhr.htm, & http://www.caluniv.ac.in/global-mdia-journal/WINTER%202010%20DOCUMENTS/Document%203.pdf Accessed on 20th June 2017.

and Political Right (ICCPR)[208] एवं The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW)[209] का स्थान भी अभी तक सर्वोपरि है, जो कि CEDAW महिला यौन कर्मोयों की रक्षा का शायद सबसे बड़ा आधार सवित हो सकता हैं। UDHR की प्रस्तावना सभी पुरूषों एवं महिलाओं के समान अधिकार एवं सम्मान की, जीने एवं स्वतंत्रता के अधिकार की,[210] एवं कानून के आगे हर प्रकार की गुलामी[211] से रक्षा की बात करता हैं। इस प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, परिवार, घर या उसके आदान-प्रदान में किसी के द्वारा किये गए मनमाने ढंग से दखल से भी बचाब का प्रावधान है।[212] प्रदान करता हैं। महिला यौन-कर्मियों के लिए खास रूप से महत्वपूर्ण काम का अधिकार एवं अनुकूल परिस्थितियों में मनमाने ढंग का काम भी इस प्रस्तावना में शामिल है।[213] इस प्रस्तावना में सम्मिलित

---

[208] International Covenant on Civil and Political Rights Adopted by General Assembly resolution 2200A (XXI) on 16 December 1966, New York, USA. Available at: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf, &
http://nhrc.nic.in/documents/International%20Covenant%20on%20Civil%20and%20Political%20Rights.pdf, accessed on 20th June 2017.

[209] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979, entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27 (1). Available at: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf, and

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/e1cedaw.htm

[210] Universal Declaration of Human Rights, *University of Minnesota, Human Right Library,* G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71, 10 December 1948.

Available at: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b1udhr.htm, & http://www.caluniv.ac.in/global-mdia-journal/WINTER%202010%20DOCUMENTS/Document%203.pdf Accessed on 20th June 2017.

[211] Ibid: *Article 4.*

[212] Ibid: *Article 12.*

[213] Ibid: *Article 23.*

भोजन, कपड़ा, रहन-सहन, चिकित्सकीय देखभाल एवं जरूरी सामाजिक सेवाओं से प्राप्त जीवन शैली का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे खास महत्वपूर्ण है।[214] इस प्रकार UDHR महिला यौन-कर्मियों नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अधिकारों एवं सिद्धांतों की एक श्रृंखला पेश करता हैं। इसी के साथ ICCPR भी इन्हीं अधिकारों की पद्धतियों की पर अनेक अधिकार जिसमें मुख्य रूप से संगठित होने का अधिकार जो कि राष्ट्र सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं नैतिकता के बचाव के हित में हो, की वकालत करता हैं। ICCPR में अन्य अधिकार जैसे दूसरों के अधिकारों की रक्षा[215] एवं सामाजिक भेदभाव से बचाव के लिए भी अधिकार शामिल हैं।[216] The Committee on Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) के तहत, मानव तस्करी और माहिला यौन कार्य के साथ निपटने के लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया हैं।[217] इसी के साथ (CEDAW) पेशे और रोज़गार की स्वतंत्रता और चुनाव का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है।[218] (CEDAW) ने यह स्वीकार किया कि गरीबी और बेरोजगारी कई महिलाओं को महिला यौन कार्य में धकेल सकती हैं, तथा ये महिलाएं समाज में अपनी स्थिति के कारण हिंसा की ज्यादा शिकार होती हैं, जो कि गैर-कानूनी होते हुए भी उन्हें हाशिए पर ले जाती हैं। इसी सन्दर्भ में जब मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों का विश्लेषण करते हैं तब

---

[214] Ibid: *Article 25.*

[215] International Covenant on Civil and Political Rights, *University of Minnesota, Human Right Library,* G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force, 23 March 1976, Article - 22.

Available at: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm, accessed on 10th May 2016.

[216] Ibid: Article 26.

[217] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Division for the Advancement of Women: Department of Economic and Social Affairs,* Article 6.

Available at: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm, accessed on 10th May 2016.

[218] Ibid: Article 11.

तथ्यों के अनुसार यह सामने आता है कि ना सिर्फ गरीवी और बेरोजगारी के कारण ही महिलायें यौन कार्य को अपना रहीं हैं बल्कि इन यौन-कर्मियों के पारिवारिक परंपरा, परम्पारगत जातिय कारोबार, अशिक्षा, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पुरुष अर्थात अपने पतियों की बेरोजगारी, और जल्दी अधिक धन कमाने के लालच, घरेलु हिंसा, महिलाओं का कम उम्र में विवाह, जातिय संस्तरण आदि जैसी वजहों से ग्रसित होकर भी महिलायें यौन कार्य को अपना रही हैं।

इसी के साथ जब हम International Labour Organization (ILO) के सन्दर्भ में महिला यौन कार्य का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि ILO ने भी रोजगार, श्रम एवं पेशे में व्याप्त श्रमिकों के साथ होने वाले भेदभाव,[219] श्रमिकों से कराई जाने वाली जबरन मजदूरी,[220] तथा श्रमिकों की पेशागत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य[221] के साथ सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा[222] की गारंटी जैसे मुद्दों पर बातचीत करता हैं। वेश्यावृत्ति से संबंधित नियमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने खुद एक दिशा-निर्देशों की पुस्तिका जारी की है[223] जिसमें महिला यौन-कर्मियों एवं HIV/AIDS जैसे मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण प्रगतिवादी प्रावधान शामिल किये गए हैं, जिनका यह मानना है कि महिला

---

[219] International Labour Office, Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, *Discrimination (Employment and Occupation) Convention,* No. 111, 1958.

[220] International Labour Organisation. *Forced Labour Convention,* Geneva: Convention: C 029, 1930. Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_346435.pdf, accessed on 12th May 2017.

[221] International Labour Organisation. *Occupational Safety and Health Convention,* Geneva: no. C 155, 67th ILC Session, 2 Jun 1981. Available at: *http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300:NO,* accessed on 10th May 2017.

[222] International Labour Organisation. R097 - Protection of Workers' Health Recommendation, Geneva: no. 97, 4 June 1953. Available at: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R097,/Document

[223] UNAIDS. *Handbook for Legislators on HIV/AIDS, Law and Human Right: Action to combat HIV/AIDS in view of its devastating Human, Economic and Social Impact*, Geneva: Best Practice Collection, UNAIDS/99.48E, November 1999. Available at: http://www.ipu.org/PDF/publications/aids_en.pdf, accessed on 2th April 2017.

यौन कार्य को नियंत्रित करने का फैसला भी अपराधीकरण जैसा सावित हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरुप महिला यौन-कर्मियों को बदनामी मिल सकता है, जिससे उनके लिए पुर्नवासन की बाध्यताओं को उनके ऊपर थोपकर उनके मानवाधिकारों का हनन किया जा सकता हैं। यह पुस्तिका महिला यौन-कर्मियों से संबंधित कानूनों की भी जमकर आलोचना करती हैं। इस पुस्तिका के अनुसार यह कानून उन्नीसवीं सदी की नैतिकता की मान्यताओं एवं विचारों से बने हुए हैं, जो कि महिला यौन कार्य के व्यवसाय को बंद करने अथवा दबाने में अप्रभावी साबित हुए हैं। यह महिला यौन कार्य को वैकल्पिक तरीके से देखने, यानि कि इसे एक व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय की तरह समझने की बात करता हैं। एक ऐसा वैकल्पिक तरीका जिसकी ना तो कभी समाज में निंदा हो और ना हीं जिसे बेमतलब समझा जाए और जो कि पुलिस द्वारा प्रताड़ित की जाने वाले नियमों से दूर हो।[224]

ऊपर दिये गए सुझावों को अगर राष्ट्रीय कानून में शामिल किया जाए तो अधिकरों की रक्षा हुतु विधायिका, न्यायालयों, जागरूक समूहों एवं व्यक्तियों के लिए यह एक उपकरण साबित हो सकता है।[225] क्षेत्रीय स्तर पर भारत ने The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) के प्रस्ताव Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution (PTWCP)[226] का समर्थन किया हैं। यह प्रस्ताव मानव तस्करी एवं यौन शोषण से रक्षा में प्रभावी भूमिका अदा करता है, किन्तु समाज में कुछ लोगों के द्वारा इसकी भी आलोचना की गई है।[227] जिसके कई स्वरुप मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में यौन कार्य

---

[224] Ibid

[225] Medhini Laya, Dipika Jain and Colin Gonsalves (ed.). *HIV/AIDS and the Law, Volume 2,* New Delhi: Human Rights Law Network, 2007, PP: 718-20.

[226] SAARC: *Saarc Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution,* The Member States of The South Asian Association for Regional Cooperation, May 1997. Available at: http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/SAARC_Convention_on_Trafficking___Prostitution.pdf, Accessed on 20th April 2017.

[227] Sen Sankar (Coordinator). NHRC-UNIFEM-ISS Project, *A Report on Trafficking in Women and Children in India 2002-2003*, Volume 1, August 2004, pp: 347-349. Available at: http://nhrc.nic.in/Documents/ReportonTrafficking.pdf, accessed on 2nd May 2017.

करने वाली महिलाओं के रूप में देखा जा सकता है, कि जब कानून के तहत सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं तब इन यौन कर्मी महिलाओं तक इनके विकास, सम्मान, अधिकार और गरिमा, मतदान का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कोई भी अधिकार इनके पास तक नहीं पहुँच रहा है और ना ही यहाँ पर यह यौन कर्मी महिलायें अपना जीवन गरिमापूर्ण व्यतीत कर रही हैं, जबकि यह महिलायें भी इसी दुनिया, देश और समाज की कानूनन नागरिक हैं।

भारतीय वेश्यावृत्ति का कानूनी ढांचा और मेरठ का लाल बत्ती क्षेत्र

तथ्यों के अनुसार कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य कर रही महिलाओं के पास अपना कोई मकान नहीं है जिसमें कि वह अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इन यौन-कर्मियों के बच्चों का जीवन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा के अभाव में बीत रहा है, इनके पास जीवन यापन करने के कोई भी मुलभुत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु हमारे देश के कानून और नागरिक अधिकारों के अनुसार वेश्यालय आधारित महिला यौन कर्मीयों के बच्चों का दैनिक जीवन, सम्पत्ति रखने का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, समानता का अधिकार, रोटी, कपडा, मकान, शिक्षा, और स्वास्थ्य, का अधिकार और सुविधाऐ भारत में महिला यौन-कर्मियों से संबंधित कानून को भारत का संविधान 1950, भारतीय दंड संहिता 1860 एवं The Immoral Traffic (Prevention) Act 1956, में ढूँढा जा सकता हैं। भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए प्रत्येक नागरिक को समानता के प्रावधानों[228] एवं संगठित होने की स्वतंत्रता के प्रावधानों,[229] जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों[230] के साथ-साथ

---

[228] Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 14, Article 15, Part III, pp: 6-7. Available at: http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf, Accessed on 14th June 2017.

[229] Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 19 (1), p: 9.

[230] Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 21, pp: 10-11.

मानव तस्करी एवं जबरन मजदूरी को निषेधात्मक मानता है।[231] राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत ईकाई - IV के तहत सभी राज्यों को अपनी नीतियाँ पुरूष एवं महिलाओं अर्थात राज्य के सभी नागरिकों को जीवनयापन के समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए निर्देशित करना चाहिए।[232] इसी ईकाई में राज्य को यह भी निर्दश दिया गया है कि देश के सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य और बल का दुरूपयोग न किया जाए तथा देश के सभी नागरिकों को उनकी आयु और क्षमता से अधिक के श्रम में प्रवेश करने से रोका जाए।[233] जिसका असर मेरठ के वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों में देखने को नहीं मिलती हैं। अनुसन्धान के समय प्रकार यहाँ पर इन महिला यौन-कर्मियों का नागरिक जीवन मानव जीवन की आधारभूत सुविशाओं से वंचित पाया गया हैं।

इसी के साथ राज्य का यह दायित्व है कि वह समाज के सभी कमजोर तबकों की शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा, सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, [234]अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों को जरूरी सम्मान प्रदान करना,[235] सभी नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करना[236] एवं नागरिकों द्वारा महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध कामों को रोकना[237] भी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के प्रथम इकाई का हिस्सा हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस बात पर बल दिया है कि

---

[231] Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 23, pp: 13.

[232] Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 39 (a), pp: 21-22.

[233] Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 39 (e), pp: 22.

[234] Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 46, pp: 23.

[235] Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 47, pp: 23.

[236] Ibid

[237] Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 51 A (e), pp: 25.

यह सभी कर्तव्य राज्यों को भारतीय संविधान के द्वारा सौंपे गए हैं, और इसी से मिलते अधिकारों का जिम्मा महिला यौन कर्मोयों सहित सभी नागरिकों पर है।[238] किन्तु राज्य के द्वारा मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत यौन कर्मी महिलाओं को राज्य से कंडोम वितरण, HIV-संक्रमण जाँच, और यौन रोगों की जाँच के सिवा कोई सहायता नहीं मिल रही हैं। उनके दैनिक जीवन की कठिनाई, बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य, गरिमामय जीवन, यौन कार्य की सुरक्षा, यौन कर्मी और उसके प्रति लोगों का सम्मान कहीं भी देखने को मिलता है, यहाँ पर कार्यरत अन्य व्यक्ति इन यौन कर्मी महिलायों के विषय में बात करना भी पसंद नहीं करते है तब इन महिलाओं का विकास कैसे होगा, किस प्रकार यह समाज की मुख्यधारा आ सकेयेंगी ?

इसी के साथ भारतीय दण्ड संहिता में कम से कम 20 मानव प्रावधान[239] तस्करी को दण्डनीय अपराध मानते हैं।उनमें से अधिकतर प्रावधान महिलाओं का अपहरण कर उनके साथ नाजायज संभोग करने[240] एवं अपहरण करने के बाद गलत तरीके से बंद रखने[241] जैसे अपराधों से संबंधित हैं। Immoral Traffic (Prevention) Act 1956, जो कि बाद में ITPA हुआ है, महिला यौन कार्य से संबंधित प्रमुख एवं प्राथमिक कानून हैं। इस अधिनियम के तहत दलाली एवं अन्य गतिविधियों, जो कि महिला यौन कार्य को एक व्यवसायिक रूप प्रदान करते है, को दण्डनीय अपराध माना गया है।[242] यह अधिनियम वेश्यावृत्ति को एक गैर-कानूनी व्यवसाय नहीं मानता है, किन्तु यह देह

---

[238] Swamy, P.N. “Labour Liberation Front, Mahaboobnagar vs. Station House Officer, Hyderabad and Others”, *The High Court of Andhra Pradesh, Hyderabad,* WP No. 5736 of 1997, 22 August 1997, pp: 04-16.

[239] Indian Penal Code 1860. Sections, 293, 294, 317, 339, 340, 341, 342, 354, 359, 361, 362, 363, 365, and 366, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 496, 498, 506, 509, 511. Available at: http://ncw.nic.in/acts/THEINDIANPENALCODE1860.pdf, accsssed on 12th June 2016.

[240] Indian Penal Code 1860. Sections 366B.

[241] Indian Penal Code 1860 Sections 368.

[242] Wad Manoj and Sharayu Yadav, “The legal framework of prostitution in India”, in Rohini Sahni, V. Kalyan Shankar and Hemant Apte (ed.). *Prostitution and beyond: an Analysis of Sex Work in India,* New Delhi: SAGE Publications , 2008, pp: 210-213.

व्यापार के व्यवसायिक पहलुओं पर रोक लगाता है।[243] यह माना जाता है कि अगर कोई महिला या लड़की ने अपने शरीर को यौनिक संभोग के साथ अन्य चीजों के लिए भाड़े पर देती है, और उसमें अगर संभोग एक मुख्य तत्व नहीं है, तो वह यौन कार्य की श्रेणी में आता है।[244] ITPA के अनुभाग 3 के अनुसार उन व्यक्तियों को दण्डित करने का प्रावधान है, जो कि किसी भी जगह जानबूझकर वेश्यालय चलाने को मंजूरी देते हैं। अगर कानून की नजर से देखा जाए तो महिला यौन कार्य से संबंधित हर घटना अपने आसपास की परिस्थितियों की वजह से एक वेश्यालय चलाने के अपराध के अन्दर आता है।[245] ITPA के अनुभाग 3 से 9 अपराध की श्रेणी में आते हैं।[246] बहुत सारे न्यायिक और कानूनी फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि ITPA का उद्देश्य महिला यौन कार्य या महिला यौन-कर्मियों को समाप्त करना नहीं है, अथवा यह किसी महिला द्वारा किये गए यौन कार्य को यह अपराध नहीं मानता है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य महिला तस्करी के व्यवसायिक रूप को खत्म करना है।[247] गुजरात उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में वेश्यावृत्ति को एक कानूनी पेशा मानने से इंकार कर दिया था, न्यायालय का मानना था कि इससे महिला तस्करी को बढ़ावा मिलेगा एवं महिला यौन कार्य महिलाओं एवं लड़कियों का कोई मूलभूत अधिकार भी नहीं है।[248] ITPA के अनुभाग 7 के तहत लागू की गई प्रतिबंधों को भेदभाव (किसी खास वजह का) से परे

---

[243] Ibid

[244] Supreme Court of India. *Gaurav Jain vs. Union of India & Ors,* Bench: K. Ramaswamy, 9 July 1997. Available at: https://indiankanoon.org/doc/40881001/ & http://ncpcr.gov.in/show_img.php?fid=525, p: 2. accessed on 20th may 2017.

[245] Ibid

[246] Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.

[247] Gujarat High Court. *Bai Shanta vs State of Gujraat,* Bench: N. Shelat, AIR 1967 Guj 211, 1967 CriLJ 1140, (1966) GLR 1082, 14 February 1966. Available at: https://indiankanoon.org/doc/1201972/, accessed on 12th April 2016.

[248] Gujarat High Court. *Sahyog Mahila Mandal and Anr. vs. State of Gujarat avd Ors. Equivalent citations:* (2004) 2 GLR 1764, Bench: R. Abichandai, D. Waghela, 18 March 2004. Available at: https://indiankanoon.org/doc/1813581/, accessed on 12th March 2016.

जायज माना गया था।[249] ITPA के तहत अगर कोई न्ययाधीश अथवा मजिस्ट्रेट जरूरत समझने पर आम जनता के हित में किसी महिला यौन-कर्मियों को किसी भी स्थान से हटाने का आदेश जारी कर सकता है।[250] ITPA महिला अपराधियों के सुधार हेतु उन्हें सुधारात्मक संस्थानों में भेजने की भी बात करता है।[251] जिसको लागू करने के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है।[252] सबसे रोचक बात यह है कि इसमें ग्राहक किसी दण्ड का भागी नहीं होता है।[253]

2006 में संशोधित बिल में मूल अधिनियम के अनुभाग- 8 को हटा दिया गया है जिसके कारण महिला यौन कार्य के लिए किसी भी महिला को फँसाना या लुभाना अब अपराध की श्रेणी में नहीं आता हैं। यह किसी भी वेश्या को किसी जगह से हटाने संबंधित अनुभाग-20 को भी छोड़ता है।[254]लेकिन इस संशोधित बिल में तस्करों एवं ग्राहकों को और जिम्मेदार एवं दंडो को और गंभीर बनाया गया हैं। नवीन रूप से प्रस्ताविक अनुभाग 5-(C) किसी भी व्यक्ति के दैहिक शोषण और यौन शोषण हेतु वेश्यालयों में जाने को एक अपराध मानता है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए दण्ड की वकालत करता हैं। इन प्रस्तावों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ग्राहकों के दण्ड में वृद्धि से महिला यौन-कर्मियों की आजीविका पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है।[255]

---

[249] Ibid

[250] Immoral Traffic Prevention Act, 1956.

[251] Immoral Traffic Prevention Act, 1956. Section: 10 A.

[252] Immoral Traffic Prevention Act, 1956. Section: 13.

[253] Kotishwaran Prabha, “Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and the Law”, *Boston College Third Word Journal,* Volume 21, Issue 2, Article 1, 2001, p: 168. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th March.

[254] The Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill- 2006, Section: 5C, Bill no. 47 of 2006, p: 2.

[255] Medhini Laya, Dipika Jain and Colin Gonsalves (ed.). *HIV/AIDS and the Law, Volume 2,* New Delhi: Human Rights Law Network, 2007, P: 734-735.

इस प्रकार महिला यौन कार्य की रुकावट ITPA की खामियाँ नहीं हैं, बल्कि इसका भ्रष्टाचार से परिपूर्ण कार्यान्वयन ही इसकी मुख्य समस्या को माना जाता है।[256] महिला यौन-कर्मियों को शोषण से बचाने के लिए पारित यह कानून बहुत बार उन्हीं के विरूद्ध काम करता है, क्योंकि यह ग्राहकों को भी यूँ ही छोड़ देता है, जिनके बिना महिला यौन कार्य असंभव हैं। इस कानून के सीमित प्रभाव का मुख्य कारण है, और पुलिस एवं न्यायायिका के रवैये के परिवर्तन के बिना इस कानून की पहुँच जगजाहिर है।[257] परिणाम स्वरूप पुलिस अपने छापों में दलालों, सप्लाई करने वालों एवं वेश्यालयों के मालकिनों को छोड़कर महिला यौन-कर्मियों को ही पकड़ती हैं। ठीक ऐसी ही व्यवस्था मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में चल रहे महिला यौन कार्य के स्वरुप में देखने को मिलती है, कि प्रशासन का जोर मात्र यौन कर्मी महिलाओं पर ही चलता हैं।

महिला यौन-कर्मियों के खिलाफ ITPA के विषम रूप से लागू (असरदार तरीके से लागू नहीं होने) होने के कई कारण हैं। सर्वप्रथम नेताओं, कानून लागू करने वाले अधिकारियों एवं वेश्यालयों के मालिकों एवं मालकिनों के बीच मजबूत सांठगांठ ही इस कानून को सख्त तरीके से लागू करने में बाधा पहुँचाता है।[258] इसलिए समाज में व्याप्त इस सांठगांठ को ध्वस्त करने की जरूरत हैं। कानून को लागू करने वाली ऐजेंसियों (Law Enforcement Agencies); में भी भ्रष्ट अफसरों की भरमार है।[259] ITPA मामलों में व्याप्त पुलिस प्रक्रियाओं में आमूल चूल परिवर्तन एवं उनके भ्रष्ट कामों की जाँच पड़ताल से ही प्रभाव ला सकता हैं। इसके लिए पुलिस को संवेदनशील बनाने की बहुत आवश्यक जरुरत हैं।

---

[256] Barde Harshad, "(Mis) reading through the Lines", in Rohini Sahni, V. Kalyan Shankar and Hemant Apte (ed.). *Prostitution and beyond: an Analysis of Sex Work in India,* New Delhi: SAGE Publications, 2008, pp: 225-27.

[257] Ibid

[258] Kotishwaran Prabha, "Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and the Law", *Boston College Third Word Journal,* Volume 21, Issue 2, Article 1, 2001, pp: 170-71. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th March.

[259] Ibid

ITPA को लागू करने से संबंधित समस्याओं का खुलासा लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी मेरठ में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के अध्ययन के दौरान सामने आया है, इसी के साथ जिन अध्ययनों में यह सामने आया कि किसी को सजा देने से पहले उसके खिलाफ जरूरी साक्ष्यों को ग्रहण करने की जटिलता की बात की पुष्टि करती है, ठीक इसी प्रकार की समस्यायें यहाँ भी देखने को मिलीं।[260] बहुत सारे पुलिस अधिकारियों का मानना है, कि वास्तव में समाज में हुए अपराधों की संख्या में एवं पुलिस खाते में रजिस्टर होने वाले अपराधों की संख्या में बहुत बड़ा अन्तर है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट किए गए अपराधों को रजिस्टर ही नहीं किया जाता है, जिनकी संख्या लगभग 60 प्रतिशत)।[261]

ITPA के तहत स्थापित सुधारात्मक (सुधार एवं पुनर्वास) घरों एवं उनकी अपर्याप्तता भी समस्या का विषय है।[262] ऐसे घर इनमें इन महिला यौन-कर्मियों को पुनर्वास करके उनके सुधार हेतु रखा जाता है, वह पहले से ही भरे होते हैं और ITPA के तहत दोषी महिला यौन-कर्मियों की भारी संख्या को ये संभाल पाने में असफल सावित होते हैं।[263]

जैसा कि Justice Ramaswamy ने Gaurav Jain vs। Union of India and Others[264] मामले में कहा था कि, देह व्यवसाय में शामिल महिलाओं को समाज के एक अपराधियों की तरह न देखकर सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के शिकार के रूप

---

[260] Ibid

[261] Sen Sankar (Coordinator). NHRC-UNIFEM-ISS Project, *A Report on Trafficking in Women and Children in India 2002-2003*, Volume 1, August 2004, p: 248. Available at: http://nhrc.nic.in/Documents/ReportonTrafficking.pdf, accessed on 10th March 2017.

[262] D'Cunha Jean. "Prostitution in a Patriarchal Society: A Critical Review of the SIT Act", *Economic and Political Weekly,* Volume 22, no. 45, November 1987, pp: 1922-1924. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4377703.pdf?refreqid=excelsior%3Ad2843d629dbc9491e97593b9d776a3b0, accessed on 10th May 2017.

[263] Sen Sankar (Coordinator). NHRC-UNIFEM-ISS Project, *A Report on Trafficking in Women and Children in India 2002-2003*, Volume 1, August 2004, p: 259 - 63.

[264] Supreme Court of India. *Gaurav Jain vs. Union of India & Ors,* Bench: K. Ramaswamy, 9 July 1997. Available at: https://indiankanoon.org/doc/40881001/ & http://ncpcr.gov.in/show_img.php?fid=525, p: 2. accessed on 20th may 2017.

में देखा जाना चाहिए, जिसके विषय में Ministry of Women and Child Development की वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 के अनुसार का कहना है कि इसके लिए कुछ पुलिस अधिकारियों ने महिला यौन-कर्मियों एवं उनके साथ बर्ताव के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने का अभियान पहले ही शुरू कर दिया है।[265] किन्तु मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में इस फैसले का कोई भी व्यावहारिक असर देखने को नहीं मिलाता हैं।

इसी के साथ यदि हम महिला यौन कर्मी और इनके नागरिक होने के राजनेतिक अधिकारों का विश्लेषण करें जैसे (मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना या कोई संस्था बनाना आदि) वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, एक स्थान पर इकट्ठा, अपने लिए कोई होने संघ अथवा यूनियन बनाने, आने-जाने, अपने लिए स्थाई निवास करने के लिए घर बनाने, और इसी के साथ अपनी कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार, वर्तमान भारत देश में वेश्यावृत्ति कानूनों से संबंधित बहसों में भागीदारी के लिए संवैधानिक एवं न्यायायिक ढांचों का एक रूपरेखा के अनुसार समझा जा सकता हैं। भारतीय संविधान के समानता के प्रावधानों से अलग,[266] अनुच्छेद - 23 मानव तस्करी और हर प्रकार की जबरन मजदूरी को निषेधित करता हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद - 39 के अनुसार सरकार को अपनी नीतियाँ पुरूष एवं महिलाओं को समान काम के लिए समान मजदूरी एवं पुरूषों एवं महिलाओं के लिए समान जीविकोपार्जन के माध्यम उपलब्ध कराने की बात करता है, ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी ने आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सामर्थ्य और आयु से अलग किसी अन्य रोजगार में प्रवेश न करना पड़े।[267] इसके आगे, अनुच्छेद-42 राज्य को मानवीय एवं यथोचित काम करने के हालात

---

265 Government of India. *Ministry of Women and Child Development: Annual Report 2006-07*, pp: 31-33. Available at: http://www.wcd.nic.in/sites/default/files/AR2006-07.pdf, accessed on 20 July 2017.

266 Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 14, Article 15 and Article 16, Part III, pp: 6-7

267 Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 39, Part IV, pp: 21-22.

उपलब्ध कराने और मातृत्व लाभ देने की बात करता है,[268] किन्तु मेरठ लाल बत्ती क्षेत्र की भारतीय नागरिक महिला यौन कर्मी माताएं अपने अधिकारों से वंचित पायी गयीं।

> रामेश्वरी, बिमला, आनंदी, सरोज, नीतू, सुनीता, जो कि पिछले पांच वर्षों से लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार मेरठ में वैश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य कर रहीं हैं और यह सभी दो से तीन बच्चों की माँ भी हैं।इनका कहना है कि जब हमारे बच्चा पैदा होते हैं तो कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं होती हैं। हमको अपने बच्चों का जन्म भी इन्ही कोठों पर देना होता है, यदि हम सरकारी अस्पताल में जाती हैं तो कोई भी हमको सम्मान की नजर से नहीं देखता हैं। वहां पर हम लीगों से पुचा जाता है कि इस बच्चे का बाप कौन है तो हम क्या जबाब दें कुछ समाज में नहीं आता हैं। साहब हम उस समय इतना लज्जित हिते हैं कि मन करता है कि यहीं जमीन फटे और हम उस में समां जाएँ लेकिन क्या करें आखिरकार जीना हो किसी भी हाल में पड़ता हैं। हमारा बच्चा होने के बाद भी हमको कोई सहायता नहीं मिलती है क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। हम अपने बच्चों को टीके तक नहीं लगवा पाते हैं।[269]

इसी के साथ यदि हम कानूनी ढांचों में मुख्य रूप से The Immoral Traffic in Persons Prevention Act 1986 (ITPA) एवं अन्य कानून भी शामिल हैं, जिनका महिला यौन कार्य से निपटने के लिए ITPA से ज्यादा प्रयोग किया जाता हैं। इन कानूनों में भारतीय दंड संहिता -1860जिसमें कि महिलाओं और बच्चों की गुलामी एवं तस्करी के खिलाफ प्रावधान हैं, तथा राज्य-स्तरीय पुलिस, रेल, भिक्षावृत्ति तथा अन्य जनादेशीय कानून शामिल हैं।इन कानूनों के अलावा, राज्य सरकारों को ITPA के तहत सुधार गृहों के लाइसेंस देने एवं चलाने के लिए कानून बनाने की अनुमति प्राप्त हैं।[270]

---

[268] Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Article 39 and Article 42, Part IV, pp: 21-22.

[269] रामेश्वरी ,बिमला ,आनंदीजो कि पिछले पांच वर्षों से लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी ,सुनीता ,नीतू ,सरोज , पर यौन कार्य कर रहीं हैं और यह सभी दो से तीन बच्चों की बाजार मेरठ में वैश्यालय आधारित कोठों माँ भी हैं, के जीवन में जब भी संतानों ने जन्म लिया तो उनको सिर्फ कोठा ही मिला और वह अपने बच्चों को कोई भी सुविधा प्रदान नहीं कर पाई इसके लिए वह सरकार और समाज को जिम्मेदार मानती हैं, जिसने समाज की ऐसी व्यवस्था प्रदान की है जिसने उनके अधिकारों को सिमित कर दिया है ।

[270] Indian Penal Code 1860. Section 365, Section 366 (A) Section 366 (B) Section 367 Section 370 Section 371 Section 372 Section 37, Section 374, Section 374.

ITPA का मुख्य प्रेरणा-श्रोत The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, (SITA) 1956[271] है, जो कि United Nations International for the Suppression of Traffic in Persons and the Exploitation of Women, New York, 1950 के दौरान लागू किया था, इस कानून को भारतीय सरकार भी हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकार करता हैं। SITA का मूलभूत उद्देश्य महिला यौन कार्य को स्वीकार करना था, जो महिला यौन कार्य को एक सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकार करने जैसी बात करता है।[272] इस अधिनियम को समय समय पर अभी तक दो बार संशोधित किया जा चूका हैं। सर्वप्रथम इसका संशोधन 1978 में तथा उसके बाद 1986 में इसे फिर से संशोधित कर इसका नाम बदलकर ITPA कर दिया गया।

संशोधित रूप में ITPA, SITA के प्रभाव को महिलाओं एवं पुरूषों दोनों पर देखा जा सकता है, तथा कुछ अपराधों में यह दंड की वृद्धि भी कर सकता हैं। संशोधन के दौरान SITA में नीहित नीतियों पर किसी भी तरह पुर्नविचार या पुर्ननिर्माण की बात नहीं की गई । इस प्रकार, न्यायायिक कानूनी दायरे में यौनिक संभोग को अवैध या गैर-कानूनी नहीं माना गया हैं। इसके विपरीत, महिला यौन कार्य में प्रयुक्त अन्य कार्य ITPA के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं।इस कानून का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि इस अधिनियम के 1956 वाले प्रारूप में भी स्पष्ट किया गया है, यह है कि महिला यौन कार्य को एक संगठित जीविकोपार्जन का माध्यम बनाने के लिए महिलाओं एवं लड़कियों की तस्करी रोकना और इस अपराध के व्यवसायिक पहलूओं को रोककर समाप्त करना है।[273]

> “किन्तु जब जब कबाड़ी बाजार मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में वैश्यालय आधारित कोठों की यौन-कर्मियों से तथ्य प्राप् किये गए तो सामने आया कि यहाँ पर अधिकांशत महिला यौन कर्मी मानव तस्करी के माध्यम से लायी जाती हैं।इस सन्दर्भ में शीला, सोनू, शबनम, शब्बो, रुबीना, रुकसाना, बब्बो, कविता, आदि सभी का बयान है कि हमकों दस से चौदह

---

[271] The Suppression of Immoral Traffic in women and Girls Act. 1956.

[272] Ibid

[273] The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, Act No. 104 OF 1956 30th December, 1956. Available at: https://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/India_SUPPRESSION%20OF%20IMMORAL%20TRAFFIC%20IN%20WOMEN%20AND%20GIRLS%20AC.pdf, accessed on 12th May 20017.

> वर्ष की आयु में ही उठा लिया गया था और दलालों के द्वारा यहाँ पर बेच दिया गया था। अब तो हमको अपने घर का पता तक मालुम नहीं हैं। आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारे माँ बाप भी हमको पहचान नहीं पायेंगे और यदि उन्होंने पहचान भी लिया तो वह पहचान कर भी इंकार कर देयेंगे क्योंकि हम इतना घिनौना काम जो करतीं हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप भी अपना मान सम्मान समाज में खराब नहीं करना चाहेयेंगे इसलिए वह भी अब तो हमको मरा ही समझते होंगे । जब हमारा अपहरण हुआ था तो कोई भी कानून हमारी रक्षा करने नहीं आया था इसलिए हमको नहीं लगता है कि कोई भी कानून हमारे लिए बना है।" [274]

दूसरे शब्दों में कोई भी महिला अपनी परिधी में बिना किसी कानूनी एवं आपराधिक डर के महिला यौन कार्य को अंजाम दे सकती है, परन्तु यह अधिनियम वेश्यालय चलाने वाले अनुभाग- 3, या वेश्याओं की आमदनी पर गुजारा करने वाले अनुभाग- 4, या वेश्यावृत्ति के लिए किसी महिला को मँगाना या कैद करने वाले को अनुभाग- 5 और अनुभाग- 6 दंडित करता है, इसी के साथ ही साथ, अनुभाग- 15 पुलिस को, सिर्फ इस शक पर की किसी भी जगह पर ITPA के तहत अपराध हो रहा है, वेश्यालयों में बिना किसी वारंट की छापेमारी की अनुमति प्रदान करता है, यह अधिनियम महिला यौन कार्य हेतु किसी महिला या लड़की को बहलाने एवं फुसलाने वालों को अनुभाग- 8 एवं सार्वजनिक जगहों में महिला यौन कार्य करने वालों को अनुभाग- 7 के तहत सजा देने का प्रावधान करता है, उसी प्रकार, ITPA के अनुभाग- 20 के तहत कोई भी न्यायाधीश आम जनता के हितों की खातिर अपने न्याय सीमा अर्थात अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी महिला यौन कर्मी को हटाने का आदेश दे सकता है।[275] इसके अलावा, यह अधिनियम महिला अपराधियों के लिए सुधारात्मक संस्थानों की स्थापना की बात करता है, एवं इसके लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की बात भी करता है, किन्तु इसमें दिलचस्प बात यह लगती है, कि यह ग्राहकों के लिए किसी भी तरह के सजा की बात नहीं करता है।[276] भारत में महिला यौन कार्य से संबंधित कानूनों को लागू करने

---

[274] शीलाआदि सभी का बयान है कि हमकों दस ,कविता ,बब्बो ,रुकसाना ,रुबीना ,शब्बो ,शबनम ,सोनू , से चौदह वर्ष की आयु में ही मानव तस्करी के अंतर्गत उठा लिया गया था और दलालों के द्वारा यहाँ कोठों पर बेच दिया गया था, तब से लेकर आज तक हम यहीं बंधुआ मजदूर की तरह इन कोठों में कैद यौन कार्य कर रहे हैं । यहाँ पर कोई भी कानून हमको देखने तक नहीं आता है ।

[275] Ibid

[276] Ibid

का इतिहास दुनिया के अन्य देशों से बहुत अलग नहीं हैं। जब हम SITA का विश्लेषण करते हैं और मेरठ कबाड़ी बाजार में कार्यरत वेश्यालय आधारित यौन-कर्मियों के जीवन का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि जहाँ एक तरफ SITA किसी भी तरीके की यौन गतिविधियों के रोकथाम की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ यही SITA महिला यौन कार्य को सहन करने वाले नियम का एक मिश्रण प्रतीत होता है, इसी के साथ यह अधिनियम स्ट्रीट महिला यौन-कर्मियों अर्थात वह महिलायें जो वेश्यालय आधारित यौन कर्मी नहीं हैं और छिप कर यौन कार्य करती या किसी और माध्यम से यौन कार्य से जुड़ी हुई हैं, तो यह अधिनियम उस प्रकार की महिला यौन-कर्मियों को वेश्यालय आधारित यौन कर्मी महिलाओं की तुलना में अपने ITPA के कानूनी संरक्षण से अधिक वंचित रहती हैं।

अभी तक हुए अध्ययनों से यह सामने आया है कि है कि यौन कर्मी महिलाओं को जिन सरकारी सुधार घरों में रखा जाता हैं वहां भी इनको शारीरिक एवं यौनिक शोषण का सामना करना पड़ता हैं। इसी के साथ बहुत बार यह भी सामने आया कि इन घरों में नियुक्त अधिकारीगण भी धन और एहसानों के बदले उन्हें महिला यौन कार्य करने पर मजबूर करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि, कानून के इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारीगण और सरकार भी इस बात से सहमत पाए जाते हैं कि ITPA अपने वर्तमान समय में वास्तविक रूप में एक अप्रभावी कानून सावित होता है,[277] जिसको हम मेरठ के नारी निकेतन में रहकर आई बन्नो कविता, शबनम, रुबीना, कांता, शशि, अनीता, बबिता आदि के जीवंत अनुभवों से भी समझ सकते हैं, जो कि समय समय पर यौन कार्य करती हुई पकड़ी गयी हैं और इनको पुलिस ने मेरठ के नारी निकेतन में शरण दी हैं। जिसके विषय में उनका कहना है कि -

> "हमको पुलिस ने एक बार धंधा (यौन कार्य) करते हुए पकड़ लिया था तब हम सभी को मेरठ के नारी निकेतन में रखा गया था। इन महिला यौन-कर्मियों ने बताया कि यहाँ के नारी निकेतन की बहुत ही ख़राब हालत हैं। यहाँ पर ना खाना ही अच्छा मिलता है, और ना ही यहाँ पर दैनिक दिनचर्या से निवटने के उचित साधन हैं, नारी निकेतन में गंदगी

[277] Kotiswaran Prabha: Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and The Law, *Boston College Third World Law Journal,* Volume - 21, Issue - 2, Article - 1, p: 171. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th june 2016.

रहती है और यहाँ के अधिकारी यहाँ पर लायी गयी लड़कियों और महिलाओं पर अपनी धौंस जमाते हैं और उनको मारते पीटते भी हैं। इन महिला यौन-कर्मियों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी रोजगार संबंधी कौशल का प्रशिक्षण देने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इससे आगे वह कहतीं हैं कि चाहें हम कहीं भी चले जाएँ तब ही हमको यही काम करना होगा, लेकिन यदि सरकार चाहे तो हमको कोई भी काम सिखा कर दुसरे काम में लगा सकती है जिससे कि हम इस सम्मान की जिन्दगी जी सकते हैं।"[278]

मेरठ शहर के लाल कुर्ती में स्थित नारी निकेतन की हालत का अंदाजा यहाँ के लोकल अखबार एक्टिव इंडिया में छपी खबर से भी लगाया जा सकता है जिसमें यहाँ पर भेजी गयी किशोरी ने नारी निकेतन की अधीक्षिका पर जिस्मफरोशी का आरोप लगाया था, किशोरी का आरोप है कि नारी निकेतन की अधीक्षिका उस पर गलत काम करने का दबाव बना रही थी। जब उस किशोरी ने इस बात का विरोध किया तो रात में उसकी जमकर पिटाई की गई। उसने अदालत में बताया कि रात में बाहरी युवकों को बुलाकर लड़कियों को उनके हवाले कर दिया जाता है, और यदि यहाँ पर लायी गयी लड़कियां इस बात का विरोध करती हैं तो उनकी जमकर पिटाई की जाती है।[279] किशोरी ने अदालत में नारी निकेतन में की गयी पिटाई के चोटों के निशान भी अपने शरीर पर अदालत में भी दिखाए। अदालत इस मुद्दे पर अपना विचार कर रही हैं।

महिला यौन कार्य की सामाजिक संरचना मान्यता को एक उदाहरण से समझ सकते हैं जो कि मुंबई में 1966 में घटी हैं। भारत सरकार द्वारा 17 फरवरी 1966 को मुंबई के लाल बत्ती क्षेत्र कमाठीपुरा की महिला यौन-कर्मियों के विषय के नाटक, "A torch of brightness" पर प्रतिबंध इस बात की शानदार तरीके से पुष्टि करता है,[280] कि भारत

---

[278] बन्नो कविताबबिता आदि ,अनीता ,शशि ,कांता ,रुबीना ,शबनम , का कहना है कि मेरठ में नारी निकेतन की जिन्दगी बहुत ही बदतर है, यहाँ पर कोई भी साथ नहीं देता है, सब हमारा शोषण ही करते हैं । इनका कहना है कि प्रशासन भी यहाँ पर लायी गयी महिलाओं का शोषण ही करती है और कुछ नहीं ।

[279] Written by Administrator. *Active India,* Friday, Meerut, 4th July 2014.

[280] Sharma, Partap. *'This is a Road Where we have come to be free': A Touch of Brightness, New Delhi:* Sahitya Akademi, 2006, & awailable at: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/86802/10/10_chapter%205.pdf, accessed on 16th June 2016. Site by Prabha Kotiswaran: Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and The Law, *Boston College Third World Law Journal,* Volume - 21, Issue - 2, Article - 1, p: 171. Available at:

सरकार ने इस नाटक के मंचन पर सिर्फ इसलिए प्रतिबंध लगाया क्योंकि, यह नाटक मुंबई के सबसे बदनाम इलाकों में से एक पर आधारित था, इसलिए इस नाटक में मंच पर नहीं दिखाए जानी वाली अवांछनीय चीजें" थी।[281] वास्तव में इस नाटक को चयन commonwealth arts festival में मंचन के लिए किया गया था, परन्तु 10 सितम्बर 1965 को सरकारी आदेश पर इस नाटक में काम करने वाले सारे लोगों का बिना किसी को कोई कारण बताये उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। इस नाटक के उस समारोह शामिल होने पर हो हल्ला मचाने वाले अखबारों के लेखों पर पटकथा लेखक का कहना था कि सरकार इस नाटक में दिखाई गई सामाजिक समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि ऐसी समस्याओं से विदेशी दर्शकों का संबंध भारतीय छवि को कलंकित कर सकता था। इससे लंदन निवासियों को भारत में वेश्यालयों के अस्तित्व के विषय में पता चल जाएगा तथा ठीक इसी प्रकार मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में भी कोई वेश्यालय आधारित यौन कार्य के संबंध में कुछ भी बोलने को राजी नहीं होता है उनको लगता है कि यदि हम इस विषय में बात करते हैं तब हम भी इस काम में शामिल हैं ऐसा ही समझा जाएगा।

सुनीता जो अब मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य में सेवारत हैं। इनकी आयु 50 वर्ष है जो कि कोठे की मालकिन हैं। यहीं पर अपना जीवन यापन कर रही है, यह अपने कोठे पर 19 से 24 वर्ष कि लड़कियां ही रखती है जो कि अब इनकी कमाई का साधन हैं, इसी के साथ यह भी यौन कार्य करती हैं ने बताया कि -

> "हम चाहें कहीं पर भी काम करें किसी कोठे पर या किसी घर में छिप कर किन्तु ग्राहक सभी जगह मर्द ही आता है और सभी मर्द ग्राहक की मांग कम उम्र की नई लड़की ही होती है चाहें खुद उसकी आयु कितनी भी अधिक क्यों ना हो। कबाड़ी बाजार मेरठ के कोठे की यौन कर्मी सुनीता के अनुसार - साहव हर समय सभी को नई और जवान लड़की चाहिए चाहें खुद के मुहँ में दांत और पेट में आँत ना हो। कोई भी मर्द किसी बुढ़िया औरत के

---

http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th june 2016.

[281] Ibid

साथ सोना नहीं चाहता हैं। सही मायने में बुढ़ापा हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके आने से हम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं।"[282]

इन महिला यौन-कर्मियों के जीवन में एक समय इनके समक्ष ऐसी स्थिति आती है कि उम्र ढलने के साथ - साथ ही इनका काम कम चलने लगता हैं। एक समय ऐसा आता है कि यह एक एक पैसे के लिए तरस जाती हैं।उसी समय इनको यह जगह छोड़कर कहीं और जाना ही पड़ता हैं। मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों ने यह स्वीकार किया कि -

"साहव हम वो लोग हैं जो समाज में अपना सब कुछ खो चुके हैं, अपनी पहचान भी और अपना आस्तित्व भी। हम क्यों जीते हैं ? हम को खुद कुछ नहीं पता, हम अपने लिए नहीं जीते समाज के आदमीयों के मनोरंजन के लिए जीते हैं, किन्तु जब हम इस समाज के लोगों का मनोरंजन करने के लायेक नहीं रहते तो इसी समाज के लोग हमको अपने समाज में से निकाल कर ऐसे फैंक देता है, जैसे मरे हुए पशु को किसी झोड़ में फैंक दिया जाता है, जब तक हम यहाँ हैं हमको यही करना है, अपनी मर्जी से भी और नामर्जी से भी अब तो यही हमारी जिंदगी है, चाहें जैसी भी हो हम अब कुछ और नहीं कर सकते हैं, क्योकि कुछ और भी यह समाज हमको करने नहीं देगा, यदि हम कुछ और भी करेंगे तो भी यही समाज हमारे कामो में रोड़ा अटकाएगा, यहाँ से सिर्फ हमें जब छुटकारा मिलता है, जब राम जी के यहाँ से बुलाबा आता हैं। उसके सिवा कोई और हमे यहाँ से नहीं छुटा सकता"। यह सरकार कानून कुछ भी हमारे लिए नहीं बने हैं यह तो बड़े लोगे की सुरक्षा के लिए बने हैं।"[283]

50 वर्ष की शकीला बेगम महिला यौन कर्मी जिसका जीवन मात्र यौन कार्य करते हुए बीता है, जिसने कि कभी दिल्ली, अलीगढ़, बुलंदशहर, जैसे वेश्यालय आधारित कोठों में यौन कर्मी की हेसियत से काम किया है और अब मेरठ के कोठों पर रहती हैं और कोठे की मालकिनों, यौन-कर्मियों और दलालों की सेवा करती है, जो बताती है कि लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद वेश्यालय आधारित यौन कार्य में सफल होने के लिए इनका किया हुआ हर तरह का प्रयास किसी काम नहीं आता हैं। इनका अपने काम को करने का इतना पुराना अनुभव और मेहनत कोई काम नहीं आती हैं। लगभग 35 वर्ष के बाद इनके जीवन में कोई ऐसा रास्ता नहीं होता है जिससे यह अपनी जिन्दगी आराम से गुजर बसर कर सकें। यही तथ्य क्षेत्र अध्ययन के दौरान मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल

---

[282] सुनीता, अनीता, बिमला, टीना, ट्विंकल, मीना, आरती, सुनीता... आदि महिला यौन कर्मी ने बताया कि बुढ़ापा हमारे लिए सबसे बड़ा बाधक है, यदि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे और हमेशा जवान रहेयेंगे तो हमारे ग्राहक भी हमेशा रहेयेंगे और हमको कभी भी भूखे मरने की नौवत नहीं आएगी ।

[283] Ibid

बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत अन्य महिला यौन-कर्मियों से प्राप्त हुए जिनका कहना था कि -

> "जब हमारी उम्र 35 को पार कर लेती है तो उस समय हमारी मांग बुल्कुल कम हो जाती हैं। उस समय हमारा कोई भी अनुभव काम नहीं आता हैं। फिर चाहें हम कितने ही अच्छे कपड़े पहने या कितना भी फैशन करें उस समय हमको कोई भी नहीं पूछता हैं। हम अपनी झुरियों और बुढापे को कितना भी छुपायें वह छुपता नहीं हैं। हमारा शरीर बिल्कुल ढीला हों जाता हैं। उस समय कोई भी हमे पूछने वाला नहीं होता हैं। इस तरह हम अपने काम से बाहर हों जाती हैं। हम कुछ भी करें तो भी हमारे कुछ भी काम नहीं आता है।[284] इस काम को करने के लिए सवसे जरुरी है कि हम हमेशा जवान और सुंदर रहें। हमारी यौनी, ब्रेस्ट और शरीर हमेशा एकदम टाईट रहे, जिसको हमेशा टाईट बनाये रखने के लिए दवाई भी खाते हैं, जिस दवाई के दुष्प्रभाव भी हमको झेलने पड़ते हैं।ऐसा हम इसलिए करतीं हैं क्योंकि अच्छे ग्राहक की यही सवसे पहली शर्त होती है, कि लड़की एकदम जवान और मजबूत होनी चाहिए। हमारे ग्राहक हमसे कहते हैं कि अब तो तू नीचे से बिलकुल ख़त्म हो गयी है, जो कि हमारा अपमान ही होता है, क्योकि ग्राहक को ढिल्ली ब्रेस्ट दवाने में और ढिल्ली यौनी वाली महिला के साथ सम्वन्ध बनाने में कोई मजा नहीं आता हैं। इस काम को सफलता पूर्वक करने के लिए हमारी यौनी ऐसी होनी चाहिए जिसमे कि ग्राहक का लिंग एकदम फंसकर टाईट जाए, इसीलिए जब भी कोई ग्राहक हमारे पास आता है तो हमको उससे खुलकर कहना होता है कि एकदम टाईट जाएगा क्योंकि ग्राहक की सबसे पहली शर्त है, जो कि सवसे जायदा जरुरी हैं। जब हमारी उम्र होने लगती है, तो हमारा शरीर बाहर आने लगता है, और हम यह काम नहीं कर पाते हैं।[285] उस समय हमारे पास सिर्फ पीछे से (गुदा) अपना काम (मैथुन) करवाने के सिवा कोई भी चारा नहीं होता हैं। लेकिन हमारे जीवन में 30 वर्ष को पार करते करते सब कुछ खत्म हों जाता है और हम उस समय कहाँ जायेगें कुछ पता नहीं होता हैं। कभी हम कहीं कोई कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं, या हम अपने गाँव जाकर रहने लगते है, या किसी जमीदार के यहाँ कोई नौकरी कर लेते हैं।किन्तु यह भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है, क्योंकि जब उनका दिल हम से भर जाता है, तो वह हम को दूसरे जमीदार के पास भेज देता है, जिसके बदले में वह दूसरे जमीदार से पैसे भी लेता हैं। यही सब हमारी जिंदगी में चलता रहता हैं। जब तक कि हम मर नहीं जाते। हमारा जीवन कहाँ खत्म होगा कोई भी नहीं जानता है, हम भी नहीं जानते हैं।"[286] ऐसी ही हम कोठे आधारित यौन-कर्मियों की जीवन यात्रा होती है जिसमें नागरिक और नागरिक अधिकारों जैसी कोई बात नहीं होती है।"

---

[284] नंदनी, स्मिता, शब्बो, नीतू, बिमला, अंशु, शेरी, गुंजन, रोजा, पूनम... आदि कोठों कार्यरत महिला यौन कर्मी, शकीला बाई, शारदा बाई, सुमन बाई... आदि कोठों से पर कार्यरत कोठे की मालकिनों ने बताया कि शरीर की सुन्दरता और नयापन ही इस काम की सफलता के लिए सवसे जरुरी तथ्य है, जिसके अभाब में यौन कार्य में सफल होना मुश्किल है ।

[285] Ibid

[286] Ibid

महिला यौन-कर्मियों के मुद्दों को के साथ Agnihotri “Fallen Women” नामक अध्ययन करते हैं।यह अध्ययन 4000 यौन-कर्मियों के नमूनों के आधार पर कानपुर शहर में किया गया हैं। इस अध्ययन में कानपुर शहर में यौन कार्य किस प्रकार प्रवल हुआ इसकी पूरी तस्वीर दिखाने का प्रयास किया गया हैं। इसी के साथ यह भी खोजने का प्रयास किया कि यौन-कर्मियों की आमदनी, उनके रहन सहन का स्तर, उनकी शिक्षा का स्तर, उनको होने वाली बिमारी और उनका जीवन ऋणग्रस्तता से किस तरह ग्रषित रहता है।[287] इस अध्ययन से यह सामने आया है कि एक यौन कर्मी का जीवन अत्यंत कठिनायों से व्यतीत होता है उसको समाज में किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता हैं। वह कम उम्र में यौन संक्रमण की शिकार हो जाती हैं और उनको समय पर कोई इलाज की सुविधा भी प्राप्त नहीं हो पाती है जिस कारण उनकी कम उम्र में मृत्यु हो जाती हैं।

Monto, “Prostitutes Customers: Motives and Misconceptions” इस लेख के माध्यम से शोधार्थी ने लेख महिला यौन-कर्मियों के ग्राहकों की मनोस्थिति को समझने का प्रयास किया हैं। लेखक का मानना है कि एक महिला यौन कर्मीके पास जाने के लिए समाज में बहुत सी बातों का होना आवयश्क है, क्योंकि, पुरुष को समाज में अपने लिए महिला यौन कर्मी चाहियें किन्तु वह खुले रूप से समाज में कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसे अपने लिए महिला यौन-कर्मियों की जरुरत हैं। लेखक ने यह अध्ययन महिला यौन-कर्मियों के ग्राहकों के विचारों को समझने के लिए किया हैं। लेखक अपने अनुसन्धान से प्राप्त किये गए तथ्यों के अनुसार यह बताते हैं कि कुछ पुरुष ग्राहक अपना दुःख मिटाने के लिए महिला यौन-कर्मियों के पास जाते हैं, तो कुछ अपना मनोरंजन करने के लिए जाते है, इसी क्रम में कुछ शादी शुदा व्यक्ति अपने नियमित यौन संबंधी सहभागी से कुछ अलग तरह के सहवास की चाहत में महिला यौन-कर्मियों के पास जाते हैं।लेखक Martin A. Monto अपने इस अध्ययन में उन ग्राहकों को उत्तरदाताओं के रूप में लिया है जो कि गलियों (street) महिला यौन-कर्मियों के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए हैं, तथा यह ग्राहक और महिला यौन-कर्मियों के मिलने का माध्यम इंटरनेट हैं। यह अध्ययन न्यू यॉर्क में किया गया हैं। इस अध्ययन के माध्यम से लेखक ने महिला यौन-कर्मियों के ग्राहकों की विशेषताएं

[287] Agnihotri Vidyadhar. Fallen Women: A Study with Special Reference to Kanpur. Kanpur, Maharaja Printers, 1955.

पृष्ठभूमि की जानकारी की कोशिश की गई है, जैसे कि जो पुरुष ग्राहक महिला यौन-कर्मियों के पास सहवास के लिए जाते हैं, वह किस नृजातियता से अधिकांशत आते हैं, उनकी शिक्षा का स्तर कैसा होता है, उनकी वैवाहिक स्थिति क्या होती है, वह अपने दैनिक जीवन में किस तरह के कार्यों से जुड़े होते हैं, वह अधिकतर आयु वर्ग के हिते हैं, वह तलाकशुदा हैं या कुछ और हैं... आदि मुद्दों को लिया हैं।

इस अध्ययन के माध्यम से लेखक ने महिला यौन-कर्मियों और उनके पुरुष ग्राहकों के साथ सहवास के दौरान किये जाने वाले कामुक व्यवहार को समझने का भी प्रयास के साथ-साथ यौन कार्य में दिशानिर्देशों को समझने को भी समझने का प्रयास किया है, जैसे कि पिछले एक साल में किसी महिला यौन कर्मी ने कितने ग्राहकों के साथ यौन यौन संबंध बनाए हैं उनकी कितनी संख्या है, तथा जिस आयु के पुरुष ग्राहक उत्तरदाता यौन-कर्मियों के पिछले साल थे उस आयु के ग्राहकों की आवृत्ति बड़ी है अथवा कम हुई ताकि बढती हुई उम्र का प्रभाव महिला यौन कार्य पर किस स्वरुप में पड़ता है इन तथ्यों का विश्लेषण किया जा सके। इसी के साथ लेखक महिला यौन-कर्मियों के पुरुष ग्राहकों से यह भी जानने का प्रयास करते हैं की वह पोर्नोग्राफ़ी पत्रिका और अश्लील वीडियो को किस स्वरुप में देखते हैं और जब पुरुष ग्राहक महिला यौन-कर्मियों के पास जब जाते हैं, तो उनको किस आयु की महिला यौन-कर्मियों के साथ यौन क्रिया करना पसंद आता है, तथा क्या पुरुष ग्राहक अश्लील वीडियो के जैसी यौन क्रिया की मांग करता है अथवा नहीं ? महिला यौन कार्य के सन्दर्भ में लेखक यह मानते हैं महिला यौन कार्य को समाज में वैध होना चाहिए तथा इसको दोष मुक्त करना चाहिए और प्रत्येक यौन कर्मी को सहवास करते हुए कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन भारत में अत्यधिक कम व्यक्तियों को अंग्रेजी आती है और इंटरनेट की भाषा अधिकतर अंग्रेजी है, और भारत में बहुत कम व्यक्ति इंटरनेट पर काम करते हैं, तब भारत जैसे देश में इस अध्ययन की प्रासंगिकता कुछ हद तक सीमित हो जाती हैं।

किन्तु इस अध्ययन में यह कहा गया है कि कोई भी समाज समाजीकरण (Socialization) के माध्यम से आगे बढता है, और यही समाजीकरण (Socialization) की प्रक्रिया और पुरुष मर्दानगी (Masculinity) बहुत से स्वरूपों में महिला यौन कार्य को प्रभावित करते हैं।

इसी के साथ पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया में अपने समकक्षों की तरह, भारतीय सेक्स उद्योग भी परंपरागत जगहों से अलग हटकर साधारण समाज की गुमनामी में शामिल हो रहा हैं। आंशिक रूप से आर्थिक विकास के निम्न स्तर एवं आंशिक रूप से परंपरागत सांस्कृतिक नियमों का sexuality से संबंधित कम ढील एवं commercial sex के विचार पर प्रतिरोध के कारण अन्य जगहों की तुलना में इस प्रक्रिया की गति भारत में उतनी तेज नहीं हैं। तथापि सेक्स को खरीदने की जगहों की संख्या एवं निम्न, मध्यम एवं उच्च आमदनी वेश्यावृत्ति के परिष्कृत तंत्र (sophisticated network) में लगातार बढ़ावा हो रहा हैं।

दूसरे स्तर पर नारीवाद सैद्धांतिक संश्लेषणों पर लगातार गौर करते हुए भविष्य की अटकलों पर विराम लगाना मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान समय में sex-for-sale का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब है, वह चाहें दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, यह मेरठ के कबाड़ी बाजार में भी हो सकता है, मेरठ के स्लम्स क्षेत्रों में भी हो सकता है और बड़े-बड़े स्तर पर जैसे मसाज पार्लर, कॉल गर्ल, इंटरनेट गर्ल आदि के माध्यम से भी हो सकता हैं। वेश्यावृत्ति से संबंधित पूर्व में एवं वर्तमान में लगभग सभी आलेख इस बात को बार-बार दोहराते हैं (जिसका जिक्र हम अध्ययन में पहले भी अन्य संदर्भ में किया है) कि शुरुआत में अधिकतर महिलाएं इस धंधे (पेशे) को पैसे के लिए अपनाती हैं, जिस कारण Shrage की यह बात कि बहुत सी महिलाओं के लिए वेश्या बनना ड्रग डीलर या मंडली का सदस्य बनने जैसी बात है, जो कि सच्चाई से कोसों दूर नजर आती है।[288] उनका यह विचार ज्यादातर समय आर्थिक से ज्यादा तार्किक रूप से प्रेरित होता हैं। हालांकि किशोरावस्था के अवैध कामों से संबंधित अधिकांश समाजशास्त्रीय अध्ययन मुख्य रूप से व्यस्क पुरुषों पर केन्द्रित रहे हैं। Pierre Bourdieu का मानना है कि कुछ लोगों के लिए खासकर एक महिला के लिए “bodily capital” या “sexual capital” ही एकमात्र उपलब्ध संसाधन हो सकता हैं। वह एक बच्चे, एक प्रेमी या परिवार के अन्य सदस्यों का वहन कर रही होगी या यह भी हो सकता है कि वह पूरे जीवन गरीब ही रही होगी तथा अपने हालातों एवं परिस्थितियों

[288] Chancer Lynn Sharon. “Prostitution, Feminist Theory, and Ambivalence: Notes from the Sociological Underground”, *Social Text,* no. 37, A Special Section Edited by Anne McClintock Explores the Sex Trade (Winter, 1993), p:162. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/466265.pdf?refreqid=excelsior:395a59a7dfb7f5286695b6e009036ec6, accessed on 17th may 2017.

पर अधिक नियंत्रण की चाह रख रही होगी; वह भी “अच्छी” चीजों जैसे कार, कपड़े या कुछ भी खरीदने की चाह रखती होगी। एक व्यक्ति को यह अहसास हो सकता है कि अन्य उपलब्ध कामों की तुलना में यौन कार्य से बेहतर एवं जल्दी से पैसे कमाए जा सकते हैं।[289] Pierre Bourdieu की यह दलील मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से मेल खाती है, किन्तु कहीं न कुछ तथ्य इनकी दलीलों को खारिज भी करती हैं। जिसके लिए 52 वर्षीय सुनीता जो कोठे की मालकिन है तथा बबिता, प्रेमा, बबली, अनुराधा मेरठ के कबाड़ी बाजार में यौन कार्य कर रही हैं, वह अपने अनुभवों को बताती हैं कि -

> “मैं पैसे के लिए कभी भी यह काम नहीं करती लेकिम मैं अपने बच्चों की भूख के सामने टूट गयी। जब मेरे बच्चे भूखें हैं, तो मेरी जैसी माँ के पास कोई और साधन नहीं होता है, माँ किसी मर्द के पास गयी और यौन संबंध बना लिए। इन यौन संबंधों के बदले में पैसा कमा कर लायी और बच्चों को दूध पिला दिया और खाना खिला दिया बच्चों का भूखा पेट भर गया और सुला दिया बस माँ की आत्मा शांत हो गयी, चाहें माँ कुछ भी गलत काम करके पैसा कमा कर लायी पर उस पैसे से मेरे बच्चों का पेट भर गया यही काफी हैं। मुझे भी और मेरी जैसी मजबूर कितनी ही माताओं को मात्र पचास पचास रूपये के लिए नंगा करके चार चार लोग लुटा लुटा कर लेते हैं, जैसा कि मेरे साथ भी होता था। यदि मैं कुछ कहती तो मेरे गाल पर थप्पड़ मारते थे मैं यह सब अपने तीन बच्चों के लिए सहती थी। आज मैं बड़ी बुड़ीआ हूँ और मेरे तीनो बच्चे जवान हैं, लेकिन मेरी बेटी भी इसी काम (यौन कार्य) में लग गयी है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन में कर भी क्या सकती हूँ ? वह समझती है मुझे पता नहीं है लेकिन में जानती हूँ कि वह क्या करती हैं। एक माँ के पास अपने बच्चों को पालने के लिए सिर्फ यही होता है, नहीं तो क्या करे जब बच्चों का बाप छोड़ कर चला जाए या मर जाए तो अकेली माँ क्या करे वह सिर्फ यही कर सकती है और करती भी है। यहाँ पर पैसा, धन दौलत, कार, बंगला, या अधिक सुख सुविधा का सवाल ही नहीं है यहाँ पर तो मात्र ओपने बच्चों के जीवन का सवाल है कि एक माँ यह काम करे या अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए मरते हुए देखती रहे। आज में HIV-संक्रमित हूँ, लेकिन ठीक है जब तक जीवन है चलता रहेगा” बाकी राम मालिक है।”[290]

---

[289] Ibid

[290] सुनीता मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र के कोठों पर यौन कर्मी है और उनका कहना है कि पैसा, धन दौलत, कार बंगला के बिना जीवन जी सकते हैं लेकिन बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते है, जिनकी भूख के सामने कोई भी माँ मजबूर हो जाती है और कुछ भी करने को तैयार हो जाती जाती है, फिर वह चाहें अपना तन बेचना हो या अपनी आवरू का सौदा करना ही क्यों ना हो किन्तु कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा नही देख सकती हैं ।

मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों का मानना है कि कम वेतनमान वाली नौकरियों जैसे- सफाई कर्मी, घरों में चौका वर्तन करना, दफ्तरों में झाड़ू पोचा करना अथवा फाइल और अफसरों को पानी चाय आदि पिलाना, होम गार्ड, गार्ड, प्राइवेट अस्पतालों में आया की नौकरी करने आदि के विपरीत कुछ यह यौन कर्मी महिलाएं यौन कार्य करने को अधिक पसंद करते हुए पायी गयीं। इन महिला यौन-कर्मियों में यौन कार्य के प्रति अन्य कार्यों अर्थात कम वेतन वाले कार्यों की अपेक्षा यौन कार्य के प्रति अधिक रोमांच, उत्साह एवं इस कार्य में यह सबसे अधिक चाल चलने की शक्ति और विकल्प रखती हैं का जिक्र करती हुई पायी गयीं, जिस सन्दर्भ में इनका कहना था कि -

> "एक तो हम शिक्षित नहीं हैं और यदि हमारी कोई छोटी सी नौकरी लग भी जाती है तो भी हमको यही काम करना पड़ेगा क्योंकि उसमें हमारा गुजारा नहीं चल सकता हैं। इस काम में आसानी से अधिक पैसा कमाया जा सकता है और मेहनत भी कम ही लगती है, क्योंकि जब एक बार इस दलदल में फंस गए तो इससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, और साहब अब क्या फर्क पड़ता चाहें एक के साथ सोयें या दस के साथ अब इज्जत तो बची नहीं है इसलिए यही काम करके अपने जीवन का गुजारा कर रहें हैं।बस शुरू शुरू में कुछ खराब लगता था पर अब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने मान लिया है यह शरीर तो सिर्फ मांस ही है और मरने बाद यह जला दिया जाएगा तो किस बात की फ़िक्र करना, इसलिए अब तो हमको अच्छा लगता है कि हम भी आराम से कमाई कर सकते हैं, और मर्दों को भी अपनी उँगलियों पर घुमा सकते हैं, उनको गाली दे सकते हैं, और कभी जरुरत हो तो थप्पड़ भी मार सकते हैं तो ऐसा काम कहाँ मिल सकता है जिसमें इतना सब मिले इसलिए हमको यह काम पसंद हैं।"[291]

कबाड़ी बाजार में वेश्यालय आधारित यौन कार्य के स्वरुप में यहाँ पर काम कर रही कुछ यौन-कर्मियों के लिए दूसरों (ग्राहक, दोस्त, साथी, दलाल आदि) के मन में उत्पन्न इच्छा भी उनको एक आत्मकामी आनंद प्रदान करती हैं। इसमें यौन-कर्मियों के लिए दूसरों की खुद पर निर्भरता देखकर तथा इसके लिए उससे भुगतान हासिल करना भी उनके लिए एक आनंद का विषय है, जिसका वह आपस में बातचीत के दौरान खूब लुत्फ उठाती हैं। महिला यौन-कर्मियों में इस तरह भावनाओं के होने को Hoigard एवं Finstad ने यह उत्कृष्ट भावना को घरेलू महिलाओं के अध्ययन में पाई गई भावना के

---

[291] कविता, रानी, अंजू, दीपिका, वंदना, शिमला, मीना, मंजू, चंचल, चारु, काजल, हेमा, रिया, हुमा, अंशु... आदि महिला यौन कर्मी यह मानती हैं कि कम पैसे की नौकरी करने से अच्छा है कि हम सुरक्षित यौन कार्य करें क्योंकि इसमें पैसा भी अधिक है, और पुरुष ग्राहकों पर हमारा प्रभुत्वशाली प्रभाव बना रहता है, हम यह कार्य किसी के दवाब में नहीं वल्कि अपनी मर्जी से करती हैं ।

समानांतर वर्णित करते हैं। जिसके लिए वह "अधीनस्थ" का यह संरचनात्मक दृष्टिकोण मालिक और कर्मचारी के संबंधों को स्पष्ट घरेलू महिलाओं की तरह जो कि अपने मालिकों के साथ काम करने का नाटक करती हैं, की भांति प्रस्तुत करती हैं। उसी प्रकार में साक्षात्कार की गई वेश्याएं भी आनंद देने का झूठा नाटक करती हैं।[292] ऐसा Hoigard एवं Finstad ने अपने अध्ययन में पाया, जिसके सन्दर्भ में जब कबाड़ी बाजार के कोठों पर यौन श्रम कर रही महिलाओं से तथ्य प्राप्त किये तो उन्होंने बताया कि -

> "साहब नाटक और झूंठ तो सब काम में करना पड़ता है कोई भी दुकानदार अपने माल को खराब नहीं कहते हैं और वह खूब झूंठ बोलते हैं, तो हाँ यह ठीक बात है कि हमको अपने ग्राहक के साथ नाटक करना पड़ता है जैसे हमारे पास आने वाले दो तरह के ग्राहक होते हैं।एक वह जो की शादी शुदा हैं, और एक वह जो शादी शुदा नहीं हैं। जो ग्राहक शादीशुदा हैं वह तो ज्यादातर तब आते हैं जब उनकी पत्नियाँ उनकी बात नहीं मानती हैं या उनके पत्नी और पति में लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसे ग्राहक को खूब मीठी मीठी बात करते हैं और अपने जाल में फंसा ही लेते हैं, लेकिन वह जैसा चाहें उनको वैसा सेक्स करने देना होता हैं। हमको उनके साथ सेक्स के दौरान बहुत दर्द होने का भी नाटक करना पड़ता है, ऐसा करने से ग्राहक बहुत खुश होता है, क्योंकि ऐसा करने से उसको अधिक मर्दानगी महसूस होती, वल्कि ग्राहक को हमारी दर्द भरी चीख, आवाज, दर्दीली कसमसाहट, सुनकर बहुत मजा आता हैं। इस काम में जो जितना अधिक नाटक कर सकती है वह उतना ही पैसा कम सकती है, लेकिन वह ग्राहक जो शादीशुदा नहीं होते हैं उनके साथ ज्यादा नाटक नहीं करना पड़ता है वह जल्दी ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, इन बिना शादीशुदा ग्राहक के साथ हमको कम मेहनत करनी पड़ती है जबकि शादीशुदा ग्राहक के साथ हमको अधिक मेहनत करनी होती है और यही ग्राहक हमारे साथ अधिक शोषणकारी सेक्स करते है, शादीशुदा ग्राहक को खुश करना ज्यादा मुश्किल होता है बिना शादीशुदा ग्राहक के मुकाबले। क्योंकि इनकी मांग अधिक होती है।"[293]

---

[292] Chancer Lynn Sharon. "Prostitution, Feminist Theory, and Ambivalence: Notes from the Sociological Underground", *Social Text,* no. 37, A Special Section Edited by Anne McClintock Explores the Sex Trade (Winter, 1993), p: 163 - 4. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/466265.pdf?refreqid=excelsior:395a59a7dfb7f5286695b6e009036ec6, accessed on 17th may 2017.

[293] चांदनी, बबिता, पूनम, राजन, शशि, सिम्मी, गरिमा, गुंजन, बिमला, चमन, सुनीता, कविता, पुष्पा, काजल ... आदि महिला यौन कर्मी यह स्वीकार करती हैं कि हम अपने काम के दौरान खूब झूठा नाटक करती हैं और किसी भी पुरुष ग्राहक को पता नहीं चलता है, वल्कि ऐसा करने से वह और अधिक उत्साहित होता है और समझता है कि हम यह सब सचमुच ही कर रहे हैं, किन्तु कभी कभी हमको भी बहुत दर्द होता है जिसको सहन करना बहुत मुस्किल होता है ।

इसी प्रकार जैसा कि Hoigard एवं Finstad इस बात को दुहराती हैं कि वेश्याओं की झूठी कराह, तड़प एवं चिल्लाने से संबंधित आम तरीकों से किस प्रकार ग्राहक रोमांचित, उत्तेजित एवं उत्साहित हो जाते हैं तथा जाने-अनजाने इन्हीं झूठे नाटकों के लिए वे भुगतान भी करते हैं। पुरुष ग्राहकों को इस बात का कतई अंदाजा नहीं होता है कि उस वक्त उस महिला के शरीर या दिमाग में क्या चल रहा था। यौन-कर्मियों को इन दोनों ही स्थितियों का ज्ञान भली-भांति तरीके से होता है तथा यह जानना की सामने वाले को सत्य प्रतीत होने वाली चीज उसके लिए एक बेवकूफाना एवं घिनौना भी हो सकता है। इस बात का अंदाजा किसी भी ग्राहक को नहीं होता हैं।[294]

महिला यौन कार्य के विषय में Alison Jaggar कहती हैं कि यह दिखने में भले ही कितना भी आकर्षक एवं सीधा प्रतीत हो पर वेश्यावृत्ति को लेकर विशुद्ध दृष्टिकोण में भी बहुत सारी स्पष्ट खामियां हैं। जैसा कि Alison Jaggar रेखांकित करती हैं कि यह जरूरी नहीं है कि एक उदारवादी द्रष्टिकोण हर प्रकार के अनुबंधात्मक व्यवस्था को वैध मानेगा; कुछ स्वतंत्र अनुबंध मानवीय स्वतंत्रता एवं सम्मान का भी उल्लंघन कर सकता है जो कि वास्तव में छिपे हुए ढंग से उत्पीड़न और शोषण का साधन बन साकता है।[295] इसलिए कहा जा सकता है कि इन शर्तों पर यहाँ तक कि एक उदारवादी दृष्टिकोण से कोई भी वेश्यावृत्ति में अनुबंध की वैधता पर प्रश्नचिन्ह् खड़ा कर सकता हैं। लेकिन मात्र इस एक तर्क से सभी के एक मत होने की दिशा में यह एक छोटा कदम हो सकता है, किन्तु एक ऐसा मत जिसे बहुत सारी नारीवादियां भी मानती हैं, और जिनका मानना है कि वेश्यावृत्ति को एक स्वतंत्र अनुबंध की तरह देखने के बजाए पुरुष प्रभुत्व एवं महिलाओं की अधीनता के रूप में देखा जाना चाहिए। यह नजरिया समाज में पुरुष एवं महिलाओं द्वारा सामाजिक शक्ति के प्रयोग पर भी प्रकाश डालता

---

[294] Chancer Lynn Sharon. “Prostitution, Feminist Theory, and Ambivalence: Notes from the Sociological Underground”, *Social Text,* no. 37, A Special Section Edited by Anne McClintock Explores the Sex Trade (Winter, 1993), p:162. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/466265.pdf?refreqid=excelsior:395a59a7dfb7f5286695b6e009036ec6, accessed on 17th may 2017.

[295] Iyer Karen Peterson. “Prostitution: A Feminist Ethical Analysis”, *Journal of Feminist Studies in Religion,* Volume - 14, no. 2 (Fall, 1998), p: 28. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/25002334.pdf?refreqid=excelsior:6fe677404b6c605ca5a641765d55bdc2, Accessed on 12th june 2017.

है, जैसे कि समाज में यह माना जाता है और साथ ही यह आशा भी की जाती है कि पुरुष और महिलाओं के मध्य पुरुष महिलाओं पर सामाजिक रूप से प्रभावशाली होंगे नहीं तो पुरुषों को समाज में इस बात के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि वेश्यावृत्ति समाज में इस असमानता को रेखांकित करने के साथ-साथ इसकी वृद्धि भी करती हैं। वेश्यावृत्ति को सिर्फ दो समान लोगों के बीच एक अनुबंध मानने की कोई भी समझ समाज के वृहत पितृसत्तात्मक यथार्थ को ध्यान से समझने में विफल होता हैं। Carole Pateman जो कि एक नारीवादी दार्शनिक हैं, इस बात को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि "वेश्यावृत्ति को अमूर्त इकरारनामा से छुटकारे की जरूरत है तथा इसे महिलाओं एवं पुरुषों के बीच यौन संबंधों की संरचना के सामाजिक सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।"[296] जब शोधार्थी के इस सन्दर्भ में कबाड़ी बाजार के कोठों से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन-कर्मियों के पूर्व अनुभब और मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के वर्तमान विचारों का साझा विश्लेषण करने का प्रयास किया और जब यह जानने की कोशिश की कि पुरुष ग्राहक आपके साथ किस अवस्था में संबंध बनाना अधिक पसंद करते हैं तो इन महिला यौन-कर्मियों ने इस विषय में यह दलील दी कि -

> "जब ग्राहक अपने पैसे हमको दे देता है तो फिर वह चाहें जैसे हमारे साथ कर सकता है, हम इसके लिए मना नहीं कर सकती हैं, क्योकि वह इसी काम के लिए पैसे दे रहा हैं। उसको खुश करने के लिए हमको वह सब करना होता है, जिसकी मांग ग्राहक हमसे करता हैं। रेखा जो कि कबाड़ी बाजार की यौन कर्मीयों के साथ यौन कार्य करती है ने बताया कि मैंने माता दुर्गा से एक मन्नत मांगी है जिसके लिए मुझे माँ की रोजाना पूजा करनी होती है और माता को रोजाना *अर्ग* देना होता है, इसलिए आप भईया (शोधार्थी) यकीन नहीं करेयेंगे कि मेरे पास माँ की पूजा तक करने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब मैंने यह काम शुरू किया। जब मेरी माँ मेरी मनोकामना पूरी कर देगी तो मैं यह गन्दा काम छोड़ दूंगी और मैं कुछ और काम कर लुंगी या फिर मैं अपने घर सहारनपुर (स्थान का नाम बदला हुआ है) लौट जाऊँगी। मेरे घर में तो सभी यही जानते हैं कि में किसी कम्पनी में काम करती हूँ, यदि उनको यह पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा करेयेंगे।"[297]

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामाजिक सन्दर्भों से अलग कर किसी व्यक्तिगत माध्यम को प्राथमिकता प्रदान करना गलत है, जैसा कि उदारवादी मानते हैं,

---

[296] Ibid

[297] राजन, रेखा, सुनीता, सन्नो, खुशबू, खुशी ... आदि महिला यौन कर्मी जो कि कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत हैं ने बताया कि ग्राहक को बांधे रखने के लिए उसकी मन मर्जी का करना होता है I

बल्कि सामाजिक आर्थिक सन्दर्भ के केन्द्र बिन्दु होने पर ही वेश्यावृत्ति का वास्तविक चरित्र स्पष्ट हो पाएगा । वेश्यावृत्ति के सामाजिक, आर्थिक सन्दर्भ के महत्व पर जोर देने और इसकी विवेचना करने के अनेकों तरीके हो सकते हैं। किन्तु इन सभी में से एक प्रमुख नजरिए के अनुसार वेश्यावृत्ति पुरुष की प्रधानानता होने का भी एक चित्रांकन हैं।

Pateman लिखती है कि "बाजार में किसी व्यक्ति के शरीर को खरीदने में संभव होना ही उस व्यक्ति के ख़रीदे गए शरीर के मालिक के अस्तित्व को पहले से मान कर चलना हैं। इसलिए वेश्यावृत्ति पुरुषों के यौन मालिक होने की सार्वजनिक पहचान हैं। यह वेश्यावृत्ति पराधीनता को बाजार में बेचे जाने वाले वस्तु की तरह पेश करता है।"[298] यहाँ पर आर्थिक ताकतें पुरुष प्रभुत्व की पुष्टी करती हैं, क्योंकि कम आमदनी के कारण महिलाओं में भुगतान के लिए यौन संबंध स्थापित करने का लालच ज्यादा होता हैं। अतः वेश्यावृत्ति को यौन सेवाओं के स्वैच्छिक बिक्री की तरह परिभाषित करना गलत हैं। सामाजिक सन्दर्भ को गंभीरता से खुद में समेटे हुए एक उचित परिभाषा वेश्यावृत्ति को "यौन क्रियाओं पर एकपक्षीय पराधीनता जिसमें की भुगतान एक सांत्वना होता है"[299] की तरह परिभाषित करता हैं।

इस स्थिति में वेश्यावृत्ति की रजामंदी वास्तविक रजामंदी नहीं होती हैं। यह एक प्रकार का आत्मसमर्पण कर दुसरे की अधीनता स्वीकार करना होता है जो कि सिर्फ किसी व्यक्ति पर लागू न होकर कभी-कभी यह भी संभव होता है कि "पुरुषों की सामाजिक आर्थिक शक्ति को महिलाओं के सापेक्षिक शक्तिहीनता द्वारा लागू किया जाता हैं। Pateman इस संबंध में वेश्यावृत्ति को विवाह से अलग मानती हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन सिर्फ प्रमुख एवं पराधीनता का संबंध नहीं होता है बल्कि बहुत सारी शादियों में पुरुषों का अपनी पत्नियों के शरीर पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिकार नहीं होता हैं।

---

[298] Pateman Carole. Defending Prostutution: Charges against Ericsson, *Ethics,* Volume 93, Issue 3, April 1983, pp: 262. available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2380632.pdf?refreqid=excelsior%3A4846b2bc1d1d0c8f5f617a0414a27426 , accessed on 12th June 2017

[299] Ibid

वहीं दूसरी तरफ, वेश्यावृत्ति शक्ति के लैंगिक विभाजन का पालन करती है, क्योंकि यह महिलाओं के शरीर को पुरुषों द्वारा उपभोग हेतु व्यवसाईकरण करती है।[300]

अध्याय निष्कर्ष

यौन कर्मी महलाओं के जीवन उद्धार, उनके बच्चों के भविष्य और जीवन की सुरक्षा हेतु, जीवन यापन हेतु अधिकार, आदि भारत के और दुनिया के कानून में बहुत से प्रावधान किये गए हैं, किन्तु अभी तक भारत में महिला यौन कार्य को कानूनन रूप से वैधता नहीं मिली है और इसी कारण इस कार्य को महिलाओं द्वारा छिप कर किया जाता है। मेरठ शहर के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों का नागरिक जीवन के प्रश्न को लेकर किये गए अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से यह सामने आया कि इन महिलाओं को एक सामान्य नागरिक की भांति सभी अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जो इन यौन-कर्मियों की मासिक शारीरिक जाँच कराई जाती है उसका सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि इन यौन-कर्मियों से कोई भी यौन संक्रमण और HIV-संक्रमण पुरुषों में ना फैले ताकि इस तरह के भयावह संक्रमण को समाज में फैलने से बचाया जा सके। इन महिला यौन-कर्मियों को मिलने वाली इन चिकित्सकीय सुविधाओं का उद्देश्य इन यौन कर्मी महिलाओं के स्वस्थ्य की रक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इसी का साथ यहाँ पर इन यौन-कर्मियों के बच्चों की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे मूल अधिकारों की सुरक्षा भी नहीं हो रही है। इन महिलाओं के जीवन में कोई भी स्थायित्व नहीं है यह कभी यहाँ इन मेरठ के कोठों पर काम कर रही हैं तो कुछ समय बाद कहीं और किसी और कोठे पर काम करना शुरू कर देती हैं। अपने जीवन काल में यह कितने कोठे और कितने ग्राहक बदलती हैं इसकी गिनती रखना अत्यंत कठिन है। किन्तु जब यह 35 वर्ष की आयु पार करती हैं तब इनके जीवन में अत्यंत ही कठिन समय आता है, क्योंकि तथ्यों के अनुसार उस समय महिला यौन कार्य में इनकी मांग बिल्कुल कम हो जाती है, तो अगले अध्याय में यही समझने के लिए कि 35 वर्ष की आयु के बाद इनका जीवन किस तरह कहाँ और किन हालातों में व्यतीत होता है।

[300] Ibid: 562 - 63.

अध्याय - पांच

महिला यौन कर्मीयों का परिपक्वन[301] और नागरिक जीवन

[301] परिपक्वन- ढ़लती हुई आयु या उम्र

अध्याय - पांच

महिला यौन कर्मीयों का परिपक्वन[302] और नागरिक जीवन

तथ्यों अनुसार यौन श्रम एक ऐसा कार्य है जिसमें से एक निश्चित (35 वर्ष से 40 वर्ष तक) आयु के बाद अधिकांश महिला यौन कर्मी सेवानिवृत्त हो जाती हैं, और उनको वैश्यालयों की सेवा से खारिज कर दिया जाता है, यौन कार्य से सेवानिवृत्त होने की निश्चित आयु एवंम अन्य तथ्य कौन कौन से होते हैं जिस वजह से उनको एक निश्चित आयु के बाद इस कार्य से खारिज होना पड़ता है, इसी के साथ यह भी समझने का प्रयास किया है कि यह यौन कर्मी जो कि वेश्यालय की सेवा से खारिज हो जाती हैं वह कहाँ जाती हैं, और सेवानिवृत्त के बाद उनके रहने के कौन से स्थान होते हैं। यौन कार्य से सेवानिवृत्त के बाद वह अपना जीवन यापन करने हेतु किस तरह के कार्य करती हैं, और इन कार्यों करने के लिए उनके पास कौन से साधन उपलब्ध होते हैं। वेश्यालय आधारित यौन कार्य से सेवानिवृत्ति के बाद उनका और उनके बच्चों का सामाजिक जीवन किस तरह का होता और वह किन हालातों में अपना जीवन बिताती हैं।

भारत देश में अनेकानेक कानून जिनके उद्देश्य हर भारतीय नागरिक को गरिमा के साथ मानवाधिकार, सम्मान दिलाना है, पर इनको क्रियाशील रखने वाली व्यवस्था का लाचार प्रयास महिलाओं, कमजोर वर्गों और आदिवासी समूहों के कल्याण परक कार्यक्रम लागू करने में विफल रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य औंर खुशियों के दरवाजे अभी तक उनके लिए नहीं खुल पाए हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर आज भी अत्यधिक कम हैं। राज्यों के आंकडे़ बताते हैं, कि साक्षरता और मजदूरी के मामले में महिलाएँ लगातार पीछे चल रही हैं।[303] समाज की सभी महिलाओं में से खासकर सवसे प्रभावित और खतरे के दायरे में महिला यौन कार्य की महिलाएँ आती हैं, कम उम्र के दौरान यौन कार्य में घसीटी गई लड़कियां यौन रोग और

---

[302] परिपक्वन- ढ़लती हुई आयु या उम्र

[303] Dreze, Jean, Amartya Sen. *India: Economic Development and Social Opportunity*, New Delhi: Oxford University Press, 1995, in Geetanjali Misra, Ajay Mahal and Rima Shah, Protecting the Rights of Sex Workers: The Indian Experience, *Health and Human Rights,* Volume - 5, No. 1, 2000, p: 92. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4065224.pdf?refreqid=excelsior%3A1e6b3f1175ea2a63d165e75f72aeefa3, accessed on 14th June 2017.

यौन हिंसा का अधिक शिकार बन जाती है, इनकी आमदनी तो दलालों, मालिकों, सगे सम्बन्धियों, आदियों द्वारा लुट ही ली जाती हैं।[304] जिसके साथ ही उनका जीवन भी तवाह हो जाता है। भारत देश में 15 प्रतिशत यौन सेविकाएं 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की हैं, और करीब 25 प्रतिशत महिलाएं 18 वर्ष से कम आयु की हैं।[305] यौन कार्य को करने वाली प्रत्येक महिला तीन से पांच ग्राहकों को संतुष्ट करती है, कभी इनकी संख्या पांच ग्राहकों से अधिक भी हो सकती है।

भारत में वैश्यावृत्ति से संबंधित मुख्य कानून Immoral Trafficking Prevention Act 1986 के अनुसार महिला यौन कार्य को कानूनी रूप से अवैध नहीं माना गया है, बशर्ते कि वह गुप्त और निजी तौर पर हो, किन्तु इसमें इसमें शामिल महिलाओं को जिल्लत, पुलिस प्रताड़ना और अनेक अनेक अमानवीय टीस झेलनी पड़ती है। Jean D'Cunha का मानना है, कि 1980-1987 के बीच 9000 से अधिक महिला यौन-कर्मियों को मुम्बई में गिरफतार किया गया।[306] पैसे के सहारे ये बाद में छूट जाती हैं, लेकिन इस प्रकार उनके जीवन की बदहाली को लेखा जोखा नहीं मिलता, कि वह कहाँ जाती हैं और उनका जीवन कहाँ व्यतीत होता है।

मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार की महिला यौन-कर्मियों और इनके ग्राहक और दलालों से यह भी ज्ञात हुआ कि यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ यौन कर्मी महिलाएं माधोपुरम, तारापुरी, श्यामनगर, भर्मपुरी आदि मेरठ के स्लम्स स्थानों पर और ऐसे सुनसान स्थानों पर रहती हैं जहाँ पर पुलिस के आने का खतरा कम रहता है, जहाँ पर निवास करने वाले लोग कम जागरूक होते हैं, ऐसी जगह निवास करने वाले लोग मेहनत मजदूरी आदि के काम में ही लगे रहते हैं। इन यौन कर्मी महिलाओं के यहाँ रहने का औचित्य यह है कि अब इनकी मांग मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय

---

[304] Mukherjee Krishna Kanta. *Flesh Trade: A Report,* Ghaziabad, India: Gram Niyojan Kendra, 1989, pp: 1-11.

[305] योजना, *अनैतिक व्यापार,* वर्ष: 52, अंक: 2, फरवरी, 2008, पृष्ठ संख्या 28.

[306] Misra Geetanjali, Ajay Mahal and Rima Shah. Protecting the Rights of Sex Workers: The Indian Experience, *Health and Human Rights,* Volume 5, No. 1, 2000, p: 93. Awailable at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4065224.pdf?refreqid=excelsior:2bf469c5b15e40b8f1fd240a1fd81b67, accessed on 26th March 2017.

आधारित कोठों पर इनकी मांग नहीं रहती तो यह अब इन स्लम्स क्षेत्रों में रहकर स्वयं और किसी अपनी सहपाठी के साथ छिपकर घरों में यौन कार्य करती रहती हैं। शोधार्थी को अपने अपने कुछ सूचना दाताओं (ग्राहकों और दलालों) के साथ इन स्लम्स क्षेत्रों में जाने का मौका मिला जहाँ पर अब वह महिला यौन कर्मी निवास करतीं हैं जो कि कभी मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य किया करती थीं और आज यह महिलाएं यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद इन क्षेत्रों में गुमनामी की जिन्दगी जीने पर मजबूर हैं। यह महिलाएं यहाँ पर भी अधिकतर यौन कार्य में ही शामिल हैं और जो भी अधिकाँश महिलाएं (शोधार्थी जिन भी महिलाओं तक अपनी पहुँच बना सका) हैं वह अपने साथ दो से आठ कम आयु की लड़कियां भी रखती हैं, जिनको यह अब यौन कार्य करवाने के लिए साथ रखती हैं। जब शोधार्थी इनके विश्वासपात्र ग्राहकों और दलालों के साथ इनसे मिलने पहुंचा तो इन उम्रदराज महिलाओं ने खूब खुलकर शोधार्थी के साथ अपने जीवन का शुरू से अंत तक अपना अनुभब साझा किये हैं।

महिला यौन कर्मी और उनकी ढलती उम्र

समाज में अभी तक सभी पूर्ववर्ती नजरिया - वेश्यावृत्ति अनुबंध शोषण के रूप में वेश्यावृत्ति मुख्य रूप से मानवीय लिंगभेद को उचित अभिव्यक्ति एवं व्यक्ति और समाज की व्यापक खुशहाली में इसके स्थान की मानदंड संबंधी समझ पर आधारित हैं। इन सभी समझ पर प्रकाश डालना एवं इसके विषमता को दिखाना उपयोगी है क्योंकि अंत में यही समझ वेश्यावृत्ति से निपटने के लिए प्रयोग की जाने वाली रणनीतियों को एक नियामक शक्ति प्रदान कर सकता हैं। वास्तव में किसी भी लिंगभेद की समझ ही उसके द्वारा वेश्यावृत्ति के नैतिक दर्जे का मूल्यांकन निर्धारित करता हैं।

समाज में बहुत सारी संगठित वेश्याएं इस बहस को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि सेक्स को प्यार से अलग करना सिर्फ एक संभावित विकल्प ही नहीं बल्कि एक मनचाहा मुद्दा हैं। Margo St. James के अनुसार सहवास और प्रेम को अलग करना एक अच्छी बात है, क्योंकि रोमांस भी दमनकारी हो सकता है, वेश्याएं ही सिर्फ आजाद महिलाएं है क्योंकि सिर्फ यौन-कर्मियों को ही पुरुषों की तरह मनचाहे पुरुष के साथ

हमबिस्तर होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।[307] किन्तु कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र मेरठ से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन कर्मी और यहाँ पर कार्यरत महिला यौन कर्मी St. James की इस दलील को खारिज करती हैं और वह कहती हैं कि हम इस समाज में आजाद नहीं हैं बल्कि अभी तक गुलाम हैं एक ऐसी गुलाम जो को गरिमा के साथ समाज में यह भी नहीं बता सकती कि वह क्या काम करती है, जिसको ना सर उठा के जीने का हक़ है, ना समाज में समानता का हक़ है तो वह महिला आजाद नहीं हो सकती है, बल्कि वह गुलाम ही हैं। रही बात किसी भी पुरुष के साथ हमबिस्तर होने की तो यदि में चाहूँ की सलमान खान (मात्र कल्पना) के साथ हमबिस्तर हो जाऊं तो नहीं हो सकती क्योंकि वह मेरे साथ ही नहीं हैं। हाँ हम अपने हर उस पुरुष ग्राहक के साथ हमबिस्तर हो सकती हैं जो कि हमारे पास ग्राहक के रूप में आता हैं। St. James समाज द्वारा यौन के दोहरे मापदंडों की तरफ रेखांकित करते हुए कहती हैं कि सहवास को प्रेम से अलग करना एक सकारात्मक एवं मुक्ति का विकल्प है जिसे कि पुरुष एवं महिलाओं को समान रूप से दिया जाना चाहिए, St. James की इस बात का समर्थन कई रूपों मई मेरठ के कबाड़ी बाजार में कार्यरत महिला यौन-कर्मियों ने इस दलील के साथ किया कि -

> “यदि हम अपनी मर्जी से यह काम करते हैं तो सरकार या समाज को इसे कानूनन सही और वैध होने की मान्यता देने में क्या बुराई है, जबकि महिला यौन कार्य समाज की जरुरत भी है, यदि हम ही ना हों तो समाज का संतुलन ख़राब हो सकता है, समाज में बलात्कार की घटनाएं बढ़ जायेंगी जो कि हमारे रहने से बलात्कार जैसी घटनाएं नियंत्रण में रहती हैं और हमको ही समाज में सम्मान नहीं मिलता है। हम यह काम सिर्फ काम समजकर करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको अपने ग्राहकों से प्रेम हो जाता है, वह हमको पैसा देते हैं और हम उनको कुछ समय के लिए अपने शरीर को उनके हवाले कर देते हैं, फिर वह अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, उसके बाद हम उनको कहीं भी नहीं पहचनाते हैं, इसी के साथ यह यौन कर्मी यह भी मानती हैं कि बहुत बार तो हम अपने ग्राहकों की शक्ल तक ठीक से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम ग्राहक शक्ल नहीं पैसा देखते हैं।”[308] ।

---

[307] Overall Christine. “What's Wrong with Prostitution? Evaluating Sex Work”, Signs, Volume 17, no. 4, Summer 1992, pp: 714 - 15. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3174532.pdf?refreqid=excelsior:f776436a41119ec5467cf3f89d32ad34, accessed on 17th june 2017.

[308] सविता, अनुराधा, पूनम, लता, संगीता ... आदि महिला यौन कर्मी कांता बाई, शशि बाई, शारदा बाई, नीतू बाई ... आदि कोठे की मालकिन यह मानती हैं कि हमारे द्वारा किये गए कार्य का महत्त्व समाज

Margo अपनी बात को आगे बढ़ाती हुए कहती हैं कि इस नजरिए से बेमेल और प्रेमरहित यौन-संबंध किसी भी तरीके से अनैतिक नहीं हैं तथा सौंदर्य सिद्धांत के आधार (aesthetic ground) पर भी इसकी कामना की जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि उस तरीके की समझ यौन-संबंधो की अभिव्यक्ति को मानव संवाद के अन्य तरीकों से कुछ भी अलग नहीं मानता है और इसका मानना है कि यौन-संबंधो के व्यवहारों में वास्तविक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर विशेष ध्यान की जरूरत है या जिसे किसी खास तरीके के नैतिक मार्गदर्शन की जरूरत हैं। उसी प्रकार से भुगतान के लिए यौन-क्रिया भी अन्य प्रकार की भुगतान सेवाओं से अलग नहीं है, इसलिए वेश्यावृत्ति को सिर्फ एक व्यावसायिक-अनुबंध की तरह देखा जाना चाहिए जो कि यौन के बजाए मुख्य रूप से मुक्त आर्थिक लेन देन से संबंधित हैं।

उस स्थिति में, आमतौर पर उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थक यौन-क्रिया और प्रेम के बीच संबंध को तोड़ने के लिए तैयार होते हैं और अपरिचित भुगतान किया हुआ सहवास या जो भुगतान न हुआ सहवास को किसी व्यक्ति के लिए तर्कशील विकल्प मानने को तैयार होते हैं। भुगतान के लिए किया गया सहवास सामान्य रूप में मजदूरी का एक प्रकार हैं। इसके विपरीत, वेश्यावृत्ति को शोषणकारी प्रतिरूप के समर्थकों का मानना है कि भुगतान के लिए किया गया सहवास मजदूरी के अन्य तरीकों से अलग है, तथा यह महिलाओं के लिए खासतौर पर हानिकारक हैं। उदाहरण के तौर पर, Susan Cole कहती हैं कि मेरा भी यह मानना है कि यौन-क्रिया काम के अन्य तरीकों से अलग है, जिनकी दलील के विषय में जब स्लम्स में रह रही बुजुर्ग महिला यौन-कर्मियों के अनुभब से समझने का प्रयास किया तब यह उन्होंने यह बताया कि -

> “हमारे कार्य में और अन्य कार्यों में बहुत फर्क है, अन्य कार्यों में मान सम्मान मिलता है, अधिक पैसा मिलता है, पुलिस और बदनामी का कोई डर नहीं होता है, उनकी कमाई पर सिर्फ उनका ही अधिकार होता है, कोई उनको गाली गलोच नहीं करता है, कोई उनको पीटता नहीं है, कोई और काम ऐसा नहीं है जिसको गाली समझा जाता हो बस हमारा ही एक ऐसा काम है जिसको समाज में गाली समझा जाता है और शायद यह “रण्डी” शब्द दुनियां की सबसे बड़ी गाली हैं। समाज में हम डर, बेइज्जती, नाइंसाफी आदि सब सहन

में है, हमारे बिना समाज में सामाजिक संतुलन नहीं रह सकता है, वल्कि समाज में बलात्कारों की घटनाएं बढ़ जायेंगी इसलिए हमारे कार्य को सरकार कानूनन वैध घोषित कर दे ।

करते हैं, किन्तु फिर भी हमारा सम्मान समाज में नहीं है यही फर्क है हमारे काम में और अन्य कामों में जिसको कोई मुश्किल ही समझ सकता है।"[309]

परन्तु Susan Cole की रुचि इस बात में देखने को मिलती है कि कैसे वेश्यावृत्ति असमानता को लैंगिक[310] बनाता हैं। उनके कुछ तर्कों के अनुसार, भुगतान के लिए किया गया सहवास सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी महिलाओं के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का मुख्य कारण लिंगभेद की सामाजिक संरचना हैं। Laurie Shrage का आगे मानना है कि चेतना या अचेतना में हमारे समाज में हम सेक्स को पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रति प्रतिकूल परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं और यही कारण है कि सामान्य रूप से हम महिलाओं को पुरुषों के द्वारा पीटे जाने, छेड़े जाने, या प्रताड़ित किए जाने की बात सुनते हैं। इस सन्दर्भ में किसी महिला को मात्र यौन-क्रिया की एक वस्तु समझकर उसके साथ बर्ताव करना उस महिला को मानव से कम आंकने जैसा हैं। Shrage के अनुसार, "वेश्याओं को जानवर की स्थिति में खड़ी कर दिया जाता है या उसे मानवीय हितों के लिए एक वस्तु की तरह प्रयोग किया जाता है।"[311] Shrage की यह दलील मेरठ के वेश्यालय से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन-कर्मियों ने कुछ इस तरह समझने की कोशिश की कि -

"साहव हमको कोई इन्सान नहीं मानता हैं।हम तो हांड मॉस के काम चलाऊ सामान हैं। हम जब तक ठीक से चल रहे हैं, तब तक ये लोग भी हम से काम चला रहे हैं, एक समय ऐसा था जब हम अपने इशारों पर मर्दों को घुमाते थे और आज हमारी ऐसी स्थिति है कि हमको रोई तक नहीं मिल पाती कोई भी हमारी बीमारी तक के बारे में पूछने वाला नहीं हैं।

---

[309] सोनिया, आरती, शिप्रा, शान्ति, रज्जो ... आदि सभी महिला यौन कर्मी यह स्वीकार करती हैं कि यौन कार्य समाज में एक गाली की तरह माना जाता है, जब भी कोई पुरुष किसी महिला को सबसे गन्दी गाली देता है, तो वह हमारे ही श्रम के नाम से गाली दी जाने वाली महिला को संबोधित करता है, किसी और अन्य श्रम के नाम से नहीं, तब हमारे श्रम में और अन्य सभी श्रमों में यही अंतर है कि बाकी सभी कार्य श्रम हैं और हमारा श्रम एक गन्दी और भद्दी गाली है ।

[310] Iyer Karen Peterson. "Prostitution: A Feminist Ethical Analysis", *Journal of Feminist Studies in Religion,* Volume - 14, no. 2 (Fall, 1998), p: 32. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/25002334.pdf?refreqid=excelsior:6fe677404b6c605ca5a641765d55bdc2, Accessed on 12th june 2017.

[311] Shrage, Laurie. "Should Feminists Oppose Prostitution?" *Ethics*, Volume 99, Number 2, January 1989, p: 356. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2381438.pdf?refreqid=excelsior%3Ac4ffc0fbaaed3479dd3c1baa93b471b7, accessed on 16th March 2017.

मैं रज्जो देवी HIV-संक्रामित हूँ लेकिन मेरी देखभाल के लिए कौन है, कोई भी नहीं ना घर वाले, ना सरकार, और ना ही मेरे चाहने वाले जिनसे कभी मैंने प्यार किया था । तब साहब हम तो एक दिन ऐसे ही मर जायेंगी कोई पूछने वाला नहीं हैं। में यही कहूँगी कि जिस दिन हम खराब (बूढ़े) हों जाएगें उसी दिन यहाँ से (यौन श्रम) से बाहर फेंक दिये जायेगें । यदि नहीं फेंका गया तो इन्हीं कोठों पर किसी दूसरे बेगार के कामों में लगा दिया जायेगा । जब हमें श्रमिक या इंसान माना ही नहीं जाता है, तो हमारे अधिकारों और मजदूरी की बात ही क्या है"[312]?

इसके अतिरिक्त, हम किसी व्यक्ति के चरित्र की पहचान उसका या उसकी यौन झुकाव में रूचि और उसके व्यवहारों को देखकर करते हैं, जिसकी वजह से यौन कार्य किसी भी महिला के भविष्य में उसके अवसरों को सीमित कर देता हैं।

Pateman कहती हैं, कि यौन-क्रिया अभिव्यक्ति में लिंगभेद के सामाजिक अभिप्राय को पार पाना आसान नहीं हैं। उदारवादियों के अवधारणा से अलग यह जरूरी नहीं है कि महिलाओं एवं पुरुषों के निजी व्यक्तित्व मैथुन संबंधी अस्मिता को बदली जाएं जिसमें कि लड़कियों एवं लड़कों, महिलाओं एवं पुरुषों को अपने अलग-अलग यौन-क्रिया के अनुभव हो सकते हैं। Pateman का मानना है, कि पुरुषों की विकास प्रक्रिया उनमें महिलाओं पर एवं महिलाओं के खिलाफ एक अलग करने की भावना को बढ़ावा देती है, जो कि बाद में यौन प्रधानता के रूप में शक्ति प्राप्त करता हैं। यदि संक्षेप में समझने प्रयास करें तो Pateman इस बात पर जोर देती हैं कि यह प्रक्रिया इस बात को स्पष्ट तरीके से वर्णन करती है कि, क्यों पुरुष ही महिलाओं के शरीर को वस्तु की तरह सौंपे जाने की मांग करते हैं और क्यों पुरुष ही वेश्यावृत्ति के ग्राहक होते हैं। Pateman के इस सवाल का जबाब मेरठ के स्लम्स में रहने वाली 48 वर्षीय बब्बल रानी इस तरह देती है कि -

"यह दुनिया मर्दों की बनाई हुई है, मर्दों ने ही अपने मजे के लिए औरत को वैश्या बनाया है तो मर्दों द्वारा बनाई गयी वैश्या के ग्राहक मर्द ही होंगे औरत नहीं। किन्तु जब कोई भी औरत जब यौन कर्मी बन जाती है तो यह मर्द उससे भी अपने प्रति गद्दारी बर्दास्त नहीं

---

[312] रज्जो देवी 54 वर्षीय HIV- संक्रामित मेरठ के कोठों से यौन कार्य से सेवानिवृत्त महिला है, जो कि आज मेरठ के स्लम्स क्षेत्रो में अपना गुमनाम जीवन बिता रही हैं । इन्होंने अपने अनुभब शोधार्थी के साथ साझा किये और बताया कि समाज में महिला यौन कर्मी अपना श्रम भी छिपकर करती है और उससे सेवानिवृत्त होने के बाद बाद भी समाज में छिपकर ही अपना जीवन व्यतीत करती है, तब ऐसे कार्य को समाज में किस प्रकार से श्रम कह सकते हैं जिसमें शामिल होने के बाद महिलाएं अपने जीवन भर समाज में छिपकर ही रहें और किसी को यह न बता सकें कि मैं एक वैश्या थी और मैं आज एक वैश्या हूँ ।

वल्कि यह चाहते हैं कि किसी भी वैश्या का ग्राहक उसके भगवान की तरह होता है, वह जो चाहें हमको करना चाहिए, वह मर्द जिसने हमको वैश्या बनाया है जितना भी हमको मसले दवाये हमारे मुंह पर थूके या हमारे मुंह पर अपना वीर्य रगड़े या हमारे ऊपर पेशाव करे, हमको कभी भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उसके इस प्रकार के सभी कृत्यों को हंस कर सहन करना चाहिए और उसकी इसी मर्दानगी की वाह वाह करनी चाहिए क्योंकि यह दुनिया उसी की बनाई हुई हैं। तब ही हम मर्दों के लिए एक अच्छी और सफल यौन कर्मी हो सकती हैं, जब हम उनकी गालियों को सहन करते हुए मुस्कुराते रहें और ओने ग्राहकों को खुश कर सकें, तभी इस काम में सफल हो सकती हैं, अपने ऊपर हुए अत्याचार शोषण का विरोध करना ही इस काम की सबसे बड़ी कमजोरी है।"[313]

अर्थात महिलाओं एवं पुरुषों के निजी व्यक्तित्व मैथुन संबंधी अस्मिता को बदली जाने की बात पर जोर डालने में कुछ भी परिवर्तनवादी नहीं है बल्कि यह लैंगिक व्यक्तित्व को पुरुषों के अपनत्व के अनुभव के आधार सभी के लिए एक जैसे रूप में सीमित कर देता है।[314] इसी संदर्भ में मेरठ के कोठे आधारित वेश्यालय की सेवा से खारिज हुई 46 वर्षीय मेरठ के स्लम्स क्षेत्र में रहने वाली राजबाला बताती हैं कि -

"साहब जैसे - जैसे हमारी आयु महिला यौन कार्य के काम में बढती है, वैसे वैसे ही हमारी मांग कम होने लगती हैं। हमारे नियमित ग्राहक जिनके विषय में हम सोचते हैं कि यह हमको छोड़कर कभी किसी और यौन कर्मी के साथ नहीं जायेंगे वह हमको छोड़कर किसी और नयी उम्र की लड़की के साथ बैठना शुरू कर देते हैं। अब उनको हम कितना भी सम्मान दें या प्यार करें उनको कुछ नहीं भाता है, हाँ कभी नियमित ग्राहक होने के नाते हम पर तरस खाकर पर हमको कुछ रूपये दे जाते हैं लेकिन वह भी बहुत कम होता हैं। हर ग्राहक को नयी, सुन्दर और उनके साथ खुलकर मनमानी करने देने वाली लड़की पसंद आती हैं। हमारी उम्र जब 30 को पार करने लगती है तो हमारी यौन बहुत ढीली हो जाती है, उस समय हमारे पास गुदा मैथुन या मुख मैथुन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता

---

313 बब्बल रानी 48 वर्षीय महिला जो कि अब कबाड़ी बाजार के कोठों से बाहर हो चुकी है और मेरठ के स्लम्स क्षेत्र में गुमनामी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है, का अपने यौन श्रम के अनुभब के अनुसार कहना है कि यह दुनियां पुरुषों ने बनाई है और पुरुषों ने ही इस दुनिया में अपनी जरूरतों के लिए महिलाओं को यौन कर्मी बनाया है और अब पुरुष ही नहीं चाहते कि हमको समाज में सम्मान मिले इसलिए हमारा जीवन नर्क के समान है ।

314 Shrage, Laurie. "Should Feminists Oppose Prostitution?" *Ethics*, Volume 99, Number 2, January 1989, p: 351-53. Awailable at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2381438.pdf?refreqid=excelsior%3Ac4ffc0fbaaed3479dd3c1baa93b471b7, accessed on 16th March 2017.

है, लेकिन ऐसा करने से हमको बीमारी और संक्रमण बहुत जल्दी लगता है और फिर हम सिर्फ अपना इलाज ही कराते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं।"[315]

इसलिए कहा जा सकता है कि महिला यौन कार्य में शरीर और व्यक्तित्व के बीच संबंध को पूरी तरह से मिथक मानना जिसको कि असानी एवं जल्दी से अस्वीकारा जाता है वह बहुत बार गलत सावित होता हैं।

महिला यौन कर्मी के बीच HIV/AIDS का प्रसार

इसी के साथ समय समय पर महिला यौन कार्य की विभिन्नताओं जैसे कि समाजशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय, व्यावसायिक, नैतिक, महिला यौन कार्य का समाज में विस्तार और इसके प्रतिकूल प्रभाव, यौन कार्य और अश्लील (porn) क्षेत्र के बीच संबंध, यौन कार्य की प्रकृति को समझना, महिला यौन कार्य का पैटर्न और इसके प्रति समाज में रुझान, महिला यौन-कर्मियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और इनकी जीवन शैली, महिला यौन-कर्मियों की सामाजिक समस्याएं और इनके बच्चों के संवर्धन की प्रक्रिया, महिला यौन कार्य के मुख्य कारण, समाज में महिला यौन-कर्मियों और यौन कार्य के सामाजिक लक्षण, महिला यौन कार्य और वेश्यालय आधारित महिला यौन-कर्मियों के संगठनों के साथ इनके संबंध, यौन कार्य प्रबंधन, दलाल और महिला यौन-कर्मियों की समस्याओं जैसे पहलुओं समझने के लिए बहुत से अध्ययन हुए हैं,किन्तु 1980 के दशक में जब HIV/AIDS (Human Immunodeficiency virus/Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome) जैसे विषाणु (virus) की पहचान हुई और इसका संक्रमण समाज में व्यक्तियों पर बड़ा तब चिकित्सीय परीक्षा से यह सामने आया की यह एक संक्रमण हैं। इस संक्रमण से यदि कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए तो वह अपने शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि HIV- संक्रमित व्यक्ति किसी भी बिमारी जैसे - दस्त, क्षय रोग, निमोनिया, मुहं के छाले, बुखार... आदि से ग्रस्त हो जाता है, और उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती हैं। HIV- संक्रमित व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है की उसके शरीर पर दवाइयों का असर भी समाप्त हो जाता हैं। HIV- संक्रमित व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है की एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती हैं।

---

[315] मेरठ के स्लम्स क्षेत्र में रहने वाली 46 वर्षीय राजबाला बताती है कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारी मांग बाजार में कम हो जाती है । यदि हम हमेशा जवान रहें तो यह संभव है कि हमारी मांग बाजार में कभी भी कम ना हो किन्तु यह संभव नहीं है ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानों से यह तथ्य सामे आये की HIV- संक्रमण मुख्य रूप से चार कारणों से फैलता है, जिनमें एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के साथ असुरक्षित यौन संबंधों (समलैंगिक & इतरलैंगिक) को सबसे मुख्य कारण माना जाता है अर्थात HIV/AIDS एक STD (Sexual Transfer Diseases) भी है, इसलिए सभी प्रकार के यौन-कर्मियों को जो की एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाते हैं को ही सबसे अधिल जिम्मेदार माना गया हैं। यही तथ्य सभी Government Reports, NGOs Reports व बहुत सारे अध्ययनों से यह सामने आया है की यौन कर्मी ही HIV- संक्रमण फैलाने के लिए हर जगह सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। HIV- की पहचान के बाद भारत में भी NACO (National AIDS Control Organisation), UNAIDS व लगभग सभी राज्यों में भी HIV- संक्रमण की रोकथाम करने के लिए State AIDS Control Societies की स्थापना की गयी।

इसी के साथ बहुत से NGOs, UNAIDS, NACO, ILO, सामाजिक अनुसन्धान कर्ताओं और चिकित्सकीय वैज्ञानिकों ने महिला यौन-कर्मियों और HIV/AIDS के मुद्दों को समझने के लिए विभिन्न पहलुओं से अध्ययन किये गए। इस समय के दौर में महिला यौन-कर्मियों और HIV/AIDS के मुद्दों को समझने के लिए ना सिर्फ सरकारी और NGOs की रिपोर्ट्स और अध्ययन ही सामने आये बल्कि बहुत सी अकादमी आँकड़े, अनुसन्धान, किताबे और लेख भी लिखे गए जिनमें कि Thomas,[316] Rao Nag (et all),[317] Sharma[318] Nag[319] Ramamurthy,[320] Kakar and Kakar[321]

---

[316] Thomas, Gracious. *AIDS in India*. New Delhi: Rawat Publications, 1994 & Thomas Gracious. *HIV Education and Prevention: Looking Beyond the Present,* Delhi: Shipra Publications, 2001 & Thomas, Gracious. *AIDS and Family Education,* Jaipur and New Delhi: Rawat Publications, 1995.

[317] Rao, Asha, Moni Nag (et all). “Sexual Behaviour Pattern of Truck Drivers and their Helpers in Relation to Female Sex Workers”. *Indian Journal of Social Work*, LV(4), 1994. Available at: http://ijsw.tiss.edu/greenstone/collect/ijsw/archives/HASHd8d2/0cbe7a9d.dir/doc.pdf, accessed on 08th February 2018.

[318] Sharma, Savita. *AIDS A Threat to Human Race*, New Delhi: Commonwealth Publishers, 1998 & Sharma, Savita. *AIDS and Sexual Behaviour*. New Delhi: A. P. H. Publishing Corporation, 1996.

Israni[322] Patton[323] Panda, Chatterjee (et all),[324] Singh,[325] Verma, Pelto (et all),[326] Narain,[327] Ramasubban and Rishyasringa,[328] Shukla[329], (2007) और Thappa, Singh (et. all)[330]... आदि इस बात का दावा करते हैं कि -

---

[319] Nag Moni. *Sexual Behaviour and AIDS in India,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1996.

[320] Ramamurthy V. *Guidance and Counselling of HIV/AIDS*, Delhi: Authors Press, 2004 & Ramamurthy, V. *AIDS and the Human Survival*, Delhi: Authors Press, 2000 & Ramamurthy, V. *Global Patterns of HIV/AIDS Transmission*. New Delhi: Authors Press, 2000.

[321] Kakar, D. N. and S.N. Kakar. *Combating AIDS in the 21st Century: Issues and Challenges*, New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd, 2001.

[322] Israni, A. S. *HIV/AIDS and STD An Information Manual*, New Delhi: Commonwealth Publishers, 2001.

[323] Patton ,Cindy. *Globalizing AIDS.* New York: University of Minnesota Press, 2002.

[324] Panda, S.A. Chatterjee and A.S. Abdual-Quader. *Living With the AIDS Virus-The Epidemic and The Response in India*. New Delhi: Sage Publication, 2003.

[325] Singh, P. K. *Brothel Prostitution in India*, Jaipur: University Book House Pvt Ltd, 2004.

[326] Verma K. Ravi, Pertti J. Pelto (et all). *Sexuality in the time of AIDS*, New Delhi: Sage Publication, 2004.

[327] Narain, J. P. *AIDS in Asia: the Challenge Ahead*, New Delhi: Sage Publications, 2004.

[328] Ramasubban Radhika and Bhanwas Rishyasringa. *AIDS and Civil Society.* New Delhi: Rawat Publication, 2005.

[329] Shukla, Rakesh. “Women with Multiple Sex Partners in Commercial Context”. *Economic and Political Weekly*, Volume - 42, No. 1, January. 06 - January 12, 2007, pp: 18 - 21. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4419103.pdf?refreqid=search%3A07fcdbcfecc4c2e9489bd3220fded20e, accessed on 12th March 2017.

[330] Thappa, D. Mohan, N.Singh(et. all). “Prostitution in India and its role in the spread of HIV infection”. *Indian Journal of Sexually Transmitted Diseases*, Voume - 28, No. 2,

“Information from persons testing positive for HIV at the Integrated Counseling and Testing Centres across the country during 2009-2010 shows that 87.1 percent of HIV infections are still occurring through heterosexual routes of transmission. While parent to child transmission accounts for 5.4 percent of HIV cases detected, injecting drug use (1.6%), Men who have Sex with Men (1.5%) and contaminated blood and blood products account for one percent.”[331] और “Commercial sex workers play an important role, especially in the early stages of the epidemic, in every country.”[332]

इसी प्रकार इन सभी अध्ययनों से यह तथ्यात्मक रूप से यह निष्कर्ष सामने आया दुनियां में HIV/AIDS फैलाने का मुख्य कारण व्यावसायिक यौन कर्मी हैं। अभी तक के अध्ययनों से यह भी सामने आया कि कंडोम ही मात्र ऐसा उपाय है जिसके साथ यौन संबंध बनाने से HIV- संक्रमण से बहुत हद तक बचा जा सकता हैं। अभी तक समाज में HIV- संक्रमित हुए व्यक्तियों को समाज में लांक्षित माना जाता है और उनके साथ बहुत से सथानों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार समाज के द्वारा किया जाता हैं। इस सभी प्रक्रिया का निष्कर्ष या निकला कि समाज में HIV-संक्रमण को रोकने के लिये जागरूकता लानी चाहिए और समाज में अधिक से अधिक कंडोम का प्रसार करना चाहिए। ताकि HIV/AIDS के विस्तारव पर नियंत्रण पाया जा सकें। दशक 1980 के बाद लगभग अभी तक यौन-कर्मियों और महिला यौन-कर्मियों की दैनिक मूल समस्याओं से हटकर इनको HIV- संक्रमण के लिए जिम्मेदार मानते हुए इस दौर में यौन कार्य को अधिकतर HIV/AIDS के साथ जोड़कर विश्लेषण किया गया।

इसलिए भारत में महिला यौन कर्मी तथा इनसे समाज में फैलने वाले जानलेवा संक्रमण को कम करने हेतु कुछ प्रस्तावों को बनाया गया जैसे - यौन रोग विशेषज्ञ Dr. Gilada

---

July -Ddecember 2007. Available at: http://medind.nic.in/ibo/t07/i2/ibot07i2p69.pdf, accessed on 18th July 2017.

331 NACO. *Annual Report 2009-10*, New Delhi: Department of AIDS Control, Ministry of Health&Family Welfare Government of India, 2010, pp: 4-5

332 Singhal Arvind and Everett M. Rogers. *Combating AIDS Communication Strategies in Action*. New Delhi: Sage Publication, 2003, p: 72.

के नेतृत्व वाली The South India AIDS Action Programme (SAJJP), Chennai और The Indian Health Organization (IHO), Mumbai ने HIV से बचाव करने वाले Non Government Organizations (NGOs) का प्रतिनिधित्व किया। SAJJP जैसे समूह महिला यौन कर्मी, महिलाओं के साथ-साथ कुछ अन्य High Risk-groups (HRG), जैसे ट्रक-चालकों, नशे का अधिक सेवन करने वालों, तथा अन्य मिश्रित समूहों को अपने HIV-संक्रमण से बचाव अभियान का केन्द्र मानकर काम करती है, किन्तु यह प्रक्रिया खुद अपने आप में एक विवादास्पद प्रक्रिया रही है।[333] इन समुदायों में आकर, यह HIV-संक्रमण बचाव समूह अपनी रणनीतिक रूप से HIV-संक्रमण को एक स्वास्थ्य के मुद्दे की तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन इन समुदायों को द्वारा महिला यौन कर्मी, महिलाओं की तात्कालिक समस्याओं को दूर करने के प्रयास में एकत्रित किया जा सकता था, किन्तु इसके बजाय विशेष रूप से HIV-संक्रमण से बचाव पर ही यह समुदाय अपना ध्यान केंद्रित करतें हैं।[334] निश्चित रूप से इन बचाव समूहों की अपनी रणनीतिक रूप से भारत भर में चल रहे HIV-संक्रमण से व्यक्तियों के बचाव की जरूरत को कम आंकना नहीं हो सकता हैं।

महिला यौन कार्य के सुधार हेतु हाल के प्रस्तावों में जनवरी 1994 में संपन्न conference on women and the law की कार्यवाही इससे संबंधित उद्देश्यों को स्पष्ट करती हैं। सन् 1992 में महिला एवं शिशु कल्याण मंत्रालय ने the national law school of India university Bangalore (NLSIU) को महिला यौन कार्य से संबंधित कानूनी प्रस्तावों को तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था।[335] NLSIU ने

---

[333] Ibid

[334] D'Cunha Jean. *The Legalization of Prostitution: A Sociological Inquiry into the Laws Relating to Prostitution in India and the West*, Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1991, Site by Prabha Kotiswaran: Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and The Law, *Boston College Third World Law Journal,* Volume - 21, Issue - 2, Article - 1, p: 171. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th june 2016.

p: 184.

[335] Government of India: The Prevention of Immoral Traffic and the Rehabilitation of Prostituted Persons Bill, 1993, Site by Prabha Kotiswaran: Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and The Law, *Boston College Third World Law*

कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ और चेन्नई के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित कार्य दल के साथ मिलकर इन प्रस्तावों को तैयार किया। कार्य दल के द्वारा सरकार को इन प्रस्तावों को सौंपने से पहले, जनवरी 1994 में NLSIU ने इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए एक बैठक आयोजित की जो कि यही बैठक बाद में चलकर conference on women and the law के नाम से जानी गयी।

बैंगलोर में इस प्रयास में सहायता कर रहा NLSIU से विधि छात्रों और प्राध्यापकों से बने हुए समूह का निष्कर्ष और प्रस्ताव कुछ अलग रूप के साथ आया। संस्थानिक प्रयास से परे (उसी law sehool) में विधि छात्रों के अन्य समूह ने south asian law schools की एक प्रतिस्पर्धा के लिए वेश्यावृत्ति को एक काम की तरह देखते हुए महिला यौन कार्य से संबंधित मुद्दों पर काम करने का निर्णय लिया। इस मुकाबले में प्रतिभागियों को श्रम, श्रमिक और श्रम के अधिकार से संबंधित विषयों पर अठारह महीने के भीतर एक विधि सुधार प्रस्ताव तैयार करना था।[336] इस प्रकार, एक ही समय में NLSIU के भीतर महिला यौन कार्य के मुद्दे पर तीन अलग-अलग प्रयास किए जा रहे थे। परन्तु conference on women and the law में सिर्फ संस्थान के प्रस्तावों पर ही चर्चा हुई।[337]

सम्मेलन में मुम्बई के St. Xavier’s college के एक समाजशास्त्र के प्रध्यापक D’Cunha और मुख्य रूप से महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के क्षेत्र में काम करने वाली बैंगलोर के एक नारीवादी NGOs Vimochana की Donna Fernandes ने एक

Journal, Volume - 21, Issue - 2, Article - 1, p: 171. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th june 2016.

336 National Law School of India. University, Much Heat, Not Enough Light-Our Expedences with Sex Workers in Karnataka, *Memorandum from the, to the Second All-India Community-Based Law Reform Competition,* 1993, pp: 101-28.

337 Kapur Ratana and Brenda Cossman. “Feminist Engagements with the Law in India”, In Mala Khullar (ed.). *Writing the Women’s Movement A Reader,* New Delhi: Kali for Women, 2005, review by S. P. Sathe, Economic and Political Weekly, Volume - 31, No. - 41/42, October 12-19, 1996, pp: 2804 - 2805. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4404681.pdf?refreqid=excelsior%3A3d47644a72782881b81f27f722cf566f, accessed on 20th May 2017.

नारीवादी दृष्टिकोण रखा।[338] सम्मेलन में, D'Cunha महिला यौन कार्य के कानूनी रूप से वैध मान्यता मिलने से अपनी असहमति को बार-बार दुहराते हुए सिर्फ महिला यौन-कर्मियों के चाल-चलन को ही कानूनी मान्यता देने की बात कही कि जिसमें उन्होंने बहुत से देशों में यौन कार्य के कैसे रूप हैं इस बात की दलील भी दी, जैसे की उन्होंने ग्राहकों को सजा देने और तरस्करी से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करने का प्रस्ताव सम्मेलन के समक्ष रखा। कानूनी सुधार प्रतियोगिता में शामिल रहे विधि छात्रों के समूह ने एक अन्य नारीवादी दृष्टिकोण सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि महिला यौन कार्य के गैर-अपराधीकरण और वैधीकरण का समर्थन करता हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया में यौनिक गुलामी पर बहुत सारे नारीवादी सम्मेलनों में सिरकत करने वाली Donna Fernandes ने बार-बार दुहराते हुए कहा है, कि महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला महिला यौन कार्य यौनिक गुलामी को जन्म देता हैं।

जनवरी 1994 विचार-विमर्श सभा में प्रस्तुत किए गए सभी कानूनी प्रस्ताव कुछ हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते थे, किन्तु अपने मौलिक दर्शन और अपने सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की वजह से वह एक दूसरे से बहुत भिन्नता रखते थे। उनमें से शामिल कुछ प्रस्तावों को निम्नलिखित स्वरुप के साथ समझने का प्रयास किया गया हैं, जैसे - अनैतिक यातायात निवारण और वेश्याओं के पुनर्वास हेतु विधेयक- 1993 के प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की अनैतिक तस्करी पर प्रतिबंध लगाना, एक क्षतिपूरक योजना के तहत महिलाओं और बच्चों का यौनिक शोषण एवं उनके उत्पीड़न पर प्रतिबंधित लगाना। जिसके माध्यम से वह वेश्यालयों के कोठे-मालिकों, दलालों और ग्राहकों के खिलाफ सामान्य रूप से न्यायायिक रास्ता अपना सकें तथा महिला यौन-कर्मियों को यौनिक उत्पीड़न से उत्पन्न दावों के लिए, जानबूझकर रोगों के संचरण के लिए एवं सुरक्षित यौन-क्रिया के तरीकों को अपनाने से इनकार करने वालों के खिलाफ विशेष हर्जाने की माँग कर सकें। इसके बाद अन्य मुख्य उद्देश्य सामुदायिक पुनर्वास, रोजगार परक प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य योजनाओं के विषयों पर केन्द्रित है, जिसमें कि महिला यौन कर्मी महिलाओं के अनिवार्य परीक्षण भी शामिल

---

[338] D'Cunha Jean. *The Legalization of Prostitution: A Sociological Inquiry into the Laws Relating to Prostitution in India and the West*, Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1991, pp: 3-8.

है, जिसके तहत महिला यौन कार्य में शामिल महलाओं की समस्याओं को कम करना है।[339]

इस प्रकार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य महिला यौन कार्य में व्याप्त शोषण को कम करते हुए महिलाओं को महिला यौन कार्य में जबरन धकेले जाने से रोकना हैं। इसी के साथ में, यह उन सब महिलाओं लिए भी जो कि महिला यौन कर्मी की तरह काम करना नहीं चाहतीं हैं, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता हैं। इसके अलावा, इन प्रावधानों को लागू करने के लिए यह विशेष जाँच एवं विवाद समाधान तंत्र की परिकल्पना भी करता हैं। पुनर्वास, HIV-संक्रमण से रोकथाम अभियानों और महिला यौन कर्मी, महिलाओं के बच्चों के शैक्षिक एवं चिकित्सकीय जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह एक कल्याण कोष बनाने का प्रस्ताब भी रखता है। किन्तु मेरठ शहर के लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय आधारित यौन-कर्मियों तथा यहाँ से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन कर्मी जो कि अभी छिपे हुए रूप से यौन कार्य कर रही हैं के लिए इस तरह के कोई प्रावधान व्यवहार में देखने को नहीं मिलते हैं, और ना ही यहाँ की महिला यौन कर्मी कोई भी कानूनी रास्ता अपना पाती हैं बल्कि यह तो कानून से बहुत अधिक डरती हैं कि हम कहीं पुलिस के झगड़े में ना फंस जाएँ, इसलिए यह अपने हक़ के लिए कोई भी संघर्ष नहीं करती हैं और समाज में शोषण सहती रहती हैं ।

इसी के साथ जब इस बिल का गहनता से विश्लेषण करते हैं तो इस बिल का दृष्टिकोण कुछ भ्रमित करने वाला प्रतीत होता है, जैसे कि यह बिल महिला यौन कार्य में गैर-अपराधिकरण और सहनशीलता दोनों को शामिल करना चाहता हैं। हालांकि इस बिल के लिए इन दोनों में से किसी एक को भी समाज में पूरी तरह से प्राप्त कर पाना आशंकाओं से भरा हैं। महिला यौन कार्य के वैधीकरण के संबंध में, यह बिल महिला यौन-कर्मियों को बहला फुसला कर यौन कार्य में शामिल करना और वेश्यालयों के रखरखाव पर लगाये जाने वाले जुर्मानों को खत्म करता हैं। परन्तु, साथ ही, महिलाओं के खिलाफ जबरदस्ती, धोखेबाजी एवं लापरवाही या उपेक्षा से निपटने के लिए यह आम दंड कानूनों जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 पर विश्वास करने के बजाय यह मानव

[339] Government of India: The Prevention of Immoral Traffic and the Rehabilitation of Prostituted Persons Bill, 1993.

तस्करी एवं जबरन महिला यौन कार्य पर नये जुर्माने पर लगाता हैं। नये अपराधों को बनाकर, यह बिल महिला यौन कार्य के वैधीकरण की किसी भी गंभीर प्रतिबद्धता को व्यर्थ साबित करता हैं। वहीं दूसरी तरफ, बिल अपने उदारतावादी नजरिए में भी महिला यौन-कर्मियों के लिए पुनर्वास का एक असफल रास्ता अपनाता हैं। इसके अलावा, महिला के शरीरों पर राज्य नियंत्रण को अपनाते हुए यह बिल संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता हैं।

अत: यह माना जा सकता है कि यह बिल सभी पक्षों को असन्तुष्ट करता है, किन्तु यह बिल उन्मूलनवादीयों की तरह महिला यौन कार्य का पूर्णरूप निषेध अथवा इस पर पूर्णरूप से रोक लगाने की बात नहीं करता हैं। महिला यौन कार्य के वैधीकरण की मांग रखने वालों के लिए यह बिल महिला यौन कार्य के सभी पहलुओं को कानूनन वैध नहीं घोषित करता हैं। इसी के साथ आखिर में, वैधीकरण की मांग रखने वालों के लिए, यह बिल महिला यौन कार्य के अन्य पहलुओं पर नियंत्रण के तरीकों की भी कोई चर्चा नहीं करता हैं। इस प्रकार इस बात की बहुत कम आशा है की जा सकती है, कि प्रस्तावित बिल इन सभी समूहों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। खुद महिला यौन कर्मी महिलाएं इस बिल द्वारा अनिवार्य HIV-संक्रमण जाँच को अपने अधिकारों का उल्लंघन मानती हैं।

किन्तु जब मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र और यहाँ से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन-कर्मियों का अध्ययन करते हैं तो तथ्यात्मक रूप से यह सामने आता है कि यह प्रस्ताव भारतीय सन्दर्भ में अधिक विकसित नहीं हो पाया हैं। यह प्रस्ताव महिला यौन कार्य को एक वैधानिक काम के रूप को फिर से अवधारणात्मक रूप प्रदान करता है, तथा अनुपालन कानूनों की प्रकृति में हस्तक्षेप की बात करता हैं। इस बिल की मुख्य विशेषताएँ यह हैं, कि कोठा-मालिकों एवं ग्राहकों पर लागू होने वाले काम की सुरक्षित परिस्थितियों का अधिकार और सुरक्षित हालातों में काम करने का अधिकार, इनको मिलना चाहिए। सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई के कारण महिला यौन-कर्मियों के पास यौन क्रियाओं में भाग लेने से इंकार करने का अधिकार होना चाहिए। चिकित्सा सहायता का अधिकार, गर्भावस्था के दौरान यौन क्रियाओं को इंकार करने का अधिकार तथा प्रसव एवं उसके तीन माह बाद होने वाले सारे चिकित्सा खर्चो को वापस पाने का अधिकार भी महिला यौन-कर्मियों को मिले। इस अधिनियम के तहत महिला यौन कर्मी महिलाओं

के अधिकारों का उल्लंघन होने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नुकसान का दावा करने का अधिकार जो कि कोठे-मालिकों एवं ग्राहकों के खिलाफ लागू किया जाएगा।

इसी के साथ Consumer Protection Act (CPA)1986[340] के तहत उपभोक्ता निवारण अदालत की तर्ज पर एक लागू करने वाली पद्धति की परिकल्पना करता हैं। इसके अलावा यह महिला यौन कार्य को छोड़ने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के पुनर्वास एवं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कल्याण निधि, भी प्रदान करता हैं। अन्त में, यह बिल महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी पर रोक लगाता हैं। किन्तु मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में कार्यरत महिला यौन-कर्मियों और यहाँ से सेवानिवृत्त हुई महिलाओं को इससे संबंधित कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यह महिलाएं हमेशा इन अधिकारों से वंचित पाई जाती हैं।

इसी के साथ भारत में The Sex Worker Legalization for Empowerment Bill (SWLEB) 1993, ITPA के पूर्ण निरसन अथवा इसको संपूर्ण तरीके से हटाये जाने का प्रस्ताव रखता हैं। ITPA के स्थान पर यह एक अन्य वैधानिक तरीके का प्रस्ताव रखता है, जिसके अनुसार खरीद, तस्करी, बाल वेश्यावृत्ति, अपहरण एवं जबरन महिला यौन कार्य सभी कामों को भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उसी के अनुसार अपराधी को सजा दी जाएगी।[341] परन्तु, यह बिल सरकार द्वारा नियमित वैध महिला यौन कार्य योजना को नहीं अपनाता है, क्योंकि इस योजना का मार्गदर्शी सिद्धान्त महिला यौन कर्मी महिलाओं के कल्याण की बात नहीं करता हैं।

---

[340] Das, *B.K.* and S.S. Rao. *Consumer Protection Act, 1986, Act No. 68 of 1986: The Most Analytical, Critical, Exhaustive, and Updated Commentary,* Allahabad: Sodhi Publication,1998, pp: 321-26. Site by Prabha Kotiswaran, Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and Law, *Boston College Third World Law Journal*, Volume - 21, Issue - 2, p: 190. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj accessed on 12th march 2017.

[341] Indian Penal Code 1860, in Prabha Kotiswaran, Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and Law, *Boston College Third World Law Journal*, Volume - 21, Issue - 2, pp: 190-91 Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj accessed on 12th march 2017.

यह बिल मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित है, किस्में कि बिल का प्रथम भाग यौन सेवाओं को वैध घोषित करता है, तथा यह भी स्पष्ट करता है कि इसकी व्याख्या अन्य कानून के प्रावधानों को हटाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यौन सेवाओं को प्रदान करने का अनुबंध Indian Contract Act (ICA) 1872 के अनुच्छेद - 23 जो कि इन अनुबंधनों को आम नीतियों के खिलाफ खारिज करता है, का उल्लंघन नहीं करेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्य के नियम लागू करने वाली प्रक्रिया जैसे पुलिस और न्यायतंत्र को इस कानून की व्याख्या एवं लागू करने को इस प्रकार सुनिश्चित करना है, जो कि इस कानून की भावना को खत्म नहीं करेगा। बिल का यह भी कहना है, कि यौन कार्य काम के अधिकार का एक वैध अभ्यास है, तथा काम के अधिकार को मांगने के अधिकार के साथ शामिल करना चाहिए। बिल इस अधिकार की रक्षा के लिए महिला यौन-कर्मियों के अधिकारों पर लगने वाले प्रतिबंधों को एक आम प्रकृति के प्रतिबंध तक सीमित करता है जिससे की महिला यौन-कर्मियों पर विशेष रूप वे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं।

बिल का दूसरा भाग गैर-भेदभाव उपायों की एक श्रृंखला पेश करता है।[342] उदाहरण के तौर पर, जो कोई भी महिला यौन कर्मी महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के अधिकार को किसी भी तरीके से रोकता है, उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुच्छेद 503 के तहत आपराधिक धमकी का दोषी करार दिया जाएगा। उसी प्रकार, एक महिला यौन कर्मी महिला को उसके यौन कर्मी होने की वजह से उसको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है; किसी भी तरीके का जबरन चिकित्सा जाँच या इलाज के लिए किसी भी महिला यौन कर्मी को अन्य अस्पताल में जबरन रखा या हटाया नहीं जा सकता है; महिला यौन-कर्मियों के प्रति किसी भी अस्पताल की पहुँच से इंकार नहीं किया जा सकता है और ना ही इन महिला यौन-कर्मियों के यौन कार्य में शामिल होने की वजह से इनके उपचार में अंतर लाया जा सकता है और ना ही इनके उपचार के दौरान इनके साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जा सकता है तथा इसी के साथ ही किसी महिला यौन कर्मी को एक यौन कर्मी होने की वजह से अपने बच्चों को अपने पास रखने के अधिकार से इंकार किया जा सकता हैं। किन्तु मेरठ में कार्यरत यौन श्रमिकों ने अपना अनुभब साझा करते हुए बताया कि यौन संक्रमण जाँच की जबदस्ती यहाँ के मनोरंजन अधिकारी और टीआई के अधिकारियों के द्वारा की जाती

[342] Ibid

है। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ कोई भी विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं। जो यौन कर्मी यहाँ से सेवानिवृत्त होकर स्लम्स में रहती हैं उनका जीवन और भी अधिक जीवन की मूलभूत आवयश्कतों के अभावों में व्यतीत हो रहा हैं।

बिल का तीसरा भाग महिला यौन कर्मी महिलाओं को यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित विस्तृत प्रावधानों और इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नागरिक दायित्व एवं आपराधिक प्रतिबंधों से संबंधित है।[343] इसके साथ, यह महिला यौन कर्मी महिलाओं द्वारा प्रदान की गई यौन सेवाओं के लिए न्यूनतम रकम निर्धारन करने का भी आदेश देता है।[344] यह बिल, सरकार, निजी व्यक्तियों, निजी संस्थानों एवं महिला यौन कर्मी महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित एक कल्याण कोष की परिकल्पना भी करता है, तथा इस विधेयक के अन्तर्गत जुर्मानों का एक हिस्सा इस कोष को दिये जाने की बात करता हैं। इस बिल के तहत प्राप्त विभिन्न महिला यौन कर्मी महिलाओं के समूहों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर राज्य महिला आयोग इस जमा कोश का संचालन करेगी। इस जमा कोश का उपयोग महिला यौन कर्मी अपनी मृत्यु, बुढ़ापा और खराब-स्वास्थ्य, जिसमें कि HIV- संक्रमण भी शामिल है, में होने वाले चिकित्सा खर्चों और पेंशन के लिए किया जाएगा।

यह विधेयक महिला यौन-कर्मियों के समूह निर्माण के लिए अलग से दिशा निर्देश भी सुझाता हैं। इस प्रकार, इस वैधानिक ढांचे के तहत समूहों का निर्माण अनिवार्य नहीं है, किन्तु इस तरह के समूहों के निर्माण में रूचि रखने वाली महिला यौन-कर्मियों के पास यह विकल्प उपलब्ध हैं। बिल का यह भी सुझाव है, कि ये सारे समूह खुद अपने काम करने के तरीकों को निर्धारित करें, जैसे हर महिला के ग्राहकों की अधिकतम संख्या का निर्धारण करना और एक महिला यौन कर्मी महिला को उसके काम के लिए न्यूनतम पारिश्रामिक का निर्धारण भी शामिल हैं। यह विधेयक इन समूहों को अपना जमा कोश

---

[343] Government of India. *India Country Report: To Prevent and Combat Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children and Women, World Congress III: Against Sexual Exploitation of Children and Adolescents (Rio de Janeiro, Brazil, November 2008)*, Ministry of Women and Child Development & United Nations Office on Drugs and Crime, New Delhi, 2008, pp: 1 - 3. Available at: https://www.unodc.org/pdf/india/publications/India%20Country%20Report.pdf, accessed on 12th July 2014.

[344] Ibid: 105-106

रखने की अनुमति देता है, जिसमें महिलाएं अपनी कमाई से योगदान देती हैं। इस जमा कोश का उपयोग महिला यौन कर्मीयों के द्वारा अपने बच्चों के लिए नर्सरी खोलने, रोग निरोधकों को खरीदने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अथवा अपनी जरूरत के अनुसार अन्य कामों के लिए किया जा सकता हैं। इस प्रकार यह विधेयक न्यायपालिका और कार्यपालिका के लिए इस कानून को लागू करने हेतु दिशा निर्देशों की व्याख्या करता है।[345] किन्तु कबाड़ी बाजार मेरठ के वैश्यालय आधारित कोठों पर काम करने वाली महिला यौन कर्मी तथा यहाँ से सेवानिवृत्त होकर शहर के विभिन्न स्लम्स स्थानों पर रह रही महिला यौन-कर्मियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि -

> "हमारे इनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए कोई भी सरकारी इंतजाम नहीं हैं, यहाँ पर मात्र HIV-संक्रमण और यौन संक्रमण जाँच की सुविधा यहाँ के मनोरंजन अधिकारी और टीआई के अधिकारियों के द्वारा दी जाती हैं। जब यह महिला यौन कर्मी अपनी HIV- जाँच करने के लिए ICTC सेंटर जाती हैं तब जाँच करता इन यौन कर्मी महिलाओं को ऐसे देखता है जैसे कि वह कोई इंसान नहीं हैं वल्कि समाज के माथे पर कलंक है, इतना ही नहीं वह इस अंदाज में इन महिलाओं से बात करता है कि जैसे क्या बिना कंडोम के संबंध बनाये थे, कितनी बार बनाए थे, क्या बिना कंडोम के ज्यादा मजा आया था ? इस तरह के सवाल जो कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी से बाहर के सवाल हैं जो कि महिला यौन-कर्मियों से ICTC सेंटर पर पूछे जाते हैं, इतना ही नहीं बहुत बार तो यह पुरुषा CTC काउंसलर ही हमसे सेवा प्राप्त करते हैं और हमारे ग्राहक भी बन जाते हैं। हम महिला यौन-कर्मियों के श्रम की कीमत इनकी मालकिन अथवा दल्लन तय करती है, जिसका आधार हमारे शरीर की संरचाना रंग, रूप, बात करने का लहजा, और ग्राहक को देने वाली सर्विस आदि होता है।"[346]

इसी के साथ भारतीय सरकार के तीनों में से किसी भी प्रस्ताव पर कोई भी तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया है, परन्तु 1996 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मुद्दे की ओर अपनी रूचि दिखाना शुरू किया, और आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में NGOs को एवं अन्य राज्यों में राज्य महिला आयोगों को अध्ययन का जिम्मा सौंपा। इसके साथ ही साथ, मई 1996 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, बाल महिला यौन कार्य की

---

[345] Ibid: 125-127

[346] रानी, कविता सुनीता, अनीता, बबिता, हेमा, काजल, उषा, पुष्प, कंचन... आदि जो कि मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन कर्मी तथा नीलम, सोनिया, कविता, बबिता जो कि स्लम्स क्षेत्रों में यौन कार्य कर रही हैं, के द्वारा बताया गया कि हमारे साथ अस्पतालों में जब हम HIV-संक्रमण की जाँच के लिए जाते हैं तब वहां पर कार्यरत व्यक्तियों के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिस कारण हम HIV-संक्रमण की जाँच करवाने से कतराते हैं ।

समाप्ति के लिए, महिला यौन कार्य नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए, कोठे-मालिकों और मानव तस्करों को सजा देने के लिए तथा इन सब कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए लगे माध्यमों से समन्वय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय निकाय के निर्माण के लिए एक बैठक का आयोजन किया।[347] अप्रैल 1997 में National Women Commission (NCW), ने The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) के संगत मित्र राष्ट्रों को सीमाओं पर होने वाले महिला यौन कर्मी महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए विशेष कानून बनाने के लिए आमंत्रित किया।[348] 1998 में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में महिला एवं बाल मंत्रालय ने NCW की सहायता से SAARC मित्र राष्ट्रों की सीमाओं पर होने वाली महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए पहला प्रारूप तैयार किया। इस सम्मेलन में बहुपक्षीय व्यवस्था जैसे, कि सीमाओं के चारो तरफ संयुक्त सतर्कता ब्यूरों का निर्माण, कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करना, विशेष तस्करी अधिकारियों, प्रवर्तन एवं हिरासत अधिकारियों की नियुक्ति। इस व्यवस्था में शामिल लोगों को महिला यौन कार्य के प्रति और इसकी समस्याओं की तरफ संवदेनशील बनाना। इसी के साथ देश के सर्वोच्च जाँच एजेंसी जैसे, कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को अंतराज्यीय, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी को संभालने की अनुमति देने की परिकल्पना की गई।[349]

---

[347] Prabha Kotiswaran, Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and Law, *Boston College Third World Law Journal*, Volume - 21, Issue - 2, pp: 193-94 Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj accessed on 12th march 2017.

[348] Prabhudesai, Sandesh. Special Legislation against Child Prostitution Sought. 8 April 1997.

Available at: http://www.rediff.com/news/jul/31goa.htm, accessed on 15 June 2017.

[349] Government of India. *India Country Report: To Prevent and Combat Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children and Women, World Congress III: Against Sexual Exploitation of Children and Adolescents (Rio de Janeiro, Brazil, November 2008)*, Ministry of Women and Child Development & United Nations Office on Drugs and Crime, New Delhi, 2008, pp: 5-21. Availablr at: https://www.unodc.org/pdf/india/publications/India%20Country%20Report.pdf, accessed on

महिला यौन कार्य के मुद्दे की तरफ बढे इस ध्यान के अलावा, 1997 में NCW और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन, the joint women's programme ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली जनवरी 1994 सम्मेलन के बहुत सारे प्रतिभागियों के साथ मिलकर नई दिल्ली में एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया, इस कार्यशाला में प्रकाशित रिपोर्ट ने नब्बे के दशक में महिला यौन कार्य पर पहली बार किसी सरकारी संगठन का रूख स्पष्ट किया।[350] इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिला यौन कार्य को मानवाधिकारों के नजरिए से देखना था। इस कार्यशाला रिपोर्ट के संपादक ने यह गौर किया कि भारतीय महिलाओं और उनके बच्चों को दबाव, गरीबी एवं उत्पीड़न की वजह से महिला यौन कार्य के व्यवसाय में जबरदस्ती धकेला जाता है, इसलिए महिला यौन कार्य की बुराई के लिए सिर्फ उन्हें हीं जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता हैं। साथ ही साथ, महिला यौन कार्य को सुदृढ़ बनाने वाली पुलिस एवं राजनेताओं को भी समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता हैं। अतः, रिपोर्ट ने यह प्रस्ताव दिया, कि हमारे काम को सिर्फ बचाव एवं पुनर्वास के दायरे में सीमित न होकर सुरक्षा के उपायों के दायरे में भी होने की जरूरत हैं। महिला यौन कार्य को मानवाधिकारों का एक उल्लंघन, महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता, शोषण एवं अत्याचार के खिलाफ संघर्षो में एक बाधा समझने की जरूरत है।"[351]

इस संशोधनों के अलावा, कार्यशाला ने यह भी संकल्प लिया कि किसी भी तरह के कानून का प्रयोग जबरन HIV/AIDS जाँच के लिए नहीं किया जाना चाहिए तथा पुनर्वास कार्यक्रमों की दिशानिर्देश सुरक्षा और सुधार से हटकर महिला यौन कर्मी महिलाओं और उनके बच्चों को शोषण के शिकारों तथा बच्चों की उत्तरजीवी के नजरिए से देखने की तरफ बदलना चाहिए। महिला यौन कर्मी महिलाओं को नियमित रूप से राशन मिलना चाहिए और महिला यौन-कर्मियों के बच्चों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में

---

12 May 2017. Site by Prabha Kotiswaran, Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and Law, *Boston College Third World Law Journal*, Volume - 21, Issue - 2, pp: 55. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj accessed on 12th march 2017.

[350] Ibid

[351] Ibid

भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ कार्यशाला का समापन National Networking Committee (NNC) के गठन जिसमें joint women's programme को संयोजक चुना गया तथा महिला यौन कार्य (वेश्यावृत्ति) के कानूनों एवं पुनर्वास कार्यक्रमों को लागू करने की निगरानी हेतु, निवारक कार्यवाही, मानव तस्करों एवं दलालों की विस्तृत जानकारी के विवरण के साथ एक डाटा बैंक की स्थापना हेतु एक कानूनी समिति के निर्माण की सिफारिश के साथ कार्यशाला का अंत हुआ हुआ हैं।

समय के बीतने के साथ और NGOs तथा अंतराष्ट्रीय दान दाताओं के द्वारा सुझाई गयी आवश्यकताओं और समझदारी के कारण HIV/AIDS की पहचान में महिला यौन-कर्मियों द्वारा किये जाने वाले यौन कार्य को शामिल किया गया, जिसके यौन संक्रमणों और HIV-संक्रमण से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा यौन-क्रिया करते समय कंडोम प्रयोग किया जाना चाहिए। इसकी जागरूकता समाज में फैलाने की आवश्यकता का मार्ग मिला, जिससे कि समाज में यौन संक्रमण ना फैले। इस HIV/AIDS जागरूकता के कार्य में लगी सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं जो कि भारत के सभी राज्यों में अधिकतर NACO के द्वारा संचालित होती हैं, जिसके सुझाव के अनुसार कंडोम प्रयोग के जरिए HIV/AIDS घटाने के लिए देश के अनेक भागों में पीड़ित महिला यौन कर्मी महिलाएँ इस प्रक्रिया में सक्रिय हुई हैं। जिसका कुछ असर मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों में भी देखा जा सकता है, जहाँ पर अधिकतर महिलायें इतनी जागरूक तो हैं कि वह अब बिना कंडोम के ग्राहक के साथ सहवास करने से मना करती हैं, किसी स्थिति में उनकी कोई मजबूरी या लालच है तब अलग बात है बाकी सभी यह जरुर जानती हैं कि बिना कंडोम के पुरुष ग्राहक के साथ सहवास करने से वह HIV-संक्रमित हो सकती हैं।

यौन कार्य के देह व्यवसाय में समाज के द्वारा शोषित और अभिशप्त महिलाओं से जब पुरुष असुरक्षित यौन सम्बन्ध बनाता है तो सामान्य जनता में HIV- संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए समाज में सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसे कार्यक्रम बनाए और लागु किए जाते हैं जिससे की उन्हे देह व्यापार से मुक्त किया जा सके या कम से कम उनके लिए सुरक्षित यौन का प्रबन्ध किया जा सके।[352] अभी

---

[352] Stachowiak A. Julie, Susan Sherman, AnyaKonakova, IrinaKrushkova, Chris Beyrer. "Health Riska and Power among Female Sex Workers in Moscow", In Martha E. Kempner, M.A., *SIECUS Report, Sex Workers: Perspectives in Public Health and*

तक की अनेक शोधों से यह प्रकाश में आया है कि मुख्य रूप से HIV- संक्रमण फैलने के कारक व्यावसायिक और अव्यावसायिक सामाजिक असुरक्षित यौन सम्बन्ध, कंडोम का इस्तेमाल न होना और महिलाओं की बेवसी है जिस कारण इनको अनजान पुरुषों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने पड़ते हैं।[353]

इसलिए समाज में सफलतापूर्वक इस समस्या का समाधान निकालने के लिए यह आवश्यक माना गया है कि इस समस्या को गहराई से समझा जाए एवं इसकी रोकथाम को समझने के लिए महिला यौन कार्य की दशा, कानून की स्थिति, लेन-देन का तरीका, नियमन, स्वास्थ्य, धार्मिक सांस्कृतिक रुकावटो-के संयुक्त प्रभाव, और सामाजिक सेवा की स्थिति का चिन्तन जरूरी है।[354] महिला यौन कार्य में आने वाली लड़कियों, महिलाओं के जीवन में यौन कार्य करने से हो रहे सामाजिक परिवर्तन, उनके जीवन में लगातार बने रहने वाले खतरे, और उनके स्वास्थ्य पर हमेशा मडराता आसन्न संकट उन्हें किस तरह कमजोर करता रहता है को समझने की जरुरत हैं।

Allan Brandt HIV/AIDS के सन्दर्भ में कहते हैं कि AIDS हमारी नीति नियमन के लिए चिन्ता का विषय है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच राज्य की भूमिका में एक संगत साम्य स्थापन से टकराते हुए सामाजिक हित और राज्य की पुलिस सत्ता का साथ साथ खड़ा होना कुछ खास जनों के लिए विचित्र सा अनुभव, कटु दर्द भरा जान पड़ता है। इन तलहट खास जनों में वेश्यांए यौनचारी ड्रग पीड़ित और कुछ संस्थागत लोग शामिल होते हैं।[355]

Human Rights, New York, Volume 33, no. 2, 2005, p: 18. Available at: http://sexworkersproject.org/downloads/SIECUS2005.pdf, accessed on 24th December 2016.

[353] Ibid

[354] Ibid

[355] Allan, M. Brandt. *No Magic Bullet: A Social History of Venereal Disease in the United States since 1880.* New York: Oxford University Press, 1987, p: 195 in Mary IrvineSource, From "Social Evil" to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, *Berkeley Journal of Sociology,* Volume No. 43, Sexuality 1998-99, p: 63, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.

Between the Hammer and the Anvil में Parker महिला यौन कार्य को घरेलू हिंसा से भी अधिक हिंसक काम की तरह देखते हैं। वह महिला यौन कार्य को उपचार अर्थात देखभाल के परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत करते हैं, और उसको एक सामुदायिक परिपेक्ष में विस्तार करते हुए, यह जानने का प्रयास करते हैं, कि महिला यौन कार्य आखिर किस प्रकार संचालित होता हैं। अपने अनुभव के आधार पर उनका मानना है, कि बहुत सारी महिला यौन कर्मी Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) से ग्रस्त होती हैं। वह महिलाओं एवं मर्दो के इस PTSD को उन लोगों के PTSD से तुलना करते हैं, जो कि सरकार के द्वारा सताए होते हैं। वैसे सैनिक जो कि PTSD से ग्रस्त होते हैं, वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उस वातावरण को छोड़ देते हैं, ताकि वह उन यादों से दूर रह सकें। वैसी महिलाएं जो, कि वेश्यावृत्ति के दिए गए इस अवसाद के घाव से निकलने का प्रयास कर रही होती हैं, तो भी समाज एवं संस्कृति में कुछ हालात उनकी पुरानी यादें ताजा कर सकती हैं। किसी भी पीड़ित और पीड़िता के लिए महिला यौन कार्य के माहौल को त्यागना उसके ठीक होने की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा हैं। उस माहौल को त्यागने के बाद उनके सामने कठिन चुनोतियां होती हैं, किन्तु Parker यह कहना चाहते हैं, कि वैसे समाज में जहाँ पर महिलाओं के शरीर को सामान बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उनके उस सदमे से बाहर निकलने की सफलता की निश्चितता कम ही रहती है।[356] Hughes के जैसा ही उनके अनुसार इसका समाधान सिर्फ सामाजिक मूल्यों में बदलाव ही हैं। यह डर लोगों में व्याप्त है कि 20 वी सदी के प्रारम्भ से ही वेश्याओ के द्वारा एसटीडी या HIV संक्रमण लोगों में फैलता आ रहा है, किन्तु अभी तक सही आँकड़े नहीं होने के अभाव में यह अनुमान लगाया जाता है कि यौन कार्य HIV-संक्रमण फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य रूप से HIV- संक्रमण फैलने के लिए चार उच्च जोखिम समूह की कुछ ख़ास बातों को जिम्मेदार माने जाते हैं। महिला यौन कर्मीयों, समलैंगिक पुरुषों, ट्रक ड्राइवरों, और हेरोइन के नशेड़ी, आदियों को समाज में HIV- संक्रमण फैलाने के लिए उच्च जोखिम समूह के रूप में माना जाता है।[357]

---

[356] Eisele Sarah. Views of Sex Trafficking and Prostitution, Available at: http://www.essaydocs.org/views-of-sex-trafficking-and-prostitution-sarah-eisele.html, accessed on 14th April 2017.

[357] Mary IrvineSource, From "Social Evil" to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, *Berkeley*

अभी तक यौन कार्य को स्वास्थ्य के साथ जोड़कर अध्ययन किया गया है, तो अध्ययन के माध्यम से यह सामने आया कि STD एसटीडी और HIV- संक्रमण[358] के फैलने के प्रश्न को मूल में देखा गया है। शोधकर्ताओं ने प्रभावित यौन कर्मी गामी लोगों की नजर से इस प्रश्न की गंभीरता को समझने का प्रयास किया है, न कि यौन-कर्मियों के हित में HIV सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तो आया हमारे सामने लेकिन सतायी गयी महिलाओं - लड़कियों के प्रति सजग चेतना का अभाव रहा।[359] देह व्यापार में घसीटी गई महिलाओं पर HIV के अतिरिक्त शारीरिक हिंसा और मनोवेदना का चिन्तन जरूरी है, जिसका सामान्य तौर पर समाज में अभाब पाया जाता है। इन यौन-कर्मियों के संपर्क में रहने वाले अधिकतर बेघर लोग, ड्रग खाने वाले और मानसिक रूप से दुर्बल लोगों के साथ ऐसा होता है कि सभी एक दूसरे की समस्या बड़ा डालते हैं।

अभी तक की शोधों से यह साबित नहीं हो पाया है कि HIV/AIDS से फैलने वाली महामारी में मात्र यौन-कर्मियों भूमिका ही मौलिक है। Seroprevalence शोध ने यह जाहिर किया है कि एक भू-भाग में देह व्यापार में शामिल और उनके बाहर की महिलाओं दोनों में HIV-संक्रमण पाया जाता है। 1986-87 में किए गये रोग नियंत्रण केन्द्र Centres for Disease Control (CDC), बहुकेन्द्रीय राष्ट्रीय अध्ययन Multicenter National Study (MNS) और अन्य श्रोतो से यह सामने आया है कि वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं की संख्या खास क्षेत्र में ड्रग्स इंजेकशन वाले लोगों से प्रभावित है मिश्रित अध्ययन केन्द्रों पर ड्रग्स प्रभावितों की संख्या 5 प्रतिशत के लगभग थी।[360] HIV प्रभावित महिलाओं में अधिकतर तादात उन महिला यौन-कर्मियों की हैं

Journal of Sociology, Volume No. 43, Sexuality 1998-99, p: 63, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.

[358] Ibid

[359] Farley Melissa and Howard Barkan. Prostitution, Violence, and Posttraumatic Stress Disorder, *Women and Health,* Volume 27, Number -3, 1998, p: 46. Available at: http://www.prostitutionresearch.com/Farley%26Barkan%201998.pdf, accessed on 14th May 2016.

[360] Mary IrvineSource, From “Social Evil” to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, *Berkeley Journal of Sociology,* Volume No. 43, Sexuality 1998-99, p: 66, Available at:

जिन्हे बिना कीमत के यौन सेवा देनी होती है जैसे - दलाल, मित्र, प्रेमी, रिश्तेदार आदि होते हैं।

अभी तक समाज में यह आम आम धारणा बनी हुई है कि यौन कार्य कार्य करते समय यौन कर्मी HIV/AIDS से बचने का प्रयास नहीं करती हैं। किन्तु अभी तक के मौलिक और व्यावहारिक अध्ययनों से यह सामने आया है कि ग्राहकों के साथ यौन कर्मी कंडोम का इस्तेमाल करने में अपनी रुचि रखती हैं।[361] यौन-कर्मियों के ग्राहक यौन-कर्मियों को कंडोम का इस्तेमाल करने से मना करते हैं, जिसके सन्दर्भ में कबाड़ी बाजार से सेवानिवृत्त महिला यौन कर्मी 42 वर्षीय आनंदी जो कि मेरठ के स्लम्स क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर रही है, HIV-संक्रामित है ने बताया कि -

> "साहब यह शुरूआती दिनों की बात है जब मैंने यह काम शुरू ही किया था, तब मुझे ग्राहक खूब पसंद किया करते थे क्योंकि में अपनी जवानी में बहुत सुंदर हुआ करती थी इसलिए जो भी ग्राहक आता और उसकी नज़र मुझ पर पड़ जाती तो वह मेरे साथ ही बैठता (सहवास करता)। उन ग्राहकों में बहुत सारे ऐसे ग्राहक होते थे जो कि बिना कंडोम के मेरे साथ बैठना चाहते थे, जिसके लिए वह मुझे अधिक पैसा भी देने को राजी होते थे, किन्तु मैंने शुरू में ऐसा नहीं किया। कुछ समय बाद मैंने मैंने यह देखा कि कुछ ग्राहक मात्र मेरे पास ही आते हैं और किसी के पास नहीं जाते हैं तब उन ग्राहकों ने भी मुझे बताया कि हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और किसी के पास नहीं जाते हैं, और एक तू है कि कभी बिना कंडोम के हमारे साथ बैठतीं ही नहीं है। उनकी ऐसी बात सुनकर मुझे भी उनसे प्यार हो गया और मैं उनके साथ बिना कंडोम के बैठने लगी, उसके बाद बिना कंडोम के बैठना मुझे भी अच्छा लगने लगा और फिर मैं अपने उन नियमित ग्राहकों के साथ कभी भी कंडोम नहीं लगाती थी। मैं नहीं जानती थी कि वह ग्राहक कहीं और भी जाते हैं मुझे उन ग्राहकों से ही HIV-संक्रमण हो गया। यह ग्राहक हमको कैसे भी बहका लेते हैं और हम इनके बहकाने में आ जाते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए घातक सावित होता है।"[362]

जबकि कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों और यहाँ से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन-कर्मियों के अध्ययन से प्राप्त हुए

---

https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.

[361] Ibid

[362] आनंदी सेवानिवृत्त महिला यौन कर्मी जो कि अब मेरठ के स्लम्स क्षेत्र में अपना जीवन बिता रही है, जिसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है । आनंदी का HIV-संक्रमण का इलाज टी.आई. प्रोग्राम के तहत मेरठ के मेडिकल कॉलेज सरदार बल्लभ भाई पटेल से चल रहा है

तथ्यों से यह सामने आया कि यह महिलाएँ STD और HIV- संक्रमण से सुरक्षित रहने के सभी उपाए तथा अपने स्वास्थ्य के लिहाज से प्रयोग करती हैं, जैसे कि -

> "शीला ने बताया कि मैं अभी कोठों पर काम नहीं करती हूँ लेकिन जब करती थी जब मैं कभी भी ग्राहक के साथ बैठती अर्थात शारीरिक संबंध बनाती थी तो दो - दो कंडोम लगाती थी और आज भी यदि किसी के साथ बैठती हूँ तो दो कंडोम ही लगाती हूँ। इसलिए मुझे आज तक कोई भी बीमारी नहीं हुई है। मैं आगे भी दो कंडोम ही लगाती रहूंगी वो भी निरोध के सरकारी तो मुझे HIV-संक्रमण कैसे फ़ैल सकता है।"[363]

किन्तु बिना कीमत चुकाए यौनाचारियों और उनके द्वारा आने वाले ग्राहको के द्वारा बचाव के उपाए कम देखे गये है। बहुत शोधों से और महिला मेरठ के कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय आधारित यौन कार्य में लगी महिला यौन-कर्मियों के अध्ययन के दौरान यह तथ्य सामने आये कि इन यौन-कर्मियों के नियमित ग्राहक, दलाल, और जिनसे यह महिला प्यार करती हैं वह पुरुष इनको बिना कीमत चुकाए इनके साथ बैठता भी है और इनको कंडोम का भी प्रयोग यौन रोगों से बचाब के लिए नहीं करते हैं अर्थात जो व्यक्ति इन महिलाओं के सवसे निकट होता है इनको यौन संक्रमण पैलने का खतरा भी सबसे अधिक उनसे ही होता है। Patton इसी सन्दर्भ में कहते हैं कि यौन-कर्मियों के ग्राहक STD से बचाव के उपायों को नापसन्द करते हैं, और यौन-कर्मियों को एसटीडी से बचाव के उपायों नहीं करने देते हैं। इसी के साथ वह असुरक्षित यौन सम्वन्ध बनाने के लिए यौन-कर्मियों को अधिक कीमत भी देते हैं।[364] जैसा कि सेवानिवृत्त महिला यौन-कर्मियों और कबाड़ी बाजार में कार्यरत यौन-कर्मियों ने बताया कि -

---

[363] 38 वर्षीय शीला जो कि अब मेरठ के स्लम्स क्षेत्र में निवास करती है और अपने साथ तीन चार जवान लड़कियां भी यौन कार्य करवाने हेतु रखती है का कहना है कि मैं किसी भी ग्राहक के साथ दो कंडोम लगाये बिना संबंध नहीं बनाती हूँ और ना ही अपनी लड़कियों को बनाने देती हूँ, तब उसका मानना है कि यदि एक फट गया तो दूसरा तो रहेगा इसलिए कोई भी यौन संक्रमण होना संभव नहीं है ।

[364] Patton, Cindy. *Last Served? Gendering the HIV Pandemic: Social Aspects of AIDS,* London: Taylor & Francis, 1994, in Mary IrvineSource, From "Social Evil" to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, *Berkeley Journal of Sociology,* Volume No. 43, Sexuality 1998-99, p: 67, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.

"मेरठ के कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों और स्लम्स में आने वाले अधिकतर ग्राहक तो कंडोम लगाने को भी मना करते हैं। ऐसा करने के लिए वह हमको कुछ अधिक पैसा भी देते हैं। मैंने पूछा ऐसा वह क्यों करते हैं? तो उन्होने बताया कि कुछ लोगों को बिना कंडोम के करने से ही मजा आता है। वह कहते हैं कि कंडोम लगाकर अच्छा आनंद नहीं आता, तू ऐसे कर 100 रूपये और पकड़ ये कंडोम हटा और बाद में डिटोल सावुन से धो लेना कुछ भी नहीं होगा। हमको ऐसा करने वाला हर दूसरा ग्राहक होता है। हमारे पास तो अधिकतर ग्राहक शराब पीकर आते हैं जिनको कंडोम लगाने का होश ही नहीं होता है, और उनको तो कंडोम भी हमको ही लगाना होता है और जब हम लगा देते हैं तो वह नशे में उसको नीकाल भी देते हैं।"[365]

अभी तक HIV-संक्रमण फैलने के मुख्य कारणों को खोजने के बहुत प्रयासों के बाद यह एक मुख्य निष्कर्ष निकलता है कि HIV फैलाने में वेश्याओं की भूमिका होने पर अधिक ज़ोर दिया गया है, अर्थात यह माना जाता है कि समाज में HIV-संक्रमण फैलाने के लिए महिला यौन कर्मी सर्वाधिक जिम्मेदार हैं, किन्तु कभी भी किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि इन महिला यौन-कर्मियों के ग्राहकों का सैंपल सर्वे करने की भी कोई आवश्कता है। 1988 मे Cohen और उनके साथियों ने यह बतलाया था की प्रामाणिक तौर पर महिला - यौन कर्मी ही HIV/AIDS फैलाती हैं, यह एक गलत धारणा है।[366] पश्चिम देशों में हुए अध्ययनों से यह पता चलता है, कि प्रभावशाली पुरुष ग्राहक अनेक महिला यौन-कर्मियों के संपर्क में आते हैं, यह एक भ्रामक धारणा है। इसी के साथ ऐसा मानना भी गलत है, कि महिला यौन-कर्मियों से पुरुष ग्राहकों में HIV-संक्रमण फैलता है, बल्कि यह भी सच है, कि ग्राहकों से महिला यौन-कर्मियों में इसके फैलने की ज्यादा संभावना होती है।[367] इस महामारी में पहले से अब तक अनेक यौन सम्वंधों में महिलाओं से AIDS का फैलाव पुरुषों की तुलना में कम तर पाया गया है।

---

[365] गीता, मीता, बबली, कंचन, सुन्दरी, संजू ... आदि यौन कर्मियों ने बताया कि कंडोम कोई भी ग्राहक लगाना पसंद नहीं करता है, कुछ ग्राहक तो मात्र बिमारी होने के डर से कंडोम लगते हैं, यदि ऐसा करने से कोई बीमारी ना हो तो कोई भी कंडोम का प्रयोग नहीं करेगा ।

[366] Mary IrvineSource, From "Social Evil" to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, *Berkeley Journal of Sociology,* Volume No. 43, Sexuality 1998-99, p: 67, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.

[367] Ibid

जीव विज्ञान की शोधों में पुरुषों के द्वारा AIDS फैलाने की शक्ति महिलाओं की तुलना में अधिक मानी गयी है।

महिला यौन-कर्मियों के जरिए ही बहु यौन सम्वंधों के कारण ही HIV-संक्रमण का फैलाव होता है इस प्रकार की भ्रामक धारणा महिला वेश्याओं से पुरुष ग्राहक और उनसे उनके महिला- मित्र पत्नियों और बच्चों तक इसके फैले मिथक को एक आम विश्वास में बदल देता है। Brandt का यह मानना है कि 20 वीं सदी के प्रारम्भ से HIV-संक्रमण का एक ही दिशा में बहाव महिला यौन-कर्मियों से ग्राहकों को और एक स्थापित महिला विरोधी भ्रम है, न कि कोई जैविक या वैज्ञानिक तथ्य[368] महिला यौन-कर्मियों द्वारा ही रोग फैलाने की धारणा कई महत्वपूर्ण बातों को सामने लाती है जैसे, कि HIV-संक्रमण फैलाव की घटना ने एक निष्कर्ष दिया महिला यौन कर्मी का जिससे यह संभावना बनती है कि महिला यौन कर्मीयों से संबंध रखने वाले पुरुषों ने महिला यौन-कर्मियों को रोगग्रस्त कर अन्य सामान्य महिलाओं को भी HIV-संक्रमित किया और पुरुषों में सहवास की अधिक क्षमता ने महिला यौन-कर्मियों को कमजोर स्तर पर ला खड़ा किया है।

Ruth Macklin जैसे विज्ञान- आचार शामहिला (bioethicist) का विचार है, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के ख्याल से उस वर्ग को अलग थलग रखना चाहिए जिनसे पुरुष-ग्राहकों से होकर HIV-संक्रमण बच्चों तक में फैल सकता है, जो कि एक दम अबोध होते है, और उनके पास अपने बचाव का कोई रास्ता भी नहीं होता है।[369] उन्होने कहा है, कि पुरुष संरक्षक और उनकी संताने इससे पीड़ित होते हैं, अत: जिसके लिए HIV-संक्रमित महिला यौन कर्मीयों को इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। अस्सी के दशक के मध्य में अनेक विधियों से महिला यौन-कर्मियों को एक स्वर से बिना सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से देखते हुए आक्रामक विधि निर्माण का रास्ता अपनाया गया है।

---

368 Ibid

369 Macklin, Ruth. "Predicting Dangerousness and the Public Health Response to AIDS", *The Hastings Center Report,* Volume 16, no. 6, December 1986, pp: 21, available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3562098.pdf?refreqid=excelsior:2ac16d8bb97607fdcf4462aa46242a51. accessed on 16th April 2017.

सार्वजनिक स्वास्थ्य और गैरअपराधीकरण यौन व्यवसाय के गैर-कानूनी होने से HIV- संक्रमण फैलाव की स्थिति भयावह हो जाती है। महिला यौन कर्मी निरोधक कानून की अस्पष्टता और अधूरेपन के कारण उनमें भागने छुपने की मजबूरी बनाए रखती है। महिला यौन कार्य से सामाजिक स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव को रोकने में कंडोम के इस्तेमाल और अन्य सुझाए उपायों को पुलिस द्वारा जप्त किए गए साधनो से धक्का पहुँचाता है।

इसी नीति का परिणाम समाज में यह देखने को मिलता है, कि महिलाओं को कंडोम के साथ पकड़े जाने पर उन्हें महिला यौन कर्मी साबित करने से स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा कमजोर पड़ जाता है। पुलिस की ज्यादती की वजह से संभल कर और सहजता पूर्वक ग्राहकों के साथ यौन संबंध बनाने एवं भविष्य में उनको सुरक्षित संबंध रखने का उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है। बलात्कार लूट मारपीट गालीगलोज की स्थिति में पुलिस और न्यायालय पीड़ित महिला के साथ मानवीय गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करती है।[370] समाज में सामान्यतया यह देखने को मिलता है कि पुलिस और न्यायालय का तो यह व्यवहार बन गया है, कि महिला यौन-कर्मियों को उनके हाल पर छोड़ दो उनके पेशा में HIV- संक्रमण फैलना एक खतरा की तरह मडराता रहता है।[371] इन मुश्किलातों और जहालतों के बावजूद कुछ महिलाओं को अर्थलाभ के कारण यह पेशा आकर्षित रखता है, जिसके कारण लगातार उनकी जरूरत समाज के एक छोटे वर्ग में बनी रहती है।

यौन कार्य का गैर अपराधीकरण इस तर्क से बल पाता है, कि इसे सहमति से वयस्क यौन व्यवहार को एक सामाजिक, मानसिक, मानोवैज्ञानिक, जैविक आवश्यकता और सहजता के साथ देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत यौन संबंध एक व्यक्तिगत मामला है, और इसे बाहरी नियंत्रण से अलग रखना चाहिए।[372] वयस्कों द्वारा सहमति से होने वाला यौन सम्बन्ध यह मांग करता है, कि महिला यौन कार्य

---

[370] Ibid

[371] McClintock, Anne. “Screwing the System: Sexwork, Race, and the Law”, Available at: https://english.wisc.edu/amcclintock/writing/Screwing_article.pdf, accessed on 16th April 2017.

[372] Ibid

व्यवसाय को आपराधीक और सरकारी नियंत्रण से बाहर रखा जाए।[373] कानूनी मान्यता और अनुज्ञापत्र से यह समस्या संस्थागत रूप ले लेगी, जिस कारण इस व्यवसाय में शामिल व्यक्तियों में निराशा, शोषण और अलगाव की स्थिति बनी रहेगी। मौसियों (दल्लन) और उस्तादों के खिलाफ कानून जो यौन व्यापार में महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है, स्वत: सहमति के यौन संबंधों की कुरूप आकृति कर देता है।[374] स्वास्थ्य का ध्यान रख कर गैर-अपराधीकरण से कई अच्छे परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि महिला यौन-कर्मियों को स्थान और परिस्थिति की सुविधा अनुसार स्वास्थ्य की सुविधा तक उनकी पहुँच अथवा उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंध, पुलिस से होने वाली परेशानियों से उनको मुक्ति, समाज में उनके श्रम अहमियत को गरिमा के साथ स्वीकारा जाना उनके स्वास्थ्य का स्वतंत्र प्रबंधन, गैर-अपराधीकरण और महिला यौन कार्य के व्यवसाय की वैधता से ग्राहक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएँ और सरकार के बीच एक पारदर्शी स्वीकार्य सामंजस्य बन पाएगा।

कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन कर्मी जो कि अब मेरठ स्लम्स क्षेत्रों में नारकीय हालत में अपना जीवन यापन कर रही हैं ने बताया कि अब हमारा यौन कार्य बंद कमरो में संभव हो पाता है, इस व्यवस्था में हमारी स्वास्थ्य जाँच के बाद पुलिस की साठ गाँठ से यौन कार्य करने के लिए मिल जाता है, और साथ ही हमको चोरी छिपे एक खास क्षेत्र में काम करने की वैधता भी मिल जाती है। इन जगहों पर महिला यौन कार्य की वैधता से सार्वजनिक स्वास्थ्य को एक दिशा तो मिल जाती है, किन्तु महिला यौन कार्य के व्यवसाय में लगी इन महिलाओं को पुरुष ग्राहकों के हाथों यातना तो झेलनी ही पड़ती है। इस प्रकार इससे यह तथ्य सामने आता है, यौन कार्य किसी को वास्तविक संतोष या सुख नहीं दे पाता है।

महिला यौन कर्मी अक्सर एक महिला की व्यावसायिक पसंद की स्वतंत्रता की आजादी है, इसमें पैसा आजादी और आत्म निर्णय का स्थान है, शारीरिक मानसिक श्रम का

---

[373] Mary IrvineSource, From “Social Evil” to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, *Berkeley Journal of Sociology,* Volume No. 43, Sexuality 1998-99, p: 83, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.

[374] Ibid

शोषण के स्तर पर यौन शोषण के समरूप देखना चाहिए, जैसे कि सिनेमा के बलात्कार का चल चित्र इसके लिए एक उदाहरण हो सकता है। कबाड़ी बाजार में कार्यरत और यहाँ से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन-कर्मियों मा मानना है कि, कि महीने भर कई बार अपने पुरुष का हम विस्तर होने वाली ग्रहस्थ महिला बिना पैसो के घर नहीं चला सकती है, तब यदि हम अपना घर चलाने के लिए यह काम करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है ?

कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र और यहाँ से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन-कर्मियों के अध्ययन से प्राप्त हुए तथ्यों से यह सामने आया कि यदि महिला यौन कार्य के गैर अपराधीकरण से मुक्ति मिल जाए। तब महिला यौन-कर्मियों को अपना संघ बना कर अपने अधिकारों की रक्षा का अवसर मिलेगा जिससे उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पुलिस, और न्यायालय के समक्ष एक नागरिक की तरह के अधिकार प्राप्त होंगे और उन्हे गरिमा के साथ जीने का अहसास होगा, इसी के साथ महिला यौन कार्य के गैर अपराधीकरण से देहव्यापार पर लगा अनैतिकता का कलंक समाप्त होगा। यह व्यवस्था महिला यौन कार्य को वैध व्यवसाय में लाने से यह कार्य श्रम कानून अथवा व्यवसाय कानून के अंदर आ जाएगा, जबकि आज यह अपराधिक कानून के अंदर है। इसे आपराधिक प्रतिबंध से बाहर निकाल कर लाने का महिला यौन-कर्मियों के उद्धार हेतु एक उत्तम कदम सावित हो सकता है।

इसी के साथ समाज में एक स्थापित विचार यह भी है, कि महिला यौन कार्य में Sexually Transmitted Diseases (STDs) का फैलाव निहित है, किन्तु कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत और यहाँ से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन-कर्मियों के अध्ययन से प्राप्त हुए तथ्यों से यह सच्चाई सामने आती है कि STD किसी अन्य स्थान से भी निर्गत होता है, और समाज में फैलता है, किन्तु यह वहीं अक्सर फैलता है जहाँ असुरक्षित यौन सम्बन्ध व्पाप्त हों। महिला यौन कार्य से STD का फैलाव होता है, यह साबित करता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उन्हें कलंकित करती है, जबकि निजी चिकित्सा सेवाएं महिला यौन-कर्मियों के पास तक नहीं पहुँच पाती हैं। किन्तु यह एक कढ़वा सच है कि पुरुष प्रधान संस्कार के कारण महिला यौन कार्य के अर्थ को महिलाओं के अंगों तक सीमित करके देखा जाता है, स्वास्थ्य और जीवन के व्यापक क्षितिज तक नहीं देखा जाता है। सरकारी अधिकारियों को महिला यौन कार्य से निबटने का मात्र एक ही तरीका दिखाई

देता है, कि समाज में स्वास्थ्य STD के फैलाव का जरिया, और उनसे छुटकारा पाने के उपाए आधिकारिक रूप से ढूंढ लेते है, जिसके तहत बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी प्रोग्राम सामने आते हैं, जैसे - टी.आई. प्रोग्राम के तहत तीन महीने बाद इनकी यौन संक्रमण और शारीरिक जाँच होती है और हर छ महीने बाद इनकी HIV-संक्रमण की जाँच की जाती है, जिसमें कि बहुत अधिक अंतर पाया जाता है और बहुत सारे टेस्ट फर्जी होते हैं। ऐसे तथ्य क्षेत्र अध्ययन के दौरान प्राप्त हुए।

राज्य का प्रधान कार्य है कि नागरिकों की सुरक्षा जिसके अंदर स्वास्थ्य सुरक्षा मौलिक स्थान सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए तथा शिक्षा, सूचना, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, श्रम करने के समान अवसर, और अन्यानय मानवीय अधिकार, साथ ही कमाई का सही वितरण राज्य के कल्याणकारी चरित्र का अंग माने गये हैं।[375] इन सबका उल्लंघन सामाजिक कल्याण को कम कर सकते हैं। आर्थिक सामाजिक स्तर के सबसे निचले पायेदान पर जीने वालों के प्रति उनकी आय, उनकी शिक्षा, सूचना, जीवन स्तर, रोजगार आदि सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इनकी वजह से नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की मौलिकता में कमी आती है। सरकारी अमलों द्वारा इनके प्रति उदासीनता से भरा असंवेदनशील व्यवहार से सवसे निचले पायेदान पर जीवन यापन करने वाला समाज का हिस्सा कहीं सामाजिक गुमनामी में खो जाता है, और यह समाज स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की जरूरतों के आदान प्रदान में निरंतर पीछे छूटता जाता हैं। जिस विषय में सेवानिवृत्त हुई और कबाड़ी बाजार में कार्यरत यौन कर्मियों ने इस प्रकार बयान दिया कि -

> "चाहें स्लम्स हो या कोठा या कोई और जगह कहीं भी महिला यौन-कर्मियों के जीवन में बहुत से अभाव होते हैं किन्तु जब महिला यौन कार्य पर पुलिस की चैकिंग होती है । तव उस समय पुलिस से बचने के लिए लड़कियाँ अपने कोठों और अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे कोठों पर या किसी दूसरी जगह चली जाती हैं। किन्तु बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनकी किसी दुसरे कोठो पर या दुसरे स्थानों पर कोई पहचान नहीं होती है, तो वह अपना कोठा या स्लम्स क्षेत्र छोड़कर कर इधर उधर चली जाती हैं। जब वह कहीं दूसरी जगह जाती हैं तो वहाँ नई जगह पर अपना काम तलाशती हैं, जैसे- बस स्टैंड पर, किसी

---

375 Lamptey Peter Richter, Helene D. Gayle. *HIV/AIDS Prevention and Care in Resource-constrianed Settings: A Handbook for the Design and Management of Programs*, United State: Family Health International, 2001, pp: 155. Available at: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnacy892.pdf, accessed on 24th April 2017.

चोराहे पर, किसी नुक्कड़ पर, किसी हाईवे पर, या किसी सड़क के किनारे,[376] जब हमको ऐसी किसी भी जगह काम (ग्राहक) मिलता है, तब उस जगह ग्राहक के सामने हमारी कुछ नहीं चलती है । वह ग्राहक अपनी मर्जी से सम्वन्ध बनाता है । क्योकि ऐसी जगह में ग्राहक या तो अपनी गाड़ी में सम्वन्ध बनाता है, या किसी झाड़ी की आड़ में छिपकर, या सड़क के नीचे गड्डे में, पर हर स्थिति में ग्राहक और हम बहुत जल्दी में होते हैं, क्योकि यदि ऐसी हालत में किसी ने हमको देख लिया तो बहुत बदनामी तो होती ही है साथ में जो भी पकड़ता है वह हमको जबरजस्ती बहुत ब्लैकमेल करता है, और फ्री में हमारे साथ बैठता है और यदि किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो पैसे भी छीन लेता, गाली गलोज करता है तथा हमारे साथ सहवास करता है वह अलग[377] इसलिए इस काम में एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है, इसलिए ऐसे स्थानों पर सबसे अधिक असुरक्षित संबंध बनते है, जिनसे हमको सबसे अधिक यौन संक्रमण फ़ैलने का खतरा होता है।"

मेरठ शहर के जिला सरकारी अस्पताल पी. एल. शर्मा में महिला यौन-कर्मियों को स्वास्थ्य जाँच हेतु जाना पड़ता है, कर्मचारी पहले इन महला यौन-कर्मियों के खून का सेंपल लेते हैं, यह कर्मचारी इनको यह बताने की जरूरत नहीं मानते कि उनकी कौन सी समस्या है। यदि माना जाए तो यह निजी सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, उनकी बात को (महिला यौन कर्मियों) कोई सुनता नहीं है। उनकी नजर में महिला यौन-कर्मियों की अहमियत नहीं, उनकी कोई निजता नहीं, चिकित्सकों का व्यवहार तो इस हद तक अमानवीय होता है, कि वह हमको समाज का कोढ़ बताते हैं। हद तब हो गई जब एक महिला डाक्टर ने कहा कि "AIDS का प्रसार महिला यौन-कर्मियों की वजह से ही होता है, जिससे पुरुष ग्राहक मारे जा रहे हैं।[378] ऐसे तथ्य क्षेत्र अध्ययन के दौरान प्राप्त हुए।

मेरठ के वेश्यालय से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन-कर्मियों ने बताया कि नाबालिग महिला यौन-कर्मियों की सारी कमाई करीब करीब मौसियों अर्थात कोठे की दल्लनों और दलालों द्वारा हड़प ली जाती है, जिसके बाद इनको उधार भी बहुत मंहगी ब्याज दर पर मिलता है। इन्होने बताया कि इन नाबालिक महिला यौन-कर्मियों की आधी कमाई मौसियों अर्थात कोठे की दल्लनों और दलालों के द्वारा लूट ली जाती है।

---

[376] राजकुमारी, नीतू, चांदनी, चंचल, हेमू ... आदि महिला यौन कर्मियों का मानना है कि कोई भी महिला चाहें कहीं भी यौन कार्य करे जब भी पुलिस की दविश पड़ती है उस समय हमको सबसे अधिक परेशानी होती है ।

[377] Ibid

[378] Ibid

मेरठ के वेश्यालय से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन-कर्मियों ने अपने जीवन के विषय में आगे बताया कि यहाँ के बैकों से हमको कभी भी कोई सहयोग नहीं प्राप्त होता है, चाहें हम कोठों पर यौन कार्य में कार्यरत हों या अब जब हम इस कार्य से बाहर हो गए हैं। क्षेत्र अध्ययन के तथ्यों से यह सामने आया कि इनकी अशिक्षा, सामाजिक कलंक, इन्हें कर्ज से बाहर निकलकर सांस लेने की इजाजत पुरे जीवन भर नहीं दे पाता है। साक्षारता की दर तो इन महिला यौन-कर्मियों की अत्यंत कम है।[379] मेरठ के कोठों पर यौन श्रम में शामिल लगभग 300 महिला यौन कर्मी महिलाओं का इस व्यवसाय में आना गरीबी एक मुख्य कारण था, जिनमें लगभग 98% अशिक्षित और अनपढ़ हैं।[380] यहाँ पर मात्र चार से छ महिला यौन कर्मी लिखना पढ़ना जानती हैं, इनमें एक सातवीं पास है, दो पांचवी फेल हैं और बाकी कक्षा तीन तक पढ़ाई की है, कुल मिलाकर महिला यौन-कर्मियों की तुलना में बाल यौन कर्मी कम प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाओं, निरोधक और सुधारक के कारण हैं। गरीबी, अशिक्षा भेदभावपूर्ण, व्यवहार, डाक्टरों की उपेक्षा, सरकारी तंत्र का सौतेला व्यवहार, आदि के कारण महिला यौन-कर्मियों स्वास्थ्य गिरता है। इसका उदाहरण है, कि महिला यौन-कर्मियों में ऊँची दर का HIV- संक्रमण का पाया जाना इसका परिणाम है। उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारने का उपाय जुटाना एक प्रचलित तरीका माना जा सकता है। उन्हें इस काम से अस्वाभाविक रूप से बाहर निकालकर वैकल्पिक व्यावस्था में रोजगार, और इनके लिए रहने जीने का साधन दिलाना, इसको बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होगा, कि कैसे इसमें अबोध लङकियों को जाने से रोकने के उपाए किए जाएँ। समाज का एक वर्ग जो महिला यौन कार्य को अनैतिक नहीं मानता है, जिसके लिए उनका मानना है, कि महिला यौन कार्य होना चाहिए, जो कि इसके समर्थन में खड़ा होता देखा गया है, लेकिन ऐसे स्पष्ट और ठोस वर्ग का अभाव भी हमेशा सामने आता है। दूसरा वर्ग है, यौन व्यापार को कानूनी मान्यता देकर नियंत्रन करने वाली संस्थाओं को मजबूत बनाना ताकि दलाली के द्वारा इस व्यवसाय को चलाने से रोका जा सके।

भारत में नीति निर्धारण दोनों तरीकों के मध्य में स्थित है, कि महिला यौन कार्य अनैतिक है, इसे रोकना है, इसे सुधारना है, पीड़ितों को बेहतर जीवन देना है, जैसा कि

---

[379] शोधार्थी द्वारा कबाड़ी बाजार में वेश्यालय आधारित यौन कार्य में शामिल महिलाओं और यहाँ से सेवानिवृत्त हुई यौन कर्मियों के अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों के अनुसार प्राप्त जानकारी है ।

[380] Ibid

नाम ही बताता है। अनैतिक देह व्यापार कानून (निरोधक) 1986 का मकसद है, कि समाज में फैली इस धारणा को स्थापित करना कि महिला यौन कार्य अनैतिक कार्य है। अनैतिक देह व्यापार कानून (निरोधक) 1986 वेश्यालय मालिकीनों मालिकों के प्रति शख्त है। इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं का बचाव करना है। इसी के साथ यह महिला यौन कार्य को वैध घोषित करने पर स्पष्ट नहीं है, बाहरी उथल पुथल से अप्रभावित यह कानून नाकाफी है। यह कानून दिखावे के तौर पर संविधान प्रदत्त अधिकार एवं जवरजस्ती यौन कार्य में घसीटी गई बेबसों के लिए है, तो अवश्य लेकिन इसकी चाल बहुत ही धीमी है, जिसका असर कबाड़ी बाजार के लाल बत्ती क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत यौन-कर्मियों और यहाँ से सेवानिवृत्त हुई यौन-कर्मियों के जीवन पर अपना प्रभाव डालते हुए दिखाई नहीं देता है। CDA फुल फॉर्म लिखना है (1864-1888) महिला यौन कार्य में संलग्न पीड़ितों को जाँच से वो जोड़ता है, साथ ही वह उनकी वैधता के लिए भी थोड़ी राह खोल देता है, VD (Venereal Disease) से परहेज के साथ चलते हुए दिखाई देता है।[381]

महिला यौन कार्य से सेवानिवृत्त के बाद उनके निवास और स्वास्थ्य की पुनरुत्पत्ति

समाज में अधिकांशत व्यक्ति AIDS को व्यवहार जनित समस्या मानते हैं, और वह इससे बचाव के लिए व्यवहार को सुधारने की सलाह देते हैं। विद्वानों का विचार है कि है, कि AIDS से बचाव के लिए समाज में व्यवहार को बदलना और संस्कारगत शुद्धि आवयश्क । उपरोंक्त पक्ष व्यवहार परिवर्तन के उपाय, लोंगों की सोच, यौन संबंध के प्रति दृष्टिकोण और ड्रग इस्तेमाल के बारे में मशवरा प्रदान करता है। असुरक्षित यौन एक व्यक्तिगत निर्णय है, जिसके लिए नियमति और उनके सहयोगियों ने पाया कि महिलाओं ने कंडोम का इस्तेमाल अपने ग्राहकों संबंधी की AIDS पीड़ित न होने की स्थिति में अज्ञानता वश या कंडोम न होने पर या फिर उसका इस्तेमाल न जानने की वजह में नहीं करती है।[382]

---

[381] Sinha, M. Murli, Sex. Structural Violence, and AIDS: Case Studies of Indian Prostitutes, *Women's Studies Quarterly,* Volume - 27, No. 1/2, p: 69, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/40003399.pdf?refreqid=excelsior%3Ad8b6918d5e7652b760f10642e64891ca, accessed on 16th June, 2017.

[382] Ibid .

यह तरीका व्यक्तिगत जिम्मेवारी पर आधारित है, महिला यौन-कर्मियों को ग्राहकों से कंडोम इस्तेमाल करने पर ज़ोर देना चाहिए। महिला यौन-कर्मियों में यह आधिकारिता शिक्षा, मशविरा, और सार्थक पहल से आएगी। मेरठ में अनेक सरकारी और NGOs इस दिशा में कार्यरत हैं, जो कि सामाजिक संस्थायें सत्यकाम, आशा, सहेली, प्रेरणा, सपोर्ट शिक्षा और हस्तक्षेप आदियों से उसका इलाज ढूँढ रही हैं (जो संस्थाएं मेरठ में काम कर रही हैं उनका नाम डालना हैं)। शिक्षा योजनाएँ महिला यौन कार्य के गुण, रोष, प्रकृति उपयोग आवश्यकता आदि की जानकारी दे रही हैं, ताकि HIV-संक्रमण, AIDS और STD रूक सके। मेरठ में कार्यरत टीआई ने चित्रो, वाल पेंटिंग, किताबों, आदि के माध्यम से HIV- संक्रमण, AIDS और STD को रोकने के लिए कुछ उपाए बताने का काम किया है, जिसमें सुरक्षित यौन संबंध बनाने का तरीका सवसे अधिक प्रचारित किया है, जिसके लिए स्लाइड, सो, कैसेठ, कार्ड और अन्य देखने लायक चीजों के जरिए HIV- संक्रमण, AIDS और STD को रोकने का रास्ता सुझाया गया हैं।

माना जाता है, कि कामवाद और गरीबी का लम्बा इतिहास है जो कि AIDS से पीड़ित व्यक्तियों के दैनिक जीवन को बतलाता है, कि यह पीड़ित व्यक्ति समाज में कितने हाशिए पर होते हैं, AIDS से संबंधित सामाजिक प्रक्रिया उन्हें ग्रस्त करती रहती है। सामाजिक प्रक्रिया में आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक शक्तियां उनके AIDS फैलाव को बल देती है, अनेकों महिला यौन-कर्मियों को समाज में संस्थागत हिंसा का शिकार होना पङता है, जिसको लगातार जारी रहने से रोकने के उपाय असंतोषजनक साबित होते हैं, जो कि पीड़ितों के बचाव के अनुरूप समाज में काम नहीं कर पाते हैं। समाज में महिला यौन-कर्मियों के लिए सामाजिक सरोकार दमानात्मक बना रहता है, क्योंकि यह महिला यौन कर्मी मौसियों, दल्लन अथवा मैडमों और ग्राहकों की संपाति बनी रहती हैं, जिसके अनेक उदाहरण कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों और यहाँ से सेवानिवृत्त हुई महिला यौन-कर्मियों में देखा जा सकता है, तब इन्हें HIV- संक्रमण औए शोषण के खतरे से बचाया नहीं जा सकता है, किन्तु हाँ बचाव के प्रारूप की सफलता को प्रभावपूर्ण रणनीति के जरिए उन पर घटने वाली विपत्तियों के संघर्ष से कम किया जा सकता है।

HIV/AIDS से प्रभवित लोगों का इलाज जितना आवश्यक है उतना ही यह भी है कि उनको शिक्षित बनाकर, रोजगार देकर, समय पर मुफ्त दवाईयां देकर, आदि से उनका सशक्तिकरण हो सकें ताकि उनके साथ समाज में व्याप्त भेदभाव और कलंक को

समाप्त किया जाए, और हर जगह व्याप्त इस संक्रमण के खतरों से लड़ा जा सके, कानूनी प्रक्रिया के सहारे ds People Livine With HIV/AIDS (PLWA) के खिलाफ कलंक और भेदभाव मिटाकर लड़ा जा सकता है I PLWA जानकारी और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं, उन्हे जानकारी प्रदान कर अपनी परिस्थिति से लड़ने के लायक बनाना आवश्यक है, ताकि वे कलंक और भेदभाव से लड़ सकें।[383]

भारत महिला यौन कार्य से संबंधित सरकार ने कुछ प्रावधान किये हैं, जिनमे Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act 1956 (SITA), और Immoral Traffic Prevention Act 1988 (ITPA) पास किये गए हैं। SITA का मुख्य उद्देश्य है कि, महिला यौन कर्मी और महिला यौन कार्य का उन्मूलन करना नहीं था, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए इसे अवैध घोषित करना था, ताकि जनहित में यह बाधक न हो सकेl इसका उद्देश्य था कि महिला यौन व्यवसाय को व्यापार और शोषण के चक्र से बाहर निकाल कर जीविका के साधन के रूप में इसके उपयोग को रोकना।"[384]

ITPA और SITA में यह सुधार हुआ है, कि वह यह मानता है, कि बच्चे और यहाँ तक कि पुरुष भी यौन कर्म के शिकार होते हैं। व्यावसायिक तौर पर जिन लोगों ने मकान का इस्तेमाल यौन व्यवसाय होने के लिए दिया यह कानून उन्हें पकड़ता है। इस विषय की जानकारी नहीं होना बचाव नहीं कर पाता है, ITPA के अन्दर दंड का नया पक्ष प्रावधान किया गया है, जिनमें ITPA के दो प्रावधानों से महिला यौन-कर्मियों को राहत मिली है। जिनमें पहला है, पुलिस अधिकारियों कोठे की महिला यौन-कर्मियों के

---

383 Adebajo Bolanle Sylvia, Abisola O. Bamgbala and Muriel A. Oyediran. "Attitudes of Health Care Providers to Persons Living with HIV/AIDS in Lagos, Nigeria", African Journal of Reproductive Health, Volume 7, no. 1, April 2003, pp: 104-105, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3583350.pdf?refreqid=excelsior%3A45b24e74c8cbe9537fac435ad4622407, accessed on 16th May 2017.

384 Agnes Flavia. "Protecting Women against Violence? Review of a Decade of Legislation, 1980-89", *Economic and Political Weekly,* Volume 27, no. 17, 25 April, 1992, pp: WS28. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4397795.pdf?refreqid=excelsior:e24ddfa67b126e18bc119b28bc49561a, accessed on 12th June 2017.

साथ तरीके से व्यवहार पर प्रतिबन्ध तथा पुलिस की कार्यवाही के दौरान महिला पुलिस कर्मी का होना अनिवार्य है। दूसरा है, जो महिलाएँ महिला यौन कार्य छोड़ना चाहती हैं, उनके पुनर्वास के लिए सही इंतजाम, समर्थ और सक्षम अधिकार, यौन कर्मी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, उनको जीवन यापन करने हेतु लाभकारी रोजगार और जीवन संबंधी सुरक्षा दिलाने को स्थान देता है।

STD और HIV/AIDS जैसे मुद्दों पर World Health Organization (WHO) का मानना है, कि HIV-जाँच AIDS की जानकारी के लिए अनुपयोगी है। National AIDS Control Organization (NACO) अनेक प्रावधानों और तरीको से इस समस्या पर गहन विचार कर रहा है, जिसमें सामाजिक, नैतिक, कानूनी पक्ष हैं, जिससे कि NACO अपने कार्य में अर्थात सिर्फ HIV/AIDS को रोकने में सहायक हो सके। भारत में अभी तक HIV/AIDS से संबंधित कोई कानून नहीं है, राज्यसभा में 1989 के अगस्त में एक बिल रखा गया HIV/AIDS संबंधित से रोकथाम के लिए किन्तु कुछ सक्रिय प्रतिभागी संगठनों ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, और 1992 में यह वापस हो गया। इसके विरोध में मुख्य प्रतिक्रिया यह थी, कि यह सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों को असीमित अधिकार देती है, और उसके द्वारा सामान्य जन का उत्पीड़न होना संभावित था।[385] इसी के साथ इस बिल को लेकर एक आशंका यह भी थी, कि उनका जाँच अनिवार्य रूप से जो कि महिला यौन कर्मी आरोपित होते, ड्रग यूज़ करने वाले, व्यावसायिक रक्त दान करने वाले, आदि, इस प्रकार दूसरे प्रावधान के द्वारा स्वास्थ्य अधिकारियों को और अधिक अधिकार देकर लोंगों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला होता सही गलत क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधारित कार्य से अधिकारी आम जनों को परेशान करते जिस कारण कानून लागू करने वालों की संख्या और कर्मचारियों की अक्षमता के कारण यह बिल ढह गया। यधपि अभी भी कोई ऐसी कानूनी वाध्यता नहीं है जो कि HIV-संक्रमण की जाँच के लिए हो, आज भी जो खतरे में हो सकते है, तो समाज में उन्हें अलग थलग करके रखने की परिस्थिति भी लोग बना डालते हैं, जबकि यह HIV-संक्रमक कोई बीमारी नहीं है।[386]

---

[385] Nag Moni. *Sexual Behaviour and AIDS in India,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1996, pp: 67-69.

[386] Ibid

भारत दुनियाँ में HIV/AIDS के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है। भारत और दक्षिण अफ्रीका में HIV-संक्रमित लोंगों की संख्या सबसे अधिक है, और उनकी स्थिति दयनीय भी है, इसी के साथ यहाँ पर HIV-संक्रमित व्यक्तियों की सही संख्या बताना बहुत कठिन हैं। यहाँ पर इन HIV-संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लाखों लाख तक हो सकती हैं। NACO के अनुसार भारत में HIV-संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 20,88,638 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 12,72,663 है, और महिलाओं की संख्या 8,15,975 है।[387] NACO के आंकड़ों के अनुसार भारत में HIV-संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही हैं। किन्तु कुछ अन्य तथ्यों के अनुसार यह भी माना जाता है, कि NACO के द्वारा प्रस्तुत किये गए यह आंकड़े एक सतही आंकड़ों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से व्यक्ति HIV-संक्रमण की जाँच के लिए आते नहीं हैं।भारत में इन यह HIV-संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पश्चिम यूरोप के एक सामान्य देश की संख्या के बराबर है । इसी के साथ कुछ NGOs का यह भी दावा है कि HIV-संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चुपचाप अपनी तरफ बिना किसी का ध्यान खींचे अंदर ही अंदर यह भारतीय महामारी लगातार तेजी से समाज में फैल रही है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी महामारी सावित हो सकती हैं।

अध्याय का निष्कर्ष

तथ्यों के अनुसार यह सामने आया कि जो महिला यौन कर्मी मेरठ के लाल बत्ती क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर की सेवा से खारिज हो जाती हैं उनमें से कुछ महिलाएं वहीं पर मालकिन बन जाती हैं किन्तु इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसी के साथ कीच महिलाएं इन्ही कोठों पर इन महिला यौन-कर्मियों की सेवा में लग जाती हैं जैसे की खाना बनाना, इनके कपड़े धोना, इनके लिए पानी पिलाना आदि, किन्तु यहाँ से जो महिलाएं बूढी होकर चली जाती हैं उनका जीवन शहर की गंदी बस्तियों में व्यतीत होता हैं। यह महिला यौन कर्मी यहाँ पर भी यौन कार्य ही करती हैं किन्तु यहाँ पर इनकी पहचान करना कठिन होता हैं। यहाँ पर इनके पास तक पहुंचने के लिए इनके दलालों और विश्वासपात्र ग्राहकों के साथ ही जाया जा सकता है, किन्तु यहाँ पर

---

[387] NACO: State Fact Sheet, Department of AIDS Control, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, March - 2014, p: 9, Available at: http://naco.gov.in/sites/default/files/State_Fact_Sheet_2013_14.pdf, accessed on 22th June 2017.

भी इनको जीवन यापन करने की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।इन महिला यौन-कर्मियों का जीवन कोठों पर हो या यहाँ से खारिज होने के बाद होता कष्टदायक ही है और समाज में इनको कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष

महिला यौन-कर्मियों के जीवन के अनुभव और बातें हमको समाज की महत्वपूर्ण सच्चाइयों से अवगत कराती हैं। सर्वप्रथम, वह यौन-कर्मियों द्वारा अपनी जिंदगी पर अपना अधिकार जताने के क्रम में कड़े विरोधों की बात करती हैं यानि कि अपनी जिंदगी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं स्वस्थ संबंधों को स्थापित करने के दौरान किए जाने वाले विरोधों की बात करती हैं। वे बहुत सारी महिला यौन-कर्मियों और समाज के द्वारा छीन लिए गए अपनत्व और मर्यादा की भावना को बनाए रखने के संघर्षों की भी बात करती हैं।इसके अतिरिक्त कुछ यौन कर्मी यह भी बताती हैं कि अपनी यौन क्रियाओं और स्वामित्व के अधिकारों की भावना के बीच एक बंधन का अनुभव करती हैं, अतः पहले का अवमूल्यन बाद वाले को भी अपमानजनक बनाता हैं।

कोई भी समस्या समाज में तब अधिक जटिल होती जाती है, जब व्यक्ति उस समस्या के समक्ष अपने बचाव के रास्ते नहीं बना पाते हैं। एक प्रकार से यह सामाजिक सन्दर्भ और डर का लुका छिपी के खेल जैसा है, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसका सबसे बड़ा कारक है, समाज में काम की तीव्रता को शक्तिशाली होना, गरीबी, लिंगभेद, असुरक्षित स्वास्थ्य परकता का वातावरण आदि, जिसके अभाव और सावधानी सर्वथा अभाव खतरों को बड़ा डालते हैं। वस्तुत: यह खतरा होता तो सभी के आस-पास है, लेकिन जो जो नागरिक सामाजिक स्तरीकरण के सवसे निचले पाएदान पर है, उनकी दशा अधिकाँशतय अधिक असुरक्षित होती है। लिंगभेद की असमानता के तथ्य यह सावित करते हैं, कि पुरुष कामुकता का प्रतिरूप है, और महिलाओं के शरीर पर उसका अधिकार है, इसलिए किसी भी पत्नी को पाने पुरुष पतियों के साथ यौन-क्रिया करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। इसी के साथ संस्कारगत भी महिलाओं का उनके अपने शरीर पर भी अधिकार नहीं है, तथा गरीबी की स्थिति में तो यह महिलाओं के लिए भी अधिक असुरक्षित रूप सामने आता है, जिसमें यौन ज़बरदस्ती पत्नियों को अपने पतियों द्वारा झेलनी पड़ती है, जिसमें शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, शराबखोरी अन्य असहनीय और अपमानित व्यवहार महिलाओं को अपने पतियों द्वारा झेलना पड़ता है।

अपनी आर्थिक दासता के दायरे में महिलायें यौन कार्य में गुलाम हो जाती हैं। घरवालियों, मौसियों अर्थात दल्लन या फिर स्वरोजगार में गृहस्थिन की तरह काम

करती हैं। काम की परिस्तिथियों और रचना के अतिरिक्त उनका कलंकित सामाजिक स्थिति उन्हें पुलिस, स्थानीय दादाओं के रहमो करम पर छोड़ देता है। उनका आर्थिक शोषण और बेमन बंधन यौन शोषण से गुजरना होता है। इस प्रकार की आक्रामक कारी स्थिति में उनका मन मस्तिष्क आपराधिक वृतियों से भर जाता है।

SITA की मूल अवधारणा है, कि महिला यौन कार्य एक आवश्यक बुराई है, जो पुरुष कामुकता को एक दिशा में मोड़ देता है, लेकिन सामान्य समाज को इससे बचाने के लिए यौन कर्मी महिलाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत होती है। इस प्रकार यह कानून महिला यौन-कर्मियों को लाल बत्ती क्षेत्रों में सीमित कर देता है डालता है, और इसका परिणाम यह होता है, कि उनका अन्तहीन शोषण, मानभंग, सम्पीड़ित स्थिति, पुलिस प्रशासन, न्यायालय का अमानवीय व्यवहार, गरीबी आदि समस्याओं से जूझती रहती हैं।

भारत में HIV/AIDS के विषय में एक बड़ा पक्ष यह है जो, कि यौन सम्बंध से HIV-संक्रमण का फैलाव सामाजिक कलंक के रूप में माना जाता है और समाज में इसकी अस्वीकृति है, जिसका मौलिक रूप गरीबी, अशिक्षा, कुशिक्षा, बेरोजगारी, स्थान परिवर्तन, असमर्थ पुरुष महिला सम्बंध में छिपा है। इसकी बढ़ोतरी कई सारे सांस्कृतिक विरोधामायों में है। भारत देश की कठोर सांस्कृतिक परिधि महिला यौन कार्य को आम चर्चा में आने नहीं देती है, और यहीं से समाज में लुका छिपी का अधिक अनैतिक दौर शुरू होता है और इस प्रकार महिला यौन कार्य प्रयोगात्मक होते हुए दुर्घटनात्मक बन जाता है। कम उम्र में शादी विवाह और एकल विवाह का प्रचलन समाज में पाया जाता है, जिसमें सभी लड़की की यौन शुचिता पर गंभीर रहते हैं, किन्तु लड़कों और पुरुषों को विवाह पूर्व यौन अनुभव की लगभग आजादी, प्रेम और काम का खुलापन लड़कों के लिए एकदम ही असंयमित परिस्थिति बना डालता है। महिलाओं की कामभावना पर पूरी तरह से रोक लेकिन महिला यौन कार्य जो कि गरीबी का परिणाम होती है, उस पर लगभग सामाजिक चुप्पी, यह देश सबसे अधिक वेश्याओं का देश है, किन्तु चिकित्सकों की बेरुखी, और महिला यौन-कर्मियों दयनीय स्थिति, यौन शिक्षा की दुर्दशा, सलाह का अभाव, सार्वजनिक स्थलों लगातार कमी एक दुखद परिणाम हैं।

भारत देश में अनेक विरोधमासों का समाज पाया जाता है, इसके संगीत, कविता, मूर्तिकला, काम इच्छा, काम भावना, आदि को अनेक रूपों में सजाते हैं। प्रेम प्रसंग, विवाह के बाद काम संबंध, और अनेक विधियों के द्वारा काम प्रसंगों को समाज में

समेटे हुए हैं। यह विविधतापूर्ण गतिमान और खुला समाज है, फिर भी इसमें बहुत से स्तरों पर समाहित और विलगाव करने वाली स्थितियाँ भी मौजूद हैं, जिनमें जाति भेद, रंग भेद, असमर्थता आदि शामिल है। ऐसी परिस्थिति में HIV/AIDS जैसी सामाजिक और चिकित्सकीय जटिल संक्रमण का फैलाव आशंका में तैरता रहता है। HIV/AIDS हमारे सभी कार्यान्वित होने योग्य विकास को प्रतिबिंवित करता है जो, कि समाज के जमीनी सच्चाई हैं, HIV-संक्रमित व्यक्तियों की दयनीयता ह्रदय विदारक होती है। एक असहाय व्यक्ति बड़ी निर्दयता पूर्वक ग्रास बन रहा है, उस संक्रमण का जो मनुष्यों को ही लील रहा है। साथ ही हमारे सार्वजनिक विकास और व्यक्तिगत परिद्वश्य का दर्पण है।

सामाज का यह दोहरा मापदंड लड़कों और पुरुषों में यह मूल्य बनाए रखता है, कि लड़कियां अथवा महिलायें अंजान निर्दोष हैं, चाहें बेशक उनकी चालाकी को पकड़ा ना जा सके, इस तरीके की मानसिक अकर्मण्यता यौन संबंधों की अनेक जानकारी को छिपाए रखती है, जिसके द्वारा यौन स्वास्थ्य को जर्जर करता जाता है। पुरुष और लड़के अपनी पौरुषता की परखने के प्रति चिंतित होते देखे जाते हैं, जिस प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु वेश्यालय आधारित महिला यौन-कर्मियों के पास जाकर अपनी मर्दानी की परख करते हैं। गरीबी की मारी वेश्यालय आधारित महिला यौन कर्मी अनेक पुरुषों के साथ असुरक्षित सहवास के प्रलोभन में यौन संक्रमित होती जाती हैं और जानकारी तथा स्वास्थ्य की सुवुधाओं के अभाव में यह संक्रमण फैलाता जाता है। जब कोई भी पुरुष ग्राहक इन संक्रमित यौन-कर्मियों के साथ सहवास करता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है, उसके बाद जब पुरुष यह यौन रोग लेकर घर लौटते हैं और पत्नियों अथवा प्रेमिकाओं के साथ सहवास करते हैं तो वह अपनी पत्नी अथवा प्रेमिकाओं को भी संक्रमित कर देते हैं, जिसका परिणाम महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। वह महिला किसी वेश्यालय आधारित कोठों की यौन कर्मी हो या कोई घरेलु महिला इसके दुष्परिणाम महिलाओं के हिस्से में ही आते हैं। महिलाओं के शरीर की संरचना ऐसी होती है कि उसमें यौन संक्रमण पुरुषों की तुलना में अधिक तेजी से फैलता है जिसे उनको लगातार झेलना होता है, इसी के साथ यह भी तथ्य सामने आये हैं, कि पुरुषों और अधेड़ आयु की तुलना में नव युवतियों को यह संक्रमण अधिक जल्दी संक्रामित करता है, क्योंकि नवयुवतियों के जनन अंग कोमल होते है और उनकी निरोधक क्षमता कम होती है, जिसके चलते इनको यौन संक्रमण की पीड़ा को अधिक झेलना पड़ता है।

भारत देश में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता है, जो कि समाज में यौन संक्रमण को फैलाने के लिए ज़िम्मेदार साबित हो सकता है, क्योंकि यदि नवयुवतियों के पति पहले से ही असुरक्षित यौन-क्रिया के चलते संक्रमित हैं, तो दाम्पत्य जीवन के शुरुआती दौर में ही यह जोखिम बना रहता है। भारत देश के सन्दर्भ में यह तर्क दिया जाता है, कि लड़कियों की कम आयु में विवाह करना भी HIV/AIDS के फैलाव का एक आरम्भ है। महिला यौन को कीमत देकर प्राप्त करने वाले व्यक्ति अधिकांशत कम आयु की लड़कियों को अधिक पसंद करते हैं और यह इन नवयुवतियों को अधिक कीमत देकर भी प्राप्त करते हैं, इसलिए पुरुष ग्राहकों की मांग के अनुसार कम आयु की युवा लड़कियों को महिला यौन व्यवसाय में लाने का क्रम चक्र समाज में बिना रुके लगातार चलता रहता है। अभी तक हुई शोधों से यह सामने आया है, कि कम उम्र की लड़कियों और महिलायें अधिक HIV-संक्रमित हैं।

वेश्यालय आधारित कबाड़ी बाजार मेरठ के इन कोठों पर किया जाने वाले यौन कार्य के बदले वैसे तो पारिश्रमिक भाव (price) यूं तो निश्चित होता है और यह आने वाले ग्राहकों को भी ज्ञात भी होता है, किन्तु फिर भी आपसी समझौता (Negotiation) के मुताबिक इसमे कम या जायदा करने की कुछ गुंजाइश जरुर होती हैं। यहाँ पर यौन कार्य करने वाली महिलाओं ने बाकी सभी महिलाओं के अन्य कामों की तुलना में अपने काम के प्रति हमेशा यह बहुत दावे के साथ जाहिर किया कि, और अन्य कार्यों को करने में कोई मेहनत नहीं है, इन महिला यौन-कर्मियों का कहना है कि -

> “मेहनत तो हम लोग करते हैं, हम हमेशा ग्राहक की तलाश करती रहती हैं ना दिन देखती हैं और ना रात । जब भी ग्राहक आ जाता है हमको उसके साथ बैठना पड़ता हैं। उसमे भी हमको हमारी कमाई के पुरे पैसे नहीं मिलते हैं।साथ में समाज में इज्जत नहीं मिलती है वह अलग।”[388]

इन्होने हमेशा अपने काम की तुलना उन महिलाओं के काम से की जो किसी दफ्तर में आराम से प्रेस की साड़ी बांधकर जाती हैं और कुर्सी पर बैठकर काम करती हैं और महीने की पहली तारीख को इन्हे अपनी पूरी कमाई मिल जाती हैं। जब मैंने इनको उन महिलाओं के द्वारा की जाने वाली उनकी बौद्धिक मेहनत और उनके प्रयास से समाज

---

[388] राज कुमारी, शारदा, शिमला, रजनी चंचल, रीटा, दीपिका... आदि महिला यौन कर्मी का मानना है कि हमारे बराबर मेहनत, शर्मिंदगी, और खतरा कोई भी अन्य श्रमिक अपने जीवन में नहीं झेलता है इसलिए हमको भी एक कानूनन वैध श्रमिक की मान्यता मिलनी चाहिए ।

को मिलने वाले लाभ के विषय में बताया तो इन्होने इस बात से कोई सरोकार नहीं रखा। इस विषय पर इन्होने सिर्फ इतना ही कहा की हमें नहीं लगता की कोई महिला या पुरुष हमसे ज्यादा मेहनत और जिल्लत भर काम करते हैं।

इसी के साथ यहाँ पर काम करने वाली यौन-कर्मियों में यह मान्यता बड़ी जोरों पर है कि शरीफ घरों की लड़कियां इसलिए सुरक्षित बची रहती हैं क्योकि हम बाजार में यह काम करते हैं। यदि हमने यह काम बंद कर दिया तो जाने कितनी लडकियों का रोजाना बलात्कार होगा। किन्तु इन सब के बाद भी इन्हे कोई इन्सान नहीं मानता है और ना ही इनको यहाँ पर किसी प्रकार के कोई कानूनी अधिकार मिले हुए हैं जो कि हमारे सविंधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं।इन यौन-कर्मियों के अनुसार -

> "साहव हमको कोई इन्सान नहीं मानता हैं। हम तो हांड मॉस के काम चलाऊ सामान हैं। हम जब तक ठीक से चल रहे हैं, तब तक ये लोग भी हम से काम चला रहे हैं।जिस दिन हम खराब हों जाएगें उसी दिन यहाँ से बाहर फैंक दिये जायेगें। यदि नहीं फैंका गया तो इन्हीं कोठों पर किसी दूसरे बेगार के कामों में लगा दिया जायेगा। जब हमें श्रमिक या इंसान माना ही नहीं जाता है, तो हमारे अधिकारों और मजदूरी की बात ही क्या है?"[389]

यह यौन कर्मी हमेशा यह जाहिर करते हुए पायी गयीं कि हम लोगों की कोई सरकारी नौकरी नहीं है और ना ही हम किसी कम्पनी में काम करते जहाँ पर एक बार नौकरी लग गयी तो कभी नहीं छुटेगी। हमारा क्या है हम तो कभी यहाँ काम करते हैं, तो कभी कहीं और चले जाते हैं। हमारी जगह तो हमेशा बदलती रहती हैं। हम कभी यहाँ तो कभी कहीं और रहते हैं। कभी कभी तो पुलिस के डर से हम कहीं के कहीं छुपते फिरते हैं। हमें एक समान मजदूरी कभी भी और कहीं नहीं मिलती हैं। इसी सन्दर्भ में यौन कर्मी महिलाओं का मानना है कि -

> "यह ठीक बात है कि यह बुराई समाज में नहीं होनी चाहिए लेकिन यदि इस बुराई के साथ हम नहीं होंगे तो इन शरीफ घराने की महलाएं भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी हमारी वजह से ही समाज में बलात्कार कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम तो यह कहते हैं कि सरकार इसको बिल्कुल समाप्त कर दे लेकिन हमारी सुरक्षा की गारंटी भी ले कि हम क्या करेंगी

---

[389] बिमला, हेमा, पूजा, प्रिया, अंजू, रेखा, बंधू... आदि महिला यौन कर्मी का कहना है कि हम कोई इंसान नहीं हैं वल्कि पुरुषों की जरूरतों को पूरा करने वाली हांड मॉस की मशीन हैं जब तक ठीक से सेवा दे रहें हैं ठीक तो हैं यदि बेकार हुए तो बदल दिए जायेंगे ।

और समाज में फिर हमको अपमान नहीं झेलना पड़ेगा और मजबूर होकर हमको दुबारा छिपकर या बिना छिपे इस काम को करने की मजबूरी नहीं होगी।"[390]

शोधार्थी अध्ययन दौरान प्राप्त किये गए तथ्यों के अनुसार कह सकता है कि यौन कार्य को एक स्त्रियों के काम के रूप में समझें जाने के कारण, इस श्रम में शामिल महिला यौन-कर्मियों की आर्थिक स्थिति हाशिये से गरीवी यानि बद से बदतर होती हैं। यौन-कर्मियों के वैश्विक यौन व्यापार में न्यूनतम भागीदारी होती है, हालांकि इस व्यापार का आकार और मुनाफा तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा होता हैं। एक महिला होने के नाते उनका अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन में विभिन्न प्रकार के शोषण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है, लेकिन यह महिलाओं के जीविकोपार्जन के सवाल ही हैं कि वेश्यावृत्ति के समर्थक नारीवादी यौन कार्य में एक कीमत का अवलोकन करती हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है यौन कार्य महिलाओं के लिए एक बड़े बाज़ार का प्रतिनिधित्व करता हैं तथा इसी के साथ तथ्य यह भी सामने आते हैं कि समाज में अधिकतर गरीब और अशिक्षित, और उपेक्षित महिलाओं के लिए यौन कार्य ही एकमात्र जीविकापार्जन का साधन है, इसलिए वेश्यावृत्ति का वैधानिक उन्मूलन के खिलाप यह एक बहुत बड़ा तर्क सावित होता हैं। खासतौर पर तब जब कबाड़ी बाजार में और जिस स्तर से यह महिलायें यौन कार्य में रही हैं वहां उनके लिए वैकल्पिक योजनायें नहीं के बरावर हैं।वेश्यावृत्ति के काम में जुड़ी महिलायें किसी भी स्तर पर अन्य किसी भी काम में जुड़ी महिलाओं की तुलना में अधिक धन कमाती हैं किन्तु इसमें उतना ही अधिक खतरा भी यह अपने जीवन में उठाती हैं। शोधार्थी का मानना है, कि इन यौन-कर्मियों के संघीकरण और अन्य सुधारों के कारण उनकी मजदूरी, मुनाफे, एवं प्रतिफल में भारी परिवर्तन लाया जा सकता है, और इसी के साथ सामाजिक महिलाओं की कोई भी ऐसी आदत, जो कि जन-साधारण के सामाजिक पक्षपातों जैसे कि यौन-कर्मियों को मात्र सहवास की वस्तु के रूप में देखना, तो कभी इस श्रम को समाज में हेय द्रष्टि से देखना और इसको नजरअंदाज करना, इस श्रम में महिलाओं के लिए घातक सावित हो सकता है, इसलीये समाज में इस श्रम पर ध्यान देना और इस तरह की सामाजिक मान्यताओं से पार देखना इन महिला यौन-कर्मियों के जीवन हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण सावित हो सकता हैं। जब तक कि समाज में ऐसा परिद्दश्य का निर्माण नहीं होगा जिसमें कोई भी महिला बिना किसी तिरस्कार, हंसी और भय के अपने काम को अंजाम

[390] Ibid

दे सकती है, तब तक लिंग और लैंगिकवाद हमारे बीच में घुसा रहेगा। यौन-कर्मियों के द्वारा यौन कार्य के प्रति झेले जाने वाला सामाजिक कलंक, सामाजिक निन्दा, समाज में इससे जुड़े खतरे, आदि हमेशा महिला यौन-कर्मियों के लिए चिंता, खतरे का विषय बने रहेयेंगे।

लेकिन गरीब महिलाओं का उत्पीड़न जीवन में लैंगिकता के खासे महत्व एवं आर्थिक क्रम से संबंधित ऐसी विचारधारा के निर्माण में मदद करता है, जिसकी नींव एक भारी तादाद में उपलब्ध कम वेतन वाले गरीब मजदूर महिलाओं पर टिकी है, किन्तु जो कि नवयौवनाओं को यौन कार्य के व्यवसाय में आने के लिए प्रलोभित करने वाले दो मुख्य कारणों जैसे कौटुम्बिक व्यभिचार (incest) और मादक पधार्थों के सेवन को नज़रअंदाज करती हैं। यहाँ पर प्राप्त तथ्यों के अनुसार महिला यौन कार्य का उन्मूलन एक बहुत ही दूरगामी उपाय प्रतीत होता है, जो कि अनिश्चित अनिश्चिताओं से भरा है, मगर इस व्यवसाय के लगातार अपराधीकरण ने महिला यौन-कर्मियों की अवधारणा को लगातार कम किया हैं। समाज में महिला यौन कार्य के एक खास प्रचलन एवं संरचना को स्वीकार कर लेने एवं उसके उन्मूलन में विश्वास करने के बजाय कानूनी एवं सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव की कोशिश करना एवं महिला यौन कार्य के यथार्थ में विश्वास करना महिला यौन-कर्मियों के लिए ज्यादा हितकर साबित हो सकता है, क्योंकि शक्ति संबंध समाज में हमेशा विद्यमान रहेंगे।

मेरठ लाल बत्ती क्षेत्र के वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य कर रही महिला यौन-कर्मियों के मध्य सामूहिकीकरण की प्रक्रिया के तहत नियमित समय अंतराल पर सामूहिक चर्चा होती है, जिसमें, कि वह समाज के द्वारा गढ़ी गई धारणाओं पर प्रश्न करती हैं, तथा साथ ही साथ समकालीन समय की परिस्थितियों में भी जिन्दगी के आनन्द और स्वतंत्रता को पाने के विषय में विचार करती हैं।तथ्यों के अनुसार यह सामने आया कि महिला यौन कर्मी अपने श्रम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना जीवनयापन कर सकती हैं, तथा समय और जरुरत के अनुसार इसमें बदलाब भी ला सकती हैं, तथा इसी के साथ यह महिला यौन कर्मी अपने आसपास की परिस्थितियों में बदलाव लाकर उसे अपने लिए फायदेमंद बनाने के प्रयास भी करती हैं। महिला यौन-कर्मियों के पास अपनी कामुकता को ढूंढने अथवा पसंद करने के अवसर उनके पास होते हैं, वह किसी भी अनचाहे पुरुष ग्राहक के साथ सहवास करने से इंकार भी कर सकती हैं यह अधिकार उसके पास होता है, और अपने मनपसंद पुरूष को अपने साथ

सहवास के लिए चुन भी सकती हैं यदि कोई पुरुष ग्राहक चाहे तब। यह महिला यौन कर्मी; यौनिक गतिविधि में शामिल अनेक कार्यों में अपने आपको शामिल कर सकती है, तथा अन्य व्यक्ति जो कि यौनिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक साझेदार का भी किरदार निभा सकती हैं।इन महिला यौन-कर्मियों के पास अन्य महिलाओं की तुलना में कामुकता को खोजने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, तथा इसी क्रम में यह महिला यौन कर्मीयों की दूसरी महिलाओं के साथ नजदीकियाँ बढ़ती हैं, और यह यहाँ पर कई दूसरी महिलाओं से प्यार भी करने लगती हैं।

इस प्रकार संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि आज वर्तमान में वेश्यावृत्ति के उस स्पष्टीकरण की आवयश्कता है, जो जटिल होने के साथ साथ बाध्यकारी भी है, ना कि कोई व्यावहारिकता पूर्वक व्याख्या करने वाले और ना ही कोई यन्त्रवादी मांग पुरुषों की यौन जरुरतें और आपूर्ति महिलाओं की उपलब्धता वाले प्रतिमान पर आधारित हैं।इसके साथ ही साथ वेश्यावृत्ति से सम्वन्धित बाकी सामाजिक समस्याएं जैसे- अपराधिक परवर्तियों वाले व्यक्तियों का इस काम के साथ जुड़े रहना, इस काम के साथ जुड़े लोगों का गैर कानूनी कामो में शामिल रहना, और इस काम से सम्वधित विचलन को भी शामिल करता हो। इसी के साथ हमें वेश्यावृत्ति में निहित श्रम के स्वरुप को भी पहचानना चाहिए और तब इसकी कीमत का आंकलन करना चाहिए जो कि कुछ विशिस्ट कार्य जैसे- यौन चिकित्सा आदि में भी उपयोगी सावित हो सके। आखिरकार क्यों ना हमें वेश्यावृत्ति को एक लैंगिक गतिविधियों के रूप में देखना चाहिए जो कि हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के अनुसार महिलाओं के श्रमों के अनुसार इस काम की शर्त दावों और भुगतान का पालन करने में सक्षम हो।

लेकिन गरीब महिलाओं का उत्पीड़न जीवन में लैंगिकता के खासे महत्व एवं आर्थिक क्रम से संबंधित ऐसी विचारधारा के निर्माण में मदद करता है, जिसकी नींव एक भारी तादाद में उपलब्ध कम वेतन वाले गरीब मजदूर महिलाओं पर टिकी है, किन्तु जो कि नवयौवनाओं को यौन कार्य के व्यवसाय में आने के लिए प्रलोभित करने वाले दो मुख्य कारणों जैसे कौटुम्बिक व्यभिचार (incest) और मादक पधार्थों के सेवन को नज़रअंदाज करती हैं। अगर बाहर की कोई दूसरी कामना अनैतिक व्यक्तिगत कामनाओं के प्रतिपादन में रोक नहीं लगा सकती है, तो हमें उसका स्रोत स्वयं में तलाशना चाहिए । महिला यौन कार्य का उन्मूलन एक बहुत ही दूरगामी उपाय प्रतीत होता है, जो कि अनिश्चित अनिश्चिताओं से भरा है, मगर इस व्यवसाय के लगातार अपराधीकरण ने

महिला यौन-कर्मियों की अवधारणा को लगातार कम किया हैं। समाज में महिला यौन कार्य के एक खास प्रचलन एवं संरचना को स्वीकार कर लेने एवं उसके उन्मूलन में विश्वास करने के बजाय कानूनी एवं सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव की कोशिश करना एवं महिला यौन कार्य के यथार्थ में विश्वास करना ज्यादा हितकर साबित हो सकता है, क्योंकि शक्ति संबंध समाज में हमेशा विद्यमान रहेंगे।

समाज अर्थात (लाल बत्ती क्षेत्र, कबाड़ी बाजार) में यह मान्यता बड़े जोरों से सामने आती है, कि अधिकांश महिलाएँ यौन कार्य स्वेच्छा से नहीं करती हैं, लेकिन जब एक बार वह इस व्यवसाय में आ जाती हैं, तो उनकी आर्थिक सामाजिक सच्चाई और परम्परगत समाज की जटिलताएं उन्हें यौन कार्य के व्यावसायिक चक्र से बाहर नहीं निकलने देती हैं, और यौन कार्य को आपराधिक प्रवृतियों के साथ देखने के कारण यह महिला यौन कर्मी समाज के सवसे निचले पायेदान पर आ जाती हैं। समाज में महिला यौन कर्मी सवसे निचले पायेदान पर होने के बाबजूद भी, इनके कुछ समूह होते हैं, जो कि HIV-संक्रमण में हस्तक्षेप के बहाने अनेक यौन कर्मी समूह और संगठन आगे आ रहे है, जिसमें इनकी मांग महिला यौन कार्य को कानूनन रूप से वैध घोषित करना है। यह समूह कानून में बदलाव लाकर महिला यौन कार्य को अपराध और कलंक से बाहर लाने की मांग करता है, जिसका अर्थ है, कि पुलिस प्रशासन समाज द्वारा उनकी प्रताड़ना रोकना है। समाज की इस मान्यता पर कि महिला यौन-कर्मियों से सभ्य समाज को बचाया जाना चाहिए यह एक झूठी चाल है। इन संगठनो का मानना है, कि समाज में महिला यौन-कर्मियों के साथ निंदनीय ढंग से व्यवहार करना सच नहीं है, जिसका अभिप्राय यह भी है, कि ऐसा करने से अपराधी संघ और महिला यौन व्यवसाय को कमजोर करना है, जो कि महिला शरीर की खरीद खरोफ्त कर रहा है। समाज में करोड़ों करोड़ डालर का यह महिला यौन कार्य लड़कियों बच्चों का क्रय विक्रय कानून की एक पेचीदगी पर टीका है, कि महिलाओं का अपने शरीर पर अपना अधिकार नहीं है। इसलिए शोधार्थी का मानना है कि महिला यौन-कर्मियों को आवश्यक है, कि राज्य और समाज में उनकी प्रस्थिति अपने शरीर पर अधिकार रखने की तो होनी चाहिए, ना कि HIV/AIDS संक्रमण से मुक्ति पाने के विचार से प्रतिगामी खतरे की वजह से महिला यौन-कर्मियों को नागरिक मानने की परिस्थिति मजबूरी में बने।

शोधार्थी का यह भी मानना है कि पूरी दुनिया में महिला यौन-कर्मियों के मानवाधिकार के लिए लड़ रहे संगठन यह मांग करते है, कि अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की

तरह इनको नागरिक अधिकार दिलाकर इन्हें भी सम्मान जनक जीवन की ओर लाना चाहिए। यह समग्र विचार इसकी जड़ में है, कि अन्य सभी जिम्मेवारियों की तरह यौन सम्बन्धों की जिम्मेवारी भी हर नागरिक को समानता पर लाता है। HIV-संक्रामक स्थिति ने हमारी चेतना में यह ला खड़ा किया है, कि समाज के हित में सब की जिम्मेवारी है, तथा इसी में सभी का हित निहित हैं, यह सिद्धान्त रूप से उभर कर आता है, कि जब यौन कर्मी महिलाएँ कंडोम इस्तेमाल को आजाद ख्याल से नहीं वल्कि सुरक्षा के लिए प्रेसित करती हैं, तब यह उनकी नागरिक समानता के धरातल पर उनका पहला कदम सावित हो भी सकता है।

कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र में चल रहे वेश्यालय आधारित यौन कार्य केवल महिला यौन-कर्मियों की आजीविका चलाने का साधन ही नहीं है बल्कि यह उनकी जिन्दगी की एक जीवन-शैली भी हैं। इस काम को सक्षम रूप से करने के लिए महिला यौन-कर्मियों को कड़ी मेहनत की जरुरत होती है और इसका प्रतिदान (Redemption) भी हमेशा अनिश्चित होता है फिर भी यहाँ पर इनके साथ इस क्षेत्र के बाजार वालों और रिहायसी लोगों का बड़ा ही अपरिहार्य (Inevitable) सा भाव पाया जाता हैं। किन्तु यहाँ पर आने वाले इनके ग्राहकों और कुछ लोगों के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण वृत्ति (Instinct) भी हैं। यह उन लोगों की काम वासना को शान्त करने का काम करती है जो कि इनके पास आते हैं।यह उनकी उम्र, रंग, धर्म, जाति, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति आदि कुछ नहीं देखती हैं। इसलिए यहाँ पर आने वाले इनके अधिकतर ग्राहकों द्वारा यह माना गया है कि यह समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण वृत्ति है क्योकि यहाँ पर सभी तरह के पुरुषों की काम वासना शान्त करने के लिए दरवाजे हमेशा सा खुले रहते हैं।

यहाँ पर काम करने वाली महिला यौन-कर्मियों में अधिकतर ऐसी हैं जो यह नहीं जानतीं कि अधिकार क्या होते हैं ? उनकी सुरक्षा क्या और कैसे होती है ? अधिकतर यौन कर्मी नहीं जानतीं कि अधिकार और कर्तव्य जैसे- शव्दों के अर्थ और मायने क्या हैं ? यदि उनसे इन विषयों पर बात भी की जाती हैं, तो वह कहतीं हैं कि यह सब आप क्या बात पूछ रहे हैं ? हमको इसका मतलब नहीं पता। यहाँ पर इनका कोई संगठन भी नहीं है, जो कि इनके लिए इनकी बात को उठाए। यहाँ पर यौन कार्य करने वाली अधिकतर महिलाएं निरक्षर हैं।बहुत ही कम महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर कुछ साक्षर पढ़ी-लिखी हैं। कोई भी अवसर और अवसरों की समानता, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के साधन, स्वास्थ्य की सुविधाएं, इन महिलाओं के पास नहीं है जिस को प्राप्त

करके यह समाज में गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कोई भी महिला विकास यौजना और वाल विकास यौजना इन तक नहीं पहुँच पाती और ना ही यह उन यौजनाओं तक पहुँच पातीं हैं। आखिर कब तक हमारे समानता और समतावादी समाज का यह भाग हमारे समाज में उपेक्षित और कलंकित रहेगा और कब और कैसे समाज के इस भाग का सशक्तिकरण होगा ?

संदर्भ सूची

संदर्भ सूची

Government Documents/Reports

Bharat Shalini (Prepared for UNAIDS). India: HIV and AIDS-related Discrimination, Stigmatization and Denial, Switzerland: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS): 2001.

Census of India. Primary Census Abstract, Scheduled Castes, Table A-8. 2001.

Census of India. Primary Census Abstract, Scheduled Tribes, Table A-9. 2001.

Census of India. Primary Census Abstract, Total Population, Table A-5. 2001.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation 19, Violence against women, University of Minnesota, Human Right Library, Eleventh session, 1992, U.N. Doc. A/47/38, 1993, reprinted in Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 243, 2003. Available at: http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/generl19.htm, accessed on 15th July 2018.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, *University of Minnesota, Human Right Library,* G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, entered into force, 3 September 1981. Available at: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/e1cedaw.htm, , accessed on 15th July 2018.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Division for the Advancement of Women: Department of Economic and Social Affairs,* Article 6. Available at: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm, accessed on 15th July 2018.

District Census Hand Book Meerut 1971

District Census Hand Book Meerut 1971.

District Census Hand Book Meerut 1981

District Census Hand Book Meerut 1981.

District Census Hand Book Meerut 1991

District Census Hand Book Meerut 1991.

District Census Hand Book Meerut 2001

District Census Hand Book Meerut 2011.

Durbar Mahila Samanwaya Committee (DMSC). *Sex Workers' Manifesto: First National Conference of Sex Workers in India,* Calcutta, 14-16 November 1997.

Dutta Mondira, Bupinder Zutshi. Rescued Trafficked Children from Commercial Sexual Exploitation - A Situational Analysis: Case Study of Delhi, Mumbai and Kolkata in India, Initiative for Social Change and Action: Geneva, 2003.

Eisele Sarah. Views of Sex Trafficking and Prostitution, Available at: http://www.essaydocs.org/views-of-sex-trafficking-and-prostitution-sarah-eisele.html, accessed on 14th April 2017.

Government of India. "Report on Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganised Sector", New Delhi: National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, August 2007.

Government of India. *A Study of Children Dependent on Prostitutes in Selected Area of Uttar Pradesh,* Pandit Govind Ballabh Panth Institute of Studies in Rural Development Lucknow. New Delhi: Department of Women and Child Development. Available at: file:///C:/Users/Manoj/Downloads/Document1212201050.4652826.pdf, accessed on 20th June 2017.

Government of India. *Draft National Interated Plan of Action to Prevent and Combat Human Trafficking with Special Focus on Children and Women,* Ministry of Women and Child Development, Supported by National Human Rights Commission, Ministry of Home Affairs National Commission for Women and UNICEF.

Government of India. *India Country Report: To Prevent and Combat Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children and Women, World Congress III: Against Sexual Exploitation of Children and Adolescents (Rio de Janeiro, Brazil, November 2008)*, Ministry of Women and Child Development & United Nations Office on Drugs and Crime, New Delhi, 2008.

Government of India. Ministry of Women and Child Development: Annual Report 2006-07, Available at: http://www.wcd.nic.in/sites/default/files/AR2006-07.pdf, accessed on 10th August 2017.

Government of India. *Report on Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganised Sector*, New Delhi: National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, August 2007.

Government of India. *The Velvet Blouse: Sexual Exploitation of Children,* New Delhi: National Commission for Women, 1997.

Government of India. *THEY TOO ARE CHILDREN: A Report on the Rehabilitation of Children of Prostitutes.* Sponsored by Department of Welfare, Women's Studies & Development Centre, University of Delhi. Delhi, 1992.

Government of India: The Prevention of Immoral Traffic and the Rehabilitation of Prostituted Persons Bill, 1993, available at: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/58089/19/19_appendix%20v.pdfavailable at 20th July 2017.

Govrnment of India. *Uttar Pradesh Development Report*, Volume - 2, Planning Commission on Handloom. New Delhi:

Gujarat High Court. *Sahyog Mahila Mandal and Anr. vs. State of Gujarat avd Ors. Equivalent citations:* (2004) 2 GLR 1764, Bench: R. Abichandai, D. Waghela, 18 March 2004, Available at: https://indiankanoon.org/doc/1813581/, available at 20th July 2017.

Gujarat High Court. *Bai Shanta vs State of Gujraat,* Bench: N. Shelat, AIR 1967 Guj 211, 1967 CriLJ 1140, (1966) GLR 1082, 14 February 1966, Available at: https://indiankanoon.org/doc/1201972/, available at 20th July 2017.

Hira Subhash, Manisha Sen and Rajendar Menen. *Positive Voices: Face to Face with HIV/AIDS*, New Delhi: M. Sengupta for Samskriti, 2000.

ILO. *Socio-Economic Impact of HIV/AIDS on People Living with HIV/AIDS and Their Families*. Delhi, 2003.

Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (hereinafter ITPA).

Indian Penal Code 1860.

International Covenant on Civil and Political Rights, *University of Minnesota, Human Right Library,* G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force, 23 March 1976, Article 22. Available at: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm, available at 20th July 2017.

International Labour Office, Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, *Discrimination (Employment and Occupation) Convention,* No. 111, 1958.

International Labour Organisation. *Forced Labour Convention,* Geneva: Convention: C 029, 1930.

International Labour Organisation. *Occupational Safety and Health Convention,* Geneva: no. C 155, 67th ILC Session, 2 Jun 1981.

International Labour Organisation. *R097 - Protection of Workers' Health Recommendation,* Geneva: no. 97, 4 June 1953.

Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, City Development Plan Final Report. New Delhi: Govt. of India, August 2006.

Jeffreys, Sheila. "Prostitution, trafficking and feminism: An update on the debate", *Women's Studies International Forum,* No. 32, 2009.

Jenkins Carol. *Female Sex Workers HIV Prevention Projects-Social and Behaviour HIV Prevention Research,* Calcutta: DAID National Institutes of Health, United Nations Programme of HIV/AIDS, 2000.

Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*. Available at: http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf, Accessed on 14th June 2017.

Ministry of Law and Justics, Government of India, *The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007*.

Mukherjee, K.K. and Sutapa Mukherjee. *Female Prostitute and their Children in the City of Delhi*' A Study Report. Ghaziabad: Gram Niyojan Kendra, 1992.

Mukherjee, K.K. and Sutapa Mukherjee*. Girls / Women in Prostitution in India: A National Study.* Supported by Department of Women and Child Development, Government of India, New Delhi, November 2004.

NACO. *Annual Report 2009-10*, New Delhi: Department of AIDS Control, Ministry of Health&Family Welfare Government of India, 2010.

NACO. *National AIDS Prevention and Control Policy*. Delhi: Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, 2006.

NACO: *AIDS Community*, First Annual Compendium of Consolidated Replies from the AIDS Community, Solution Exchange an UN Country Team Institution, Wider Choices Smarter Development.

NACO: *National AIDS Prevention and Control Policy,* Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, Delhi.

NACO: *Partnership for Mainstreaming, HIV/AIDS Prevention*, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, Delhi August 2006

NACO: State Fact Sheet, Department of AIDS Control, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, March - 2014, p: 9, Available at: http://naco.gov.in/sites/default/files/State_Fact_Sheet_2013_14.pdf

National AIDS Control Organization (NACO), AIDS Update, December, 2003, http://naco.nic.in

National AIDS Control Organization (NACO), *The Current Status and trends of HIV/AIDS epidemic in India,* New Delhi, National Aids Control Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, 2001b.

National AIDS Control Organization (NACO), *The Scheme for prevention and control of AIDS (Phase II),* New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, 1999a.

National Capital Region Directory, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Govt. of India.

National Law School of India. University, Much Heat, Not Enough Light-Our Expedences with Sex Workers in Karnataka, *Memorandum from the, to the Second All-India Community-Based Law Reform Competition,* 1993, pp: 101-28.

OFSIDE: Child Labour in Football Stitching, A Case Study of Meerut District, Uttar Pradesh, 2008.

Pradhan, K. Basanta and Ramamani Sunder. *Gender Impact of HIV and AIDS in India*. New Delhi: UNDP& NACO, 2006.

Revised Draft Report: *Master Plan for Development of Tourism in U.P. NCR* - Volume - II, JPS Associates Pvt Ltd: New Delhi, December 2009.

SAARC: Saarc Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution, The Member States of The South Asian Association for Regional Cooperation, May 1997.

Sahni Rohini, V. Kalyan Shankar. *THE FIRST PAN-INDIA SURVEY OF SEX WORKERS: A summary of preliminary finding,* April 2011.

Sen Sankar (Coordinator). NHRC-UNIFEM-ISS Project, *A Report on Trafficking in Women and Children in India 2002 - 2003*, Volume 1, August 2004, Available at: http://nhrc.nic.in/Documents/ReportonTrafficking.pdf, accessed on 20th March 2009.

Sex Worker (Legalization for Empowerment) Bill, 1993,

Sharma Mool Chand and A.K. Sharma(ed.). *Discrimination Based On Sex, Cast, Religion and Disability,* Delhi: National Council for Teacher Education, Under the aegis of National Human Rights Commission (NHRC), 2004.

Slavery Convention Signed at Geneva on 25 September 1926 The Convention was amended by *the Protocol done at the Headquarters of the United Nations,* New York, 7 December 1953.

Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, The Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, April 30, 1956, Adopted in Geneva, Switzerland on 7 September 1956.

Supreme Court of India. *Gaurav Jain vs. Union of India & Ors,* Bench: K. Ramaswamy, 9 July 1997, Available at: https://indiankanoon.org/doc/40881001/ and http://ncpcr.gov.in/show_img.php?fid=525

Swamy, P.N. "Labour Liberation Front, Mahaboobnagar vs. Station House Officer, Hyderabad and Others", *The High Court of Andhra Pradesh, Hyderabad,* WP No. 5736 of 1997, 22 August 1997, pp: 04-16, Available at: http://www.unodc.org/res/cld/case-

law/ind/2010/lata_case_html/PN_Swamy_Judgment_-_Hyderabad_HC.pdf, accessed on 10th March 2015.

The Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill- 2006, Section: 5C, Bill no. 47 of 2006.

The National AIDS Control Organization, New Delhi: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Annual Report 2009-10.

The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, Act No. 104 OF 1956 30th December, 1956. Available at: https://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/India_SUPPRESSION%20OF%20IMMORAL%20TRAFFIC%20IN%20WOMEN%20AND%20GIRLS%20AC.pdf, accessed on 20th April 2015.

UNAIDS. *A Conceptual Framework and Basis for Action, HIV/AIDS Stigma and Discrimination*. Switzerland: WHO Library Cataloging-in-Publication Data, 2002-2003.

UNAIDS. *Handbook for Legislators on HIV/AIDS, Law and Human Right: Action to combat HIV/AIDS in view of its devastating Human, Economic and Social Impact*, Geneva: Best Practice Collection, UNAIDS/99.48E, November 1999.

UNAIDS. *HIV and AIDS Related Discrimination, Stigmatization and Denial*. Switzerland: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2001.

UNAIDS. *HIV-Related Stigma, Discrimination and Human Rights Violations*. Switzerland: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2005.

UNAIDS: *A Conceptual Framework and Basis for Action, HIV/AIDS Stigma and Discrimination,* 2002-2003.

UNIADS. *AIDS Epidemic Update*. Switzerland: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2009.

UNIADS. *Report on the Global AIDS Epidemic-Executive Summary*. Switzerland: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2006.

United Nations of Human Rights: *The Universal Declaration of Human Rights,* Article 3. Available at: http://www.un.org/en/documents/udhr/

United Nations Population Fund (UNFPA). *Adolescents in India: A Profile,* 2003.

United Nations. 1949 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 96 U.N.T.S. 271, *entered into force,* 25 July, 1951.

United Nations. Human Rights, Office of the High Commissioner, *Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others,* Approved by General Assembly resolution 317 (IV) of 2 December 1949, Entry into force: 25 July 1951, in accordance with article 24.

United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,* Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime United Nations, 2000.

Universal Declaration of Human Rights, *University of Minnesota, Human Right Library,* G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71, 10 December 1948.

Winder, Roger. *HIV and Men Who have Sex with Men in Asia and the Pacific*, UNAIDS: Switzerland 2006.

World Health Organization, Regional Office for the Western Pacific, *STI/HIV: Sex Work IN Asia,* July 2001.

Written by Administrator. *Active India,* Friday, 4th July 2014.

योजना, *अनैतिक व्यापार,* वर्ष: 52, अंक: 2, फरवरी, 2008.

सिंह वीरेन्द्र (प्रमुख सम्पादक). *भारतीय गजेटियर उत्तर प्रदेश जिला मेरठ*, उत्तर प्रदेश शासन जिला गजेटियर विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1994 ।

Books

Jarvinen, Margareth. *Of Vice and Women: Shades of Prostitution*, Volume - 13, New York: Berg Publishers, 1993.

Hughes, M. Donna and Claire M. Roche. *Making the Harm visible: Globle Sexual Exploitation of Women and Girls Speaking Out and Providing Services,* Coalition Against Trafficking in Women: New York, 1999,

Medhini Laya, Dipika Jain and Colin Gonsalves (ed.). *HIV/AIDS and the Law,* Volume - 2, New Delhi: Human Rights Law Network, 2007.

O'Neill Maggie, J. Green and S. Mulroy. "Young People and Prostitution from a Youth Services Perspective Footnote 1", In David Barrett (ed.). *Child Prostitution in Great Britain: Dilemmas and Practical Responses,* London: The Children's Society, 1997. Available at: http://people.uvawise.edu/pww8y/Supplement/-ConceptsSup/Sexuality/SupYoungProstYouthServ.html, accessed on: 27th June 2016.

Adkins, Lisa and Vicki Merchant (ed.) *Sexualizing the Social: Power and Organization of Sexuality*, New York: Palgarve Macmillan, 1996.

Aggleton Peter, (ed.) with a foreward by Dennis Altmai, *Men Who Sell Sex: International Perspectives on Male Prostitution and HIV/AIDS,* London: UCL Press Limited, 1999.

Agnihotri Vidyadhar. *Fallen Women: A Study with Special Reference to Kanpur,* Kanpur: Maharaja Printers, 1955.

Agrawal Anuja (ed). *Migrant Women at Work: Women and Migration in Asia, Volume 4,* Sage Publications India Pvt Ltd: New Delhi, 2006.

Agrawal Anuja. (Book Reviews and Notices) Chaste Wives and Prostitute Sisters: Patriarchy and Prostitution among the Bedias of India, *Contributions to Indian Sociology (n.s.),* 43, 2, 2009, pp: 344 - 347.

Agrawal, Anuja. *Chaste Wives and Prostitutes, Sisters-Patriarchy and Prostitution among the Bedias in India.* New Delhi: Routledge, 2008.

Ahmed P. I. and N. Ahmed (ed.). *Living and Dying with AIDS*, New York: Plemum Press, 1992.

Ahuja, Ram. *Social Problems in India*, New Delhi: Rawat Publications, 2003.

Aimlay S., G. Becker, L. Coleman. *The dilemma of difference: A Multidisciplinary view of stigma*, New York: USA Plenum, 1986.

Akhavi Negar. *AIDS SUTRA: Untold Stories from India.* New Delhi: Random House, India 2008.

Alan Soble and Nicholas Power (ed.). *The Philosophy of Sex: Contemporary Readings,* United States of America: Rowman & Littlefield Publishers, 2008.

Alexander, M. Jacqui. “Redrafting Morality: The Postcolonial State and the Sexual Offenses Bill of Trinidad and Tobago”, In Mohanty Talpade Chandra, Ann Russo and Lourdes Torres (ed.). *Third World women and the Politics of Feminism,* Bloomington USA: Indiana University Press, 1991.

Allan, M. Brandt. *No Magic Bullet: A Social History of Venereal Disease in the United States since 1880*. New York: Oxford University Press, 1987.

Altekar, A. S. *The Position of Women in Hindu Civilization*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 1991.

Andrew Wheeler Elizabeth and Katharine Caroline Bushnell. *The Queens Daughters in India,* New Delhi: Kessinger Publishing, 2007.

Andrew Wheeler Elizabeth and Katharine Caroline Bushnell. With Perfatory Letters by Mrs. Josephine Butlar and Mr. Henny S. Wilson,

M.P., *The Queens Daughters in India,* London: Morgan and Scoot, 1899.

Annie Oakley (ed.). *Working Sex: Sex Workers Write About a Changing Industry*, Emeryville, CA: Seal Press, 2007.

Arunima G. *There Comes Papa: Colonialism and the Transformation of Matriliny in Kerala, Malabar c. 1850 - 1940,* New Delhi: Orient Langman Private Limited, 2003.

Ballhatchet Kenneth. *Race, Sex and Class Under the Raj: Imperial Attitudes and Policies and their Critic, 1793-1905,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1980.

Banarjee, S. C. and R. Banarjee. *The Castaway of Indian Society,* Calcutta: Punthi Pustak Publication, 1989.

Banerjee Sumanta. *Under The Raj: Prostitution in Colonial Bengal,* New York: Monthly Review Press, 1998.

Banerji Chandra Sures. *The Castaway of Indian Society: History of Prostitution in India Since Vedic Times, Based on Sanskrit, Pali, Prakrit, and Bengali Sources,* Kolkata: Punthi Pustak, 1989.

Banerji Debabar. *Social Sciences and Health Service Development in India: Sociology of Formation of an Alternative Paradigm,* New Delhi: Lok Paksh, 1986.

Banton, Michael. *Discrimination*, USA: Open University Press Buckingham, 1994.

Barbara, Caine and Rosemary Pringle (ed.). *Transitions: New Australian Feminisms,* New Yoek: St. Martin's Press, 1995.

Barry Kathleen. *Female Sexual Slavery: With a New Introduction by the Author,*United States of America: New York University Press, 1979.

Barry, Kathleen. *The Prostitution of Sexuality: The Global Exploitation of Women*. New York and London: New York University Press, 1995.

Beauchamp, L. Tom and James F. Childress. *Principles of Biomedical Ethics*. New York: Oxford University Press, 2001.

Beauvoir De Simone. *The Second Sex,* Pan Books: London, 1988.

Bell, Shannon. *Reading, Writing, and Rewriting the Prostitute Body*, United States of America: The Association of American University Press, 1994.

Beotra B.R. and Devinder Singh. *The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956, With State Rules,* New Delhi: Law Book Company, 1996.

Bering, Dietz. *The Stigma of Names*, Delhi: Polity Press with Blackwell Publishers, 1992.

Bernard, Jessie. *Social Problems at Mid-century: Roll, Status and Street in a Context of Abundance*, New York: The Darden Press, 1957.

Beteille Andre and T. N. Madan. *Encounter and Experience: Personal Accounts of Fieldwork,* Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1975.

Beteille Andre. *Six Essay in Comparative Sociology,* New York: Oxford University Press, 1974.

Bosstorm I. Jillson, I. *The Impact of HIV on Minority Populations*, New York: Plenum Press, 1992.

Braidotti, Rosi. *Nomadic Subjects: embodiment and sexual difference in contemporary feminist theory*, New York: Columbia University Press, 2011.

Brown, Louise. *Sex Slaves: the trafficking of women in Asia,* London: Virago Press, 2000.

Bumiller Kristin. *In an Abusive State: How Neoliberalism Appropriated the Feminist Movement Against,* Durham and London: Duke University Press, 2008.

Burris Scoot, H.L. Dalton and J.L. Miller (ed.). *AIDS Law Today: A New Guide for the Public.* New Haven: Yale University Press, 1993.

Bury Judy, Val Morrison and Sheena McLachlan (ed.). *Working with Women & AIDS: Medical, Social, & Counselling Issues.* London: Routledge, 1992.

Cahill, Lisa Sowle. *Sex, Gender, and Christian Ethics,* Cambridge, England: Cambridge University Press, 2003.

Carmen, Arlene and Howard Moody. *Working Women: The Subterranean World of Street Prostitution.* New York: Harper & Row, 1985.

Certeau Michel De. *The Practice of Everyday Life,* England: University of California Press Ltd., 1988.

Chakraborthy, Kakolee. *Women as Devadasis-Origin and Growth of the Devadasi Profession.* New Delhi: Deep and Deep Publications Pvt. Ltd., 2000.

Chandra Mohanty Talpade, Ann Russo and Lourdes Torres (ed.). *Third World women and the Politics of Feminism,* Bloomington USA: Indiana University Press, 1991.

Chapkis, Wendy. *Live Sex Acts: Women Performing Erotic Labor.* New York: Routledge, 1997.

Chaudhuri Maitrayee. *The Indian Women's Movement: Reform and Revival,* New Delhi: Palm Leaf Publications, 2011.

Chevers Norman. *A Manual of Medical Jurisprudence for Bengal and the North Western Provinces,* Calcutta: Bengal Milttery Press, 1856.

Clifford James and George E. Marcus. *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography,* New York: Oxford University Press, 1990.

Clifford, James. *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art,* United Stated of America: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 2002.

Conboy Katie, Nadia Medina and Sarah Stanbury. *Writing on the Body: Female Embodiment and Feminist Theory,* New York: Columbia University Press, 1997.

Coy Maddy (ed). *Prostitution, Harm and Gender Inequality: Theory, Research and Policy,* England & USA: Ashgate Publishing Limited, 2012.

D'Cunha Jean. *The Legalization of Prostitution: A Sociological Inquiry into the Laws Relating to Prostitution in India and the West*, Bangalore: Wordmakers, 1991.

Danielle R. Egan, Katherine Frank, and Merri Lisa Johnson (ed.) *Flesh for Fantasy: Producing and Consuming Exotic Dance*, New York: Thunder's Mouth Press, 2006.

Das, *B.K.* and S.S. Rao. *Consumer Protection Act, 1986, Act No. 68 of 1986: The Most Analytical, Critical, Exhaustive, and Updated Commentary,* Allahabad: Sodhi Publication,1998.

Davidson, Julia O' Connell. *Prostitution, Power and Freedom*. Cambridge: Polity Press, 1998.

Davies E. Susan and Eleanor Humes Haney (ed.). *Redefining Sexual Ethics: A Sourcebook of Essays, Stories, and Poems,* Cleveland: Pilgrim Press, The/ United Church Press, 1991.

Davis, J. Nanette (ed.). *Prostitution: an International Handbook on Trends, Problems, and Policies,* Westport, CT: Greenwood Press, 1993.

Debe Siddharth. *Sex Lies and AIDS,* New Delhi: Harper Collins Publishers India, 2000.

Delacoste and Priscilla Alexander (ed.). *Sex Work: Writings by Women in the Sex Industry*, San Francisco, California: Cleis Press, 1998.

Ditmore Melissa Hope (ed.), *The Encyclopedia of Prostitution and Sex Work,* Volume - 1 & 2, London: Greenwood Press, 2006.

Ditmore, Hope Melissa, Antonia Levy and Alys Willman. *Sex Work Matters: Exploring Money Power, and Intimacy in The Sex Industry*. New York: Zed Books, 2010.

Dominelli Lena. *Women and Community Action,* Jaipur: Rawat Publications, 2007.

Donna, M. Hughes, & Claire Roche (ed.). *Making the Harm Visible: Global Sexual Exploitation of Women and Girls: Speaking Out and Providing Services,* New York: Coalition Against Trafficking in Women, 1999.

Donovan Josephine. *Feminist Theory: The Intellectual Traditions,* New York: Continuum International Publishing Group, 2012.

Dreze, Jean, Amartya Sen. *India: Economic Development and Social Opportunity*, New Delhi: Oxford University Press, 1995.

Dube Leela. *Anthropological Explorations in Gender,* New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd., 2001.

Edwardes S. M. *Crime in India,* Jaipur (India): Printwell Publishers, 1988.

Edwardes, S.M. *Crime in British India: a brief review of the more important offences included in the annual criminal returns with chapters on prostitution & miscellaneous matter,* New Delhi: ABC Publication, 1983.

Engels Friedrich. *The Origin of the Family, Private Property and the State,* London: Penguin Classics, 2010.

Faraone A. Christopher and Laura K. Mcclure. *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World,* London: The University of Wisconsin Press, 2006.

Farmer Paul, Margaret Connors, Janie Simmons. *Women, Poverty And AIDS: Sex, Drugs And Structural Violence,* USA: Common Courage Press, 2011.

Fee Elizabeth and Daniel M. Fox (ed.). *AIDS: The Burdens of History.* California: University of California Press, 1988.

Felber Lynette (ed). *Clio's Daughters,* Cranbury: Associated University Presses, 2007.

Fraedaerique Delacoste and Priscilla Alexander (ed.). *Sex Work: Writings by Women in the Sex Industry*, San Francisco, California: Cleis Press, 1998.

Frank, N. Magill. *International Encyclopedia of Sociology*,Volume - 2, London: Chicago, 1995.

Gamacheb, Denise (ed.) *A facilitator's guide to prostitution: A matter of violence against women,* USA: WHISPER, Incorporated, 1990.

Gathia, Joseph. *Child Prostitution in India*, New Delhi: Concept Publishing Company, 1999.

Geertz Clifford. *The Interpretation of Culture: Selected Essays,* New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1993.

Ghosh, S. K. *The World of Prostitution*, Volume - 1 & Volume - 2, New Delhi: A. P. H. Publishing Corporation, 1996.

Gibson Quentin. *The Logic of Social Enquiry,* New York: Routledge & Kegan Paul, 1960.

Goffman Ervin. *Stigma: Notes on Management of Spoiled Identity Upper Saddle River*, USA: Prentice-Hall, 1963.

Goss, David and Derek Adam-Smith. *Organizing AIDS: Workplace and Organizational Responses to the HIV/AIDS Epidemic*, London: Taylor & Francis Ltd., 1995.

Gostin Q. Lawrence. *The AIDS Pandemic: Complacency, Injustice, and Unfulfilled Expectations,* United State of America: The University of North Carolina Press, 2004.

Government of India. "The Velvet Blouse: Sexual Exploitation of Children", New Delhi: National Commission for Women, 1997, in WORLD HEALTH ORGANIZATION, Regional Office for the Western Pacific, STI/HIV, Sex Workers in ASIA, July, 2001.

Grenfell Michael. *Pierre Bourdieu,* New York: MPG Books Ltd. 2004.

Grosz Elizabeth. *Volatile Bodies: Towards a Corporeal Feminism,* United States of America: Indiana University Press, 1994.

Guennif Samira. *AIDS in India: Public health related aspects of industrial and intellecctual property rights policies in a doveloping country,* New Delhi: France Research Institute in India, 2004.

Gupta Charu. *Sexulity-Obscenity-Community: Women, Muslim and the Hindu Public in Colonial India,* Delhi: Permanent Black, 2001.

Gurumukh, Ram Madan. *Indian Social Problem: Social Diprganization & Reconstruction,* Volume - 1 & 2, New Delhi: Allied Publishers Private Ltd., 1966.

Halley Janet & Andrew Parker. *After Sex: On Writing Since Queer Theory,* London: Duke University Press, 2011.

Haraway, J. Donna. *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 1991.

Harding, Sandra. "Rethinking Standpoint Epistemology: What Is "Strong Objectivity" In Linda Alcoff and Elizabeth Potter (ed.). *Feminist Epistemologies,* New York: Routledge, 1993.

Harfield Alan. *Meerut: The First Sixty Years 1815 - 1875,* London: The British Association, 1992.

Harish Ranjana and V. Bharathi Harishankar (ed.). *Re-definini feminisms,* New Delhi: Rawat Publications, 2008.

Harrison Wendy Cealey and John Hood - Williams. *Beyond Sex and Gender,* New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd., 2002.

Heyningen Emille Van. *Planning Districts Socio-Economic Analysis 2007,* New Delhi: Strategic Development Information and GIS Department, 11 October 2007.

Hoigard, Cecilie and Finstad, Liv (Contributor). *Backstreets: Prostitution, Money, and Love,* United States America: Pennsylvania State University Press, 1992.

Human Rights Law Network. *Traffiking & The Law,* New Delhi: Social Legal Information Centre, 2006.

Irigaray, Luce. *This Sex Which is Not One,* Translated by Catherine Porter, Ithaca New York: Cornell University Press, 1985.

Israni, A. S. *HIV/AIDS and STD An Information Manual*, New Delhi: Commonwealth Publishers, 2001.

Jameela Nalini. *Autobiography of a Sex Worker,* Chennai: Westland Books Pvt Ltd, 2005.

Jankowski, Martin Sanchez. *Islands in the Street: Gangs and American Urban Society,* London: University of California Press, 1991.

Jeffrey Leslie Ann. *Sex and Borders Gender, National Identity, and Prostitution Policy in Thailand,* Thailand: Silkworm Books, 2002.

Jeffreys Sheila. *The Idea of Prostitution,* North Melbourne Australia: Spinifex Press Pvt. Ltd., 1997.

Jeffreys, Sheila. *Anticlimax: A Feminist Perspective on the Sexual Revolution.* Australia: Spinifex Press Pvt. Ltd., 2012.

Jenkins Carol. *Female Sex Workers HIV Prevention Projects: Social and Behaviour HIV Prevention Research,* USA: United Nations Programme of HIV/AIDS, DAID National Institutes of Health, 2000.

Jenness, Valerie. *Making It Work: The Prostitute's Rights Movement in Perspective,* New York: Aldine De Gruyter, 1993.

Jha Shree Nagesh. *Ledership and Local Politics: A Study of Meerut District in Uttar Pradesh 1923 - 1973,* Bombay: Popular Prakashan, 1979.

Joardar, Biswanath. *Prostitution in Historical and Modern Perspective.* New Delhi: Inter-India Publication, 1984.

John Rawls, *A Theory of Justice,* New York: Oxford University Press, 1999.

Johnson Paul and Derek Dalton. *Policing Sex,* New York: Routledge, 2012.

Jons, E, A . Farima, A. Hastorf, Markus, et.al. *Social stigma: The psychology of marked relationship*. New York: W. H. Frecman. 1984.

Jordan, K. Kay. *From Sacred Servant to Profane Prostitute: A History of the Changing Legal Status of the Devadasis in India, 1857-1947*. New Delhi: Manohar, 2003.

Josh Sohan Singh. *The Great Attack: Meerut Conspiracy Case,* New Delhi: People's Publishing Housing, 1079.

Joshi D. Madhu. *Women and Children in Prostitution: Human Rights Perspectives: Report of National Workshop,* New Delhi: Uppal Publishing House, 1997.

Kakar, D. N. and S.N. Kakar. *Combating AIDS in the 21st Century: Issues and Challenges*, New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd, 2001.

Kamala Kempadoo & Jo. Doezema (ed.). *Global Sex Workers: Rights, Resistance and Redefinition,* New York: Routledge, 1998.

Kantola Johanna. *Feminists Theorize the State,* New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Kapoor, Promilla. *The Life and Work of Call Girls in India*. Delhi: Sahibabad Publishing House, 1975.

Kapur Promilla (ed). *Girl Child and Family Violence,* New Delhi: Har Anand Publications, 1993.

Kapur Promilla. *Empowering the Indian Woman,* Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi: Government of India, 2001.

Kempadoo, Kamala, Jyoti Sangher and Bandana Pattanaik (ed.). *Trafficking and Prostitution Reconsidered: New Perspectives on Migration, Sex Work, and Human Rights*, Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2012.

Kempadoo, Kamala. “Introduction: Globalizing Sex Workers’ Rights” In Kamala Kempadoo & Jo. Doezema (ed.). *Global Sex Workers: Rights, Resistance and Redefinition,* New York: Routledge, 1998.

Koedt Anne and Shulamith Firestone (ed.). *Notes from the Third Year: Women's Liberation,* New York: Radical Feminist, 1971.

Kotiswaran Prabha. *Dangerous Sex, Invisible Labor: Sex Work and the Law in India,* Oxford: Princeton University Press, 2011.

Kotiswaran, Prabha (ed.). *Sex Work: Issues in Contemporary Indian Feminism,* New Delhi: Women Unlimited an associate of Kali for Women, 2011.

Kumar Naresh. *Geography of Transportation: Commodity Flows and Human Interactions in Meerut City,* New Delhi: Concepts Publishing Company, 1991.

Kuo, Lenore. *Prostitution Policy: Revolutionizing Practice Through a Gendered Perspective*. New York and London: New York University Press, 2002.

Lamas Marta. *Feminism Transmissions and Retransmissions,* New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Lamptey Peter Richter, Helene D. Gayle. *HIV/AIDS Prevention and Care in Resource-constrianed Settings: A Handbook for the Design and Management of Programs*, United State: Family Health International, 2001, Available at: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnacy892.pdf accessed on 2nd January 2018.

Law, Lisa. *Sex Work in Southeast Asia: The Place of Desire in a Time of AIDS*, London & New York: Routledge, 2000.

Leidholdt Dorchen and Janice G. Raymond (ed.). *The Sexual liberals and the attack on feminism,* New York and London: Teachers College Press, 1990.

Leod, Mc. Eileen. *Women Working: Prostitution Now,* London: Croom Helm Ltd, 1982.

Levine Philippa. *Prostitution Race, and Politics: Policing Venereal Disease in the British Empire,* New York & London: Routledge, 2003.

Lombroso, Cesare and Gulielmo Ferrero. *Criminal Woman, the Prostitute, and the Normal Women,* translated with a new introduction by Nicole Hahn Rafter and Mary Gibson, Durham, NC: Duke University Press, 2004.

Machin David. *Ethnographic Research for Media Studies,* London: Arnold, 2002.

Magill, N. Frank. *International Encyclopaedia of Sociology*, London: Chicago Press, Volume - II, 1995.

Mahadevan, Kuttan, Krshna S. Krishna Kumar & Vivek K. Panikkar. *Health Promotion Prevention of HIV/AIDS and Population Regulation: Strategies for Developing Countries,* Delhi: B. R. Publishing Corporation, 2005.

Maity Ajoy. *The Marital Rape and other Issues in Relevance to Indian Women,* New Delhi: Vedic Prakashan, 2006.

Marchand H. Marianne, & Jane, L. Parpart (ed), *Feminism Postmodernism Development*, London: Routledge, 1995.

Martha C. Nussbaum and Jonathan Glover (ed.). *Women, Culture, and Development: A Study of Human Capabilities*, New York: Clarendon Press, 1995.

Mathur, A. S. and B.l. Gupta. *Prostitutes and Prostitution*. Agra: Ram Pramod and Sons, 1965.

Mauthner Melanie, Maxine Birch, Julie Jessop & Tina Miller. *Ethics in Qualitative Research,* New Delhi: Sage Publications Ltd., 2003.

May Tim. *Social Research: Issues, Methods and Process,* Backingham: Open University Press, 1997.

Mazumdar Vina. *Amniocentesis and Sex Selection,* Occasional Paper No. 21, New Delhi: Centre for Women's Development Studies, 1994.

McLeod Eileen, *Working Women: Prostitution Now,* London: Croom Helm Ltd., 1982.

Methews, Roger and Maggie, Nill O. (ed). *Prostitution,* Gower House England: Dartmouth Publishing Company Ltd., 2003.

Michael J. Shapiro and Hayward R. Alker (ed.). *Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial Identities*, Minneapolis MN: University of Minnesota Press, 1996.

Mike, Featherstone, Mike Hepworth and Bryan S. Turner (ed.). *The Body: Social Process and Cultural Theory,* London: Sage Publications Pvt. Ltd., 1991.

Millett Kate. *Sexual Politics.* United State of America: Library of Congress Cataloging-in-Publication, 1969.

Millett, Kate. *The Prostitution Papers: A candid dialogue,* United State of America: Basic Books, Inc. 1971.

Mohanty Bedabati. *Violence Against Women: An Analysis of Contemporary Realities,* Kanishka Publishers, Distributors: New Delhi, 2005.

Molino Anthony. *Transsexualism: Illusion and Reality,* New Delhi: Sage Publications Ltd., 1997.

Motichand. *The World of Courtesans*, New Delhi: Vikash Publishing House Pvt. Ltd., 1973.

Mukerjee, Santosh Kumar. *Prostitution in India*, New Delhi: Inter India Publications, 1986.

Mukherjee Krishna Kanta. *Flesh Trade: A Report,* Ghaziabad, India: Gram Niyojan Kendra, 1989.

Mukherjee, K. K. and Deepa Das. *Prostitution in Metropolitan Cities of India*, New Delhi: Central Social Welfare Board, Samaj Bhavan, 1993.

Mumtamayee, C. *Rural Ecology,* New Delhi: Ashish Publication, 1989.

Munro, E. Vanessa and Marina Della Giusta. *Demanding Sex: Critical Reflections on The Regulation of Prostitution*. England: Ashgate Publishing, 2008.

Nag Moni. *Sexual Behaviour and AIDS in India,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1996.

Nagle, Jail (ed.). *Whores and Other Feminists,* New York: Routledge, 1997.

Naheed Kishwar. *A Bad Woman's Story: A Translation of Buri Aurat kii Katha,* New York: Oxford University Press, 2009.

Nair Janki. *Women and Law: A Social History*. New Delhi: Kali for Women 1996.

Narain, J. P. *AIDS in Asia: the Challenge Ahead*, New Delhi: Sage Publications, 2004.

Narain, P. Jai. (ed.). *AIDS in Asia: The Challenge Ahead,* New Delhi, Sage Publications, 2004.

National Human Right Commission. *Human Rights Manual for District Magistrate,* New Delhi: Utpal Narayan Srakar, 2007.

Nead, Lynda. *Myth of Sexuality: Representation of Women in Victorian Britain*, Oxford: Basil Blackwell, 1988.

Niranjana Seemanthini. *Gender and Space: Femininity, Sexualization and the Female Body,* New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd., 2001.

Nugent Robert (SDS). *A Challenge to Love: Gay and Lesbian Catholics in the Church,* (ed.). New York: Crossroad Press, 1983.

Nussbaum, C. Martha. *Sex and Social Justice*. New York: Oxford University Press, 1999.

O'Neill, Maggie and Jane Pitcher. *Prostitution: Sex Work, Policy, & Politics*, New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd., 2003.

O'Neill, Maggie. *Prostitution and Feminism: Towards a Politics of Feeling,* New York: Wiley, 2001.

Ojha, P. Vijay and Basanta K. Pradhan. *The Macro-Economic & Sectoral Impacts of HIV and AIDS in India*, New Delhi: UNDP&NACO 2006.

O'Leary, Ann and Loretta Sweet Jemmott (ed.). *Women at Risk: Issues in the Primary Prevention of AIDS*. New York: Plenum Press, 1995.

Omvedt, Gail. *Violence Against Women: New Movements and New Theories in India*, New Dehli: Kali, 1990.

Page, M. Robert. *Stigma,* England: Routledge & Kegan Paul Press, 1984.

Palmer, J.A.B. *The Mutiny Outbreak at Meerut in 1857.* Cambridge University Press, 1966.

Panda, S.A. Chatterjee and A.S. Abdual-Quader. *Living With the AIDS Virus-The Epidemic and The Response in India*. New Delhi: Sage Publication, 2003.

Panda, S.A. Chatterjee and A.S. Abdual-Quader. *Living With the AIDS Virus-The epidemic and the response in India*. New Delhi: Sage Publication, 2003.

Panday, J.N. *Constitution of India*, Allahabad: Central Law Agency, 2003.

Parsons, T. Jeffrey (ed.). *Contemporary Research on Sex Work*, New York: The Haworth Press, 2005.

Paswan Sanjay and Paramanshi Jaideva. *Encyclopaedia of Dalits in India.* Delhi: Kalpaz Publication, 2004.

Pateman, Carole. *The Sexual Contract*, Cambridge: Polity Press, 1988.

Patton, Cindy. *Globalizing AIDS.* New York: University of Minnesota Press, 2002.

Patton, Cindy. *Inventing AIDS*, New York: Routledge, 1990.

Patton, Cindy. *Last Served? Gendering the HIV Pandemic: Social Aspects of AIDS,* London: Taylor & Francis, 1994.

Paul, Spicker. *Stigma and Social Welfare*, New York: Croom Helm Ltd. London & Canberra St. Martin's Press , 1984.

Phoenix, Joanna. *Making Sense of Prostitution,* London: Macmillan Palgrave Limited, 1999.

Plammer Kenneth. *Sexual Stigma: An Interactionist Account*, London: Routledge & Kegan Paul Ltd. 1975.

Prakasam Seepana. *Domestic Woman - Workers in India: With Special Reference to Chandigarh,* Delhi: Shipra Publications, 2012.

Prasad Shweta (ed). *Women in India: Trials and Triumphs,* New Delhi: Viva Books Private Limited, 2011.

Punekar, S. D. and Kamla Rao. *A Study of Prostitution in Bombay: With reference to Family Background,* Bombay: Allied Publishers, 1962.

Rabinow, Paul (ed.). *The essential work of Michel Foucalt 1954-1984: Ethics, Subjectivity, and Truth,* Volume - 1, New York: The New Press, 1997a.

Radin Margaret Jane. *Contested Commodities: The Trouble with Trade in Sex Children, Body Parts, and other Things,* United States of America: Harvard College, 1996.

Raina, B.L. Robert R. Black, Eugene M. Weiss, *Family Planning Communication Meerut District,* New Delhi: Central Family Planning Institute, 1967.

Raina, B.L. Robert R. Black, Eugene M. Weiss. *Family Planning Communication Meerut District,* New Delhi: Central Family Planning Institute, 1967.

Raina, B.L., Robert R. Black and Eugene M. Weiss, *Family Planning Communication Meerut District,* New Delhi: Central Family Planning Institute, 1967.

Raj Nikhil, Ruma Ghosh, Anup K. Satpathy & Prakash Narayanan V. "Child Labour", in *Home-Based Poduction of Sports Goods in Meerut,* Study by National Resource Centre on Child Labour, V.V. Giri National Labour Institute, Noida, Uttar Pradesh, funded by UNICEF, India Country Office, New Delhi, 1999.

Raj, M. Sundara, *Prostitution in Madras: A Study in Historical Perspective,* New Delhi: Konark Publication Pvt. Ltd., 1993.

Rajan Rajeswari Sunder. *The Scandal of the State: Women, Law and Citizenship in Postcolonial India,* New Delhi: Permanent Black, 2003.

Rajawat Mamta. *Encyclopaedia of Dalits in India.* New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd. 2004.

Raju, Saraswati. "Introduction", In Saraswati Raju and Deipica Bagchi (ed.). *Women and Work in South Asia: Regional Patterns and Perspectives*, New York: Routledge, 1993.

Ramamurthy V. *Guidance and Counselling of HIV/AIDS*, Delhi: Authors Press, 2004.

Ramamurthy, V. *AIDS and the Human Survival*, Delhi: Authors Press, 2000.

Ramamurthy, V. *Global Patterns of HIV/AIDS Transmission*. New Delhi: Authors Press, 2000.

Ramasubban Radhika and Bhanwas Rishyasringa. *AIDS and Civil Society.* New Delhi: Rawat Publication, 2005.

Ramazanoglu Caraline (ed). *Up Against Foucault: Explorations of some Tensions between Foucault and Feminism,* London: Routledge, 1993.

Ramazanoglu Caroline with Janet Holland. *Feminist Methodology: Challenges and Choices,* New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd., 2002.

Ranganayakamma. *House Work and Outside Work,* Hyderabad: Sweet Home Publications, 1999.

Rao Digumarti Bhaskara. *AIDS and Home Care: International Encyclopaedia of AIDS - 6,* New Delhi: Discovery Publishing House, 2000.

Rao, Digumarti Bhaskara: *HIV/AIDS and NGO: International Encyclopedia of AIDS - 5*, New Delhi: Discovery Publishing House, 2000.

Rao, Digumarti Bhaskara: *An Introduction to HIV/AIDS: International Encyclopedia of AIDS - 1*, New Delhi, Discovery Publishing House, 2000.

Ravichandran, N. *Living 'LIFE' With HIV/AIDS: Striving Towards Basic Right,* New Delhi: Pentagon Press, 2004.

Rege, Sharmila. *Sociology of Gender-The Challenge of Feminist Sociological Knowledge*. New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd. 2003.

Regional Synthesis Paper for Bangladesh. *India and Nepal: Combationg Trafficking of Women and Childern in South Asia,* April 2003. Available at: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/30364/combating-trafficking-south-asia-paper.pdf accessed on 2nd January 2018.

Resigl Martin and Wodak Ruth. *Discourse and Discrimination,* New York: Routledge Publication, 2001.

Rhodes Tim and Richard Hartnoll. *AIDS, Drugs and Prevention: Perspectives on individual and Community action,* London and New York: Routledge, 1996.

Richardson, Diane. *Women and AIDS Crisis*, London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1987.

Rollins, Judith. *Between Women: Domestics and Their Employers*. Philadelphia, United States of America: Temple University Press, 1985.

Rossiaud, Jacques. *Medieval Prostitution,* New York: Basil Blackwell Ltd, 1988.

Rousseau Jean Jacques. *Jean Jacques Rousseau: His Educational Theories Selected from EMILE Julie and Other Writings,* New York: Barron's Educational Series, Inc., 1965.

Rozario, Rita. *Trafficking in Women and Children in India*, New Delhi: Uppal Publishing House, 1988.

Sahni Rohini, V. Kalyan Shankar and Hemant Apte (ed.). *Prostitution and beyond: an Analysis of Sex Work in India,* New Delhi: SAGE Publications, 2008.

Sanders Teela, Maggie O'Neill and Jane Pitcher. *Prostitution Sex Work, Policy and Politics*, New Delhi: Sage Publication, 2009.

Sanders, Teela. *Sex Work: A Risky business,* Cullompton, U.K.: Willan Publishing, 2005.

Sanders, Teella. *Paying for Pleasure: Men who Buy Sex*, Cullompton, U.K.: Willan Publishing, 2008.

Sangari Kumkum and Sudesh Vaid (ed.). *Recasting Women: essays in Indian Colonial History,* United States of America: Rutgers University press, 1999.

Sariola Salla. *Gender and Sexuality in India: Selling Sex in Chennai,* Oxon: Routledge, 2010.

Satpathy G.C. (ed). *Encyclopaedia of AIDS (Volume 1 to 7),* Delhi: Kalpaz Publications, 2003.

Sawicki, Jana. *Disciplining Foucault: Feminism, Power, and the Body*. New York: Routledge, 1991.

Saxena, R.C. *Agricultural Labour, Wages and Living Conditions in Meerut,* New Delhi: Elite Publication, 1969.

Segal Lyne & Mary McIntosh (ed.). *Sex Exposed: Sexuality and the Pornography Debate*, New Brunswick: Rutgers University Press, 1993.

Segal, Lynne and Mary McIntosh (ed.). *Sex Exposed: Sexuality and the Pornography Debate*, United States of America: Rutgers University press, 1993.

Sellars Jane. *Madonnas and Magdalenes: Images of Women in Victorian Painting,* London: Weidenfeld & Nicolson, 1990.

Sen Samita. *Women and Labour: The Bengal Jute Industry,* Australia: Cambridge University Press, 1999.

Sen, Sankar. *Trafficking in Women and Children in India*. New Delhi: Orient Longman Private Limited, 2005.

Senkoro, E.M.K., Fikeni. *The Prostitute in African Literature,* Tanzania: Dar es Salaam University Press, 1982.

Sex workers' rights. From Wikipedia, the free encyclopedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_workers%27_rights, accessed on 20th june 2017.

Shah A. M. *The Hiusehold Dimension of the Family in India: A Field Study in a Gujarat Village and a Review of Other Studies,* New Delhi: Orient Longman Limited, 1973.

Shah P. Svati. *Street Corner Secrets: Sex, Work, and Migration in the City of Mumbai,* New Delhi: Orient Black Swan, 2014.

Shalini, S. C. N. And Lalitha, S. A. *Women Soliciting Change,* New Delhi: Indian Social Institute & Joint Women's Programme, 1996.

Sharma, Partap. *'This is a Road Where we have come to be free': A Touch of Brightness,* New Delhi: Sahitya Akademi, 2006.

Sharma, Partap. *A Touch of Brightness,* New Delhi: Sahitya Akademi, 2006.

Sharma, Savita. *AIDS A Threat to Human Race*, New Delhi: Commonwealth Publishers, 1998.

Sharma, Savita. *AIDS and Sexual Behaviour*. New Delhi: A. P. H. Publishing Corporation, 1996.

Shepherd Laura J. *Gender, Violence and Popular Culture: Telling Stories,* Routledge: New York, 2013.

Sherr, Lorraine, Catherine Hankins and Lydia Bennett (ed.). *AIDS as a Gender Issue: Psychosocial Perspectives*, London: Taylor & Francis Publishers, 1996.

Shiling Chris. *The Body and Social Theory,* New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd., 2005.

Singh Nagendra Kumar. *Divine Prostitution,* New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation, 1997.

Singh, P. K. *Brothel Prostitution in India*, Jaipur: University Book House Pvt Ltd, 2004.

Singh, R.L. *Dholri Village Meerut District,* Varanasi: Silver Jubilee Publication, 1971.

Singhal, Arvind and Everett M. Rogers. *Combating AIDS Communication Strategies in Action.* New Delhi: Sage Publication, 2003.

Sinha S. N. and N. K. Basu (ed). *The History of Marriage and Prostitution: Vedas to Vatsyayana,* New Delhi: Khama Publishers, 1992.

Sinha, S. N. and N. K. Basu. *History of Prostitution in India,* New Delhi: Cosmmy Publications, 1994.

Sleightholme, Carolyn and Indrani Sinha. *Guilty without Trial: Women in the Sex Trade in Calcutta*. Calcutta: STREE, 1996.

Smart Carol and Barry Smart (ed.). *Women, Sexuality and Social Control*, London: Rutledge & Kegan Paul Ltd., 1978.

Spector, Jessica (ed.) *Prostitution and Pornography: Philosophical Debate About the Sex Industry*, Stanford, California: Stanford University Press, 2006.

Srinivas M.N. A.M. Shah and E. A. Ramaswamy. *The Field Worker and the Field: Problems and Challenges in Sociological Investigation,* Bombay: Oxford University Press, 1979.

Srivastava Sanjay (ed). *Sexual Sites, Seminal Attitudes: Sexualities, Masculitities and Culture in South Asia,* Studies on Contemporary South Asia No. 4, New Delhi: Sage Publications, 2004.

Srivastava, Govind (ed). *All about AIDS: for medical & paramedical personnel and general public*, New Delhi: Arya Book Depot, 1989.

Stark, Christine and Rebecca Whisnant. *Not For Sale: Feminists Resisting Prostitution and Pornography*. Delhi: Aakar Publication, 2007.

Sullivan Lcille Mary. *Making Sex Work: A failed Experiment with Legalised Prostitution,* Australia: Spinifex Press, 2007.

Sullivan, L. Mercer. *"Getting Paid": Youth Crime and Work in the Inner City,* Ithaca, New York: Cornell University Press, 1989.

Swaminathan Padmini (ed). *Women and Work,* New Delhi: Orient Black Swan, 2012.

Tambe, Ashwini. *Codes of Misconduct: Regulating Prostitution in Late Colonial Bombay*. New Delhi: Zubaan Publication, 2009.

Tandon R. K. and K. N. Sudarshan. *Child Prostitution,* New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation, 1997.

Thapan Meenaksh (ed.). *Embodiment: Essays on Gender and Identity,* Delhi: Oxford University Press, 1997.

Thapan Meenakshi. *Life at School: An Ethnographic Study,* Delhi: Oxford University Press, 1991.

Thapan Meenakshi. *Living the Body: Embodiment, Womanhood and Identity in Contemporary India,* New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd. India, 2009.

Thomas Gracious. *HIV Education and Prevention: Looking Beyond the Present,* Delhi: Shipra Publications, 2001.

Thomas Gracious. *Prevetion of AIDS: in search of answers...,* Delhi: Shipra Publications, 1997.

Thomas, Gracious. *AIDS in India*. New Delhi: Rawat Publications, 1994.

Thomas, Gracious. *AIDS and Family Education,* Jaipur and New Delhi: Rawat Publications, 1995.

Thorbek Susanne and Bandana Pattanaik. *Transnational Prostitution: Changing Patterns in Global Context,* New York: Zed Books, 2002.

Thukral, Juhu, Melissa Ditmore, and Alexandra Murphy. *Behind Closed Doors: An Analysis of Indoor Sex Work in New York City*. New York: Sex Workers Project at the Urban Justice Center, 2005.

Training Trainer's. *Stop AIDS: Report on the Regional Workshop of NSS Key Functionaries (North Zone),* New Delhi: Training Orientation and Research Centre, Department of Social Work, University of Delhi, 1994.

United Nations. *Sexually Abused and Sexually Exploited Childern and Youth in South Asia: A Qualitative Assessment of their Health Needs and Available Services,* New York: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 1999.

Vanwesenbeeck, Ine, *Prosrituces' Well-Being and Risk.* Amsterdam: VU Boekhandel, 1994.

Verma K. Ravi, Pertti J. Pelto (et all). *Sexuality in the time of AIDS*, New Delhi: Sage Publication, 2004.

Vidyadhar, Agnihotri· *Fallen Women*. Kanpur: Maharaja Printers, 1955.

Waxman, I. Chaim, *The Stigma of Poverty,* United State of America: Pergamon Press Inc. 1977.

Weeks Jeffery. *Sexuality and its Discontents: Meaning, Myths & Modern Sexualities*, New York: Taylor & Francise. Library, 2002.

Weinberg S. Kirson. *Social problems in Our Time: A Sociological Analysis,* Prentice Hall, Inc: Englewood Cliffs, 1960.

Weitz Rose (ed). *The Politics of Women's Bodies: Sexuality, Appearance & Behavour,* Oxford University Press: New York, 2003.

Weitzer Ronald. *Sex for Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry*. New York: Routledge Publications, 2010.

Wiesner-Hanks Merry E. *Gender in History,* Blackwell Publishing: Australia, 2001.

Williams Terry Moses. *Crackhouse: Notes from the End of the Line,* New York: Addison Wesley Longman, Incorporated , 1992.

Willis, Paul. *Learning to Labour: How to Working Class get Working Class Jobs,* Westmead: Saxon House, 1977.

Wouters Cas. *Sex and Manners: Female Emancipation in the West, 1890 - 2000,* Sage Publications Ltd: New Delhi, 2004.

Yadav Sushma and Anil Dutta Mishra (ed.), *Patterns of Gender Violence,* Radha Publications: New Delhi, 2002.

अमरनाथ. *नारी का मुक्ति संघर्ष: स्त्री विमर्श,* रेमाधव पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, 2007.

आर्य साधना, निवेदिता मेनन और जिनी लोकनीता. *नारीवादी राजनीति: संघर्ष एवं मुद्दे,* हिंदी माध्यम कार्यन्वय निदेशालय, दिल्ली विश्विद्यालय, 2001.

आहूजा राम और मुकेश आहूजा. *समाजशास्त्र: विवेचना एवं परिप्रेक्ष्य,* रावत पब्लिकेशन: नई दिल्ली 2008.

एंगेल्स फ्रेडरिक. *परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति,* प्रगति प्रकाशन मास्को, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली 1986.

कस्तवार रेखा. *स्त्री चिन्तन की चुनौतियाँ,* राजकमल प्रकाशन: नई दिल्ली, 2006

कांबले उत्तम, *देवदासी: स्त्री - विमर्श,* संवाद प्रकाशन: मेरठ, 2008.

खेतान प्रभा. *बाज़ार के बीच: बाज़ार के खिलाफ: भूमण्डलीकरण और स्त्री के प्रश्न,* वाणी प्रकाशन: नई दिल्ली, 2004

ग्राम्शी अंतोनियों. *सांस्कृतिक और राजनीतिक चिंतन के बुनियादी सरोकार,* ग्रंथ शिल्पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड: दिल्ली, 2002.

जैदी रंजन. *स्त्री कथा अनंता,* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास: नई दिल्ली, 2014.

जॉन मैरी ई. और जानकी नायर. *कामसूत्र से 'कामसूत्र' तक: आधुनिक भारत में सेक्सुअलिटी के सरोकार,* वाणी प्रकाशन: नई दिल्ली, 2008.

जोशी गोपा. *भारत में स्त्री असमानता: एक विमर्श,* हिंदी माध्यम कार्यन्वय निदेशालय, दिल्ली विश्विद्यालय, 2006.

नागर अमृतलाल. *ये कोठेवालियाँ,* लोकभारती प्रकाशन: इलाहाबाद, 2011

परमार सुभ्रा. *नारीवादी सिद्धांत और व्यवहार,* ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड: दिल्ली, 2015.

ब्राउन लुईस. *यौन दासियाँ: एशिया का सेक्स बाज़ार,* वाणी प्रकाशन: नई दिल्ली, 2005.

मुद्गल सरला. *आज की आम्रपाली: देह व्यापार की त्रासदी,* नेशनल पब्लिशिंग हाउस: नई दिल्ली, 1996

श्रीनिवास एम.एन. *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन,* राजकमल प्रकाशन: नई दिल्ली, 1967.

श्रीनिवास एम.एन. *यादों से रचा गाँव,* राजकमल प्रकाशन: नई दिल्ली, 1995

सहगल पूरन. *बाछड़ा,* विभूति प्रकाशन, दिल्ली, 1987.

सिंघी नरेन्द्र कुमार. *समाजशास्त्रीय सिद्धांत विवेचना एवं व्याख्या,* रावत पब्लिकेशन: नई दिल्ली, 2002.

सिंह जे.पी. *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन,* प्रेन्टिस, हाल आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पटना, 2005.

सिंह वी. एन. और जनमेजय सिंह. *नारीवाद,* रावत पब्लिकेशन: नई दिल्ली, 2013.

पामर जे.ए.बी., मेरठ में 1857के विद्रोह का आरम्भ:भारत सरकार शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, कैपिटल बुक हाउस: दिल्ली, 1966.

भोग दीप्ता, जया शर्मा, पूर्वा भारद्वाज और दिशा मालिक (परिकल्पना). *जेंडर और शिक्षा रीडर: भाग एक और भाग दो,* निरंतर प्रकाशन: नई दिल्ली, 2010.

Articles

Adebajo Bolanle Sylvia, Abisola O. Bamgbala and Muriel A. Oyediran. "Attitudes of Health Care Providers to Persons Living with HIV/AIDS in Lagos, Nigeria", African Journal of Reproductive Health, Volume 7, no. 1, April 2003, pp: 109-111, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3583350.pdf?refreqid=excelsior%3A45b24e74c8cbe9537fac435ad4622407, accessed on 20th June 2017.

Agnes Flavia. "Protecting Women against Violence? Review of a Decade of Legislation, 1980-89", *Economic and Political Weekly,* Volume 27, no. 17, 25 April, 1992, pp: WS19-WS33, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4397795.pdf?refreqid=excelsior:e24ddfa67b126e18bc119b28bc49561a, accessed on 20th June 2017.

Almodovar Norma Jean "For Their Own Good: The Results of the Prostitution Laws as Enforced by Cops, Politicians, and Judges", *Hastings Women's Law Journal*, Volume 10, 1999. Available at: http://alexpeak.com/twr/ftog/#p78, accessed on 20th june 2017.

Anand, K., C. S. Pandav and L.M. Nath., Impact of HIV/AIDS on the national economy of India, *Health Policy,* Volume 47, no. 3, 11 February 1999, pp: 195-205. Available at: http://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/Anand_Healthpolicy_vol47_issue3_may1999.pdf?ua=1, accessed on 20th May 2017.

Anil Awachat. "Prostitution in Pune and Bombay: A Report", *Economic and Political Weekly,* Volume - 21, No. 12, 22 March 1986, pp: 478-482. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4375448.pdf, accessed on 20th May 2017.

Baldwin, Margaret. "Split at the Root: Prostitution and Feminist Discourses of Law Reform" *Yale Journal of Law and Feminism,* Vol. 5, No. 47, 1992, pp: 104- 05. Available at: http://prostitutionresearch.com/1992/12/14/split-at-the-root-prostitution-and-feminist-discourses-of-law-reform/, accessed on 25th May 2017.

Banerjee, Sumanta. "The 'Beshya' and the 'Babu' Prostitute and Her Clientele in 19th Century Bengal", *"Economic and Political Weekly"*, Volume - 28, no. 45, 6 November 1993, pp: 2461 - 2472, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4400383.pdf, accessed on 26th May 2017.

Beneria, Lourdes. "Conceptualizing the Labor Force: The Underestimation of Women's Economic Activities", *The Journal of Development Studies,* Volume - 17, Issue 3, 1981, pp: 24-26.

Benjamin Jessica, "The Bonds of Love: Rational Violence and Erotic Domination", *Feminist Studies*, Volume 6, no. 1, Spring 1980, pp: 144-174. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3177655.pdf?refreqid=excelsior:e88c0c70973e295140b80d4e162c7f32, accessed on 24th may 2017.

Bergman, Beth. "AIDS, Prostitution, and the Use of Historical Stereotypes to Legislate Sexuality", *The John Marshall Law Review*, Volume - 21, 1988, pp: 777-830, Available at: https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.in/&httpsredir=1&article=2038&context=lawreview, accessed on 26th may 2017.

Bhattacharji Sukumari. "Prostitution in Ancient India", *Social Scientist,* Volume - 15, No. 2, February 1987, pp: 32 - 61. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3520437.pdf, accessed on 26th June 2017.

Bindman, Jo and J. Doezema, "Redefining Prostitution as Sex Work on the International Agenda", *Commercial Sex Internation Service,* 1 January 1997, pp: 1 - 132, Available at: https://walnet.org/csis/papers/redefining.html, accessed on 02nd January 2018.

Brass, Paul R. "Development of an Institutionalised Riot System in Meerut City, 1961-1982". *Economic and Political Weekly*, Volume - 39, No. 44, October 30 - Novmber 5, 2004, PP: 4839 - 4848. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4415744.pdf, accessed on 02nd January 2018.

Brents, G. Barbara and Kathryn, Hausbeck. "Violence and Legalized Prostitution in Nevada: Examining Safety, Risk and Prostitution Policy". *Journal of Interpersonal Violence*, Volume 20, no. 3, March 2005, pp: 270 - 295. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.552.3116&rep=rep1&type=pdf, accessed on 04nd January 2018.

Bromberg, Sarah. "Feminist issues in prostitution". *This paper presented to the International Conference on Prostitution at Cal State University*, Northridge. 1997, Available at: http://www.feministissues.com/issues.pdf, accessed on 10nd January 2018.

Brown, Jan MNurs Victor Minichiello. "Research Directions in Male Sex Work", *Journals of Homosexuality,* Volume - 31, Issue - 4, 1996, pp: 29 - 41.

Carole A. Campbell, "Prostitution, AIDS, and Preventive Health Behavior", *Social Science & Medicine*. Volume - 32, Issue - 12, January 1991, pp. 1367 - 1378. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/027795369190197K, accessed on 10nd January 2016.

Chacham S. Alessandra, Simone G. Diniz, Monica B. Maia, Ana F. Galati and Liz A. Mirim. "Sexual and Reproductive Health Needs of Sex Workers: Two Feminist Projects in Brazil", *Reproductive Health Matters,* Volume - 15, No. 29, May 2007, pp: 115 - 117. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/25475297.pdf, accessed on 10nd January 2016.

Chancer Lynn Sharon. "Prostitution, Feminist Theory, and Ambivalence: Notes from the Sociological Underground", *Social Text: A Special Section Edited by Anne McClintock Explores the Sex Trade,* No. 37, Winter 1993, pp: 143 - 161, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/466265.pdf?refreqid=excelsior:395a59a7dfb7f5286695b6e009036ec6, accessed on 20th May 2017.

Chatterjee, Ratnabali. The Queens' Daughters: Prostitutes as an Outcast Group in Colonial India, *Report Chr. Michelsen Institute, Department of Science and Development,* 6 December1992, pp: 1-32. available at: http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/380/1/R%201992_8%20Ratnabali%20Chatterjee-07122007_1.pdf, accessed on 10th April 2017.

Chhabra, Rami. "National AIDS Control Programme: A Critique'', *Economic and Political Weekly*, January 13, 2007, pp: 103 - 108, available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4419129.pdf, accessed on 20th May 2017.

Chinai Rupa. "HIV/AIDS in India: The Wider Picture", *Economic and Political Weekly,* Currently, Volume 44, no. 6, 07-13 February, 2009, pp: 79-83. available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/40278488.pdf, accessed on 20th May 2017.

Cupples, Julie. "The Field as a Landscape of Desire: Sex and Sexuality in Geographical Fieldwork", *Area,* Volume 34, no. 4, December 2002, pp: 382-387. available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/20004269.pdf, accessed on 20th May 2017.

D' Cunha Jean. "Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices", *Economic and Political Weekly,* Volume 27, no. 17, 25 April 1992, pp: WS34-WS44. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4397796.pdf?refreqid=excelsior%3A06b9e1cf1686c572e05175a3818a8e9e, accessed on 14th may 2017.

D'Cunha Jean. "Prostitution in a Patriarchal Society: A Critical Review of the SIT Act", *Economic and Political Weekly,* Volume - 22, no. 45, November 1987, pp: 1919-1925, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4377703.pdf?refreqid=excelsior%3Ad2843d629dbc9491e97593b9d776a3b0, accessed on 14th may 2017.

Davis Kinsley. "The Sociology of Prostitution", *American Sociological Review,* Volume - 2, no. 5, 1937, pp: 749 - 54. available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2083827.pdf, accessed on 24th may 2017.

Davis Sylvia and Martha Shaffer. “Prostitution in Canada: The Invisible Menace or the Menace of Invisibility?”, *Commercial Sex Information Service,* 23 November 1995, (Last Modified 14 November 1998). Available at: http://www.walnet.org/csis/papers/sdavis.html, accessed on 16th May 2017.

Dugger, W. Celia, DEAD ZONES: Fighting Back in India. Calcutta's Prostitutes Lead the Fight on AIDS, *The New York Times,* 04 January 1999. Available at: http://www.nytimes.com/1999/01/04/world/dead-zones-fighting-back-in-india-calcutta-s-prostitutes-lead-the-fight-on-aids.html, accessed on 26th March 2017.

Dworkin Andrea. “Prostitution and Male Supremacy”, *Andrea Dworkin delivered this speech at a symposium entitled “Prostitution: From Academia to Activism”, sponsored by the Michican Journal of Gender and Law at the University of Michigan Law School,* 31 October 1992. Available at: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.in/&httpsredir=1&article=1191&context=mjgl, accessed on 26th March 2017.

Ekberg, Gunilla. “The Swedish Law that Prohibits the Purchase of a Sexual Services: Best Practices for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings”. *Violence against Women*, no. 10 (10), (2004), pp: 1 - 28. Available at: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/uncategorized/international_law/ekberg_articlevaw_updated0504271.authcheckdam.pdf, accessed on 26th March 2017.

Elizabeth Bernstein, “What’s Wrong with Prostitution? What’s Right with Sex Work? Comparing Markets in Female Sexual Labour”, *Hastings Women’s Law Journal,* Volume - 10, no. 1, pp: 91 - 117. Available at: https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.in/&httpsredir=1&article=1079&context=hwlj, accessed on 14th December 2017.

Engineer, Asghar Ali. “Meerut: The Nation’s Shame”. *Economic and Political Weekly*, Volume - 22, No. 25, Jun 20, 1987, pp: 969 - 971. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4377115.pdf, accessed on 14th December 2017.

Ericsson, O. Lars, “Charges Against Prostitution: An Attempt at a Philosophical Assessment”, *Ethics*, Volume - 90, No. 3, April 1980, pp: 335 - 366, available at: http://kyoolee.homestead.com/Charges_Against_Prostitution_-_An_Attempt_at_a_Philosophical_Argument.pdf, accessed on 12th April 2017.

Farley A. Margaret. “A Feminist Version of Respect for Persons,” *Journal of Feminist Studies in Religion,* Volume 9, No. ½, Spring-Fall, 1993, pp: 183 - 198. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/25002208.pdf, accessed on 12th April 2017.

Farley Melissa and Howard Barkan. Prostitution, Violence, and Posttraumatic Stress Disorder, *Women and Health,* Volume 27, Number - 3, 1998, p: 46. Available at: http://www.prostitutionresearch.com/Farley%26Barkan%201998.pdf, accessed on 20th April 2017.

Farley Melissa, Isin Baral, Merab Kiremire and Ufuk Sezgin. “Prostitution in Five Countries: Violence and Post-Traumatic Stress Disorder (South Africa, Thailand, Turkey, USA, Zambia)”, *Feminism & Psychology,* Volume 8, Issue 4, 1998, 405 - 426. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.522.9029&rep=rep1&type=pdf, accessed on 20th April 2017.

Farley Melissa. ““Bad for the Body, Bad for the Heart” Prostitution Harms Women Even if Legalized or Decriminalized””, Violence Against Women, Volume - 10, No. 10, October 2004, pp: 1087 - 1125. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=4C9A5D68AC61D1

D84748703556383AFA?doi=10.1.1.321.336&rep=rep1&type=pdf, accessed on 18th May 2017.

Farley, Melissa. “Myths and Facts about Trafficking for Legal and Illegal Prostitution”. March 2009, pp: 1 - 11. Available at: http://prostitutionresearch.com/wp-content/uploads/2017/08/Farley-Seo-Prostitution-and-Trafficking-in-Asia.pdf, accessed on 18th May 2017.

Frances M. Shaver. “Prostitution: A Critical Analysis of Three Policy Approaches”, *Canadian Public Policy,* Volume - 11, No. 3, September 1985, pp: 493 - 503. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3550504.pdf?refreqid=excelsior%3Abf630d997a842aba07313b9c74d9d050, accessed on 10th May 2017.

Fraser, Nancy. *“Beyond the Master/Subject Model: Reflections on Carole Pateman’s Sexual Contract”* Social Text, No. 37, A Special Section edited by Anne McClintock Explores the Sex Trade, publiced by Duck University Press, (Winter, 1993), pp: 173 - 81. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/466266.pdf, accessed on 10th May 2017.

Friedman, I. Robert. “India’s Shame: Sexual Slavery and Political Corruption Are Leading to An AIDS Catastrophe”, *The Nation,* Volume 262, No. 14, 8 April, 1996, pp: 60 - 62. Available at: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12117-998-1059-x.pdf , accessed on 10th May 2017.

Geetanjali Gangoli. “Prostitution, Legalisation and Decriminalisation: Recent Debates”, *Economic and Political Weekly*, Volume - 33, No. 10, 07 - 13 March 1998, pp: 504 - 505. Available at: http://www.epw.in/system/files/pdf/1998_33/10/prostitution_legalisation_and_decriminalisation.pdf, accessed on 10th May 2017.

Ghose Ajit K. “The Employment Challenge in India”. *Economic Political Weekly,* Volume - 39, No. 48, Novmber 27 - December 03, 2004. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4415834.pdf, accessed on 12th May 2017.

Goel, S. Sridevi. “Girl Child Prostitution, Society’s Responsibility - Indian Scenario”, *CBI Bulletin,* Volume - 7, April 1999, pp: 14-17.

Green Karen. Prostitution, Exploitation and Taboo, *Philosophy,* Volume - 64, No. 250, October 1989, pp: 532 - 534. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3751608.pdf, accessed on 12th May 2017.

Helfand Mark. “notably, helfand goes on to describe this sense of power in retrospect as a false one, working against the recognition of her own real oppression”, *Health Services Research*”, Volume - 41, No. 31, June 2006.

Holland Janet, Caroline Ramazanoglu, Sue Sharpe and Rachel Thomson. “Power and desire: the embodiment of female sexuality”, *Feminist Review,* No. 46, 1994, pp: 21 - 38, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/1395415.pdf, accessed on 12th May 2017.

Hubbard Phil. “Red-Light Districts and Toleration Zones: Geographies of Female Street Prostitution in England and Wales”, *Area*. Volume - 29, No. 2, January 1997, pp: 129 - 140, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/20003779.pdf, accessed on 16th March 2017.

Hughes M. Donna, Laura Joy Sporcic, Nadine, Z. Mendelsohn and Vanessa Chirgwin, “Factbook on Global Sexual Exploitation United States of America: Coalition Against Trafficking in Women- CATW, *Factbook on Global Sexual Exploitation,* 18 November 1997, pp: 1 - 40, Available at: http://www.wakepeopleup.com/factbook-on-global-sexual-exploitation/, accessed on 16th March 2017.

Hughes, M. Donna and Claire M. Roche. *Making the Harm visible: Globle Sexual Exploitation of Women and Girls Speaking Out and Providing Services,* Coalition Against Trafficking in Women: New York, 1999,

Hughes, M. Donna. “Men Create the Demand; Women are the Supply, Lecture on Sexual Exploitation”, *Spain: Queen Sofia Center,* Valencia:

November 2000, pp: 1 - 2, Available at: https://www.viceversadundee.org.uk/files/men-create-the-demand.pdf, accessed on 16th March 2017.

Human Rights Library, University of Minnosota: Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948), Available at: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b1udhr.htm, accessed on 16th March 2017.

Iyer Karen Peterson. "Prostitution: A Feminist Ethical Analysis", *Journal of Feminist Studies in Religion,* Volume - 14, No. 2 (Fall, 1998), pp: 99 - 119, Available at: http://www.justice.gov.il/Units/Trafficking/MainDocs/1989%20Prostitution%20A%20Feminist%20Analysis-%20Cooper.pdf , Accessed on 12th june 2017.

Jackie MacMillan, "Prostitution as Sexual Politics," *Quest: A Feminist Quarterly*, Volume - 4, No. 1, 1977, pp: 40 - 44. Available at: https://ia601709.us.archive.org/12/items/questfeministqua44wash/questfeministqua44wash.pdf, accessed on 10th April 2017.

Jana S, Bandyopadhyay N, Mukherjee S, Dutta N, Basu I, Saha A. "STD/HIV intervention with sex workers in West Bengal; India", *AIDS,* 12 Supplement B, 1998, pp: 101 - 108.

Jani Nairruti. "Exploring Vulnerability and Consent to Trafficking Related Migration: A Study of South Asian Bar Dancers", *The University of Texas at Arlington,* December, 2009, pp: 15 - 20. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.620.9251&rep=rep1&type=pdf, accessed on 20th March 2017.

Kadiyala, Suneetha and Tony Barnett. "AIDS in India, Disaster in the Making"*. Economic and Political Weekly*, Volume - 39, No. 19, May 08 - May 14, 2004 pp: 1888 - 1892. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4414990.pdf, accessed on 16th March 2017.

Kapur Ratna and Abha Bhaiya, Report of the National Workshop on Women STDs, HIV and AIDS, *Rishikesh,* JAGORI, New Delhi, 1994 ,pp: 1 - 168. Available at: http://www.livingfeminisms.org/sites/default/files/report/National%20Workshop%20on%20women%20STDs%2C%20HIV%20and%20AIDS%20%2862...%29.pdf, accessed on 16th March 2017.

Kapur Ratna. Lacrit V Symposium; Class in Latcrit: Theory and Praxis I A World of Economic Inequality; the Postcolonial Relationship & Latcrit; Post-Colonial Economies of Desire: Legal Representations of the Sexual Subaltern, *University of Denver (Colorado Seminary) College of Law,* 2001, pp: 1 - 25. Available at: http://www.latcrit.org/media/medialibrary/2013/09/15lcvrkapur.pdf, accessed on 26th March 2017.

Karim Q A, S S Karim, K Soldan, and M Zondi. "Reducing the risk of HIV infection among South African sex workers: socioeconomic and gender barriers", *American Journal of Public Health,* Volume - 85, No. 11, November 1995, pp: 1521 - 1525. Available at: http://ajph.aphapublications.org/doi/pdfplus/10.2105/AJPH.85.11.1521, accessed on 28th March 2017.

Kilvington Judith, Sophie Day and Helen Ward. "Prostitution Policy in Europe: A Time of Change?", *Feminist Review*, No. 67, Sex Work Reassessed, Spring 2001, pp: 79 - 83. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/1395532.pdf?refreqid=excelsior%3A184e0e056113f6035765224df927d636, accessed on 16th March 2017.

King & Partridge. "Legalization of Prostitution in India (From the selected workes of Dharmendra Chatur)", *Legal Methods Research Paper,* January 2009, pp: 1 - 21. Available at: file:///C:/Users/Manoj/Downloads/Legalization_of_Prostitution_in_India.pdf, accessed on 30th March 2017.

Kotishwaran Prabha, "Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and the Law", *Boston College Third Word Journal,* Volume -

21, Issue - 2, Article - 1, 2001, pp: 161 - 242. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th March 2016.

Kumar, Arun, T. S. and S. Irudaya Rajan et al. “HIV Patients: Knowledge and Sexual Behaviour Patterns”. *Economic and Political Weekly*, Volume - 39, No. 12, March 20- March 26, 2004, pp: 1208 - 1210. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4414795.pdf?refreqid=search%3A776cf83dcbc4f7b74bfacd0b167614d4, accessed on 12th March 2016.

Macklin, Ruth. “Predicting Dangerousness and the Public Health Response to AIDS”, *The Hastings Center Report,* Volume - 16, No. 6, December 1986, pp: 16 - 23, available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3562098.pdf?refreqid=excelsior:2ac16d8bb97607fdcf4462aa46242a51, accessed on 16th April 2017.

Mani Lata. “Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India”, *Cultural Critique: the nature and context of minority discourse- II,* No. 7, 1987, pp: 119 - 156. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/1354153.pdf?refreqid=excelsior%3Ab31f84584a6e7162f79283a6a2edc8be, accessed on 12th March 2016.

Maria, Mies. “Methodische Postulate zur Frauenforschung: Dargestellt am Beispiel der Gewalt gegen Frauen”, *Beitrage zur feministischen Theorie und Praxis,* Jg. 1, H. 1, 1978, pp: 41 - 63.

Mary IrvineSource, From “Social Evil” to Public Health Menace: The Justifications and Implications of Strict Approaches to Prostitutes in the HIV Epidemic, *Berkeley Journal of Sociology,* Volume No. 43, Sexuality 1998-99, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/41035537.pdf?refreqid=excelsior:ed7a682e5aa4f9846c8166883bc573c1 accessed on 14th April 2017.

McClintock, Anne. “Screwing the System: Sexwork, Race, and the Law”, *Boundary 2*, Volume - 19, No. 2, 1992, pp: 70 - 95, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/303534.pdf, accessed on 16th April 2017.

Mcgirk Tim Katmandu, ““ASIA: Nepal’s Lost Daughters, “India’s Soiled Goods” Sold into Prostitution as Children, Village Girls are Coming Home to Rising Hostility, Premature Death””, *LibertadLatina.org: Creating a Bright Future Today for Children, Women, Men & Families,* January 27, 1997 Volume - 149, No. - 4. Available at: http://www.libertadlatina.org/cd/Information/WorldBeat/IndiaandNepal/mcgirk_Jan_27_1997.htm, accessed on 12th May 2017.

Misra Geetanjali, Ajay Mahal, and Rima Shah. “Protecting the Rights of Sex Workers: The Indian Experience”, *Health and Human Rights,* Volume - 5, No. 1, 2000. pp: 88 - 115. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4065224.pdf?refreqid=excelsior:2bf469c5b15e40b8f1fd240a1fd81b67, accessed on 12th March 2017

Misra, Amaresh. “Meerut Firing: A Turning Point”. *Economic and Political Weekly*, Volume - 29, No. 18, April 30, 1994, pp: 1054 - 1055. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4401123.pdf?refreqid=search%3Aacc68220ab7c2397617541bf497c01e3, accessed on 12th March 2017

Nag Moni. “Anthropological Perspectives and AIDS in India”. *Economic and Political Weekly*, Volume - 36, No. 42, October 20 - Octobwe 26, 2001, pp: 4025 - 4030. Awailable at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4411265.pdf?refreqid=search%3A22aba7ae512d52baa01727c56db88763, accessed on 20th April 2017.

Narayan Badri, “History Produces Politics: The "Nara-Maveshi" Movement in Uttar Pradesh”, Economic and Political Weekly, Vol. 45, No. 40 (OCTOBER 2-8, 2010), pp. 111-119. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/25742153.pdf?refreqid=excelsior%3Ad6c2249a2e94f06299e8e2782965a47f, accessed on 10th January 2018.

Neave, M. “Failure of Prostitution Law Reform”, *Australian and New Zealand Journal of Criminolgoy,* Volume - 21, Issue - 4, December 1988, pp: 202-213.

Nussbaum C. Martha "'Whether from Reason or Prejudice': Taking Money for Bodily Services" by The University of Chicago, *Journal of Legal Studies,* volume XXVII, January 1998, pp: 693 - 724. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/468040.pdf?refreqid=excelsior%3A47c02dce533d06c4055d196868ef8ca5, accessed on 24th April 2017.

Nyamathi M. Adeline, Charles Lewis, Barbara Leake, Jacquelyn Flaskerud and Crystal Bennett. "Barriers to Condom Use and Needle Cleaning among Impoverished Minority Female Injection Drug Users and Partners of Injection Drug Users", *Public Health Reports,* Volume 110, No. 2, March - April 1995, pp: 166 - 172. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4597780.pdf?refreqid=excelsior%3Ad02c74ab48b98bc1000ecc7763c3aefe, accessed on 20th May 2017.

O'Neill Maggie, Rosie Campbell, Phil Hubbard, Jane Pitcher and Jane Pitcher and Jane Scoular. "Living with the Other: Street sex work, contingent communities and degrees of tolerance", *Crime Media and Culture: An International Journal,* April 2008 Volume - 4, No. 1, pp: 73 - 93.

Overall Christine. "What's Wrong with Prostitution? Evaluating Sex Work", *Signs,* Volume 17, No. 4, Summer 1992, pp: 705 - 724. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3174532.pdf?refreqid=excelsior:f776436a41119ec5467cf3f89d32ad34, accessed on 17th june 2017.

Pateman Carole, "Defending Prostitution: Charges Against Ericsson, *Ethics,* Volume - 93, No. 3, April 1983, pp: 561 - 565, available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2380632.pdf?refreqid=excelsior%3A4846b2bc1d1d0c8f5f617a0414a27426

Pettman Jan Jindy. "Body Politics: International Sex Tourism", *Third World Quarterly,* Volume - 18, no. 1, March, 1997, P: 98. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3992903.pdf?refreqid=excelsior:2db57879ad3934068bd7ec55afe86e0e, accessed on 26th june 2017.

Pillai, V. “Prostitution in India”. *Indian Journal of Social Work*, XLIII, No. 3, 1992.

Prabha Kotiswaran, Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and Law, *Boston College Third World Law Journal*, Volume - 21, Issue - 2. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th March 2017.

Prabhudesai, Sandesh. Special Legislation against Child Prostitution Sought, 8 April 1997. Available at: http://www.rediff.com/news/jul/31goa.htm, accessed on 08th February 2018.

Pradhan Poonam Saxena, “Immoral Traffic in Women and Girls: Need for Tougher Laws and Sincere Implementation”, *Journal of Law Institute,* Volume - 44, No. 4, October - December 2002, pp: 504 - 527. Available at: http://www.jstor.org/stable/43951841?seq=1#page_scan_tab_contents, accessed on 08th February 2018.

Rao, Asha, Moni Nag (et all). “Sexual Behaviour Pattern of Truck Drivers and their Helpers in Relation to Female Sex Workers”. *Indian Journal of Social Work*, LV(4), 1994. Available at: http://ijsw.tiss.edu/greenstone/collect/ijsw/archives/HASHd8d2/0cbe7a9d.dir/doc.pdf, accessed on 08th February 2018.

Rao, Vijayendra, Indrani Gupta, Lokshin, Michael Lokshin and Smarajit Jana, “Sex Workers and the Cost of Safe Sex: The Compensating Differential for Condom Use among Calcutta Prostitutes”, *Journal of Development Economics*, Issue - 71, 2003, pp: 585 - 603. Available at: https://ac.els-cdn.com/S0304387803000257/1-s2.0-S0304387803000257-main.pdf?_tid=e9026b0a-0c67-11e8-a8bd-00000aab0f01&acdnat=1518050287_676a3c559566305b898f666cec3fb638, accessed on 08th February 2018.

Raymond G. Janice. “Prostitution on Demand: Legalizing Buyers as Sexual Consumers”, *Violence Against Women,* Volume - 10, No. 10,

October 2004, pp: 1156 - 1163. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.319.1534&rep=rep1&type=pdf, accessed on 14th may 2017.

Reanda, Laura. "Prostitution as a Human Rights Question: Problems and Prospects of United Nations Action", *Human Rights Quarterly,* Volume - 13, No. 2, May 1991, pp: 202-228. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/762660.pdf?refreqid=excelsior%3Ae9ee1e7bc68761b21433dc13480b6e37, accessed on 14th may 2017.

Richards David A. J., Commercial Sex and the Rights of the Person: A Moral Argument for the Decriminalization of Prostitution, *University of Pennsylvania Law Review,* Volume - 127, no. 5, May, 1979. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3311634.pdf?refreqid=excelsior%3Af128f4309c6ae55324334bc404dcc46e, accessed on 14th may 2017.

Sahni Rohini and V. Kalyan Shankar. "Sex Work and its Linkages with Informal Labour Markets in India: Findings from the First Pan-India Survey of Female Sex Workers", *Institute of Development Studies,* Volume - 2013, No 416, February 2013. Available at: http://www.sangram.org/resources/Pan_India_Survey_of_Sex_workers.pdf, accessed on 20 July 2015.

Santhya, K. G. and Shireen J. Jeseebhoy. ''Early Marriage and HIV/AIDS-Risk Factors among Young Women in India''. *Economic and Political Weekly*, Volume - 42, No.14, April 07 - April 13, 2007, pp: 1291 - 1297. Awailable at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4419450.pdf?refreqid=excelsior%3A9f95dfd6bc766210e592ba102215bf5a, accessed on 30th April 2017.

Schotten, C. Heike. "Men, Masculinity, and Male Domination: Reframing Feminist Analyses of Sex Work", *Politics and Gender*, Volume - 1, Issue - 2, June 2005, pp: 211 - 240. Available at: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/5222FEA07F04EFB8B550B0EA71B20E15/S1743923X05

050075a.pdf/men_masculinity_and_male_domination_reframing_feminist_analyses_of_sex_work.pdf, accessed on 20 July 2015.

Schwalbe, L. Michael and Douglas Mason-Schrock. "Identity Work as Group Process". *Advances in group processes,* 1996, pp: 113 - 47. Available at: https://campus.fsu.edu/bbcswebdav/institution/academic/social_sciences/sociology/Reading%20Lists/Social%20Psych%20Prelim%20Readings/III.%20Self%20and%20Identity/1996%20Schwalbe%20Schrock%20-%20Identity%20Work%20as%20Group%20Process.pdf, accessed on 12th March 2017.

Seidlin, Mindell, Keith Krasinski, Donna Bebenroth,Vincenza Itri, Anna Maria Paolino and Fred Valentine. "Prevalence of HIV Infection in New York Call Girls", *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes,* Volume - 1, No. 2, 1988, pp: 150 - 154. Available at: file:///C:/Users/Manoj/Downloads/Contractarians_and_feminists_debate_pros.pdf, accessed on 12th March 2017.

Showden Carisa R., "Prostitution and Women's Agency: A Feminist Argument for Decriminalization", *Paper prepared for presentation at the 2009 American Political Science Association Annual Meeting,* Toronto, Ontario. (September 3-5, 2009), Available at: http://www.prostitutionresearch.info/pdfs_all/SSRN-id1451044.pdf, accessed on 12th March 2017.

Shrage, Laurie. "Exposing the fallacies of anti-porn feminism", *Feminist Theory,* Volume - 6, No. 1, 2005, pp: 53 - 55. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/3793/413760d0286611de75bd79f5f5e3ecd258f1.pdf, accessed on 12th March 2017.

Shrage, Laurie. "Should Feminists Oppose Prostitution?" *Ethics*, Volume - 99, No. 2, January 1989, pp: 347 - 61. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2381438.pdf, accessed on 12th March 2017.

Shukla, Rakesh. "Women with Multiple Sex Partners in Commercial Context". *Economic and Political Weekly*, Volume - 42, No. 1, January. 06 - January 12, 2007, pp: 18 - 21. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4419103.pdf?refreqid=search%3A07fcdbcfecc4c2e9489bd3220fded20e, accessed on 12th March 2017.

Sibyl Schwarzenbach, "Contractarians and Feminists Debate Prostitution", *New York University Review of Law and Social Change,*Volume - XVIII, 18, No. 1, 1990 - 91, pp: 103 - 30. Available at: http://www.policeprostitutionandpolitics.com/pdfs_all/Academics%20Research%20Articles%20Support%20Prostitution%20%20Decriminalization/1990%20Contractarians%20and%20Feminists%20Debate%20Prostitution.pdf, accessed on 10th March 2017.

Sibyl Schwarzenbach. "Contractarians and Feminists Debate Prostitution", *Chapter Eight,* January 18, 2006, Available at: file:///C:/Users/prof.%20asnarang/Downloads/Contractarians_and_feminists_debate_pros.pdf accessed on 12th May 2017.

Singh, Jagpal. "Ambedkarisation and Assertion of Dalit Identity: Socio-Cultural Protest in Meerut District of Western Uttar Pradesh" *Economic and Political Weekly*, Volume - 33, No. 40, October 03 - 09, 1998, pp: 2611 - 2618. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4407245.pdf?refreqid=excelsior%3Adc448b0ef764f8559cbefb066782c590, accessed on 20th March 2017.

Singh, N. et. all. "The Phycho-Social Profile on the Elderly People in Urban Area of Meerut City" *Journal of The Indian Academy of Geriatrics*, Volume - 5, No. 4, December, 2009.

Sinha, M. Murli, Sex. Structural Violence, and AIDS: Case Studies of Indian Prostitutes, *Women's Studies Quarterly,* Volume - 27, No. 1/2, p: 69, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/40003399.pdf?refreqid=excelsior%3Ad8b6918d5e7652b760f10642e64891ca, accessed on 12th January 2018.

Sinha, Sanjay, “Economics vs Stigma Socio-Economic Dynamics of Rural Leatherwork in U.P.” *Economic and Political Weekly*, Volume - 21, No. 24, June. 14, 1986, pp: 1061 - 1067. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/4375797.pdf?refreqid=excelsior%3A6bc5564ef9d35f7b459ab6bc320cd6d1, accessed on 12th January 2018.

Stachowiak A. Julie, Susan Sherman, AnyaKonakova, IrinaKrushkova, Chris Beyrer, “Health Riska and Power among Female Sex Workers in Moscow”, In Martha E. Kempner, M.A., *SIECUS Report, Sex Workers: Perspectives in Public Health and Human Rights,* New York, Volume - 33, No. 2, 2005, Available at: http://sexworkersproject.org/downloads/SIECUS2005.pdf, accessed on 12th May 2017.

Stout, J. R. and T. S. Tanana. “Could California Reduce AIDS by Modeling Nevada Prostitution Law?” *San Diego Justice Journal,* Volume - 2, Issue - 2, summer 1994, pp: 491-506, Available at: file:///C:/Users/Manoj/Desktop/Orignal%20Articuls/Could%20California%20Reduce%20AIDS%20by%20Modeling%20Nevada%20Prostitution%20Law.pdf, accessed on 28th July 2017 .

Sullivan, Mary. “What Happens When Prostitution Becomes Work? An Update on Legalization of Prostitution in Australia”, *Coalition Against Traffcking in Women,* Australia, 2005. Available at: http://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2012/03/Mary-Sullivan-CATW-What-Happens-When-Prostitution-Becomes-Work...-An-Update-on-Legalisation-of-Prostitution-in-Australia.pdf, accessed on 28th July 2017.

Tambashe, B. Oleko, Ilene S. Speizer, Agbessi Amouzou, A. M. Rachelle Djangone. “Evaluation of the PSAMAO ‘Roulez Protege’ mass media campaign in Burkina Faso”, *AIDS Education and Prevention,* Volume - 15, No. 1, February 2003, pp: 33 - 48. Available at: https://www.popline.org/node/248679, accessed on 22nd December 2017.

Thappa Devinder Mohan, Nidhi Singh, Sowmya Kaimal. “Prostitution in India and its Role in the Spread of HIV Infection”. *Indian Journal of*

Sexually Transmitted Diseases, Volume - 28, No. 2, July - December 2007, pp: 69 - 75, Available at: http://medind.nic.in/ibo/t07/i2/ibot07i2p69.pdf, accessed on 24th April 2017.

Tim Mcgirk/Katmandu. Asia: Nepal's Lost Daughters, "India's Soiled Goods" Sold into Prostitution as Children, Village Girls are Coming Home to Rising Hostility, Premature Death, *TIME*: 27 January 1997, Volume - 149, No. 4.

Universal Declaration of Human Rights, *University of Minnesota, Human Right Library,* G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71, 10 December 1948, Available at: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, accessed on 24th April 2017.

Vanwesenbeeck , Ine., "Another Decade of Social Scientific Work on Sex Work: a Review of Research 1990 - 2000," *Annual Review of Sex Research,* 2001, Volume - 12, Research Library, pp: 242 - 289, Available at: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10532528.2001.10559799, on 24th April 2017.

Weitzer Ronald, "Moral Crusade against Prostitution", *Society: Human Rights Review,* Volume - 6, March - April 2006, P: 33 - 38, Available at: file:///C:/Users/Manoj/Downloads/SOCIETYMoralCrusade.pdf, on 24th April 2017.

West Jackie and Terry Austrin. "From Work as Sex to Sex as Work: Networks, 'Others' and Occupations in the analysis of Work", *Gender, Work & Organization,* Volume - 9, Issue - 5, November 2002, pp: 486 - 488, Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0432.00172/pdf, on 24th April 2017.

West Jackie. "Prostitution: Collectives and the Politics of Regulation", *Gender, Work and Organization,* Volume - 7, No. 2, 2000, pp: 106 - 118, Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0432.00098/epdf, on 24th April 2017.

Wharton, L. Rebecca. "A New Paradigm for Human Trafficking: Shifting the Focus from Prostitution to Exploitation in the Trafficking Victims Protection Act", *William & Mary Journal of Women and the Law.* Volume - 16, Issue - 3, Article - 6, 2010, pp: 761 - 63, Available at: http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1051&context=wmjowl, accessed on 24th April 2017.

Wildung Harrison, Beverly and Elizabeth M. Bounds... et. all (ed.). *Justice in the Making: Feminist Social Ethics,* Westminster John Knox Press: United States of America 2004.

Zatz, D. Noah. "Sex Work/Sex Act: Law, Labor, and Desire in Constructions of Prostitution." *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Volume - 22, No. 2, Winter, 1997, pp: 277 - 308, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3175273.pdf, accessed on 20th April 2017.